दशम माला, खंड 19, अंक 19

शुक्रवार, 19 मार्च 1993
28 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(बसवीं लोक सभा)

64
9/2/94

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 19, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 19 शुक्रवार, 19 मार्च, 1993/28 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 341-343 और 345	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर ...	20—154
तारांकित प्रश्न संख्या : 344, 346-360	20—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3466-3583, 3585-3616 ...	33—154
मंडल कमीशन प्रतिवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में	154—163
सभा पटल पर रखे गए पत्र ...	163—170
राज्य सभा से सन्देश	171
माल बहुविधि परिवहन विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित	171
नियम समिति	
(i) दूसरा प्रतिवेदन—रखा गया	171
(ii) कार्यवाही सारांश—रखा गया	171
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	172
सभा का कार्य	172
स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्तियां और छूट) अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प	
तथा	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्तियां और छूट) विधेयक	178—195
विचारार्थ प्रस्ताव	168
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	178
श्री एच० डी० देवगौड़ा	182
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	186
श्री गिरधारी लाल भार्गव	186
स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्तियां और छूट) अध्यादेश के निरनुमोदन में संबंध में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	190—195
स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्तियां और छूट) विधेयक	190-95
खंड 2 से 6 तथा 1	192
पारित करने हेतु प्रस्ताव	
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	192
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	195
उत्तरांचल तथा वनांचल नाम से पुकारे जाने वाले नए राज्यों की स्थापना से संबंधित संकल्प	196-230
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	196
श्री मानवेन्द्र शाह	199
श्री नीतीश कुमार	201
श्री चित्त बसु	205
श्री इन्द्रजीत	209
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	212
श्री बलराज पासी	215
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	219
श्री ए० चार्ल्स	223
मेजर जनरल (रिटा०) भुवनचंद्र खंडूरी ...	226

विषय				पृष्ठ
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प				
तथा				
वन्य जीव (संरक्षण संशोधन) विधेयक	...	...	...	230-37
विचारार्थ प्रस्ताव	...	...	...	
श्री गिरधारी लाल भार्गव		...	...	230
श्री कमल नाथ	...	...	...	230
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत	...	...	...	235
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	...	...	...	235
खंड 2, 3, तथा 1				
पारित करने हेतु प्रस्ताव	...	...	...	236
श्री कमल नाथ	...	...	...	236

लोक सभा

शुक्रवार, 19 मार्च 1993/28 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

लघु सीमेंट संयंत्रों पर उत्पाद शुल्क

*341. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा देय उत्पाद शुल्क में कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) विनिर्दिष्ट की गई संस्थापित/लाइसेंसशुदा क्षमता वाला वर्टिकल शाफ्ट भट्ठा अथवा रोटेरी भट्ठा (जिन्हें आमतौर पर "मिनी" सीमेंट प्लांट कहा जाता है) का उपयोग करते हुए किसी कारखाने में विनिर्मित, सफेद सीमेंट से भिन्न, पोर्टलैंड सीमेंट पर 185/- रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अन्य संयंत्रों में विनिर्मित सीमेंट पर 330/- रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। चूने के पत्थर के अपेक्षाकृत छोटे भण्डारों के उपयोग को प्रोत्साहन देने; समग्र देश में सीमेंट उत्पादन क्षमता का प्रसार करने; रेल परिवहन प्रणाली पर भार को कम करने; विशेष रूप से ग्रामीण तथा पर्वतीय और अन्य अगम्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत तथा त्वरित संस्थापना करने और अपेक्षाकृत अधिक रोजगार के अवसर

पैदा करने के उद्देश्य से मिनी सीमेंट प्लांटों के लिए उत्पाद शुल्क की रियायती दर लागू की गई है। बाहर से खंगर की खरीद करने वाली, पृथक-पृथक स्थानों पर स्थित इकाइयों में विनिर्मित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क की रियायती दर लागू नहीं की गई है क्योंकि किसी मिनी सीमेंट प्लांट की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि वे खंगर का विनिर्माण करने के लिए अपने भट्ठों की स्थापना करके विनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहन दें और न कि वे केवल पिसाई एवं भराई के कार्यों में ही लगे रहें क्योंकि अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है। इस प्रकार, मिनी सीमेंट प्लांटों के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे में कोई विसंगति नहीं है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : महोदय, सामेंट का विनिर्माण दो अवस्थाओं में किया जाता है। पहली अवस्था में भट्ठी में चूना पत्थर और मिट्टी को जलाया जाता है और विनिर्माण की दूसरी अवस्था में पूर्व-निर्धारित अनुपात में गाढ़े घोल के मिश्रण द्वारा खंगर से बनाया जाता है जिसे कि खंगर और गाढ़े घोल के रासायनिक सम्मिश्रण की प्रयोगशाला में रासायनज्ञ द्वारा जांच करने के बाद बी० आई०एस० के मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अतः खंगर की पिसाई करके इसे आसानी से सीमेंट में नहीं बदला जा सकता है। लघु उद्योग की कुछ इकाईयां पृथक इकाई में दोनों ही स्तरों पर सीमेंट का निर्माण कर रही हैं परन्तु अन्तिम उत्पाद सीमेंट हैं जोकि एक नये ब्रान्ड नाम के तहत आता है और ये दोनों ही इकाईयां उनकी हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इकाई की क्षमता के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि लघु उद्योग इकाई में किसी अन्य मद पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता जोकि बड़े एककों से अधिक बड़ी नहीं है केवल इसलिए क्योंकि इसका उत्पादन पृथक-पृथक इकाइयों में होता है। अतः, क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे मामलों की जांच करके उनकी शिकायतें दूर करेंगे ?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, लघु-सीमेंट संयंत्रों को पहले से ही प्रति मीट्रिक टन में 180 रु० शुल्क में छूट प्राप्त है जबकि अन्य संयंत्रों में सीमेंट विनिर्माता 330 रु० प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से उत्पाद शुल्क देते हैं। माननीय सदस्य ने बताया है कि खंगर का विनिर्माण और पिसाई पृथक और बिखरी हुई इकाइयों में की जाती है जो लघु एकक होते हैं और उन्हें लघु इकाईयों के अन्तर्गत छूट मिलनी चाहिए। जैसाकि उद्योग मंत्रालय ने बताया है मिनी-सीमेंट संयंत्रों की परिकल्पना यह है कि फैक्टरी द्वारा वर्टिकल शाफ्ट भट्ठी अथवा रोटरी भट्ठी का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल शाफ्ट भट्ठी में उत्पादन 210 टन प्रति दिन और अधिकतम 66,000 टन प्रति वर्ष होता है और रोटरी भट्ठी में 600 टन प्रति दिन और 1,98,000 टन प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन नहीं होता है। किन्तु इन मिनी-सीमेंट-संयंत्रों में केवल 99,000 टन उत्पादन के लिए ही छूट प्राप्त है। परन्तु उद्योग मन्त्रालय ने जिस मिनी-सीमेंट संयंत्र की संकल्पना की है वह है पिसाई संयंत्रों को मिनी सीमेंट संयंत्रों में नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि लघु इकाई के रूप में कार्य कर रही किसी भी पृथक इकाई को लघु इकाई नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पिसाई इकाइयों में लगभग 25,000 रु० निवेश करने की आवश्यकता होती है और उन्हें 30 लाख रु० तक के उत्पाद में उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त है और अधिकतम 75 लाख रु० तक के उत्पादन पर। ये इकाईयां वर्तमान कर-ढांचे के अन्तर्गत यह छूट प्राप्त कर रही हैं।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : महोदय, जिसे पृथक इकाई कहा जाना चाहिए, यह उसकी व्याख्या के बारे में था। मैंने हाल ही में मंत्री जी से यह अनुरोध किया है कि यदि सम्भव हो सके तो वे इस मामले की जांच करें।

मेरा दूसरा प्रश्न सीमेंट-निर्यात करने की सम्भावनाओं में सुधार लाने और सीमेंट, सीमेंट के उपोत्पाद, सीमेंट के ब्लाकों, टाइलों जैसी भवन-निर्माण सामग्री की निर्माण लागत कम करने से संबंधित है।

क्या सरकार उत्पाद शुल्क कम करने पर विचार करेगी ताकि इन दिनों भवन-निर्माण सामग्री की अत्याधिक ऊंची लागत में कमी आ सके ? समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार सीमेंट पर उत्पाद शुल्क को कम करने पर विचार कर रही है। क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : इस समय वर्ष 1992-93 के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन 57 लाख टन हुआ है। हमें शुल्क के रूप में 1,856 करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है। इस राजस्व में से तीन प्रतिशत का भुगतान मिनी सीमेंट संयंत्रों द्वारा किया जाता है। यह कुल उत्पादन का केवल 5 प्रतिशत बनता है।

इस समय हमारा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां चूने के पत्थर के भण्डार हैं, वहां पर सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए यह प्रोत्साहन दिया गया है और एक्साइज ड्यूटी की दर भी आधी है यानी कि 185 रुपये मीट्रिक टन। छोटे प्रदेशों में, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में चूने का पत्थर तो है और सरकार की नीति प्रोत्साहन देने की भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में थी तो उसने बहुत से उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल महोदय घोषणा करते जा रहे हैं कि कोई उद्योग नहीं लगने दिया जाएगा। क्या सरकार संसाधन जुटाने को दृष्टि में रखते हुए, प्रदेश सरकार ने जो पहले निर्णय लिए थे, राज्यपाल महोदय को ऐसे निर्देश देगी कि ऐसे नीतिगत विषयों पर निर्णय न लें ताकि वहां उद्योग लगकर लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की अनुमति नहीं है।

व्यापार घाटा

*342. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 की तुलना में 1992-1993 के दौरान अनुमानित व्यापार घाटा कितना है;

(ग) असन्तोषजनक व्यापार के क्या कारण रहे तथा किन-किन देशों को हमारे देश के निर्यात में कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा व्यापार घाटे में कमी करने के लिए निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल-जनवरी 1992-93 के दौरान व्यापार घाटा 3596.39 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा जबकि 1991-92 की उसी अवधि में यह 1583.81 मिलियन अमरीकी डालर का था।

निर्यातों में धीमी वृद्धि होने के कारणों में उल्लेखनीय कारण ये थे, सी०आई०एस० तथा पूर्व यूरोपीय देशों से होने वाले व्यापार में तीव्र गिरावट, औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में मन्दी तथा विश्व व्यापार में धीमी वृद्धि। जिस अद्यतन अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, अर्थात् जिन प्रमुख देशों के निर्यातों में गिरावट आई है वे हैं : सी०आई०एस०, रोमानिया, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, हंगरी, जापान, कोरिया गणराज्य, बेल्जियम तथा फिनलैंड।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार के उदारीकरण हेतु जो मुख्य उपाय किए हैं उनमें ये उपाय शामिल हैं : निर्यातों से सम्बद्ध आयातों का प्रावधान, आयात लाइसेंसिंग में कमी करना, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना एवं नीति तथा क्रियाविधि का सरलीकरण करके क्रियाविधि सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना। वर्ष 1993-94 के बजट में बाजार निर्धारित एकीकृत विनिमय दर प्रणाली आरम्भ की गई है और सीमाशुल्कों एवं उत्पादन शुल्कों को कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं को "अत्यधिक ध्यान" दिए जाने वाली वस्तुओं के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिसका उद्देश्य निर्यातों में मूल्य अथवा मात्रा के रूप में प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि करना है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, उत्तर में जो व्यापारिक-घाटा बताया गया है—यदि आप वर्ष 1991-92 के अप्रैल से दिसम्बर माह की अवधि के घाटे की तुलना में वर्ष 1992-93 की इसी अवधि के घाटे की तुलना में वर्ष 1992-93 की इसी अवधि के घाटे की प्रतिशतता की गणना करें तो आप देखेंगे कि उसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के अप्रैल से दिसम्बर माह की अवधि के 44238 करोड़ रुपये के आयात की तुलना में वर्ष 1992-93 की इसी अवधि में 47480 करोड़ रुपये का आयात होने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि वर्ष 1991-93 की तुलना में 10000 करोड़ रुपये से अधिक का आयात किया है जबकि निर्यात कम होकर लगभग 17000 करोड़ रुपये रह गया है।

मंत्रालय द्वारा व्यापार नीति में उदारीकरण के या और कोई बात की, या आपने जो अनुमान लगाया है, इसकी घोषणा के बावजूद भी, क्या हम लोग ऋण जाल में फंस रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य, जब यह कहते हैं कि वर्ष 1991-92 की तुलना में व्यापारिक घाटे में काफी वृद्धि हुई है, तब वे सही हैं। परन्तु सच यह है कि वर्ष 1991-92 अत्यधिक मुश्किलों भरा वर्ष था तथा इस अवधि में आयात पर काफी दबाव पड़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा नहीं रही, तथा हमें आयात पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े और निर्यात में कुछ

अन्य कारणों से वृद्धि नहीं हुई तथा आयात सम्बंधी कठिनाइयों ने ही निर्यात उत्पादन को परिलक्षित किया है। अतः इस बारे में दो राय नहीं हैं। ऐसा मुख्यतः आयात सम्बंधी कठिनाइयों के परिणाम-स्वरूप हुआ। परन्तु यदि हम व्यापार के अन्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के पूरी समयावधि के आंकड़ों को यदि एक साथ लें, तो अमरीकी डालर में प्रतिवर्ष व्यापारिक घाटा 4-5 मिलियन अमेरिकी डालर रहा है, तथा उसकी तुलना में इस वर्ष अप्रैल से जनवरी के आंकड़े 3.5 मिलियन अमरीकी डालर है। मेरा अनुमान है कि यह घाटा 4 से 4.5 मिलियन अमरीकी डालर के बीच है। यह घाटा असमान्य नहीं है तथा विगत व्यापार के अनुरूप है। परन्तु 1991-92 अपवाद का वर्ष इस अर्थ में रहा है कि विदेशी मुद्रा नहीं थी। अतः न तो आप आयात कर सके और न ही निर्यात में वृद्धि हो सकी।

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय मंत्री महोदय, ने यह बताया है कि अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष के व्यापार अन्तर की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा उसकी बरीयता में कमी आई है। इस वर्ष हम लोग दसवें स्थान से ग्यारहवें स्थान पर आ गए हैं। पता नहीं है इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हमारा स्थान और भी नीचे हो सकता है तथा हम लोग बारहवें या तेरहवें स्थान पर भी आ सकते हैं। आपने अपने उत्तर में जो रणनीति बताई है कि—हम लोगों ने 34 ऐसी वस्तुओं का पता लगाया है जिन पर अत्यधिक नजर रखनी होगी तथा हम यह देखेंगे कि इनका मात्रा या कीमत के आधार पर 30 प्रतिशत निर्यात किया जा सके, तथा उन पर अधिक जोर दिया गया है। एक समिति का, जिनमें व्यापारी तथा अधिकारी शामिल थे, गठन किया गया था, तथा उसने जुलाई, 1992 में अपना प्रतिवेदन दिया था। समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं। क्या मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है या नहीं, यदि हां, तो क्या उन्होंने उनका क्रियान्वयन किया है, या नहीं और यदि वे क्रियान्वित करने जा रहे हैं, तो, क्या वे इन अत्यधिक ध्यान रखने वाली वस्तुओं पर सतत निगरानी रखने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रहे हैं? ताकि इस अन्तर को समाप्त किया जा सके तथा हमारी स्थिति में सुधार हो सके और इस अन्तराल को भरा जा सके।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक भारत के स्थान तथा अन्य बातों का संबंध है, यह सही है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हमारा योगदान नगण्य रहा है। माननीय सदस्यों को पता है कि हमारी विकास रणनीति ने भी, कभी भी कोई विशेष योगदान नहीं दिया है, तथा उसका घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) भी कोई ज्यादा नहीं था। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी नीति अन्तरमुखी थी न कि दूरदर्शी। जहां तहां तक व्यापार में गिरावट का संबंध है, इसका एक प्रमुख कारण यह था कि हमारे कुल निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत निर्यात पूर्व के सोवियत रूस को रुपये में भुगतान के आधार पर किया गया था। यदि हम निर्यात छा अलग-अलग आंकड़े देखें तो, लगभग 30 प्रतिशत निर्यात ई०ई०सी० समुदाय को, 18 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमरीका को, 9 प्रतिशत जापान को तथा 30% से अधिक पूर्व के सोवियत रूस को, रुपये के आधार पर किया गया। गत वर्ष के दौरान निर्यात में काफी गिरावट आई है। सामान्यतः, हमारा निर्यात लगभग 2.5 से 2.6 मिलियन अमरीका डालर होता था। इस वर्ष यह कम होकर 700 से 800 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है। यह भी, विश्व घाटे, तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त, एक मुख्य कारण यही है। जहां तक 34 अत्यधिक मुख्य वस्तुओं का संबंध है, हमें समिति की सिफारिशें मिल गई हैं। तथा हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। मेरे

दूसरे दायित्व— योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से मैंने आठवीं योजना को बनाते समय, यह बताया था कि हम भुगतान संतुलन संबंधी संकट से बचना चाहते हैं, जिसका कि हमने विगत में सामना किया है तो हमें देश के निर्यात को तेजी से बढ़ाना होगा। अब हम 13.6 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। और हमें इसे बढ़ाना है और आगे दूसरे, तीसरे और अनुवर्ती वर्षों में इसे बढ़ाना है।

श्री ए० चार्ल्स : उत्तर से यह प्रतीत होता है कि 1992-93 के दौरान व्यापार घाटे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, हम माननीय मंत्री के उत्तर का समर्थन करते हैं क्योंकि हमें समस्याओं के बारे में जानकारी है। यहां मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसे बहुत से देश है जिनकी हमारी हस्त-शिल्प, मूल्यवर्धित सामग्री, कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पाद खरीदने में रुचि है। लेकिन समस्या यह है कि निगरानी रखने तथा समन्वय स्थापित करने वाली कोई ऐजेंसी नहीं है। श्री जेना ने भी इसका उल्लेख किया था। उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जैसे बहुत से मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई संसदीय शिष्टमंडलों के नेता के रूप में आपको यह पता है कि, बहुत से देशों ने हमारे उत्पाद खरीदने में पर्याप्त रुचि दर्शायी है। लेकिन वहां कोई समन्वय ऐजेन्सी नहीं है। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत अथवा उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत एक उपसमिति का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ताकि सभी सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ तालमेल कायम किया जा सके और निर्यात किये जाने वाले उत्पादों का पता लगाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये जा सकें और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा सके कि किन देशों में इन उत्पादों की आवश्यकता है ? महोदय, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा तो व्यापार बढ़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार किया जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : नए बाजार खोजने में, उत्पादों का पता लगाने में और उत्पाद विपणन बढ़ाने के प्रयासों को भी समन्वित करने के निरन्तर प्रयास करने चाहिए। सरकारी स्तर पर वर्तमान संस्थागत प्रबन्ध को विभिन्न संयुक्त आयोगों द्वारा और व्यापार तथा उद्योग स्तर पर विभिन्न व्यापार परिषदों और निर्यात संवर्धन परिषदों को समर्थ बनाना चाहिए। विभिन्न एजेन्सियों का बाजार पता लगाने और उनमें समन्वय करने के प्रयासों की निरन्तर निगरानी की जाती है लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि संस्थागत प्रबन्ध को और भी समर्थ बनाना होगा और निर्यात संवर्धन के लिए और अतिरिक्त प्रयास किये जाने चाहिए।

श्री राम नाईक : व्यापार घाटे के आंकड़े अप्रैल 1992 से जनवरी 1993 तक के हैं। इसका मतलब है कि फरवरी, 1993 और मार्च, 1993 के महीने इसमें सम्मिलित नहीं हैं। यदि हम इन दो महीने को उसी दर से ध्यान में रखें तो 1991-92 में 1,500 करोड़ डालर के घाटे की तुलना में अब लगभग 4,000 करोड़ डालर का घाटा हुआ है। इसका मतलब है कि 2,500 करोड़ डालर का अतिरिक्त घाटा हुआ है। पिछले तीन अथवा चार महीनों में रूस के राष्ट्रपति श्री येलत्सिन, इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री श्री जॉन मेजर और जर्मनी के प्राधिकारियों ने हमारे देश का दौरा किया है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए उनसे कोई विशेष चर्चा की है और यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा। यदि इस मुद्दे को नहीं उठाया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे क्यों नहीं उठाया गया।

श्री प्रणव मुखर्जी : सबसे पहले, मैं यह धारणा खंडित करना चाहता हूं कि चालू वर्ष में कुछ असाधारण घटना हुई है। ऐसा नहीं है। 1980-81 से 1990-91 तक, औसत व्यापार असन्तुलन

6 और 7 बिलियन डॉलर के बीच का था। ऐसा इसलिए हुआ कि आयात में 19 प्रतिशत की कमी हुई थी। ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है। यदि हम आयात बिल्कुल बन्द कर देते हैं तो व्यापार असन्तुलन व्यापक रूप से कम किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है।

दूसरा प्रश्न राष्ट्रपति येलत्सिन और यूरोपीय देशों के अन्य नेताओं के दौरों के बारे में है हालांकि प्रत्येक नेता के साथ हम अपने आर्थिक और व्यापार सम्बन्धों पर चर्चा करते हैं ताकि उनके साथ हमारा आर्थिक सहयोग बढ़ सके। हालांकि एक मुख्य अवरोध को दूर किया गया था जब राष्ट्रपति येलत्सिन यहां आए थे और उनके तथा हमारे प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत द्वारा हम रुपये रूबल समस्या का समाधान करने में समर्थ हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, मैं आशा करता हूं कि इन दो देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान इन दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और भारत से माल का निर्यात करने में उनको सहायता करने के उद्देश्य से हमने पांच केन्द्रीय ऐशियाई गणतन्त्रों के साथ अनुबन्ध किये हैं। हमारी कठिनाईयों और संसाधनों का अप्राप्यता के बावजूद, वित्त मन्त्री ने इन दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार को मद्देनजर रखते हुए उन सभी देशों को कुछ तकनीकी ऋण देने में काफी उदारता दिखायी है और हम इस संभावना की खोज कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि हमारे निर्यात में काफी कठिनाइयां हैं और जैसाकि आप जानते हैं—जिसका बार-2 उल्लेख नहीं किया जाता है—हमारे रुपये व्यापार का दरअसल एक बड़ा भाग परिवर्तनशील व्यापार का था। वह हमारे देश से आयात कर रहे थे और गैर-रुपया अदायगी वाले देशों से पुनः निर्यात कर रहे हैं और इसलिए हमारे व्यापार का विस्तारण रुपये में व्यापार न होने वाले क्षेत्रों में इसी कारण परिलक्षित होता है। क्या वाणिज्य मन्त्रालय ने वित्त मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया है और यह देखा है कि रुपये का 50 प्रतिशत और अवमूल्यन होगा अथवा नहीं होगा ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि अब वह वास्तव में विनिमेय होता है।

परिवर्तनशील व्यापार के सम्बन्ध में भी यह कुछ सीमा तक सही है। कुछ सीमा तक यह जिम्मेवार है। माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली जनवरी से हमारा अन्य देशों के साथ रुपये में व्यापार नहीं हो रहा है। हमने सहज विनिमेय विदेशी मुद्रा को अपनाया है।

श्री संदीपान भगवान थोरात : महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 34 वस्तुओं को विशेष क्षेत्रों के रूप में लक्ष्य करके मूल्य वृद्धि की गई है। यह मेरी सूचना यह है कि निर्यात परिषद् ने शोलापुर शहर से दो मदों-अर्थात् एक तो चादर और दूसरा बिजली हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्मित तैलियों—की सिफारिश की थी।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं क्या यह दो मदें पहचान की गई उन 34 मदों में से थी; यदि नहीं तो क्या वह इन दो मदों को भी उसमें शामिल करने का इरादा रखते हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, 34 अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र बड़े क्षेत्र हैं और यह दो कपड़ा उत्पाद जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसका भाग/हिस्सा हो सकते हैं लेकिन यह 34 मध्यम क्षेत्र

हैं जिन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और जिसमें निर्यात की अपरिमित संभाव्यता है और इसमें 30 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है।

यहां मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं यह सही है कि मैंने अपने पूर्व टिप्पण में भी सूचित किया था कि यदि हम रुपये अदायगी क्षेत्र को निकाल दें तो सामान्य मुद्रा क्षेत्र में अप्रैल से जनवरी अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक होगी।

तस्करी रोकना

*343. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सामान के अवैध रूप से देश में लाए जाने की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया; और

(ग) देश में विदेशी सामान के अवैध रूप से लाए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है और इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि देश में विदेशी माल के अवैध रूप से लाए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अन्तर्गत पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरे से गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है —

वर्ष	पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की की संख्या
1990	760.08	749
1991	740.00	751
1992	502.14	423

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम के लिए उचित रूप से सतर्क हैं। सीमाशुल्क कार्यालयों को पोतों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों आदि से लैस किया गया है और उनकी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

एक्स-रे असबाब मशीनों, धातु खोजियों और रात को काम आने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

इसके अलावा, सोने/चांदी के आयात की योजनाओं को अभी हाल में लागू किया गया है और असबाब के रूप में आयातित सामान पर सीमाशुल्क की दर को घटाकर मूल्यानुसार 150 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल असन्तोषजनक है। असन्तोषजनक ही नहीं, उन्होंने मेरे प्रश्न को अवाइड किया है। मैंने प्रश्न पूछा था कि—

[अनुवाद]

"क्या गैर-कानूनी रूप से विदेशी माल को देश में लाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ?"

[हिन्दी]

मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि—

[अनुवाद]

"यह कह पाना सम्भव नहीं है कि देश में विदेशी माल को लाने की घटनायें बढ़ी हैं अथवा उनमें कमी आई है ?"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था जिसका उत्तर हां या नहीं में होना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि मेरे प्रश्न के उत्तर को किस कारण से छिपाया गया है। आज सारे समाचार-पत्रों में आ रहा है कि देश में इल्लीगल गुड्स स्मगलिंग बढ़ रही है। कुछ अखबारों की सूचना मेरे पास है। 6 अक्तूबर को "पायनियर" में लिखा है "तस्करी में वृद्धि" (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : मैं प्रश्न कर रहा हूं। जब इल्लीगल गुड्स की स्मगलिंग इतनी बढ़ रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह स्मगलिंग इन्क्रीज हुई है या डिस्क्रीज हुई है ?

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं यह कहूंगा कि मैंने उत्तर दे दिया है :—

"तस्करी का कार्य चोरी-छिपे किया जाता है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि देश में अवैध रूप से विदेशी माल लाने की घटनायें बढ़ी हैं अथवा इनमें कमी आई है।"

परन्तु हमने जब्त किए गए प्रतिबन्धित माल का मूल्य करोड़ रुपये में और वर्ष 1990-91 और 1991-92 में 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा दे दिया है। इससे वास्तव में पता चलता है कि तस्करी में कमी आई है।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : आपने सही स्थिति की जानकारी दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन्होंने जो फिगर्स दिए हैं 1991 में 740 करोड़ रुपये का माल पकड़ा और 1992 में 502 करोड़ का माल पकड़ा, इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि जो माल आप जब्त करते हैं उसकी किस प्रकार से डिसपोजल करते हैं ? उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है ? अगर डिस्पोजल नीलामी द्वारा करते हैं तो उससे कितना पैसा आया ? वी०आई०पी० और अधिकारियों को क्या बिना नीलामी के भी माल दिया गया है ?

[अनुवाद]

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैंने बताया है कि हमने जब्त किए गए प्रतिबन्धित माल का ब्यौरा करोड़ रुपये में दिया है।

जहां तक ऐसे माल के निपटान की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, पहले हम कुछ माल सहकारी समितियों को देंगे और कुछ माल का नीलामी द्वारा निपटारा किया जाएगा। और जहां से हमें अधिक धनराशि प्राप्त होगी, हम उन्हीं को माल देंगे। हमारे पास एक पृथक् विभागीय प्रक्रिया भी है।

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उनका उत्तर देश में हथियारों और प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में है ?

महोदय, सरकार द्वारा निवारात्मक उपाय किये जाने के बावजूद भी तमिलनाडु का दक्षिणी तट अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के हाथों में चला गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे विगत एक वर्ष के दौरान जब्त किए गए प्रतिबन्धित हथियारों और प्रतिबन्धित नशीली दवाओं की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा दें।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, तस्करी की रोकथाम के लिए हमने प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य कार्यवाही की है अर्थात् तस्करी रोकने के लिए हमने दाण्डिक कार्यवाही की है। परन्तु जहां तक हथियारों की तस्करी का सम्बन्ध है, इसके लिए मुझे एक पृथक् सूचना देनी चाहिए।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि उनके पास विदेशी माल की तस्करी में वृद्धि होने अथवा कमी होने के सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं

है। महोदय, मेरा यह कहना है कि असम राज्य के साथ बंगलादेश की सीमा के सम्बन्ध में—यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि —सुरक्षा बल, जिन्हें सीमा पर नजर रखने के लिए लगाया गया है, के बारे में अनेक शिकायतें आई हैं कि वे भी तस्करी में लिप्त हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है और यदि हां तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन सायं 7.00 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है और लोगों को आने-जाने की मनाही होती है। महोदय, ऐसी कई शिकायतें आई हैं कि ऐसी स्थिति में, सुरक्षा बलों की मिलीभगत से ये तस्कर अपना बुरा कार्य करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है और यदि हां तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं, सबसे पहले माननीय संसद सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे सीमा क्षेत्र के सुरक्षा बल तस्करों से मिले हुए हैं और तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। परन्तु, वे अपने जान की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और केवल यही नहीं इसके अलावा वे तस्करी की गतिविधियों को काफी हद तक रोकते हैं।

श्री रमेश चेन्निथला : महोदय, माननीय मन्त्री ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि "तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए तस्कर विरोधी एजेंसियां समुचित रूप से सक्रिय हैं।"

महोदय, दो प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पहली, कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या और दूसरे अत्याधुनिक उपकरणों का उपलब्ध न होना। इन तस्कर विरोधी एजेंसियों को दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में सामाशुल्क अधिकारी संघ द्वारा कतिपय अभ्यावेदन दिए गए हैं। सरकार द्वारा इन दो समस्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के सम्बन्ध में, यह सच है कि हमें विभाग के प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है; और जहां तक अत्याधुनिक उपकरणों का संबंध है, हम इनके सुधार के लिए प्रयासरत हैं; और एक्स-रे-बेगेज मशीन, मेटल डिटेक्टर, रात में देखने के लिए दूरबीन जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का आत्याधिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

तस्करी का पता लगाने और रोकने में संलग्न सभी एजेंसियों के बीच आपसी निकटतम समन्वय है।

श्री राम कापसे : बम्बई में कुछ बम विस्फोट की प्राथमिक रिपोर्ट में यह सुस्पष्टतया उल्लिखित है कि बम विस्फोट में प्रयुक्त सामग्री जुटाने में तस्कर शामिल हैं। क्या मन्त्री महोदय इन रिपोर्टों पर ध्यान देंगे और तस्कर-विरोधी एजेंसियों को और सक्रिय होने के लिए कहेंगे ?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : जैसाकि आप जानते हैं बम विस्फोट की सी०बी०आई० द्वारा जांच की जा रही है और जांच-पड़ताल की जा रही है। इस समय, हमारे विभाग से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राम कापसे : यह तो, यहां स्पष्टतया उल्लिखित है।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : यह तो केवल पत्रों के माध्यम से ही है।

श्री राम कापसे : यह जांच करने वाली एजेंसी के द्वारा है, यह मेरी जानकारी है।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : नहीं महोदय, हमारे पास हमारे विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

बेरोजगार

+

*345. श्री मंजय लाल :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या कितनी होने का अनुमान है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये है ?

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

साप्ताहिक स्तर के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में स्पष्ट रूप से बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 170 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। किसी व्यक्ति को साप्ताहिक स्तर के अनुसार बेरोजगार माना जाता है यदि उसे कार्य के लिए उपलब्ध होने पर भी संदर्भाधीन सप्ताह के दौरान एक घंटे का भी काम न मिला हो। 1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए पिछले व्यापक सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि साप्ताहिक स्तर के अनुसार कुल बेरोजगार व्यक्तियों में से 68 प्रतिशत युवक (आयु समूह 15-29) थे।

आठवीं योजना अवधि के दौरान श्रमबल में 350 लाख व्यक्तियों की कुल वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। आठवीं योजना में परिकल्पित नीति से प्रति वर्ष औसतन 80 से 90 लाख अथवा कुल योजना अवधि के दौरान लगभग 430 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की आशा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह भ्रामक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 430 लाख अतिरिक्त रोजगार देने की बात कही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक देखा जाए तो योजना के शुरू में बेरोजगारों की संख्या कम रहती है और योजना के समाप्त होने पर उनकी संख्या में भारी बढ़ोत्तरी होती है। आज जब एक साथ आधुनिकीकरण हो रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं तो ऐसे समय में कंपनी बड़े पैमाने पर मजदूरों की होगी। क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति है कि बड़े पैमाने पर जो मजदूरों की छंटनी हो रही है और होने वाली है उसको रोका जाए और जो 430 लाख अतिरिक्त रोजगार देने की बात की है तो क्या उसको पूरा करेंगे और कोई स्पष्ट योजना आपके पास है।

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : वर्ष 1987-88 के दौरान, रोजगार में मात्र लगभग 2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इससे हमें यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में गिरावट आयी है; इसमें ग्रामीण क्षेत्र का भाग 1.53 प्रतिशत था और शहरी क्षेत्र में, यह 3.66 प्रतिशत था।

इसके कई कारण हो सकते हैं; दर्शाये गए कारणों में से पहला कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर में भारी गिरावट आयी है; यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कम हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरी क्षेत्र में रोजगार की तलाश में चले जाना; इसीलिए यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में आंशिक वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्य प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मैं पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करें।

श्री पी०ए० संगमा : अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार नीति में हमारा बल ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं। ऐसा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर न होने के कारण है, विशेषरूप से उस तथ्य के परिदृश्य में, जिसे माननीय सदस्य ने इंगित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में ठहराव-सा है। यह, बड़े नियोक्ताओं में एक रहा है। मैं सदन को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रोजगार सृजन के मामले में हम शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन को देखेंगे तो यह पायेंगे कि इसमें पहले की अपेक्षा कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है। अतः आवंटन करने में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक रहा है।

जहां तक छंटनी का संबंध है हमारी नीति··· (व्यवधान)·· यदि आप समझना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए । मंत्री जी कह रहे हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक राशि व्यय करने जा रहे हैं और बजट में भी यही प्रावधान किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री संजय लाल : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सारे देश में बड़े पैमाने पर फैले हुए बेरोजगारों को देखते हुए सरकार अशिक्षित बेरोजगारों के लिए भूमि सेना तैयार करेगी और शिक्षित बेरोजगारों के लिए छोटे-छोटे उद्योगों में प्रशिक्षित करके उनको पूंजी देकर रोजगार में लगाना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, हमने अधिक से अधिक स्वरोजगार बढ़ाने पर बल दिया है । स्वरोजगार योजना को बढ़ाकर ही बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है । अतः, शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है और सरकार के पास लघु उद्योग क्षेत्र में शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार बढ़ाने हेतु एक योजना है । अतः हमारे पास शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की योजनायें पहले से ही हैं, जिन्हें डी०सी० (एस०एस०आई०) द्वारा चलाया जा रहा है । अतः हमारे पास कार्यक्रम हैं ।

इस प्रकार मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल ने शिक्षित युवा बेरोजगारों की समस्याओं की जांच करने और उसके संबंध में समुचित कार्यवाही करने के लिए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है । समिति ने अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया है और उसे प्रस्तुत कर दिया है । वह प्रतिवेदन अब मंत्रिमंडल के समक्ष है और हम उस पर ध्यान दे रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : हमने देखा है कि श्रम मंत्री संगमाजी वैसे तो आमतौर पर अच्छी जानकारी तथ्यों की रखते हैं, लेकिन आज के दिन इन्होंने कहा कि शहर में बेरोजगारी ज्यादा है और जहां 80 प्रतिशत जनता देश की निवास करती है उन गावों में बेरोजगारी कम है, मैं समझता हूं किसी कारण से या कहीं से इनको गलत जानकारी मिलने के कारण इन्होंने ऐसा कहा होगा । आप हिन्दुस्तान की नब्ज को देखें तो वह गांवों में है और वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है । अब इनकी योजना गांवों में रोजगार खोलने की बनी है, लेकिन उस योजना को कार्यान्वित कैसे करेंगे, मेरे खयाल से यह बहुत मुश्किल है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मंत्रीजी तीन चीजें ध्यान में रखें । गांव के लोग बोलते कम हैं, वे रजिस्ट्रेशन कम कराते हैं और उनको रोजगार दिलाने के लिए चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या म्यूनिसिपेलिटी में हों जितने भी रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं गावों के रोजगार कार्यालयों में आप जिलेवार हर जिले 468 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से जानकारी मंगाकर देखें तो पता लगेगा सबसे अधिक वहां बेरोजगारी है । हरेक ग्राम पंचायत में, हमारे देश में पांच साल

छियासी हजार गांव हैं, क्या हरेक में एक-एक कारखाना खोलने पर आप विचार करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य और मेरे बीच कोई टकराव है। मैंने यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर कम है। यही हमारी चिंता का विषय है। मैंने यह नहीं कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या कम है। मेरा कथन, यह नहीं है। संक्षेप में मेरा कहना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या अधिक है और रोजगार वृद्धि दर कम है। इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता है अतः, आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने पर बल दिया गया है।

मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए 10,523 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाकर 24,467 करोड़ रुपये कर दिया गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के अलावा ग्रामीण विकास के लिए यह राशि 8,906 करोड़ रुपये थी जिसे आठवीं योजना के दौरान बढ़ाकर रु० 34,425 करोड़ कर दिया गया है। अतः, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के आवंटन में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार आवंटन करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन करना है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय चन्दू लाल चन्द्राकर ने इनकी धज्जी उड़ा दी। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे कांग्रेस के प्रवक्ता न होकर के अभी देहात के प्रवक्ता बनकर बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका जो जवाब देखा है, उससे लग रहा है कि यह मंत्री का जवाब नहीं है। यह कोई सपनों का सौदागर अपने सपनों को बेच रहा हो। इनका वायदा था कि प्रति साल एक करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तथा देश की सबसे बड़ी समस्या बेकारी को ध्यान में रखकर, पूर्ववर्ती सरकार का फैसला था—श्री वी०पी० सिंह की सरकार का फैसला था—कि रोजगार को मूलाधिकार बनाने का था, क्या यह सरकार रोजगार को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी ? मैं यह नीति विषयक सवाल पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है परन्तु प्रश्नकाल में ऐसे बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : प्रति वर्ष एक मिलियन रोजगार सृजन करने के बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान)

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर में रोजगार के अवसरों का संख्या के बारे में स्पष्टता का अभाव है। एक साप्ताहिक में दिए गए आंकड़ों के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में स्पष्ट रूप से बेरोजगारों की अनुमानित संख्या लगभग 17 मिलियन थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही बेरोजगार व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस बात का स्पष्ट रूप से यहां उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न का विश्लेषण नहीं करना है। यहां कई अन्य सदस्य हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया आपको सारांश देना होगा।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : प्रश्न के दूसरे भाग में भ्रामक उत्तर दिया गया है। मैं इसे माननीय मन्त्री जी की जानकारी में ला रहा हूं। उत्तरवर्ती पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि आठवीं योजनावधि में श्रमिकों की संख्या बढ़कर 35 मिलियन होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह समझूं कि आपको कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है ?

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : यह एक भ्रामक उत्तर है, विशेषरूप से 1991 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में इस सरकार द्वारा किए गए वायदे के संदर्भ में कि इससे एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा परन्तु यह एक करोड़ कार्य दिवसों के निर्माण की बात नहीं थी।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान 430 लाख कार्य दिवसों का निर्माण करने के लिए कोई नीति बना रही है अथवा आठवीं योजना के दौरान 430 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर रही है।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मुझे इसे कुछ स्पष्ट करने दीजिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारे यहां 170 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। इसका अर्थ हुआ कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी संख्या में तीन करोड़ 50 लाख की वृद्धि और हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 5 करोड़ 20 लाख बेरोजगार व्यक्ति होंगे एक करोड़ 70 लाख पहले के शेष और तीन करोड़ 50 लाख बेरोजगार लोगों की और वृद्धि। और जैसा कि मैंने कहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया है—हम आशा करते हैं कि इससे 4 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल 90 लाख बेरोजगार व्यक्ति रह जाएंगे। यह सही स्थिति है। पुनः नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 करोड़ 60 लाख बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि होगी। इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें 4 करोड़ 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। यदि हमें सन् 2002 तक पूर्ण रोजगार अथवा लगभग पूर्ण रोजगार देना है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमें प्रति वर्ष 94 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना होगा। इतने व्यक्तियों को रोजगार देना अपेक्षित होगा जिसका अर्थ होगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। अतः नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् सन् 2000 तक हमारा लक्ष्य प्रति वर्ष 94 लाख व्यक्तियों को रोजगार देना है जिसका अर्थ होगा रोजगार के अवसरों में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि। यह सरकार की वास्तविक नीति है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बारे में निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मंदी वेल्लैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। मैं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं और जो इण्डस्ट्रीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में आती हैं, क्या उनमें गांव के रहने वाले नौजवानों को मौका दिया जाएगा ? क्या इसके लिए भारत सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन्स हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या आप ऐसे निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में एक करोड़ 70 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष थे, अतः उन्होंने 4 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अवधि के दौरान वास्तव में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। उन्होंने कहा कि 90 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष रह जाएंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन लोगों के बारे में भी विचार किया गया है जिन्हें विद्यमान नीति के कारण रोजगार प्राप्त नहीं होगा और साथ ही क्या बेरोजगार व्यक्तियों का समग्र रूप से निर्धारण करते समय उन्हें इसमें शामिल किया गया है।

दूसरा, मन्त्री जी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र पर अधिक बल दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कुल बेरोजगार व्यक्तियों में से कितने युवक शिक्षित हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के सरकार के प्रयास के बावजूद भी रोजगार प्राप्त नहीं होगा। क्या इस दिशा में कोई मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं ? यदि मूल्यांकन किया गया है तो··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि बहुत सारे प्रश्न हों, तो सही उत्तर प्राप्त करना कठिन होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यही सारी समस्या है। इसलिए यही कारण है कि मैं यह दोबारा पूछूंगा। मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि क्या सरकार ने रिक्त पड़े हुए पदों की संख्या का पता लगाया है और यह कि सरकारी आदेशों के अनुसार इन पदों को भरा नहीं जा रहा है और लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है ? वर्तमान में रिक्त पड़े हुए पदों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार ने इसका पता लगाया है ?

मैंने अपने प्रश्न को तीन भागों में प्रस्तुत किया है और मुझे मन्त्री महोदय से सही उत्तर प्राप्त होने की आशा है।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, जहां तक युवाओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैंने यह कहा है कि 52 मिलियन बेरोजगार लोगों में से 68 प्रतिशत युवा हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच है। मेरे पास शिक्षित और अशिक्षित युवाओं के अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं। वे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। हम इन आंकड़ों को भी एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, मैंने आज ही उन आंकड़ों को एकत्र करने का अनुदेश जारी किया है। कुल बेरोजगार लोगों में से 68 प्रतिशत लोग 15 वर्ष की आयु से अधिक के युवा हैं। प्रश्न का एक भाग तो यह है।

प्रश्न का दूसरा भाग सरकार के पास भारी संख्या में रिक्त पड़े पदों के सम्बन्ध में है जिन्हें भरा नहीं जा रहा है। यह सत्य है कि एक ओर तो हम बेरोजगारी की भारी समस्या की बात करते

हैं और दूसरी ओर हमारे पास भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या है वह मात्र बेरोजगारी तक ही सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से हम आज यह पाते हैं कि हमारे शिक्षित युवाओं में से अधिकतर रोजगार पर लगने में सक्षम नहीं हैं और यह उनका दोष नहीं है। यह दोष हमारी शिक्षा प्रणाली का है जिससे हम अपने युवाओं को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारे शिक्षित युवकों में से अधिकतर रोजगार पर लग पाने में सक्षम नहीं हैं। हम इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बड़ दिया गया है। जिसमें इसी बात पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जहां तक तथाकथित छंटनी नीति के परिणामस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले लोगों का सम्बन्ध है—यद्यपि हम इसे छंटनी नीति नहीं कहेंगे, फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि आज तथाकथित छंटनी नीति का जो प्रश्न है यह प्रमुख रूप से 58 सरकारी उपक्रमों तक हा सीमित है और ये 58 सरकारी उपक्रम वे उपक्रम हैं जो दीर्घकाल से रुग्ण हैं। इन इकाइयों में कार्यरत लोगों की कुल संख्या मात्र 4.5 लाख है। (**व्यवधान**) मैं तो तुलना कर रहा हूं। देश के 319 मिलियन कर्मकारों की तुलना में यह कम ही है। मैं कुल कर्मकारों की बात कर रहा हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी : और निजि क्षेत्र की स्थिति क्या है ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, निजि क्षेत्र में तो अधिक लोग हैं। आपको उनके बारे में विचार करना होगा। (**व्यवधान**)

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, कुछ इकाइयों के मामले को बी०आई०एफ०आर० के पास भेज दिया गया है। उनमें से अधिकतर इकाइयों की विशेष त्रिपक्षीय समिति में समीक्षा की जा रही है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सरकार की कर्मचारियों को संकट में डालने अथवा उन्हें दबाने की नीति कभी नहीं रही। हम तो छंटनी का तरीका नहीं अपनाने जा रहे हैं। हम जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वह यह कि हम उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश कर रहे हैं। प्रत्येक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में स्व-रोजगार,के माध्यम से पुनर्वास की व्यवस्था भी है। इसलिए अधिकतर लोग, यदि मान भी लें कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है तो उन्हें भी पुनर्वास का अवसर मिलेगा क्योंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रत्येक योजना में पुनर्वास की व्यवस्था है।

[**हिन्दी**]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दरम्यान कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के युवक बेरोजगार रहने का अनुमान है। आज भी देखा जाता है कि जितने पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, वे भी अभी तक पूरी तरह भरे नहीं जा सके हैं। उन पदों को न भरने के पीछे बहाना यह किया जाता है कि स्यूटेबल कंडीडेट्स अवैलेबल नहीं हैं। इसे देखते हुए "स्यूटेबल कंडीडेट्स" की परिभाषा में क्या सरकार कोई तबदीली लाने की कोशिश करेगी ताकि इन जातियों के युवकों को नौकरी मिल सके और आरक्षित पद भर सकें।

[**अनुवाद**]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मेरे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों और नौकरियों में आरक्षण और इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं

और यह कि ये आंकड़े कार्मिक विभाग और कल्याण मन्त्रालय के पास हैं। इसलिए यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, कृपया आप सूचना दें और हम विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जब ग्रामीण और शहरी जगहों पर रहते हैं तो उनके लिए क्या सरकार के पास ऐसी योजना है कि उनको मासिक भत्ता दिया जाए और आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या ऐसा कोई प्लान आपने तय किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह रोजगार योजना उसी के लिए है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है और यहां के 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। इस बात को मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि जब तक इस देश में कुटीर और लघु उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश से बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार कौन से कारगर कदम उठाने जा रही है ?

इस देश में करीब साढ़े चार करोड़ बेरोजगार हैं। जितने शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, उनको जब तक नौकरी नहीं मिलती या स्व-रोजगार नहीं करते, तब तक क्या सरकार के पास कोई बेरोजगारी भत्ता देने का प्रोग्राम है ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, अपने मुख्य उत्तर में मैंने यह पहले ही बताया है कि आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार पैदा करने वाले कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों सरकार के ऐसे क्षेत्र का भी निर्माण गतिविधियों के लिए विकेन्द्रीकरण किया गया है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया :—

"वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा शिक्षितों के रोजगार और बेरोजगारी के पिछले विस्तृत सर्वेक्षण के परिणामों·····।"

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर नहीं पढ़ना है, आप अपनी बात कहें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नवीनतम सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नवीनतम सर्वेक्षण कब कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, सर्वेक्षण रिपोर्ट उन्हें भेजी जा सकती है। अब श्री बीरेन्द्र सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए नौजवानों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत उपक्रमों में रोजगार देने

की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय, प्रान्तीय और जिला स्तर के हैं, के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत उपक्रमों में उनको रोजगार दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आपने भी रूलिंग दी थी कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाएगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन खिलाड़ियों को कब तक रोजगार दिलाने की विशेष व्यवस्था की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है और हम बलों में प्रतिभावान लड़कों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह योजना क्रियान्वयनाधीन है और यह जारी रहेगी।

श्री के० मुरलीधरन : महोदय, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है। स्वरोजगार योजनाओं में से कुछ असफल हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें। आप घड़ी को देखकर अपने प्रश्न का आकार तय करें।

श्री के० मुरलीधरन : इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय के साथ परामर्श करके, बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए, स्वरोजगार कार्यक्रम का अध्ययन करेगा।

श्री पी०ए० संगमा : महोदय, मैंने पहले ही यह बता दिया है कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या अत्यन्त गम्भीर है और इस पर विचार करने के लिए विशेष रूप से उनके लिए एक नीति तैयार करने हेतु मंत्रिमण्डल के पास एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय

*344. **श्री मोहन रावले :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अन्य क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां। जहां तक उच्च-न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का संबंध प्रत्यक्ष कर कानूनों से है, उसे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय (नेशनल कोर्ट ऑफ डायरेक्ट टेक्सेज) के कधिकार-क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे राट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाएगा। प्रस्तावित न्यायाधिकरण केवल उन्हीं अपीलों की सुनवाई करेगा जिनमें कानून के पर्याप्त प्रश्न निहित हों। आशा है कि यह न्यायाधिकरण वर्ष 1994 में किसी समय अपना कार्य करना शुरू कर देगा।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के इस भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के लिए भारतीय स्टेट बैंक की नई योजनाएं

*346. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने उड़ीसा के लिए कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं औद्योगिक उद्यमों के लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सड़कें

*347. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों को जाने वाला अधिकतम सड़क-यातायात मध्य प्रदेश से होकर जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय महत्व की मध्य प्रदेश राज्य की मध्यम यातायात दूरी वाली सड़कों को चौड़ा करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश में ऐसी सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है और उन्हें चौड़ा करने व सुदृढ़ बनाने पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु बचत योजनाएं

*348. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और अन्य लघु बचत योजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय प्रोत्साहनों के वापस ले लिए जाने के फलस्वरूप लघु बचत के माध्यम से धन संग्रह में तेजी से गिरावट आई है;

(ग) क्या लघु बचत कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन संग्रह में कमी से राज्य सरकारों के संसाधनों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों विशेषत: गुजरात सरकार के संसाधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) लोक भविष्य निधि सहित अल्प बचत योजनाओं में सकल और निवल संग्रहण इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	दिसम्बर तक		मार्च तक	
	सकल	निवल	सकल	विकल
1990-91	11543.79	4907.94	18919.93	9103.92
1991-92	11149.95	3297.74	18586.62	6640.02
1992-93	11750.14	2582.85		

(ख), (ग) और (घ) बचत रियायतों में किसी परिवर्तन के कारण वर्ष 1992-93 की लघु बचतों के सकल संग्रहण में अभी तक कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में, वर्ष 1991-92 में दिसम्बर तक सकल संग्रहणों में मामूली-सी गिरावट आई थी और उनके स्तर में वर्ष 1990-91 के स्तर की अपेक्षा वर्ष 1992-93 में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। निवल संग्रहण में गिरावट का मुख्य कारण वापसी अदायगियों में बड़ी मात्रा में बढ़ोत्तरी का होना है जिनका पूर्व वर्षों में देय लघु बचतों की परिपक्वताओं के समूह (बंचिंग) से पता चलता है। यद्यपि आयकर अधिनियम का धारा 80-सी०सी०ए० को समाप्त कर दिया गया है, धारा 80-सी०सी०ए० के लिए पात्र बचत दस्तावेजों के लाभों को धारा 88 के लिए पात्र बना दिया गया है। धारा 80 एल० के अन्तर्गत प्रोत्साहन को 10,000 रुपये की रियायती ब्याज आय से घटाकर 7,000 रुपये कर दिया गया था। यद्यपि नई सीमा अपेक्षाकृत निम्न है, फिर भी यह लघु बचतकर्त्ताओं के एक बड़े वर्ग को शामिल करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। किसी भी स्थिति में लघु बचत पात्रों में ब्याज विभेदक को बैंक जमाराशियों की तुलना में व्यापक बनाया गया है जो कर ढांचे में सुधार के फलस्वरूप होने वाले किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्रतिसंतुलित करेगा। अन्ततः आयकर के संबंध में राज्यों के भाग में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। समग्र रूप से, राज्य सरकार को अन्तरित कुल संसाधनों में धीरे-धीरे वृद्धि होती है।

(ङ) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु बचतों के संबंध अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के उद्योगों की ऋण अदायगी को अधिस्थगित किया जाना

*349. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री अमल दत्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के उद्योगों को ऋण अदायगी के लिए विशेष अधिस्थगन की अनुमति देने के लिए कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(क) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लम्बित मामले

*350. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मामले लम्बे समय से निपटाने हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1992 को ऐसे कुल कितने मामले लम्बित पड़े थे और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने मामले निपटाये गए और इनमें अंतर्ग्रस्त राशि कितनी थी;

(घ) क्या सरकार का ऐसे मामलों की निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु कोई मूल-भूत सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत समझौता आयोग की भांति, किसी समझौता आयोय द्वारा मामलों के निपटान के लिए कोई उपबंध नहीं हैं। तथापि, 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार न्याय-निर्णयन के लिए अनिर्णीत पड़े मामलों की कुल संख्या 29679 है। राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान 42455 मामलों का न्याय-निर्णयन किया गया था। राशि के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) सरकार का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के लिए समझौता आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है। विधि मंत्रालय से परामर्श करके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मुद्रा सप्लाई

*351. **श्री नवल किशोर राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए देश में मुद्रा सप्लाई में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान मुद्रा सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान मुद्रा सप्लाई की वृद्धि दर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जहां एक ओर मुद्रा पूर्ति में पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि होती रही, वहीं दूसरी ओर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 1990-91 में 8.4 प्रतिशत से कम होकर

1991-92 में 6.2 प्रतिशत रह गया और चालू वित्तीय वर्ष में इसके और कम होकर लगभग 5% रह जाने की सम्भावना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुद्रा पूर्ति में हुई वृद्धि नीचे दर्शाई गई है :—

वित्तीय वर्ष	वार्षिक वृद्धि	
	(करोड़ रुपये)	प्रतिशत
1989-90	37,457	19.4
1990-91 (अ)	34,878	15.1
1991-92 (अ)	49,256	18.5

अ = अनंतिम।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले वर्ष में 13 प्रतिशत की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (1992-93) में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि का 10.4 प्रतिशत का संकेतात्मक लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) बजटीय घाटे में कमी करना;

(ii) बाजार उधारों में कमी लाना;

(iii) राजकोषीय घाटे में कमी करना; और

(iv) सरकार को निवल बैंक ऋण और विशेषकर सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण में कमी करना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की बकाया देय राशि

*352. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीयकृत बैंकों को देय बकाया राशि में लगातार वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान देय बकाया राशि कितनी थी और वित्तीय वर्ष 1992-93 के पूर्वार्ध के अन्त तक उक्त राशि कितनी थी;

(ग) क्या उक्त बकाया देय राशि का अधिकांश भाग बड़े और मझोले उद्योगों के नाम बकाया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के पूर्वार्ध के अन्त तक यह बकाया कितना था;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के इन बैंकों को बकाया राशि की वसूली के लिए नये कदम उठाने का निर्देश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में श्रेणी-वार अतिदेय राशियों से है। मार्च 1990 और सितम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार बकाया और अतिदेय राशियां नीचे दी गई हैं :—

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च 1990

क्षेत्र	बकाया राशियां	अतिदेय राशियां	बकाया राशियों के मुकाबले अतिदेय राशियों की प्रतिशतता	कुल अतिदेय राशियों में से प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5
बड़े और मझोले उद्योग	32549	4277	13.14	27.33
लघु उद्योग	15198	3075	20.23	19.65
कृषि	16603	3451	20.78	22.06
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8157	2516	30.85	16.08
अन्य सभी क्षेत्र	25184	2328	9.24	14.88
जोड़ :	97692	15646	16.02	

सितम्बर, 1991

बड़े और मझोले उद्योग	34247	4681	13.67	26.06
लघु उद्योग	15600	3579	22.94	19.92
कृषि	16252	3558	21.89	19.80
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	8601	2778	32.30	15.46
अन्य सभी क्षेत्र	27749	3371	12.13	18.76
जोड़ :	102480	17967	17.53	

(ग) से (छ) ऊपर उल्लिखित सारणी से यह पता चलता है कि क्षेत्र-वार बकाया की तुलना में अतिदेय राशियों की प्रतिशतता बड़े और मझौले उद्योग के मामले में कम है। अलबत्ता, कुल अतिदेय राशियों में से बड़े और मझौले उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक है। बैंक आर्थिक रूप से अर्थक्षम गतिविधियां शुरू करने के लिए ऋण के लिए पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। तथापि, खातों के परिचालनों में कतिपय ऋण अवरुद्ध हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कारणों से राशियां अतिदेय हो जाती हैं। सरकार अतिदेय राशियों को कम करने के लिए समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर जोर डालती रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को अतिदेय राशियों को कम करने और अपने वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने का निर्देश दिया है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :—

1. बैंकों से कहा गया है कि एक ओर अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों को बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का पुनर्निवेश करने में सहायता करने और दूसरी ओर ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से वे अर्थक्षम वसूली प्रणाली स्थापित करें।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालों से कहा गया है कि वे बड़े अग्रिमों की मानीटरिंग करने के लिए स्वयं ध्यान दें।

3. अलग-अलग अग्रिमों की कारगर मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उनके स्वास्थ्य को बताने वाली विस्तृत और एक समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर नजर रखना।

5. जो अग्रिम अवरुद्ध हो गए हैं उनके सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्रवाई करना।

[अनुवाद]

मुक्त व्यापार क्षेत्र

*353. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मुक्त व्यापार क्षेत्रों का, क्षेत्रवार, कुल कारोबार कितना रहा;

(ख) इन क्षेत्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(ग) इन व्यापार क्षेत्रों को अधिक निवेशोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान

निर्यात प्रोसेसिंग जोनों (ई०पी०जेड०) से हुए कुल निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

मुक्त व्यापार जोन/निर्यात प्रोसेसिंग जोन का नाम	निर्यात करोड़ रु०)	
	1991-92	1992-93 (अप्रैल, 92-फरवरी, 93
शान्ताकुज इलेक्ट्रानिक्स ई०पी०जेड०	500.17	644.98
नोएडा ई०पी०जेड०	70.84	119.03
मद्रास ई०पी०जेड०	122.47	134.60
कोचीन ई०पी०जेड०	28.58	52.23
फाल्टा ई०पी०जेड	27.90	11.63
काण्डला ई०पी०जेड०	427.18	146.07

(ख) रुपया भुगतान क्षेत्रों को निर्यात गड़बड़ा जाने की स्थिति जैसे बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य का सामना करने के अलावा इन जोनों के एककों के लिए सुगम कार्यचालन का वातावरण और वित्तीय तथा अन्य सहायता की आवश्यकता है जिससे कि वे प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकें।

(ग) निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने सम्बन्धी पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : अपेक्षतया अधिक जल्दी अनुमोदन देने की क्रियाविधि, नीति एवं क्रिया-विधि का सरलीकरण, 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी, पांच वर्षीय कारावकाश, कम शुल्क दर पर सरलीकृत घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी०टी०ए०) में प्रवेश, औद्योगिक प्लाटों तथा रोडों पर रियायती पट्टा किराया और विकास आयुक्तों की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

भारत-जर्मनी व्यापार

*354. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जर्मनी के साथ वर्ष-वार कुल कितना व्यापार हुआ;

(ख) क्या जर्मनी के किसी व्यापारिक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

(ख) तथा (ग) जर्मनी के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी, 1993 में भारत का दौरा किया और भारत में आर्थिक उदारीकरण के विभिन्न पहलुओं पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया।

दोनों पक्षों ने कार्रवाई के मुद्दों पर रूप रेखा तैयार की, जो अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार एवं आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने से सम्बन्धित हैं।

विवरण

भारत-जर्मन व्यापार पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जर्मनी को भारत के निर्यात	जर्मनी से भारत के आयात	भारत और जर्मनी के बीच किया गया कुल व्यापार
1989-90	1777.79	7749.67	4527.46
1990-91	2534.59	3477.42	6012.01
1991-92	3104.55	3849.08	6953.63

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय।

[हिन्दी]

राजस्थान में संगमरमर की खानें

*355. श्री मेरू लाल मीणा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में संगमरमर की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राजस्थान में संगमरमर की खानों में न्यूनतम मजदूरी के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन तंत्र द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों की समस्यायें

*356. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों की पेंशन में एक बार की गई वृद्धि "वन टाइम इन्क्रीज" (ओ०टी०आई०) में विसंगतियों तथा खामियों के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनकी समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति की संरचना और इसके निदेश पदों का ब्यौरा क्या है तथा यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी;

(ङ) क्या यह समिति द्वितीय विश्व युद्ध के सेवा-मुक्त सैनिकों की मांगों की भी समीक्षा करेगी ; और

(च) यदि नहीं, तो उनकी मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पेंशन में एक-मुक्त बढ़ोतरी की योजना में विसंगतियों के बारे में सरकार को बहुत-से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । ये मुख्यतः कुछ श्रेणियों जैसे पुनः रोजगार पेंशनरों, स्टेट फोर्सेज पेंशनरों और दो पेंशन पाने वाले पेंशनरों को एक-मुश्त बढ़ोतरी प्राप्त करने की पात्रता से बाहर रखने के विरुद्ध की गई शिकायतों से संबंधित है । ऐसी मांगों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है । इस समिति के अध्यक्ष, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय हैं, और इसमें, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग प्रत्येक में से एक-एक अपर सचिव, एडजूटेंट जनरल, सेना मुख्यालय, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, अपर रक्षा लेखा महानियंत्रक, अपर वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, उप सचिव (पेंशन), रक्षा मंत्रालय शामिल हैं ।

2. समिति के विचारार्थ विषय हैं :—

(क) 1-1-1986 से पहले सेवानिवृत हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों की पेंशन में की गई एक-मुश्त बढ़ोतरी की योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई समस्याओं/विसंगतियों पर विचार ।

(ख) 1-6-1953 से पूर्व के सशस्त्र सेना कार्मिकों, जिन्हें अंतरिम कार्रवाई के रूप में पेंशन में एक-मुश्त बढ़ोतरी के लिए अधिकृत किया गया है, के लिए एक-मुश्त बढ़ोतरी की वास्तविक राशि की मात्रा निश्चित करने के लिए समुचित कार्य-प्रणाली तैयार करना ।

(ग) स्टेट फोर्सेज पेंशनरों, प्रादेशिक सेना पेंशनरों, पेंशन का केवल अशक्तता अंश ही प्राप्त करने वाले पेंशनरों, पाकिस्तान, बर्मा और एच०के०एस० आर०ए० पेंशनरों, गैर-नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों आदि को एक-मुश्त बढ़ोतरी देने से संबंधित समस्याओं पर विचार।

3. समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

4. भूतपूर्व सैनिकों की शेष समस्याओं की जांच करने के लिए गठित एक अन्य समिति, विश्व-युद्ध के योद्धाओं को समुचित राहत प्रदान करने के लिए की गई मांग पर विचार कर रही है।

आर्थिक विकास

*357. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने आर्थिक विकास की गति तेज करने हेतु 10 वर्षीय संदर्शी योजना हाल ही में प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का आर्थिक विकास हेतु इन सुझावों का पालन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार को फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फिक्की) से इस प्रकार की कोई संदर्शी योजना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन, अक्टूबर, 1992 में फिक्की की वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत किए गए सार-लेख "आर्थिक सुधार भविष्यात्मक दृश्यावलोकन" की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) सार-लेख में दिए गए कुछ प्रमुख सुझाव : आर्थिक सुधारों में तेजी लाना, सरकारी नियंत्रणों को कम से कम करना, विद्युत और परिवहन जैसी आधारभूत ढांचे की कमियों को दूर करना, राज्यस्तर पर परियोजनाओं का तेजी से निपटान, राज्य विद्युत बोर्डों की देयताओं के लिए सरकारी गारन्टी, कृषि में निवेश के लिए सरकारी संसाधनों का और अधिक आबंटन, प्राइवेट क्षेत्र की अधिक भागीदारिता सहित उद्योगों के साथ बराबरी पर कृषि का व्यापारीकरण, इसी प्रकार के उत्पादों पर एक समान शुल्क दरें लागू करके अप्रत्यक्ष-करों को युक्ति-युक्त बनाना, निगम कर दरों में कटौती, सरकार के गैर-विकासात्मक खर्चों—विशेष रूप से ब्याज भुगतानों और आर्थिक सहायताओं में कटौती करना, प्रतिस्पर्धा के लिए वित्तीय क्षेत्र को लाना, कर्ज लेने और उधार देने की दरों के बीच के अन्तर को कम करना, प्राइवेट क्षेत्र की पारस्परिक निधियों के लिए सेबी का अनुमोदन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की जनता को बिक्री करना, उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सहित एक ऐसी उचित निर्णय नीति विकसित करना जो इससे संबंधित श्रमिकों को वार्षिक आय का सुनिश्चियन कर सके, व्यापारिक नीति सुधारों में भी प्राइवेट क्षेत्र को शामिल किया जाना और अधिक रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

(ग) से (ङ) : फिक्की के सार-लेख में दिए गए कुछ सुझाव सरकार के आर्थिक कार्यक्रम का पहले से ही एक भाग रहे हैं और उन्हें या तो कार्यान्वित कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है। आर्थिक सुधार एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है और फिक्की सहित सभी क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर, यदि वे देश के हित में हैं और हमारी प्रणाली के अन्तर्गत व्यवहार्य हैं तो सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

*358. **श्री एच०डी० देवगौड़ा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने की देश में व्यापक क्षमता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए कितने प्रतिशत क्षमता का प्रति वर्ष उपयोग किया गया;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) विश्व के कुल चमड़ा व्यापार में इस समय देश का भाग कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चमड़ा तथा चमड़े से बने सामान के निर्यात में रुपये के रूप में प्रतिशत वृद्धि नीचे दर्शायी गई है :—

1989-90	:	+26.2%
1990-91	:	+25.8%
1991-92	:	+20.5%

(ग) आठवीं योजना के लिए चमड़ा तथा चमड़ा सामान उद्योग के संबंध में कार्यकारी समूह जिसने 1 अप्रैल, 1990 से अपना कार्य शुरू किया, उसने सुझाव दिया था कि आठवीं योजना अवधि अर्थात् 1994-95 के अन्त तक चमड़ा तथा चमड़े के सामान के निर्यात के लिए 34516 मिलियन का लक्ष्य रखा जाए। आठवीं योजना अवधि के लिए जो 1 अप्रैल, 1992 से शुरू हुई है, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) चमड़ा तथा चमड़े के सामान के निर्यात में विश्व बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 3.5% है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17

*359. **श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित केरल सरकार द्वारा भेजे गए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के समरेखण प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केरल में रा०रा० 17 के 18/05 से 19/00 कि०मी०, 342/947 से 368/400 कि०मी० तथा 214/00 से 225/00 कि०मी० के खंडों के लिए संरेखण योजनाओं से संबंधित तीन प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं।

(ख) चूंकि रा०रा० 17 के विकास के लिए राज्य सरकार से मांगा गया चरणबद्ध कार्यक्रम अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए यह बता पाना अभी संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों को कब स्वीकृति दिए जाने की संभावना है।

सीमा व्यापार संबंधी समझौते

*360. **श्रीमती विमल कुमारी भंडारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में और आज तक कुछ देशों के साथ सीमा व्यापार संबंधी कुछ समझौते किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन व्यापार समझौतों में निर्यात के लिए सिक्किम के कुछ उत्पादों पर भी विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) इस समय भारत का सीमा व्यापार करार चीन जनवादी गणराज्य के साथ है। चीन जनवादी गणराज्य सरकार के साथ दिनांक 13-12-91 को सीमावर्ती व्यापार पुन: प्रारम्भ करने संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया है कि प्रारम्भ में यह सीमावर्ती व्यापार लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत में उत्तर प्रदेश के पियौरागढ़ जिले में गुंजी और चीन जनवादी गणराज्य के तिब्बत स्वशासी क्षेत्र में पुलन तक सीमित रहेगा। इस ज्ञापन में आपसी परामर्श से भारत-चीन सीमा पर अन्य स्थानों से भी सीमावर्ती व्यापार बढ़ाये जाने का प्रावधान है। आर्थिक संबंध एवं व्यापार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत-चीन संयुक्त दल की दिनांक 4-5 जनवरी, 1993 को बीजिंग में आयोजित बैठक के चौथे सत्र में दोनों पक्ष भारत-चीन सीमा पर अन्य स्थानों से भी सीमावर्ती व्यापार का विस्तार करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए थे। इस संबंध में ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है।

पी०वी०सी० रेजिन आदि का आर्थिक मात्रा में आयात करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

3466. **श्री एस०बी० चौहान**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियां विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां वर्ष 1992-93 के दौरान

ओ०जी०एल० योजना के अन्तर्गत पी०वी०सी० रेजिन आदि जैसे माल का बड़ी मात्रा में आयात कर रही है जिसके कारण देश में माल का ढेर लग गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कुछ निहित स्वार्थ वाली कंपनियों द्वारा देश में पी०वी०सी० रेजिन और इसी प्रकार के अन्य माल जमा किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) भविष्य में ऐसे कार्य को रोकने अथवा ऐसे मामलों में क्षेपण-रोधी शुल्क लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में अक्तूबर, 1982 में संशोधन किया गया था ताकि सरकार पाटनरोधी शुल्क लगाकर डम्प किए गए आयातों के लिए उपाय कर सके। इस अधिनियम से सरकार को उन मामलों में प्रतिपादन शुल्क लगाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनमें डम्प किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक रूप से नुकसान हो रहा होता है। ऐसा कोई भी शुल्क लगाने से पहले सरकार द्वारा नामोदिष्ट प्राधिकारी को डंपिग की मौजूदगी और नुकसान का पता लगाना होगा। नामोदिष्ट प्राधिकारी सामान्यतया: प्रभावित घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही जांच शुरू करता है। सीमाशुल्क टैरिफ नियम के अनुसार नामोदिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं को इस बात से संतुष्ट करे कि जो शुरू करने का निर्णय लेने से पूर्व इसके पास डंपिग, घरेलू उद्योग को नुकसान तथा डम्प किए गए आयातों के कारण ही कथित नुकसान हुआ है इसके पर्याप्त प्रमाण हैं।

पी०वी०सी० रेजिन, स्टाइरिन बुटाडिन रबड़, बिसफिनोल-ए, एक्रेलैट्स, एक्रोलोनोट्राइल बुटाडिन रबड़, ग्लास फाईबर परिष्कृत टेरिफथैलिक एसिड (पी०टी०ए०) मोनो एथोलीन ग्लाइकोल (एम०ई०जी०) तथा पोलिस्ट्रोन को डम्प किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

घरेलू उद्योग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर नामोदिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीन पाटनरोधी जांच शुरू की गई। नामोदिष्ट प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने 1 जून 1993 तथा एच०एस० सं० 39041000, 39042102 के अन्तर्गत आने वाले तथा अर्जेनटीना, ब्राजील, कोरिया-गणराज्य, मैक्सिको तथा यू०एस०ए० में सभी स्रोतों से उत्पन्न होने वाले पी०वी०सी० रेजिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। नामोदिष्ट प्राधिकारी ने स्टाइरिन बुटाडिन रबड़ को डंपिग के आरोप संबंधी जांच को समाप्त कर दिया है क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई नुकसान अथवा नुकसान होने का कोई खतरा नहीं पाया गया था। बिसफिनोल-ए की डंपिग के आरोप के मामले में जांच की कार्रवाई जारी है। नामोदिष्ट प्राधिकारी को बाकी शिकायतों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के बारे में अभी निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

छात्रों को यात्रा सुविधायें

3467. **श्री सुरेशानंद स्वामी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में उत्तर प्रदेश के छात्रों को शिक्षा के प्रयोजनार्थ आवागमन को सरल बनाने के लिए उन्हें निःशुल्क/रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एवं (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी। .

[अनुवाद]

रसायनों का निर्यात

3468. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रसायनों के निर्यात पर नियंत्रण हेतु निर्यात और आयात की नकारात्मक सूची में आगे संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके द्वारा नियंत्रण हेतु प्रस्तावित रसायनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात और आयात की निषेधात्मक सूची की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है इस नीति में परिवर्तन किए जाते हैं।

काकीनाडा पत्तन का विकास

3469. **श्री जे चोक्काराव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पत्तन के विकास के लिए सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य पत्तनों के पेंशनभोगी

3470. **श्री राम नाईक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 13 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 7002 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को प्रदत्त सभी लाभ मुख्य पत्तनों के पेंशनभोगियों को भी दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अभी दिये जाने वाले पेंशनभोगी लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुख्य पत्तनों के पेंशनभोगियों को ये लाभ कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) यद्यपि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें पत्तन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती फिर भी इस मन्त्रालय ने पत्तन कर्मचारियों को इन सिफारिशों के अनुसार लाभ प्रदान किए हैं। महापत्तन न्यासों के कर्मचारियों को दिए गए लाभों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) 1-1-1969 और 31-12-1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत पर विचार किया जा रहा है।

(घ) चूंकि इस निर्णय के लिए अन्तरमंत्रालयी परामर्श और सहमति अपेक्षित है इसलिए शीघ्र निर्णय लेने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

महापत्तन न्यासों को दिए जा रहे पेंशन सम्बन्धी लाभ दर्शाने वाला विवरण

(i) परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन की परिगणना सम्बन्धी सिद्धांत को श्रेणी I और II के अधिकारियों पर लागू किया जाए और महापत्तन न्यासों और डाक लेबर बोर्डों के श्रेणी III और IV के उन कर्मचारियों पर भी यह लागू किया जाए जो 1-1-1986 से केन्द्र सरकार के पेंशन संबंधी लाभों हेतु वेतन की परिभाषा में आते हैं।

(ii) न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन और उस पर राहत की रकम को बढ़ा कर 375/- रु० प्रतिमाह कर दिया जाए और इसे 1-1-1986 से सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू किया जाए, चाहे उनके वेतन की परिभाषा कुछ भी हो। 375/- रु० प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन निर्धारित करने के बाद पेंशन का परिवर्तित (कम्प्यूटिड) मूल्य घटा दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिमाह अनुमत्य अधिकतम पेंशन को बढ़ाकर 4500/- रु० प्रतिमाह केन्द्र सरकार के वेतन पर कर दिया जाए जैसा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू है।

(iii) अर्हता सेवा की पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अवधि के लिए एक चौथाई महीने की दर से उदारीकृत मृत्यु-सह-ग्रेच्युइटी को, जोकि इस शर्त के अध्यधीन है कि यह अधिकतम 1 लाख रु० तक हो और परिगणनीय परिलब्धियों पर कोई ऊपरी सीमा न हो, पत्तन न्यासों और डाक लेबर बोर्डों के उन सभी श्रेणी I, II के अधिकारियों और श्रेणी III और IV के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए और जो केन्द्र सरकार के पेंशन लाभों हेतु वेतन की परिभाषा में आते हैं तथा जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत नहीं आते।

(iv) पूरी सेवा की प्रत्येक 6 माह की अवधि के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की दर पर सर्विस ग्रेच्युइटी की उदारीकृत दर को उन सभी स्थायी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू किया जाए जो सेवा निवृत्ति लाभों के लिए केन्द्र सरकार की वेतन की परिभाषा में आते हैं और जिनकी अर्हता सेवा 10 वर्ष से कम है।

(v) वही सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युइटी लाभ जो स्थायी कर्मचारियों पर लागू है श्रेणी I और II के उन अर्ध-स्थायी और अस्थायी अधिकारियों तथा श्रेणी III और IV के कर्मचारियों पर भी लागू किए जाएं जिनकी अर्हता सेवा 10 वर्ष से कम नहीं है और जो केन्द्र सरकार की वेतन की परिभाषा में आते हों तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने अथवा किसी उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी कारणों से आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिए गए हों।

(vi) उन पेंशन भोगियों को, जो 1-1-69 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं और जिनकी पेंशन 500 रु० अथवा उससे कम है, पेंशन की कुल राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राहत तथा पेंशन पर राहत दी जाए बशर्ते कि वह 75 रु० प्रति माह न्यूनतम हो।

(vii) अंशादायी भविष्य निधि के तहत सेवा निवृत्त होने वालों के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1-1-1986 से लागू लाभ महापत्तन न्यासों और डाक लेबर बोर्डों के श्रेणी I और II के अधिकारियों पर लागू किए जाएं और उन्हें ग्रेच्युइटी के बदले में विशेष अंशदान की सीमा को 50,000 रु० से बढ़ाकर 1 लाख रु० करने की अनुमति दी जाए। तथापि, यह छूट श्रेणी III और IV के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि वे अंशदायी भविष्य निधि संबंधी लाभों के लिए "वेतन" की उदारीकृत परिभाषा के तहत आते हैं और यह उन पर भी लागू की जाए जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आते हैं।

(viii) अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने वालों की जो 1-1-86 से रिटायर हुए हैं विधवाओं तथा आश्रित बच्चों को 1-1-1986 अथवा कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से अगली तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 150/- रु० प्रतिमाह अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान उन अंशदायी भविष्य निधि लाभ प्राप्त कर्ताओं की, जिनकी मृत्यु 1-1-86 से पहले सेवा-काल के दौरान हुई थी, विधवाओं और आश्रित बच्चों को भी 1-1-1986 से देय होगा। उन्हें उनके सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर अनुग्रह राशि की रकम पर राहत का भी भुगतान किया जाएगा।

कोलिया भोमोरा पुल की मरम्मत

3471. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर की दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित कोलिया भोमो पुल का तीसरा खम्भा दक्षिण की तरफ झुक गया है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे और तीसरे खम्भे के मध्य के पुल के हिस्से के गिरने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल के दोषपूर्ण निर्माण का निर्धारण करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पुल को उपयोग योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी किनारे पर लगातार आघात कर रही है जिसके फलस्वरूप स्तम्भ सं० पी० 2 और पी० 3 के निकट भारी कटाव हो गया है। स्तम्भ पी० 3 दक्षिण दिशा की ओर मामूली सा झुक गया है। इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसने स्तम्भ पी० 3 के चारों ओर पत्थर की वाड़ (क्रेटेड बोल्डर गारलेंड) की व्यवस्था करने का निर्णय किया। यह कार्य पूरा हो चुका है और वह स्थिति अब रुक गई है तथा और झुकाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय स्तम्भ पी० 2 तथा पी० 3 के बीच आस्थगित स्पैन को कोई खतरा नहीं है। पुल मोटर चलने योग्य स्थिति में है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

3472. **डा० आर० मल्लू :**
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दूध, दुग्ध उत्पाद, तिलहनों की खली, वनस्पति तेल, फल और सब्जियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और किन-किन देशों को और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मदों के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) यह जानकारी वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इन प्रकाशनों में उपलब्ध है (1) भारत के विदेश व्यापार आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं और देश) 1987-88 से 1990-91 और मार्च, 1992 तथा (2) देश-वार भारत का विदेश व्यापार, मार्च, 1991 और मार्च 1992। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1992-93 में फार्म उत्पादों सहित कृषि और सहबद्ध उत्पादों के लिए 2000 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य रखा गया है जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान 1882.24 मिलियन अमरीकी डालर की उपलब्धि हुई थी। वर्ष 1993-94 के लिए मूल्य के रूप में इन निर्यातों को 15 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खान मजदूर

3473. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के खान मजदूरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सामूहिक बीमा योजना लागू करने और उन्हें ई०एस०आई० के अन्तर्गत लाने का है;

(ग) क्या सरकार खान मजदूरों को खान दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने और घायल होने पर उन्हें मुआवजा देती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) श्रम मन्त्रालय खान कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि, लौह अयस्क खान, मैंग्नीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि और अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि नाम की श्रम कल्याण निधियों का प्रशासन चलाता है। इन निधियों के अन्तर्गत, खान कर्मकारों के कल्याण के लिए आवास और स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई हैं। उत्तर प्रदेश में, केवल लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि लागू हैं।

(ख) से (घ) खान कर्मकारों के लिए किसी प्रकार की ग्रुप बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। खान कर्मकारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी प्रस्ताव नहीं है। तथापि रोजगार से सम्बन्धित शारीरिक चोटों, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु/अशक्तता हो जाती है, के मामलों में खान कर्मकारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मृतक के निकट सम्बन्धी को प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति के भुगतान का विनियमन उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है जिसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जिसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इस बारे में सूचना श्रम मन्त्रालय में नहीं रखी जाती है।

क्रेडिट कार्ड धारकों से ब्याज लेना

3474. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों से ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें वसूल की जा रही हैं;

(ख) क्या कुछ बैंक/क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर 24 घंटे के भीतर किए गए लेन-देन के आधार पर विचार करते हैं जबकि कुछ अन्य बैंक 30 दिन तक के लेन-देन पर;

(ग) क्या सरकार का क्रेडिट कार्डों से सम्बन्धित शर्तों में एकरूपता लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यतः अदत्त देयताओं के लिए कार्ड धारकों से 2 प्रतिशत मासिक की दर से सेवा प्रभार लेते हैं। तथापि, कुछ बैंक 2.5 प्रतिशत मासिक प्रभार लेते हैं।

(ख) आन्ध्रा बैंक, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने से 30 दिनों तक खोया हुआ कार्ड प्राप्त करने वाले द्वारा किए गए उसके सभी उपयोगों के लिए मूलकार्ड धारक उत्तरदायी होगा। केनरा बैंक केनकार्ड योजना के मामले में जब तक बैंक को ऐसी सूचना लिखित रूप से नहीं मिल जाती है, खोये हुए या चोरी गए कार्ड से की गई किसी भी खरीद के लिए कार्डधारक जिम्मेदार होगा।

(ग) और (घ) क्रेडिट कार्ड योजनाओं में से एकरूपता लाने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता

3475. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई कुल सहायता की तुलना में उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता की प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर पैदा करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उनकी पुनर्वित्त योजना के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को मंजूर और संवितरित सहायता निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मंजूरियां	संवितरण
1990-91	177.55	147.06
1991-92	207.75	131.74

(ग) सरकार ने विशिष्ट क्षेत्र से इतर संसाधन जुटाने के लिए सिडबी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारत योग के मुकाबले में सिडबी की पुनार्वत्त योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सहायता का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मंजूरियां	अखिल भारत योग की तुलना में प्रतिशत	संवितरण	अखिल भारत योग की तुलना में प्रतिशत
1990-91	177.55	8.65	147.06	9.42
1991-92	207.75	8.84	131.74	8.06

(घ) और (ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि लघु उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, वे विभिन्न राज्यों में उन्नयनकारी और विकास योजनाएं भी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में सिडबी द्वारा प्रारम्भ किए गए उन्नयनकारी कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं : क्लाक अंगीकार योजना, लघु उद्योग समूहों का तकनीकी उन्नयन, ग्रामीण चमड़ा उन्नयन परियोजना और लाक आधुनिकीकरण योजना। इन विकासशील कार्य-कलापों से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3476. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर पंजाब में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का विचार है;

(ख) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने के लिए उसके चयन हेतु क्या नीति/मापदण्ड अपनाया जाता है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में चार लेन के बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम, संसद द्वारा 1993-94 के लिए अनुदान मांग पारित कर दिए जाने के बाद ही बताए जा सकते हैं।

(ग) यातायात मानदण्ड के अनुसार चार लेनें बनाना वहीं उचित है जहां यातायात की मात्रा प्रति दिन 15,000 पी०सी०यू० (यात्री कार यूनिट) से अधिक है।

'नाबार्ड' द्वारा पश्चिम बंगाल का पुनर्वित्त पोषण

3477. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पश्चिम बंगाल को पुनर्वित्त पोषण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) इस पर प्रभारित ब्याज दर कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल ने योजनागत ऋणों के तहत विभिन्न बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त सहायता के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपए)

वर्ष		राशि
1989-90	—	7590
1990-91	—	8218
1991-92	—	9432

(ख) नाबार्ड द्वारा प्रभारित पुनर्वित्त ब्याज दरों को सितम्बर 1990 में युक्तिसंगत किया गया था और उसे पुनर्वित्त ऋण के आकार से जोड़ा गया था। 22 सितम्बर, 1990 से प्रभावी नाबार्ड के योजनागत ऋणों को लागू पुनर्वित्त ब्याज दरों की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

योजनागत ऋणों के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा प्रभारित पुनर्वित्त ब्याज-दर दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	ऋण का आकार	ब्याज दर (वार्षिक 2%)
1	2	3
	22-9-90 से	
1.	50000 रु० तक	6.5
2.	50000 रु० से अधिक	9.5
	9-10-1991 से	
1.	15000 रु० तक	6.5 कुटीर, ग्रामीण अति लघु और
2.	15000 रु० से अधिक और 50000 रु० तक	7.5 लघु उद्योग और 2 वाहनों वाले
3.	50000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	10.5 छोटे सड़क परिवहन चालक

1	2	3	
4.	2 लाख रु० से अधिक और 7.5 लाख रु० तक	12.0	बैंक द्वारा प्रभावित दरों से 4.5% कम
5.	7.5 लाख रु० से अधिक	13.5	वही
	22-4-1992 से		
1.	25000 रु० तक	6.5	
2.	25000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	10.5	
3.	2 लाख रु० से अधिक		
	(अ) फार्म सेक्टर		
	(क) बंजर भूमि विकास, वर्षा पर आधारित/शुष्क खेती, 100% निर्यातोन्मुखी कृषि परियोजनाओं (चाय काफी, और मसाले के अलावा) के लिए योजना और सहकारी/सरकारी क्षेत्र बैंकों द्वारा लागू की गई लघु सिंचाई योजनाएं ।	10.5	
	(ख) नाबार्ड पुनर्वित्त द्वारा समर्थित अन्य सभी योजनाएं (उपर्युक्त (क) श्रेणी की योजनाओं के अलावा)	12.0	
	(ब) गैर फार्म क्षेत्र		
	(क) 2 लाख रु० से अधिक और 7.5 लाख रु० तक	12.0	
	(ख) 7.5 लाख रु० से अधिक	13.5	

एम०एम०टी०सी० के साथ "मिटको" का विलय

3478. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को (मिटको) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम के साथ विलय करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1990 में सरकार ने मिटको को एस०एम०टी०सी० में मिलाने का निर्णय लिया। किन्तु, दिसम्बर, 1991 में निर्णय की पुनरीक्षा की गई और यह निश्चय किया गया कि मिटको से सम्बन्धित सुधारात्मक उपाय इसकी वर्तमान स्थिति में व्यवधान डाले बिना किया जा सकता है।

सुन्दरबन के जल क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करना

3479. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डब्ल्यू०ए०आई० ने सुन्दरवन क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग में विकसित करने के लिए लागत बचत संबंधी ब्यौरे तैयार कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 मे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुन्दरबन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर रूट के संबंध में किए गए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन से मालूम हुआ है कि इस जलमार्ग खंड द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र/बराक नदियों के बीच केवल पारगमन हो सकेगा। तथापि अध्ययन में यह अनुमान भी लगाया गया था कि इस जलमार्ग द्वारा 1994-95 तक 1.0 मिलियन टन कार्गो भी ढोया जा सकता है।

इस समय यातायात की कम मात्रा और निष्कर्ष के प्रभावों का पता लगाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह जलमार्ग सुन्दरबन के नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और बायो-स्फीयर रिजर्व में से गुजरता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है।

मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन)

3480. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों (केन्द्रीय मजदूर संघों) को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मानदण्डों के आधार पर कितनी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) दिनांक 15-5-1990 को आयोजित श्रम मंत्री के साथ सभी ट्रेड यूनियन संगठनों (सी०टी०यू०ओ०) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों और परिषदों में प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल उन्हीं केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को मान्यता दी जायेगी, जिनकी 5 लाख या इससे अधिक की सत्यापित सदस्यता है और जिनका विस्तार 4 राज्यों और कृषि सहित 4 उद्योगों में है। बैठक में तैयार किये गये मानदंडों के आधार पर अभी तक किसी भी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन

को औपचारिक मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सामान्य सत्यापन में भाग लेने वाले 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों आदि में नामित किया जा रहा है।

रिपब्लिक फोर्ज

3481. **श्री धर्मलिंगम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद की रिपब्लिक फोर्ज का अधिग्रहण करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज लिमिटेड में रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड से सहयोगात्मक व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया था, जिससे दोनों मिल कर संयुक्त रूप से या दोनों एक होकर कार्य कर सकें।

(ख) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज लिमिटेड की अधिक कार्मिक शक्ति और ऋण ग्रस्तता तथा अन्य संबद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। तथापि, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड अपनी फोर्जिंगों की कई आवश्यकताओं की मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज लिमिटेड से पूर्ति करता रहेगा।

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

3482. **श्री बी० देवराजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के राष्ट्रपति के भारत भ्रमण के दौरान नशीली दवाओं का अवैध व्यापार रोकने हेतु कोई समझौता किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। रूस के राष्ट्रपति के भारत भ्रमण के दौरान भारत गणराज्य की सरकार तथा रूस संघ की सरकार ने स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु सहयोग के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस करार में सूचना के आदान-प्रदान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय औषध गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, उन्हें दबाने और रोकने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान की जेलों में सैनिक

3483. **डा० लाल बहादुर राजल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी जेलों में अभी कितने भारतीय सैनिक असहाय पड़े हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार उनके आश्रितों को कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि इस समय 28 गुमशुदा सेना कार्मिक पाकिस्तान में हिरासत में हैं।

(ख) से (घ) गुमशुदा कार्मिकों को मृत समझ लिया गया है और उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशन लाभ दिया गया है, जिसमें उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक उपदान संतान भत्ता और संतान शिक्षा भत्ता शामिल है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाएं/योजनाएं

3484. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क कोष (सी०आर०एफ०) से सहायता प्राप्त करने हेतु भेजी गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) परियोजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई है, अब तक कितनी राशि दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 650.00 लाख रुपये की लागत की 10 स्कीमें भेजी हैं। इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाना है।

(ग) चूंकि स्कीमें अभी अनुमोदित नहीं हुई हैं इसलिए निधियां जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की संख्या

3485. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की स्वीकृति श्रेणी-वार, कर्मचारियों की संख्या कितनी है,

(ख) 1 जनवरी, 1992 को कर्मचारियों की पद-वार कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिल्ली परिवहन

निगम के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	श्रेणी	1-1-93 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्या
1.	ड्राईवर	10883
2.	कंडक्टर	10883
3.	यातायात पर्यवेक्षी कर्मचारी	2176
4.	मरम्मत एवं अनुरक्षण पक्ष	8706
5.	प्रशासन तथा अन्य कर्मचारी	6529
	जोड़ :	39177

(ख) 1-1-92 की स्थिति के अनुसार दि०प०नि० में कुल 40,253 कर्मचारी कार्यरत थे।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	श्रेणी	वर्ष 1992 के दौरान भर्ती किए कर्मचारी
1.	ड्राईवर	1
2.	कंडक्टर	—
3.	यातायात पर्यवेक्षी कर्मचारी	—
4.	मरम्मत एवं अनुरक्षण पक्ष	3
5.	प्रशासन तथा अन्य कर्मचारी	12
	जोड़ :	16

[हिन्दी]

सहकारी बैंक

3486. **श्री ललित उरांव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1992 तक देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहकारी बैंकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी बैंकों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिसम्बर 1992 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या	इनमें से सहकारी बैंकों की संख्या	
			शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	59	59	—
2.	असम	8	8	—
3.	बिहार	4	4	—
4.	नई दिल्ली	14	14	—
5.	गोवा	6	6	—
6.	गुजरात	286	251	35
7.	हरियाणा	8	8	—
8.	जम्मू व कश्मीर	3	3	—
9.	कर्नाटक	201	190	11
10.	केरल	56	51	5
11.	मध्य प्रदेश	41	41	—
12.	महाराष्ट्र	380	353	27
13.	मणिपुर	5	5	—
14.	मेघालय	2	2	—
15.	नागालैण्ड	—	—	—
16.	मिजोरम	1	1	—
17.	उड़ीसा	14	14	—
18.	पंजाब	6	6	—
19.	राजस्थान	23	23	—
20.	त्रिपुरा	1	1	—

1	2	3	4	5
21.	तमिलनाडु	133	129	4
22.	उत्तर प्रदेश	46	46	—
23.	पश्चिम बंगाल	47	42	5
24.	पांडिचेरी	1	1	—
25.	हिमाचल प्रदेश	4	4	—
26.	सिक्किम	—	—	—
27.	अंडमान निकोबार	—	—	—
28.	चंडीगढ़	—	—	—
29.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
30.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—
31.	दमन व दीव	—	--	—
32.	लक्षद्वीप और मिनिकोय	—	—	—
	जोड़ :	1349	1262	87

उत्तर प्रदेश में बैंक शाखाएं खोलने हेतु लाइसेन्स

3487. **श्री राम सागर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक की नई शाखाएं खोलने हेतु कितने लाइसेंस जारी किये;

(ख) क्या संबंधित बैंकों ने उन्हें जारी किये गए लाइसेंसों के आधार पर बाराबंकी में अपनी शाखाएं खोली हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन बैंकों की शाखाएं नहीं खोली जा सकी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास की भूमि का अतिक्रमण

3488. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर कितनी भूमि खाली पड़ी है जिसका प्रयोग सामान्य लोगों ने घरों के निर्माण के लिए किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा के अन्तर्गत हुए अवांछित निर्माण कार्य को अवैध निर्माण कहा जाता है; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमाओं के अन्दर, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की सहायता से, अनधिकृत निर्माण को शीघ्र और पूरी तरह से हटाने के लिए राज्य लोक निर्माण विभागों को मार्ग-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग सम्बन्धी निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन-एजेंसियां हैं।

विवरण

राजमार्ग से एक निर्धारित दूरी के अन्दर किसी भवन निर्माण कार्यकलाप की अनुमति नहीं है। सड़क से इस दूरी को "भवन रेखा" नामक एक काल्पनिक रेखा द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस रेखा से परे एक और दूरी के लिए, सड़क स्तर से 13 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं किया जाता, इस दूरी को "नियन्त्रण रेखाओं" के नाम से परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए "भवन रेखाओं" और "नियन्त्रण रेखाओं" हेतु न्यूनतम वांछनीय मानक निम्न-लिखित हैं :—

समतल और घुमावदार भू-भाग			पहाड़ी और खड़ी चट्टान वाला भू-भाग			
ग्रामीण क्षेत्र		शहरी और औद्योगिक क्षेत्र	भवन रेखा और सड़क भूमि बाउंडरी के बीच दूरी			
			ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
भवन रेखाओं के बीच चौड़ाई (कुल चौड़ाई) (मीटर)	नियंत्रण रेखाओं के बीच चौड़ाई (कुल चौड़ाई) (मीटर)	भवन रेखा और सड़क भूमि बाउंडरी के बीच दूरी (सेट बैक दूरी) (मीटर)	सामान्य (मीटर)	आपवादिक (मीटर)	सामान्य (मीटर)	आपवादिक (मीटर)
80	150	3·6	5	3	5	3

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका व्यापार पर अध्ययन रिपोर्ट

3489. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों संबंधी अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आर०आई०एस०) द्वारा भारत-श्रीलंका व्यापार के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों से सम्बन्धित अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आर०आई०एस०) ने आर्थिक अनुसंधान संबंधी विश्व विकास संस्थान (डब्ल्यू०आई०डी०ई०आर०) हेलसिंकी तथा उद्योग, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के सहयोग से भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग (एक प्रश्नात्मक कार्यक्रम) शीर्षक से एक अध्ययन शुरू किया है।

अध्ययन-रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार को अगली कार्रवाई करने से पहले श्रीलंका से प्रतिपक्ष अध्ययन की प्रतीक्षा करनी है।

[हिन्दी]

किसानों को बैंक ऋण

3490. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों ने देश में किसानों को पाईप लाइन और विद्युत मोटर लगाने हेतु 50 हजार से 3 लाख रु० तक का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; विशेषत: उत्तर प्रदेश में;

(ग) क्या सरकार का इन ऋणों को माफ करने अथवा इन पाईप लाईनों पर 50% राज-सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। अलबत्ता जून 1990-91 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु सिंचाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि लगभग 3 लाख खातों में 225 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऋणों को सपाट रूप से बट्टे खाते डालने के हक में नहीं है। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों में किन्हीं वर्गों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/- रुपये प्रति उधारकर्ता ऋण राहत प्रदान करने के लिए मई 1990 में एक योजना तैयार की थी। यह योजना पहले ही 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है। पाईप लाइन आदि बिछाने के लिए गई बताई सब्सिडी प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार की किसी योजना की जानकारी नाबार्ड के पास नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होगा।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में धूम्रपान

3491. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम निजी बसों में अंकित "धूम्रपान निषेध" चेतावनी को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो बसों में इस प्रकार के धूम्रपान को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या दाण्डिक/विधायी कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख) दिल्ली मोटर वाहन परिवहन नियमावली, 1940 के नियम 4.40(v) के उपबन्धों के अनुसार यदि किसी स्टेज कैरिज में कोई यात्री धूम्रपान करता है तो ड्राईवर और कंडक्टर उस यात्री को बस से उतारने के लिए वाहन को रोक सकते हैं। ऐसा यात्री किसी किराए को वापसी लेने का हकदार नहीं होगा और उसे वाहन से जबरदस्ती उतारा जा सकता है।

रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय

3492. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर बोर्ड की केरल में विभिन्न स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रबर बोर्ड को क्विलोन जिले के कोट्टाराकारा में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में रबर उत्पादकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) केरल में नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का रबड़ बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, कोट्टाराकारा में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

असम में चाय बागान योजना में अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाना

3493. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में चाय बागान योजना में अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में 17250 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को चाय की कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इसमें से 14750 हैक्टेयर परंपरागत क्षेत्र में और 2,500 हेक्टेयर गैर-परम्परागत क्षेत्र में होगा। इस संबंध में राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ?

दुधारू पशु नस्ल सुधार परियोजना

3494. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से मेरठ में कोई नई दुधारू पशु नस्ल सुधार परियोजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) देश के विभिन्न भागों में इस समय कितने सैनिक फार्म हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य एक नई नस्ल, जिसे फ्रैसवल कहा जाता है, के विकास द्वारा देश में पशुओं की नस्ल में सुधार करना है, जिसे हॉलस्टिन-फ्रेशियन और साहीवाल नस्लों में संकरण से किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस समय 88 सैन्य फार्म हैं, जिनमें से 46 पशु फार्म हैं, 36 गैर-पशु फार्म (दुग्ध संसाधिनीकृत और सप्लाई यूनिटें) हैं और 6 घास संग्रह डिपो हैं।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा पूंजी निवेश

3495. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** :
डा० ए०के० पटेल :
श्री रूप चन्द पाल :
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री अमल दत्त :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा किए जाने वाले निवेश सम्बन्धी अपनी वर्तमान नीति पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल' द्वारा जमाराशि की अदायगी

3496. **श्री आस्कर फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल' में भारतीय उपभोक्ताओं की जमाराशि की अदायगी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय उपभोक्ताओं को अभी भी कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओ०) लि०, बम्बई के अनंतिम परिसमापक ने किसी भी जमाकर्ता को किसी धनराशि की वापसी अदायगी नहीं की है ।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल को शहर विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

3497. **श्री राम कापसे** :
श्री नवल किशोर राय :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को शहर विकास के लिए प्राप्त धनराशि के कथित दुरुपयोग की तत्स्थानिक जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अधिकारियों का कोई दल पश्चिम बंगाल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दल ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दल द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) नगर विकास के लिए विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशियों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही इन धनराशियों के किसी कथित दुरुपयोग की कोई जांच-पड़ताल करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई सरकारी दल भेजा गया है। विश्व बैंक से सहायता वचनबद्धताओं के रूप में होती है जो सुपरिभाषित परियोजना अथवा कार्यक्रम के उद्देश्य से आबद्ध होती है और दाता ऐजेंसी के मार्ग-निर्देशकों और प्रक्रियाओं के समनुरूप क्षेत्र में सम्मत व्यय करने के बाद ही प्रतिपूर्ति के रूप में इन राशियों की निकासी की जा सकती है।

[हिन्दी]

महिला कार्यकर्ताओं के लिए केन्द्रीय निधि

3498. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए कोई केन्द्रीय निधि बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मार्गनिर्देश

3499. **श्री राजेश कुमार** :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार के प्रतिनिधियों, वाणिज्य तथा उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत कोई मार्गनिर्देश हैं;

(ख) क्या उक्त संस्थानों के बोर्डों का हाल ही में गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त श्रेणियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक-बोर्ड में दो गैर-सरकारी निदेशकों को मनोनीत किया जाना होता है। कृषि, लघु उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले और संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक-बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में मनोनीत किया जा रहा है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक-बोर्डों में निदेशक के रूप में मनोनीत किये गये गैर-सरकारी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक अपने पद पर कार्य करेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था की गई है कि आई०डी०बी०आई० के निदेशक-बोर्ड में अन्यों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले कम से कम पांच ऐसे निदेशक होंगे जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, औद्योगिक सहकारिता, विधि, औद्योगिक वित्त, निवेश, लेखा-शास्त्र, विपणन और किसी अन्य विषय में विशेष जानकारी और व्यावसायिक अनुभव हो और केन्द्रीय सरकार की राय में, जिनकी विशेष जानकारी और व्यावसायिक अनुभव, आई०डी०बी०आई० के लिए उपयोगी हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में यह प्रावधान किया गया है कि नाबार्ड के निदेशक-बोर्ड में अन्यों के साथ-साथ (i) ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण दस्तकारी, ग्राम और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग अथवा किसी अन्य विषय के विशेषज्ञों में से दो निदेशक होंगे और उनमें विशेष जानकारी अथवा व्यावसायिक अनुभव केन्द्रीय सरकार की राय में नाबार्ड के लिए उपयोगी समझा जाता है (ii) तीन निदेशक जिनमें से दो निदेशकों को सहकारी बैंकों के कार्यकरण का अनुभव हो और एक निदेशक को वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकरण में अनुभव हो। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 से विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले गैर-सरकारी निदेशकों की व्यवस्था नहीं की गयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक बोर्ड का अपना स्थायी अस्तित्व है और समय-समय पर खाली होने वाले पद संबद्ध कानूनों के प्रावधानों के अनुसार भरे जाते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी निधियों का दुरुपयोग और कर अपवंचन

3500. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों ने दक्षिण बिहार में सरकारी निधियों के बड़ी मात्रा में दुरुपयोग और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाया है;

(ख) "पशुपालन माफिया" द्वारा प्रथम दृष्टया: में किए गए आयकर अपवंचन की कुल कितनी राशि का पता चला है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) भविष्य से ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) जी, हां। आयकर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों की तलाशी लिए जाने के दौरान, जिनका बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के साथ संबंध है, 11.83 करोड़ रुपये मूल्य की लेखा बाह्य परिसंपत्तियां अभिगृहीत की गई थीं तथा इनमें से कुछ व्यक्तियों ने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन दर्ज किए गए अपने बयानों में 5.55 करोड़ रुपये की छिपाई गई आय के बारे में बताया था।

(ग) आयकर अधिनियम में तलाशियों के दौरान व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) कर-अपवंचन की रोकथाम करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर यथापेक्षित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करती है। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(i) सर्वेक्षण संबंधी सुव्यवस्थित कार्यवाहियां;

(ii) समुचित मामलों में तलाशी लेने एवम् अभिग्रहण संबंधी कार्यवाहियां;

(iii) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना का सत्यापन करना ;

(iv) आयकर अधिनियम के अध्याय XX सी के उपबंधों के अन्तर्गत कतिपय अधिसूचित नगरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल संपत्ति का पूर्व-क्रय अधिकार ;

(v) चुनिन्दा मामलों में गहराई से जांच-पड़ताल करना तथा कर-निर्धारणों की संवीक्षा करना;

(vi) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम को अधिनियमित करना; और

(vii) आयकर अधिनियम की धारा 269 एस०एस० तथा 269 टी० का उल्लंघन करने पर दण्ड लगाना।

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

3501. **श्री चन्नूलाल चन्द्राकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि कोष को, जोकि भारत की संचित निधि का अंग बनता है, जारी करने तथा कोष न्यासियों को, समाचार पत्रों के कर्मचारियों, जोकि इस कोष के सदस्य हैं, के हितार्थ, निधि को निवेश करने की स्वतंत्रता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की वसूल राशि भारत की संचित निधि का एक भाग नहीं है। कर्मचारियों, जिनमें समाचार पत्र कर्मचारी भी शामिल हैं के लाभ के लिये अनुमोदित पैटर्न के अनुसार इस निधि का पहले ही निवेश किया जा रहा है।

[हिन्दी]

तम्बाकू उत्पादकों को प्रशिक्षण

3502. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्जिनिया, बारली इत्यादि जैसी अच्छी किस्मों के तम्बाकू पैदा करने के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण देने का विचार है क्योंकि विदेशों में इन किस्मों की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान और मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड के अनुसंधान विभाग आई०एल०टी०डी० प्रभाग के वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रत्येक नीलामी मंच के वर्जीनिया तम्बाकू के चुनिन्दा उपजकर्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने की योजना है । किसानों को उपज और गुणवत्ता सुधार के लिए नवीनतम प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से अनुसंधान केन्द्रों को उनके अध्ययन दौरे कराए जाने की भी योजना है । चालू वर्ष के दौरान 23 नीलामी मंचों के संबंध में बयासी प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही चलाए जा चुके हैं और तीन भिन्न मृदा क्षेत्रों के संबंध में किसानों के तीन अध्ययन दौरे भी कराए गए हैं ।

संदर्शी वित्तीय प्रस्ताव

3503. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों से ऐसा कोई संदर्शी वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए विश्व बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से प्रत्येक प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) किसी भी राज्य सरकार से कोई सम्भावित वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, योजना आयोग और प्रशासनिक मंत्रालयों से उपयुक्त अनिवार्य अनुमति के साथ प्राप्त हुए अन्य परियोजना प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में है । ये परियोजनाएं जो अंतिम रूप से विश्व बैंक की सहायता से आबद्ध हैं, उनकी सहायता की अवधि एवं मात्रा विस्तृत परियोजना तैयारी, दाता की तरजीहों और वचनबद्धता की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी ।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता के लिए राज्य-वार परियोजनाओं की सूचि

परियोजना का नाम	राज्य
विकृत वानिकी में सिलवी चरागाह में वृक्षारोपण और उसका विकास	गुजरात
सरदार सरोवर नहर-II परियोजना	,,
नर्मदा बेसिन विकास परियोजना	,,
नर्मदा सागर परियोजना	मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश गौण स्तर अस्पताल	,, ,,
तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु
कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना	कर्नाटक
हरियाणा सिंचाई-III परियोजना	हरियाणा
बुनियादी शिक्षा परियोजना	उत्तर प्रदेश
सुवर्ण रेखा बहु-उद्देश्य परियोजना	बिहार
सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	उड़ीसा
कंसावती सिंचाई परियोजना	पश्चिम बंगाल
द्वितीय राजस्थान जल आपूर्ति एवं मलजल परियोजना	राजस्थान

[अनुवाद]

अफीम की खेती

3504. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अफीम का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का अफीम की अवैध खेती को रोकने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में अफीम का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष		90 डिग्री संसक्ति वाली अफीम का उत्पादन मीट्रिक टन में
1989-90	—	437
1990-91	—	392
1991-92	—	495

(ख) और (ग) देश में अफीम के उत्पादन का विनियमन केन्द्रीय सरकार के नियमनिष्ठ लाईसेंसिंग नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाता है। अफीम पोस्त की अवैध खेती की रोकथाम के मामले में औषधि कानून प्रवर्तन संबंधी विभिन्न एजेंसियां कड़ी निगरानी रखती हैं और स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कठोर दंड देने की भी व्यवस्था की गई है।

बन्द किए गए औद्योगिक एकक

3505. **कुमारी ममता बनर्जी** : **क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बन्द किए गए बड़ी औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार हो गये कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन बेरोजगार कामगारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान बन्द हुई औद्योगिक ईकाइयों की संख्या और प्रभावित कर्मकारों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) औद्योगिक इकाइयों में कामबन्दी के कारण बेकार हुए कर्मकारों की औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है।

विवरण

1990 के दौरान कामबन्दी और प्रभावित कर्मकारों की राज्यवार संख्या

राज्य	1990 (अ)		1991 (अ)		1992 (अ) (जनवरी से नवम्बर)	
	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	8	551	9	283	4	103
अरूणाचल प्रदेश	—	—	00	00	00	00
असम	3	99	1	54	—	—
बिहार	—	—	2	44	3	125
गोवा	1	38	4	108	2	62
गुजरात	30	684	26	510	29	1131
हरियाणा	16	415	5	141	6	87
हिमाचल प्रदेश	1	100	1	28	1	21

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	—	1	12
केरल	1	80	2	50	2	39
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	52	1330	33	525	33	664
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	00	00	00	00	00	00
नागालैण्ड	00	00	00	00	00	00
उड़ीसा	—	—	2	443	8	375
पंजाब	2	71	9	1388	—	—
राजस्थान	6	154	10	588	3	68
सिक्किम	00	00	—	—	—	—
तमिलनाडु	1	46	—	—	—	—
त्रिपुरा	22	1092	84	11472	15	590
उत्तर प्रदेश	2	236	33	4257	14	2039

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	—	—	2	1198	—	—
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	40	—	—	1	225
चण्डीगढ़	—	—	00	00	00	00
दादरा और नगर हवेली	—	—	00	00	00	00
दिल्ली	—	—	2	257	00	00
दमन और दीव	—	—	00	00	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	7	31	13	93	2	5
कुल जोड़ :	154	4967	238	21439	124	5546

क = बन्द इकाईयों की संख्या

ख = प्रभावित कर्मकारों की संख्या

— = शून्य

00 = उपलब्ध नहीं

(अ) = अनन्तिम

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

गुजरात में बेरोजगार अभियन्ता

3506. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्नातक अभियंताओं, डिप्लोमाधारी अभियंताओं और आई० टी० आई० प्रमाणपत्र धारकों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मसालों का निर्यात

3507. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को मसालों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत 70 से ज्यादा देशों को मसालों का निर्यात कर रहा है। इनमें से मुख्य देश हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यू० के०, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ/सी० आई० एस०, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बुल्गारिया, बंगलादेश, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, मलेशिया, यू० ए० ई०, सउदी अरब, वाई० ए० आर०, बहरीन, कुवैत, मोरक्को, लीबिया इत्यादि।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष		मूल्य
1989-90	—	275.76
1990-91	—	242·14
1991-92 (अनंतिम)	—	362.04

स्रोत : वा० जा० एवं सा० महानिनेशालय, कलकत्ता/शिपिंग के बिल एवं निर्यातकों के विवरण।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजे गये मामले

3508. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1992 से जनवरी 1993 की अवधि के दौरान रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार भेजे गए इन उपक्रमों के मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि जनवरी 1992—जनवरी 1993 के दौरान उन्हें प्राप्त सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों के 103 संदर्भों में से उन्होंने 75 संदर्भ दर्ज किए, 12 अस्वीकार कर दिए और 16 की जांच पंजीकरण हेतु जारी है। सभी 75 पंजीकृत संदर्भों को पीठों के पास भेज दिया गया है और उनकी या तो सुनवाई हो चुकी है या सुनवाई की तारीख निर्धारित हो चुकी है। 55 कम्पनियां रुग्ण घोषित की गईं और 33 मामलों में प्रचालन अभिकरणों की नियुक्ति की गई। 23 मामलों में, कम्पनियों/संबद्ध मंत्रालय/राज्य सरकारों से कहा गया कि पुनरुद्धार योजनाएं प्रस्तुत करें। बाइफर ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों से संबंधित संदर्भों के शीघ्र निपटान के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक से सहायता

3509. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली गरीबी उन्मूलन योजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी सहायता मांगी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभावित विश्व बैंक सहायता के लिए "आंध्र प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना" शीर्षक से केवल एक परियोजना की ही रूपरेखा आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। परियोजना के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई, वानिकी, बागवानी, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य आदि के संबंधित क्षेत्रों में 4 वर्षों की अवधि में 1149.0 करोड़ रुपए का कुल निवेश शामिल है।

औद्योगिक कर्मचारियों की मांगें

3510. **श्री हरिन पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1992 को औद्योगिक कर्मचारियों की कोई राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इन्टक और बी० एम० एस० के अतिरिक्त केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से सम्बद्ध अधिकांश संघों ने 16 जुलाई, 1992 को हुई औद्योगिक हड़ताल में भाग लिया।

(ख) हड़ताल का आह्वान मुख्यत: नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के विरोध में किया गया था। वे आधारभूत मामले जिनके लिए कर्मकार हड़ताल पर गये, निम्नलिखित हैं :—

1. नई औद्योगिक नीति को रद्द करना।
2. सभी "आई० एम० एफ०, प्रेरित आर्थिक नीतियों को रद्द करना।
3. निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश को त्यागना।
4. कामबन्दियों और छंटनियों को समाप्त करना।
5. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोकना।
6. सभी रूग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करना।
7. बैंकिंग उद्योग से संबंधित नरसिम्हा पैनल रिपोर्ट को रद्द करना।
8. मजदूरी नीति और महंगाई भत्ते पर एच० एस० रे समिति को समाप्त करना।
9. कीमतों को कम करना।
10. असंगठित क्षेत्र के लिये न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना।
11. असली भूमि सुधारों को लागू करना।
12. महिला कर्मकारों के साथ भेदभाव को समाप्त करना।

(ग) सरकार ने व्यवसाय संघों और कर्मकारों से हड़ताल पर न जाने का आग्रह किया क्योंकि यह आश्वासन दिया जा चुका है कि नई औद्योगिक/आर्थिक नीति कार्यान्वित करते समय उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। संराधन अधिकारियों ने भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में प्राप्त हड़ताल के नोटिस पर हस्तक्षेप किया और हड़ताल टालने के लिए प्रयत्न किये।

बाल श्रमिक

3511. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम संबंधी दक्षिण एशियाई गठबंधन ने सरकार को हाल ही में दिए गए एक ज्ञापन में देश में बाल श्रम का उन्मूलन करने हेतु कतिपय मांगें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन का उद्देश्य है नियोजित बालकों की रिहाई, उनके स्थान पर प्रौढ़ों की नियुक्ति, बाल श्रम कानूनों का प्रवर्तन, जागरूकता पैदा करना तथा बंधुआ श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन।

(ग) सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण निकट भविष्य में बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना व्यवहार्य नहीं समझा जा रहा है, सरकार की नीति इसे धीरे-धीरे समाप्त करने की है। इसे विधान बनाकर, बाल श्रम से संबंधित कानूनों के बेहतर प्रवर्तन, कल्याणकारी कार्यक्रमों, मां-बाप, नियोजकों तथा समाज के बीच बालकों के नियोजन के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करके तथा बालकों की बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षा देकर प्राप्त किया जाना है। श्रम मंत्रियों के 41 वें सम्मेलन में बंधुआ श्रम पर राष्ट्रीय आयोग के गठन पर विचार किया गया था और इस मामले को श्रम मंत्रियों की समिति के पास भेज दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20ग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों को शामिल करना

3512. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय 20-ग किस तारीख को लागू किया गया था;

(ख) क्या सरकार का आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20-ग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहादुरगढ़ सहित सभी नगरों/शहरों को शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय-XIX-ग दिनांक 1-10-1986 को लागू हुआ।

(ख) से (घ) इस योजना को दूसरे शहरों में अथवा बड़े-बड़े शहरों से लगे हुए क्षेत्रों में लागू किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस मुद्दे पर उस प्रकार के विस्तार से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त कार्यभार तथा इसकी वजह से होने वाली राजस्व प्राप्ति सहित उसके सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा। इस योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सभी कस्बों/शहरों, जिसमें बहादुरगढ़ भी शामिल है, में लागू किए जाने के प्रश्न पर इसी तरह से विचार किया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार

3513. **डा० रामचन्द्र डोम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार हेतु कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में रोजगार क्षेत्र पर प्रमुख बल दिया गया है। तदनुसार, योजना में तीव्र रोजगार सृजन के लिए एक विकास नीति की परिकल्पना की गयी है। महिला रोजगार नीति को

संपूर्ण रोजगार नीति में एकीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण अवसरों का विस्तार करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा रोजगार मिल सकें। महिलाओं के लिए क्रार्यान्वित किये जा रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता; (ii) महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजनकारी एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना; (iii) महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम; (iv) महिला विकास निगम और (v) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) नामक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) की एक उप-योजना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाएं एक विशेष लक्षित ग्रुप हैं। आई० आर० डी० पी० में शामिल लाभानुभोगियों का 40% और जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अन्तर्गत शामिल लाभानुभोगियों का 30% महिलाएं होंगी; और वह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०) की दो योजनाओं अर्थात् आवास और आश्रयस्थल अपग्रेडेशन योजना और लघु (माइक्रो) उद्यम योजना, के लाभानुभोगियों का 30% भी महिलाएं हैं।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योग

3514. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में, विशेषकर उसके मधुबनी और दरभंगा जिलों में, स्व-नियोजित लोगों के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इन उद्योगों को आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए बैंक शाखाओं को अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न बैंकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक योजना है जो बिहार राज्य में भी लागू है जिसमें मधुबनी और दरभंगा जिले सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक हिताधिकारी को मंजूर राशि के 25% के दर पर सब्सिडी केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के मधुबनी और दरभंगा जिलों में मंजूर मामलों की संख्या और मंजूर राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना के प्रारम्भ में एस० ई० ई० यू० वाई० योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित उधारकर्ताओं को जिनमें लघु उद्योग शामिल हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। इनमें उदारीकृत मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड शामिल हैं। 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के लिए कोई मार्जिन राशि

आवश्यक नहीं है। 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा के लिए ऋण के उद्देश्य और मात्रा के आकार पर मार्जिन 15 से 25% होगा। जहां सरकार/अथवा अन्य एजेंसियों से सब्सिडी मार्जिन राशि वित्तीय सहायता उपलब्ध है और वह 15 प्रतिशत से कम नहीं है तो इसे मार्जिन के रूप में माना जाना चाहिए और नयी मार्जिन राशि न मांगी जाए। 25,000/- रुपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं मांगी जानी चाहिए। परिसंपत्तियों बंधक/गिरवी/रेहन को ऋणों में से ही सृजित किया जाना है। 25,000/- रुपए से अधिक के अग्रिमों के संबंध में अचल सम्पत्ति के द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी गारंटी को केवल ऐसे मामलों में मांगा जाना चाहिए जहां प्राथमिक प्रतिभूति अपर्याप्त है या अन्य किसी वैध कारण से, न कि नियमित रूप से। अन्य सभी प्रकार से अर्थक्षम प्रस्तावों को ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी गारंटी के कारण अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े में निपटाया जाना चाहिए और 25,000/- रुपए से अधिक के आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह में निपटाया जाना चाहिए। बैंकों को समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों/निदेशों का पालन करना होता है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार राज्य के मधुबनी और दरभंगा जिलों में मंजूर राशि और मामलों की संख्या

जिले का नाम	1989-90		1990-91		1991-92	
	मामलों की संख्या	मंजूर ऋण राशि (लाख रु०)	मामलों की संख्या	मंजूर ऋण राशि (लाख रु०)	मामलों की संख्या	मंजूर ऋण राशि (लाख रु०)
मधुबनी	310	78.80	302	74.90	328	73.60
दरभंगा	329	75.72	422	97.68	329	71.02
राज्य का जोड़	9176	2342.91	11545	3005.63	8827	2352.03

रेटिंग प्रशिक्षण संस्थान

3515. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री 31 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3687 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेदुमलकुन्नू (काकोडी पंचायत, जिला कोझीकोड, केरल में एक रेटिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है; और

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

जल सूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केरल में नीडुमलाकुन्नू, कक्कोडी पंचायत, कोझीकोड जिला में रेटिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मैरीटाइम शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'मोडवाट' नियमों में संशोधन

3516. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब/हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स इण्डस्ट्री ने नियमों के सरलीकरण और इन्हें कारगर बनाने के विचार से 'मोडवाट' नियमों, प्रक्रियाओं में उचित संशोधन करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के विचारों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 'मोडवाट' नियमों को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय को दिये गए अपने बजट पूर्व ज्ञापन में मोडवेट योजना के बारे में कुछेक सुझाव दिए थे ।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करते समय पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिये गए इन सुझावों तथा अन्य व्यापार संघों द्वारा दिये गए सुझावों पर सरकार द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया है। वित्त विधेयक 1993 के जरिए संसद के समक्ष रखे प्रस्तावों में सरकार के इन निर्णयों को शामिल किया गया है ।

बीड़ी श्रमिक

3517. **श्री महेश कनोडिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बीड़ी श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन बीड़ी श्रमिकों की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है जिनको सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बीड़ी कर्मकार विभिन्न कल्याण निधियों के अधीन स्थापित औषधालयों और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं । वे राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों और अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच विदेश व्यापार

3518. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कुल कितने रुपये का व्यापार हुआ है;

(ख) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार के बढ़ाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कुल 12096.38 करोड़ रु० मूल्य का व्यापार हुआ था।

(ख) तथा (ग) जी, हां। वर्ष 1992-93 के प्रथम आठ महीनों के दौरान वर्ष 1992-93 की उसी अवधि की तुलना में रुपया-मूल्य की दृष्टि से 41% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 में होने वाली वृद्धि अनेक बातों पर निर्भर करेगी जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं—संयुक्त राज्य अमरीका में आर्थिक समुत्थान की सीमा और भारत के लिए हितकर आयात-मदों में अमरीका की प्रतियोगी मजबूती।

ढुलाई हेतु संपर्क सड़क

3519. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोइलवार राष्ट्रीय राज-मार्ग को चान्दी, संदेश, सहार से होकर डालमिया नगर और बाजारी के साथ जोड़ने का विचार है जिससे कि उस मार्ग से कोयला, इस्पात और सीमेंट की ढुलाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भूतल परिवहन संचालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे

3520. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) कुल कितनी नकदी तथा माल बरामद किया गया;

(ग) इन सभी छापों में अन्तर्ग्रस्त मामलों में से कितने निपटा लिए गए हैं; और

(घ) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क की वसूली और जुर्माने के रूप में सरकार को प्रत्येक राज्य से कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्स्थापना योजना

3521. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्स्थापना योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में पुनर्स्थापना सम्बन्धी योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पुनर्वास योजना के अनुसार अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार किए हैं, अर्थक्षम रुग्ण एककों के वित्तपोषण के लिए रियायतों तथा छूटों के पैरामीटरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) **नकद ऋणों तथा सावधि ऋणों पर देय ब्याज :**

वसूल किए जाने वाले दांडिक ब्याज को उसी वर्ष से माफ कर दिया जाता है, जिस वर्ष से इकाई ने लगातार हानियां उठाना शुरू किया हो । एकक ने हानि उठाने से लेकर उसके पुनर्वास के कार्यान्वयन की तारीख तक के वसूल न किए गए ब्याज का निधिकरण किया जाता है और उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता ।

(ii) **सावधि ऋण** :

वर्तमान सावधि ऋणों पर जहां आवश्यक हो, अति लघु विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की इकाइयों के मामलों में 3% से अनधिक तथा अन्य मामलों में 2% से अनधिक की दर से ब्याज की डाकूमेंट दर से कम कर दिया जाता है ।

(iii) **मूलधन की देय राशियां** :

मूलधन की देयराशियों को कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में 5 वर्ष से अनधिक की वापसी अदायगी अनुसूची के रूप में वित्तपोषित किया जाता है । ब्याज को वर्तमान नियत/न्यूनतम उधार दरें जो भी लागू हो, से 1.5% से 3% तक कम कर दिया जाता है ।

(iv) **निधिकृत ब्याज सावधि ऋण** :

निधिकृत ब्याज पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

(v) **कार्यशील पूंजी** :

कार्यशील पूंजी पर वर्तमान नियत/न्यूनतम उधार दर, जहां कहीं लागू हो, से 1.5% कम ब्याज वसूल किया जाना चाहिए ।

(vi) **नकदी हानियां** :

पैकेज के क्रियान्वयन की अवधि से नकदी लाभ-अलाभ के बिन्दु तक, ही सम्भावित नकदी हानियों का वित्तपोषण वित्तीय संस्थानों अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए ।

(vii) **प्रवर्तकों का अंशदान** :

प्रवर्तक का अंशदान, अति लघु क्षेत्र के मामले में 10% के न्यूनतम पर तथा अन्य इकाइयों के लिए ऐसी ही अपेक्षाओं पर 20% नियत किया जाना चाहिए । विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की इकाइयों के मामले में पुनर्वास के लिए प्रवर्तक के अंशदान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ।

(viii) **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डी० आई० एण्ड सी० जी० सी०) का गारंटी शुल्क** :

डी० आई० तथा सी० जी० सी० को रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के बारे में देय गारंटी शुल्क, बैंकों द्वारा वहन की जानी चाहिए ।

(ग) अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के सम्बन्ध में उपर्युक्त पुनर्वास योजना राजस्थान राज्य में भी चलाई जा रही है ।

खारे पानी में झींगा पालन करने वाले कृषकों को ऋण सुविधा

3522. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे पानी में झींगा पालन करने वाले अधिकांश छोटे और मंझौले किसानों को वाणिज्यिक बैंक ऋण प्रदान नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) खारे पानी में झींगा मछली पालन को बैंक वित्त का नियन्त्रण भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी मार्गनिर्देशों द्वारा किया जाता है और इसे कृषि क्षेत्र का एक भाग माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्र (सम्बद्ध कार्यों सहित) को देना होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली खारे पानी में झींगा मछली पालन करने वाले छोटे और मध्यम किसानों को दिए गए ऋणों ही सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि क्षेत्र (सम्बद्ध कार्यों सहित) के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण तथा मछली पालन के लिए संवितरित राशि निम्नलिखित है :—

(राशि करोड़ रुपए)

समाप्त वर्ष	संवितरित राशि			
	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		मछली पालन	
	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
जून 1989	5758639	3813.16	55822	62.67
जून 1990	5453361	4282.35	60155	55.60
जून 1991	8164029	4675.49	49724	51.12

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे खारे पानी में जल कृषि कार्य करने वाले किसानों को हर सम्भव सहायता प्रदान करें जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के निर्धारित शर्तों के अनुरूप हों।

[हिन्दी]

फिल्म उद्योग में काला धन

3523. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग में कालेधन को रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक के अधीन लेखाओं के रखे जाने को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस धारा के अन्तर्गत लेखाओं को न रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फिल्म उद्योग में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार अन्य क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हिसाब-किताब न रखने पर आयकर अधिनियम की धारा 271-ए के अन्तर्गत जुर्माना किया जा सकता है, जो 2,000 रु० से कम नहीं होगा और यह बढ़कर 1 लाख रु० तक हो सकता है। इस प्रकार की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और वह सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तमिलनाडु में ग्रामीण परियोजनाओं के लिए "नाबार्ड" सहायता

3524. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तमिलनाडु में ग्रामीण परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त पोषण के रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) अभी तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) पिछली योजनावधि के दौरान आरम्भ की गई परियोजनाओं तथा इनके लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना के अनुसार आठवीं योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के लिए तमिलनाडु राज्य हेतु संभाव्यता से जुड़ी ऋण आयोजना पर आधारित योजनाबद्ध ऋण के लिए आवश्यक पुनर्वित्त सहायता नीचे दी गई है :—

वर्ष		(लाख रुपए) राशि
1992-93	—	18755
1993-94	—	19022
1994-95	—	19898
1995-96	—	22403
1996-97	—	24217

(ख) 1992-93 के दौरान दिनांक 12 मार्च, 1993 तक नाबार्ड ने तमिलनाडु को 13550.70 लाख रुपए तक की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है।

(ग) सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई क्षेत्र-वार पुनर्वित्त सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान तमिलनाडु को नाबार्ड द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रवार पुनर्वित्त को दर्शाते हुए विवरण

लाख रुपए

क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	सातवीं योजना कुल
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई	1556	1252	1073	963	1126	5970
आर० ई० सी०	546	646	798	1163	1622	4775
भूमि विकास	—	10	36	27	22	94
कृषि यंत्रीकरण	817	917	848	402	624	3609
शुष्क भूमि कृषि		1	7	3	0	11
वृक्षारोपण बागवानी	351	381	492	443	438	2105
डेरी विकास	374	511	637	758	901	3181
समुद्री मत्स्यन	31	183	214	220	129	777
अन्तर्देशीय मत्स्यन	16	11	12	10	28	77
स्टोरेज मार्किट यार्ड	27	156	49			232

1	2	3	4	5	6	7
वानिकी	2	6	25	153	37	223
बायो-गैस	358	388	307	185	345	1583
मुर्गी पालन	516	241	280	395	526	1958
भेड़ बकरी-सुअर पालन	86	77	427	336	334	1260
आई० आर० डी० पी० (एफ० एस०)	2176	1895	2715	2716	3246	12748
आई० आर० डी० पी० (आई० एस० बी०)	502	1177	708	1254	1363	5004
अन्य	47	154	222	246	220	889
एन० एफ० एस० (ए० आर० एफ०)		69	205	425	547	1246
कुल	7405	8075	9055	9698	11509	45742
आई० आर० डी० पी० जोड़	2678	3072	3423	3970	4609	17752

भुवनेश्वर-कटक राष्ट्रीय राजमार्ग

3525. **श्री अनादि चरण दास** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा में भुवनेश्वर-कटक मार्ग के विकास और उसे चार लेनों में विभक्त करने हेतु सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत क्या है और इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है; और

(ग) परियोजना पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 1267.40 मिलियन रुपए है और विश्व बैंक द्वारा 51.7 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्रदान की गई है।

(ग) परियोजना को पूरा करने की समय सारिणी कार्य आरम्भ होने से 42 महीने है जिसके लिए चालू वर्ष के दौरान निविदाएं आमंत्रित करने का निश्चय किया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु सीमेंट संयंत्रों को वित्त प्रदान करना

3526. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में लघु सीमेंट उद्योग को वित्तीय सहायता बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि फालतू संस्थापित क्षमता, उत्पादन की उच्च लागत, बड़े सीमेंट संयंत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे विभिन्न कारणों से वित्तीय संस्थान विशेषकर सीमेंट अधिशेष राज्यों में लघु सीमेंट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक सचेत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। आई० डी० बी० आई० ने गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश में अनेक लघु सीमेंट परियोजनाओं की भी सहायता की है और उनमें से कई इकाइयों का कार्यनिष्पादन असन्तोषजनक पाया गया है। चूंकि गुजरात तथा आंध्र प्रदेश दोनों ही सीमेंट अधिशेष राज्य हैं, इसलिए नवीन सीमेंट परियोजनाओं द्वारा विपणन समस्याओं को सामान्य करने की सम्भावना है।

(ग) वित्तीय संस्थानों के उपर्युक्त निर्णय, जो उनके अपने वाणिज्यिक फैसले पर आधारित हैं, को प्रभावित करके दखलन्दाजी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मामलों का निपटान

3527. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) (संशोधन), बिल 1992 पेश किया है।

[हिन्दी]

रक्षा निर्माण परियोजनाएं

3528. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रक्षा निर्माण परियोजनाओं का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) प्राथमिकता वाली किसी रक्षा परियोजना को रोका या स्थगित नहीं किया गया है। परियोजनाओं का निर्माण कार्य अन्तः प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। समय और लागत को न्यूनतम करने की दृष्टि से सभी चालू अग्रता योजनाओं की बारीकी से निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ के भंडारण हेतु मानदण्ड

3529. **श्री पी०सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक रबड़ का भण्डारण करने के लिए वर्तमान "भण्डारण सूत्र" (स्टाक-फार्मूला) क्या है;

(ख) क्या रबड़ उत्पादों (जैसे टायर) के उद्योगपतियों और निर्माताओं को एक महीने का भण्डार रखना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या वे इस शर्त का पालन कर रहे हैं;

(घ) क्या वर्तमान भण्डारण सूत्रों के कारण कठिनाइयां और किसानों को परेशानियां हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भण्डारण सूत्र में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) प्राकृतिक रबड़ के लिए मौजूदा भण्डारण मानदंड दो महीने की उपभोग आवश्यकताएं हैं, जिनमें 1 (एक) महीने की भण्डार आवश्यकता विनिर्माताओं के लिए है, जिसमें ढुलाईगत माल भी शामिल है और शेष 1 (एक) महीने की भण्डार-आवश्यकता रबड़ उपजकर्ताओं, व्यापारियों, संसाधकों और राज्य व्यापार निगम के लिए है।

(ख) इस सूत्र के अनुसार विनिर्माताओं को ढुलाईगत माल सहित एक महीने का भण्डार रखना चाहिए।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान विनिर्माताओं द्वारा रखा गया भण्डार एक महीने के मानदंड से मामूली कम था। कुछ अवधि के लिए देश में भी कुल भण्डार दो महीने की आवश्यकताओं से कम था।

(घ) तथा (ङ) दो महीने की उपभोग आवश्यकता का मौजूदा भण्डारण सूत्र, जोकि वर्ष 1991 के अन्त में अपनाया गया था, उचित और न्यायसंगत समझा जाता है। पहले यह मानदंड 3 महीने की उपभोग आवश्यकता का था। इसमें फिर से संशोधन करना उचित नहीं होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में औद्योगिक वित्त शाखा

3530. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने उड़ासा में एक औद्योगिक वित्त-शाखा खोली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समायोजन समिति का गठन किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में मझौले और बड़े उद्योगों की सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर, जिला पुरी में विशेषज्ञ औद्योगिक वित्त-शाखा खोलने के लिए फरवरी 1992 में भारतीय स्टेट बैंक को लाइसेंस जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अभी शाखा नहीं खोली है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किया है। उड़ीसा में मध्यम और बड़े उद्योगों के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्था की गई है। विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलों में उद्योगों का मार्गदर्शन करने के

लिए एक परामर्शदात्री कक्ष भी खोला गया है। भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय का मर्चेन्ट बैंकिंग ब्यूरो, निर्गम प्रबन्धन और अन्य वित्तीय सेवाओं के मामलों में उद्योगों को सहयोग देते हैं।

अर्जुन टैंक

3531. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री गुरुदास कामत :

श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख युद्ध टैंक "अर्जुन" को सैन्य सेवाओं में शामिल करने हेतु सशस्त्र बल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) इस टैंक की विशेष बातें क्या हैं;

(ग) क्या उत्पादक एजेन्सी अभिज्ञात कर ली गई है;

(घ) क्या कोई परीक्षण क्रयादेश दिए गए हैं;

(ङ) एकों द्वारा उत्पादित टैंक के प्रथम बैच के थल सेना में कब तक शामिल होने की संभावना है; और

(च) इस टैंक की अनुमानित उत्पादन लागत कितनी होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, उच्च दक्षता, श्रेष्ठ गतिशीलता, सभी तरफ से सुरक्षा के लिए कवच—संयुक्त "कंचन" और बहुत ही अचूक/घातक गोलाबारी शक्ति वाला एक अत्याधुनिक टैंक है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) हाल के परीक्षणों में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन द्वारा प्रदर्शित कार्य-निष्पादन के आधार पर, सेना मुख्यालय ने वर्ष 2002 तक दो आर्मड रेजिमेंटों को अर्जुन टैंक से सुसज्जित करने के अपने इरादे व्यक्त किए हैं।

(च) 7 करोड़ रुपये।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन

3532. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक श्रमिक वेतन की सुरक्षा करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार वेतन की सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन का समर्थन करने का भी है; और

(ग) अब तक कितने आई० एल० ओ० सम्मेलन का समर्थन किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कर्मकारों की मजदूरी की सुरक्षा के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन पहले ही से प्रावधान मौजूद हैं।

(ख) "मजदूरी की सुरक्षा, 1949" से सम्बन्धित अ० श्र० सं० के अभिसमय सं०-95 का अनुसमर्थन करना सरकार के लिए इस समय संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय कानून एवं व्यवहार अभिसमय के सभी प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप नहीं है। तथापि, सरकार समय-समय पर गैर अनुसमर्थित अभिसमयों की पुनरीक्षा करती है ताकि उनको अनुसमर्थित करने की सम्भावना का पता लगाया जा सके।

(ग) भारत सरकार ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 36 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है।

गोवा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

3533. **श्री हरीश नारायण प्रभु भाट्ये** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल कुल सदस्यों की संख्या क्या है और उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं पर हुए वार्षिक व्यय की तुलना में उनका पिछले तीन वर्षों का वार्षिक अंशदान कितना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा इससे कर्मचारियों को असुविधा हो रही है;

(ग) क्या सरकार का गोवा के सभी ताल्लुकों में अतिरिक्त अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रावधान का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) 30-9-1992 की स्थिति के अनुसार गोवा में क० रा० बी० योजना के अन्तर्गत 35 हजार कर्मचारी शामिल थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा में किया गया वार्षिक अंशदान और बीमांकित व्यक्तियों को उपलब्ध करायी गई सेवाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :—

वर्ष	अंशदान की आय (रु० लाखों में)	उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर किया गया व्यय (रु० लाखों में)
1989-90	184.17	90.32
1990-91	164.61	105.82
1991-92	158.11	78.80

(ख) से (घ) क० रा० बी० सुविधायें केवल उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध करवायी जाती हैं, जो क० रा० बीमा योजना में शामिल हैं। गोवा का संपूर्ण क्षेत्र इस समय योजना में शामिल नहीं है। अतः गोवा के सभी तालुकों में अतिरिक्त अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। गोवा में बीमांकित व्यक्तियों को नकद एवं चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने वाली विद्यमान क० रा० बी० सुविधायें संतोषजनक हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अन्तर्गत मर्चेन्ट बैंकर्स

3534. **प्रो० रीता वर्मा :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मर्चेन्ट बैंकर्स को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) व्यापारिक बैंकर चूंकि प्रतिभूति बाजार के साथ मध्यस्थ के रूप में जुड़े हैं; इसलिए वे पहले से ही भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के क्षेत्राधिकार में हैं जैसाकि भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के अधिनियम, 1992 की धारा 11(2)(ख) द्वारा स्पष्ट किया गया है।

(ग) व्यापारिक बैंकरों को 22 दिसम्बर, 1992 को अधिसूचित विनियमों के माध्यम से "सेबी" के नियामक ढांचे के अन्तर्गत लाया गया है। व्यापारिक बैंकर के विनियमों का स्वरूप विस्तृत है जिनमें पंजीकरण प्रदान करने की शर्तें, व्यापारिक बैंकरों के दायित्वों और उत्तरदायित्वों, "सेबी" द्वारा व्यापारिक बैंकरों के निरीक्षण की प्रक्रिया और व्यापारिक बैंकरों आदि के लिए आचार-संहिता निर्धारित की गयी हैं।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्वःरोजगार परियोजनाओं की स्थापना

3535. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों के लघु स्वःरोजगार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन गतिविधियों के ब्यौरे क्या हैं, जिनमें इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिला है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिक लघु उद्योग इकाइयां, फार्म और सम्बद्ध काम धंधे, कुटीर व ग्रामीण तथा खादी उद्योग स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-I (सेमफैक्स-I), भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-II (सेमफैक्स-II) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-III (सेमफैक्स-III) नामक तीन ऋण योजनाओं जोकि क्रमशः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के सहयोग से तैयार की गई हैं, के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय सहायता बम्बई मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स और देना बैंक से भी प्राप्त की जा सकती है। रक्षा स्थापनाओं द्वारा सिविल बाजार से सीधी खरीद में 60 वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा खोली गई लघु उद्योग इकाइयों में बनाई जा रही कम प्रौद्योगिकी की मदों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है, बशर्ते कि वे गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर हों।

भूतपूर्व सैनिकों की लघु औद्योगिक इकाइयां रक्षा विभागों और कैन्टीन स्टोर विभागों की कैन्टीनों को सप्लाई की गई मदों के मूल्य पर 10% मूल्य राजसहायता पाने की भी पात्र हैं जोकि पहला दावा प्रस्तुत करने की तारीख से लगातार 5 वर्ष के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 50,000 रु० होगी।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सेमफैक्स योजनाओं के अन्तर्गत सहायता

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सेमफैक्स-I	सेमफैक्स-II	सेमफैक्स-III
		(लाभ पाने वालों की संख्या)		
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
2.	असम	37	—	—
3.	आंध्र प्रदेश	151	22	1
4.	बिहार	718	62	—
5.	दिल्ली	378	22	—
6.	गोवा	7	7	—
7.	गुजरात	58	9	—
8.	हरियाणा	252	70	—

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	160	34	1
10.	जम्मू व कश्मीर	572	21	—
11.	कर्नाटक	380	16	—
12.	केरल	557	54	—
13.	मध्य प्रदेश	149	24	—
14.	महाराष्ट्र	265	27	—
15.	मणिपुर	2	3	—
16.	नागालैण्ड	—	—	—
17.	मेघालय	—	—	—
18.	उड़ीसा	33	12	—
19.	पांडिचेरी	4	2	—
20.	पंजाब	534	343	—
21.	राजस्थान	614	111	—
22.	सिक्किम	8	—	—
23.	त्रिपुरा	77	—	—
24.	तमिलनाडु	725	230	—
25.	उत्तर प्रदेश	739	444	—
26.	पश्चिम बंगाल	185	64	—
27.	मिजोरम	76	7	—
28.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
29.	चण्डीगढ़	—	—	—

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

3536. **श्री धर्मण्णा मोडम्या सादुल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से वहां रह रहे भारतीयों के लिए अपना कारोबार शुरू करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस मामले में कितनी प्रगति की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। प्रवासी भारतीयों की बीमा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, ने बहरीन में जीवन बीमा निगम (अन्तर्राष्ट्रीय) (एल० आई० सी०) (इंटरनेशनल) ई०सी० बहरीन नामक संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी की स्थापना की थी, जो यूनाइटिड अरब अमीरात (यू०ए०ई०) में जीवन बीमा कारोबार का विपणन करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु, प्रयत्न करती रही है। एल०आई०सी० (इंटरनेशनल) ई० सी० बहरीन इस मामले में यू०ए०ई० सरकार के साथ सशक्त रूप से सम्पर्क बनाए हुए है। इस प्रयोजन के लिए राजदूत एवं सरकारी स्तरों पर विचार-विमर्श भी किए गए हैं। यह आशा है कि यू० ए० ई० सरकार पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए यू०ए०ई० की अपेक्षाओं को पूरा करने पर एल० आई० सी० (इंटरनेशनल) ई० सी०, बहरीन को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दे सकती है। इस समय, एल०आई०सी० (इंटरनेशनल) ई०सी०, बहरीन इन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगी हुई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पुलों/फ्लाई ओवरों का निर्माण

3537. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

श्री रामनगर :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में और वहां की विभिन्न नदियों पर ऊपरि-पुलों के निर्माण हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस वित्तीय सहायता से निर्मित अथवा निर्माणाधीन ऊपरि-पुलों/नदी पुलों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे कितने पुलों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) ये पुल किन-किन स्थानों पर बनाए जाएंगे और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप से केन्द्रीय सरकार मूलत: राष्ट्रीय राजमार्गों तथा उन पर बने पुलों/ओवर ब्रिजों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है जिसके लिए पूरा खर्च केन्द्र सरकार की निधियों में से वहन किया जाता है और इसमें वित्तीय सहायता का कोई अंश नहीं होता। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुल-निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी नई पुल योजना को मंजूर किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलाहाबाद-फैजाबाद सड़क का निर्माण

3538. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद से फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) तक की सड़क के विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता में से कितना धन दिया गया;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है; और

(ग) निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : भारत सरकार का संबंध मूलतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव से है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों की जिम्मेदारी अनिवार्यतः राज्य सरकार की है। चूंकि इलाहाबाद-फैजाबाद सड़क एक राज्यीय सड़क है, अतः इसका संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना निम्नलिखित है :—

(क) 3 पैकेजों में विभाजित कार्य के लिए संस्वीकृत राशि 53.6 करोड़ रु० है।

(ख) जनवरी, 1993 तक कुल 6.75 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। एक पैकेज के संबंध में, 8% तक कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि शेष दो पैकेजों पर कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(ग) एक पैकेज पर निर्माण कार्य जुलाई, 1991 में शुरू हुआ और इसके पूरा होने की लक्षित तारीख अप्रैल, 1995 है। शेष दो पैकेजों के पूरा होने की लक्षित तारीख ठेके दिए जाने के बाद ज्ञात होगी।

[अनुवाद]

आयोडीन युक्त नमक का निर्यात

3539. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** :

डा० ए० के० पटेल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिस्कृत आयोडीन युक्त (भारतीय) नमक की बहुत मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके निर्यात की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयोडीनयुक्त नमक (मानव उपयोग में काम आने वाले) के निर्यात को निर्यात की निषेधात्मक सूची से हटा दिया गया है और इस प्रकार अब आयोडीनयुक्त नमक सहित नमक के निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है।

[हिन्दी]

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनियों के संयुक्त उद्यम

3540. **श्री बलराज पासी :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियां अमेरिकी कम्पनियों के सहयोग से अमरीका में संयुक्त उद्योगों की स्थापना का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा किन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) जी, हां।

(क) भारतीय कम्पनियों के नाम और इस समय विचाराधीन प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

नाम	क्षेत्र
1. मैसर्स सॉ पाइप्स लि०, नई दिल्ली	ए०आर०सी० वेल्डेड पाइपों का विनिर्माण।
2. मैसर्स सिफा इंडिया (प्रा०) लि० बम्बई	हार्डवेयर तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर का विपणन तथा विकास।
3. मैसर्स मोदी थ्रेड्स लि०, मोदीनगर	सूती यार्न, क्रोचीट यार्न, निटिंग यार्न का विनिर्माण तथा विपणन।

बिहार की चीनी मिलों को ऋण

3441. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार की चीनी की मिलों को ऋण देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या नीति है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरी बिहार में चीनी की प्रत्येक मिल को राष्ट्रीयकृत बैंक-वार दी गई ऋण राशि कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति के अनुसार इन ऋणों का वितरण किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन ऋणों की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर ऋणों को नियंत्रित करने वाली नीति, चीनी

मिलों सहित परियोजनाओं की अर्थक्षमता के अनुसार तैयार की जाती है। सहायता का मानदण्ड मुख्यत: वित्तीय वाणिज्यिक, तकनीकी, प्रबन्धकीय और आर्थिक दृष्टि से परियोजना की अर्थक्षमता है। हालांकि, संरचना की पर्याप्तता, कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन आदि की दृष्टि से परियोजना के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु परियोजना की अवस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, यह परियोजना को सहायता प्रदान करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी मार्ग-निर्देशों केअनुसार पूरा किया जाता है। इन मार्गनिर्देशों में कई पहलू शामिल हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, नकद बजट प्राप्त करना, चालू आस्तियों के विभिन्न संघटकों के लिए उप सीमा का निर्धारण, गन्ना उत्पादकों को देय राशियों के भुगतान की निगरानी आदि शामिल हैं। चूंकि, "चीनी" भारतीय रिजर्व बैंक के चयनात्मक ऋण नियंत्रण निदेशों के अन्तर्गत कवर होती है, इसलिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई ऋण सीमाओं के स्तर, ब्याज की दर और मार्जिन अपेक्षाओं का अनुपालन करना पड़ता है।

(ख), (ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली संविधियों/कानूनों के अनुसार उनके ग्राहकों से संबंधित सूचना और उनके ग्राहकों के कार्यों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जाती है। बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी परियोजनाओं की अर्थक्षमता से निर्देशित, परियोजनाओं को ऋण मंजूर करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी एक समान नीति का अनुसरण करता है। यद्यपि, परियोजना की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना की अवस्थिति को ध्यान में रखा जाता है, फिर भी यह परियोजना को सहायता प्रदान करने में आड़े नहीं आयेगा। पिछले तीन वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बिहार में मंजूर और संवितरित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(रुपए लाख में)

वर्ष	मंजूरी	संवितरण
1989-90	292.00	34.00
1990-91	—	73.00
1991-92	261.00	228.00

(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं अलग-अलग इकाइयों की वसूली संबंधी स्थिति को गहनता से मानीटर करती हैं और जहां कहीं चूक पाई जाती है तो ऋणों को वसूल करने के उपाय किए जाते हैं। वास्तविक कठिनाइयों की स्थिति में पुनर्अदायगियों को पुनर्निर्धारित किया जाता है और रुग्ण मामले बी० आई० एफ० आर० को भेजे जाते हैं और अर्थक्षमता पर निर्भर करते हुए उन्हें राहत पैकेज प्रदान किए जाते हैं। बकाया राशियों की वसूली करने के लिए एक अन्तिम उपाय के रूप में ही कानूनी कार्र-वाई प्रारम्भ की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अतिदेय राशियों को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए अपने अग्रिमों के संबंध में अपने वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन

में सुधार लाने के लिए विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश निम्नलिखित हैं :—

1. बैंकों की एक ओर अर्थव्यवस्थता के जरूरतमंद और उत्पादात्मक क्षेत्रों को बैंकों के दुर्लभ संसाधनों को निरन्तर उपयोग में मदद करने के विचार से एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली प्रारम्भ करने तथा दूसरी ओर ऋणदाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता के सुधार करने पर बल दिया गया है।

2. बैंकों के मुख्य कार्यापालकों को बड़े-बड़े अग्रिमों की मानीटरिंग करने के लिए अपना व्यक्तिगत ध्यान देने को कहा गया है।

3. अलग-अलग अग्रिमों की, उनकी कारगरता, मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए स्थिति दर्शाते हुए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना।

[अनुवाद]

इलायची की तस्करी

3542. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**

श्री के० वी० थामस :

श्री चाइल जॉन अंजलोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्वाटेमाला से सस्ते और घटिया किस्म की इलायची नेपाल तथा अन्य देशों द्वारा भारत में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इलायची की इस तस्करी को रोकने/बंद करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से ग्वाटेमाला मूल की सस्ती और घटिया किस्स की इलायची की भारत में तस्करी किए जाने का पता नहीं चलता है। भारत-नेपाल सैक्टर के भू-सीमावर्ती क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गयी इलायची की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है। तथापि, यह बात सिद्ध नहीं हो पाई है कि पकड़ी गयी इलायची ग्वाटेमाला मूल की है।

वर्ष	इलायची (मात्रा किलोग्राम में)	(मूल्य लाख रुपयों में)
1990	4,273	14.11
1991	4,564	17.18
1992	12,639	38.25

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां इलायची की तस्करी के प्रति सतर्क रहती हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

कास्टिक सोडा/फ्लेक और लाई का निर्यात और आयात

3543. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कास्टिक सोडा, फ्लेक/सौलिड/लाई का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया तथा इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कास्टिक सोडा/फ्लेक/सौलिड/लाई का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(घ) क्या इसके उच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का कास्टिक सोडा के निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) निर्यात तथा आयात नीति 1992-97 के अनुसार कास्टिक सोडा, फ्लैक्स/सोलाइड्स/लाई के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की अवधि, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान मात्रा तथा मूल्यवार दोनों रूपों में इस मद के आयात तथा निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) एकीकृत बाजार विनिमय दर के लागू होने से, निर्यातक अब अपनी समस्त निर्यात आय को बाजार दर पर भारतीय रुपये में बदल सकते हैं। इससे पहले, यह सुविधा निर्यात आय के केवल 60% तक प्रतिबंधित थी।

विवरण

आयात

मात्रा मी० टन में
मूल्य लाख रुपये में

क्रम सं०	मद का विवरण	1990-91		1991-92	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा)				
1.	फ्लैक्स	1187	89.49	20808	528.39
2.	फ्लैक्स से भिन्न	14892	561.81	6	0.46
3.	एक्वैकोस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड	50367	1620.09	32667	1366.58

निर्यात

मात्रा मी० टन में
मूल्य लाख रु० में

क्रम सं०	मदों का विवरण	1990-91		1991-92	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	सोडियम हाइड्राक्साइड (कास्टिक सोडा)				
1.	फ्लैक्स	14698	1231.74	19297	2081.90
2.	फ्लैक्स से भिन्न	5671	171.58	2781	278.93
3.	एक्वैकोस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड	4587	152.46	463	26.00

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण प्रदान करना

3544. **श्रीमती बिभु कुमारी देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान करने की कोई विशेष योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992 में राज्य-वार कितने ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अ० जा० और अ० ज० जा० के व्यक्तियों को ऋण देने संबंधी अनुदेशों सहित भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन करें। अ० जा०/अ० ज० जा० हिताधिकारियों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अ० जा०/अ० ज० जा० को दिये जाने वाले अग्रिमों सहित उनके कुल अग्रिमों का 10% कमजोर वर्गों के लिए होना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि अ० जा०/अ० ज० जा० हिताधिकारियों के लिए बैंकिंग योग्य उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। तदनुसार, पहचान किए गए हिताधिकारियों द्वारा अपने आर्थिक उन्नयन के लिए तैयार की गयी अर्थक्षम योजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों को सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए।

मार्च, 1990 और मार्च, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अ० जा०/अ० ज० जा० को दिए गए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि निम्नानुसार है :—

खातों की संख्या लाख में
राशि करोड़ रुपये में

के अंत के अनुसार	प्राथमिकता क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अ०जा०/अ०ज०जा०	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
मार्च, 1990	36764	41497	25901	10110	9037	3146
मार्च, 1991	35826	44573	25342	10588	9018	3374

रबड़ के बाग लगाना

3545. **श्री उद्धव वर्मन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ का उत्पादन करने वाले राज्यों, विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राज्य-वार कितने क्षेत्र में रबड़ के बाग लगाये गये हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक रबड़ की खेती के लिए राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी वितरित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

भारत में वर्ष 1991-92 के दौरान रबड़ के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र

(i) **परम्परागत क्षेत्र**

(क) रबड़ के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (हैक्टे० में)	4,14,200
(ख) वर्ष 1992-93 (फरवरी) के दौरान अनुमोदित तथा वितरित निधि	रु० 691.34 लाख
(ग) लाभग्राहियों की संख्या	1,45,231

(ii) **उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर गैर परम्परागत क्षेत्र**

(क) रबड़ के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (हैक्टे० में)	16,678
(ख) वर्ष 1992-93 (फरवरी) के दौरान अनुमोदित तथा वितरित निधि	रु० 25.20 लाख

	(ग) लाभग्राहियों की संख्या	2,396
(iii)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
	1. त्रिपुरा	17,900
	2. असम	9,700
	3. मेघालय	4,100
	4. मिजोरम	1,100
	5. नागालैंड	1,440
	6. मणिपुर	1,215
	7. अरुणाचल प्रदेश	50
	कुल :	35,505

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुमोदित और वितरित निधियों का ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य	अनुमोदित तथा वितरित निधियां (लाख रु० में)		
		1990-91	1991-92	1992-93 (फरवरी, 1993 तक)
1.	त्रिपुरा	67.00	100.00	51.00
2.	मेघालय	4.00	5.00	3.00
3.	असम	32.00	29.00	25.00
4.	मणिपुर	1.00	1.00	0.75
5.	मिजोरम	1.00	1.00	0.50
6.	नागालैंड	4.00	3.00	2.00
7.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.35	0.25
	कुल :	109.50	139.35	82.50

(ग) उत्तर पूर्वी राज्यों में लाभग्राहियों की राज्यवार संख्या को दर्शाते हुए विवरण पत्र।

क्रम सं०	राज्य	लाभ ग्राहियों की संख्या		
		1990-91	1991-92	1992-93
1.	त्रिपुरा	1025	1303	433
2.	मेघालय	270	465	122
3.	असम	774	850	503
4.	मणिपुर	20	28	21
5.	मिजोरम	25	31	19
6.	नागालैंड	121	152	126
7.	अरुणाचल प्रदेश	5	2	2
	कुल :	2240	2831	1226

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की समितियों का गठन

3546. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तरी भारत के किसी राज्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्य स्तर की बैंकर्स समिति तथा क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) किसी राज्य में बैंकरों और राज्य सरकार के बीच पर्याप्त समन्वय बनाने के विचार से राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां पहले से ही कार्य कर रही हैं। समिति की बैठक को बुलाने का उत्तरदायित्व, प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट बैंकों को उनके नेतृत्व सम्बन्धी जिम्मेदारी और उनके शाखा नेटवर्क के विस्तार के आधार पर सौंपा जाता है। राज्यों के लिए संयोजक बैंक संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों को, क्षेत्र के अन्तर्गत बैंककारी विकास की पुनरीक्षा करने, केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ ऐसी सिफारिशें करने के लिए जिन्हें उपयुक्त समझा गया हो, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना के अनुसार गठित किया जाता है। क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों की बैठकें पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, मध्य-उत्तरी और दक्षिणी

क्षेत्रों में समय-समय पर आयोजित की जाती है और वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित वित्त मंत्रालय में किसी मंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है। उक्त को ध्यान में रखते हुए बताये गए सुझावों पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजन

क्षेत्र/राज्य का नाम	संयोजक बैंक का नाम
1	2
I. **उत्तरी**	
1. हिमाचल प्रदेश	यूको बैंक
2. जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि०
3. पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक
4. हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक
5. राजस्थान	बैंक आफ बड़ौदा
II. **उत्तर पूर्वी**	
6. असम	स्टेट बैंक आफ इंडिया
7. मणिपुर	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
8. मेघालय	स्टेट बैंक आफ इंडिया
9. नागालैंड	स्टेट बैंक आफ इंडिया
10. त्रिपुरा	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
11. अरुणाचल प्रदेश	स्टेट बैंक आफ इंडिया
12. मिजोरम	स्टेट बैंक आफ इंडिया
13. सिक्किम	स्टेट बैंक आफ इंडिया
III. **पूर्वी**	
14. बिहार	बैंक आफ इंडिया
15. उड़ीसा	यूको बैंक
16. पश्चिम बंगाल	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
IV. **मध्य**	
17. मध्य प्रदेश	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
18. उत्तर प्रदेश	स्टेट बैंक आफ इंडिया

1	2
V. पश्चिमी	
19. गुजरात	देना बैंक
20. महाराष्ट्र	बैंक आफ महाराष्ट्र
21. गोवा	स्टेट बैंक आफ इंडिया
VI. दक्षिण	
22. आंध्र प्रदेश	आंध्र बैंक
23. कर्नाटक	सिंडिकेट बैंक
24. केरल	केनरा बैंक
25. तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज बैंक
संघ शासित क्षेत्र	
(क) दमन एवं दीव	स्टेट बैंक आफ इंडिया
(ख) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	स्टेट बैंक आफ इंडिया
(ग) दिल्ली	स्टेट बैंक आफ इंडिया
(घ) दादरा एवं नगर हवेली	देना बैंक
(ङ) लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक
(च) पांडिचेरी	इंडियन बैंक
(छ) चंडीगढ़ (ग्रामीण)	पंजाब नेशनल बैंक

नोट—संघ शासित क्षेत्रों (दमन और दीव को छोड़कर) के मामले में जिला परामर्शदात्री समिति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के रूप में और अग्रणी बैंक संयोजक के रूप में कार्य करेगा ।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक

3547. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बीड़ी श्रमिकों की रहन-सहन की स्थिति का अध्ययन किया है;

(ख) क्या बीड़ी श्रमिकों को सांविधिक न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहा है;

(ग) क्या बीड़ी और सिगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 और अन्य सम्बन्धित श्रम नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने विभिन्नि क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की बीड़ियों के लिए मजदूरी दरें निर्धारित की हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं जो अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों की जानकारी मिलने पर कार्रवाई करती हैं।

(ग) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 को छोड़कर अन्य संबंधित श्रम कानूनों के उपबंधों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 के लिए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। जब कभी इन अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कोई मामले उनकी जानकारी में लाए जाते हैं, कार्यान्वयन प्राधिकरण समुचित कार्रवाई करते हैं।

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकारों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा देख-रेख आवास, शिक्षा, मनोरंजन सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनाई गई हैं। उन बीड़ी कर्मकारों के लिए, जिनके पास पहचान पत्र हैं और जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, 1 अप्रैल, 1992 से एक सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की गई है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3548. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा किन-किन देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 के दौरान मुख्यतः जापान, यू० एस० ए०, यूरोपीय देशों, सिंगापुर और हांगकांग को 1353 करोड़ रुपये मूल्य के 156110 एम० टी० समुद्री उत्पाद (अनन्तिम) का निर्यात किया गया।

(ग) समुद्री-उत्पाद से निर्यात आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य नीति अपनाई जा रही है :—

(i) मछली पकड़ने का विकास करके निर्यात उत्पादन बढ़ाना;

(ii) मत्स्य-पालन द्वारा उत्पादन बढ़ाना;

(क) श्रिम्प-फार्मों से प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाकर ;

(ख) झींगा-पालन के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाकर; और

(ग) अन्य निर्यात योग्य मदों के उत्पादन को बढ़ावा देकर।

(iii) नई तकनीक और मूल्य-वर्धन की शुरूआत करना;

(iv) प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी उन्नयन और अपशिष्ट में कमी; तथा

(v) बेहतर बाजार-संवर्धन उपाय ।

कपूर का आयात

3549. **डा० आर० मल्लू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कपूर का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछली तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित कपूर की मात्रा और मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा 1992-93 में अप्रैल-नवम्बर, 92 में कपूर के आयात की मात्रा तथा मूल्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (मिट्रिक टन)	मूल्य (लाख रु० में)
1989-90 (अन०)	62.50	1.00
1990-91	475.00	10.00
1991-92	639.00	16.00
1992-93 (अप्रैल-नवम्बर)	976.31	39.00

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में पकड़ा गया तस्करी का सामान

3550 **श्री ललित उरांव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में जब्त किए गए तस्करी बिजली सामान का वर्ष-वार ब्यौरा और मूल्य क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है; और

(ग) इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बिहार राज्य में वर्ष 1991 और 1992 के विगत दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों के अन्तर्गत पकड़ी गयी आपात लाइटों, रिचार्जेबल टार्च, वी० सी० आर०, वी० सी० पी० तथा कम्प्यूटर-पार्टस जैसी इलेक्ट्रिकल वस्तुओं का मूल्य और इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता
1991	8.64	1 (भारतीय)
1992	8.52	9 (भारतीय)

(ग) तस्करी रोधी एजेंसियां इलेक्ट्रिक सामान सहित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहती हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

कृषि तथा ग्रामीण ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को भुगतान

3551. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" को कृषि तथा ग्रामीण ऋण सहायता योजना 1990 को क्रियान्वित करने हेतु सहकारी ऋण के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को कुछ राशि का भुगतान अभी भी करना है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार को इस राशि का भुगतान करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) "नाबार्ड" द्वारा महाराष्ट्र सरकार को यह राशि कब तक दे दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सहकारी समितियों को नाबार्ड द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत जारी ऋणों की स्थिति निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

	नाबार्ड को प्रस्तुत दावे की राशि	नाबार्ड द्वारा जारी राशि		
		ऋण	अनुदान	योग
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक	378.89	159.92	47.43	207.35
महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक	111.38	159.43	47.43	207.35
जोड़ :	490.27	319.84	94.86	414.70

नाबार्ड ने बैंकों से कहा है कि वे उनके द्वारा दिये जाने वाली राहत का शत-प्रतिशत सत्यापन करें और अपात्र हिताधिकारियों से संबंधी अंश को छोड़कर संशोधित दावे प्रस्तुत करें। बैंक से अंतिम दावा विवरण प्राप्त होने पर आगे धन जारी करने पर विचार किया जाएगा। बताया गया है कि महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों से संशोधित दावों के विवरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रमंडल के स्वतन्त्र राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

3552. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कृतिक बल ने राष्ट्रमंडल के स्वतन्त्र राज्यों में संयुक्त जोखिम बैंकों को स्थापित करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक, यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से नामित अधिकारियों के एक सर्वेक्षण दल ने रूस तथा यूक्रेन मे एक संयुक्त उद्यम बैंक के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जनवरी, 1993 में एक सम्भाव्यता अध्ययन किया था। रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

शिल्पकारों को सुविधाएं

3553. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों के लिए कोई ग्रुप बीमा योजना, निःशुल्क इलाज और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वर्ण आयात योजना

3554. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनः पूर्ति लाइसेंस में निर्यातोत्तर आधार पर और स्वर्ण निर्यात लाइसेंस के अन्तर्गत अग्रिम में स्वर्ण के सीधे आयात की दो योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनाएं नई स्वर्ण आयात नीति की घोषणा के बाद भी लागू है;

(ग) ये योजनाएं सोने के मूल्य में कमी लाने में किस हद तक सहायक रही हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) ये योजनाएं निर्यातों से जुड़ी हैं और इनका घरेलू कीमतों से कोई संबंध नहीं है।

(घ) सोने के आयात के संबंध में योजनावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित निर्यातक इकाइयों द्वारा 18 से अधिक कैरेट के सोने के सीधे आयात के लिए दो योजनाएं हैं। उनकी मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

I. प्रतिपूर्ति के तहत डी० टी० ए० में स्थित इकाइयों द्वारा सीधे ही 18 से अधिक कैरेट के सोने के आयात के लिए योजना

इस योजना के तहत निर्यात पश्चात् आधार पर अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस का मूल्य सादे स्वर्ण-आभूषणों एवं जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों के निर्यात पर निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य की क्रमश: 87% और 80% की दर से निर्धारित किया जाता है। लाइसेंस निम्नलिखित के आयात के लिए वैध हैं :—

(i) 0.995 शुद्धता का सोना;

(ii) लाइसेंस के मूल्य की 10% तक 0.920 शुद्धता तक को स्वर्ण फाइंडिंग/माउंटिंग/ रांगा; तथा

(iii) अवशिष्ट मूल्य के लिए अपरिष्कृत हीरे, अपरिष्कृत रंगीन रत्न एवं असली अथवा कल्चर्ड बिना छेदवाले/बिना जड़े मोती।

II. स्वर्ण इम्प्रेस लाइसेंस के तहत डी० टी० ए० स्थित इकाइयों द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात-पूर्व-आधार पर 18 कैरिट से अधिक के सोने के आयात के लिए योजना

इस योजना के तहत निर्यात पूर्व आधार पर अहस्तान्तरणीय स्वर्ण इम्प्रैस लाइसेंस ऐसे निर्यातक को जारी किया जाता है जिसका सादे तथा जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण का निर्यात निष्पादन औसतन 3 करोड़ रु० तथा उससे अधिक का होता है। लाइसेंस का मूल्य पिछले तीन लाइसेंस वर्षों के दौरान निर्यातक के सर्वोत्तम वर्ष के निर्यात निष्पादन और उस पर 25% जोड़ने के बराबर होता है। यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होता है :—

(i) सादे स्वर्ण आभूषण एवं जड़ाऊ स्वर्ण आभूषण के निर्यात के लिए जारी स्वर्ण इम्प्रैस लाइसेंस में क्रमश: 87% और 86% के विपरीत अनुपात में निर्यात दायित्व होता है;

(ii) निर्यात दायित्व को सोने की प्रत्येक खेप की निकासी की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरा करना पड़ता है; और

(iii) लाइसेंस मूल्य के रूप में होता है और 0.995 शुद्धता के सोने के आयात के लिए देय होता है।

इन दोनों योजनाओं के ब्यौरे निर्यात संवर्धन आयात नीति 1992-97 के अध्याय VIII में दिए गए हैं, जिसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

सोने और हीरोइन की तस्करी

3555. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों म्यांमार और बंगलादेश से देश के उत्तर-पूर्व भाग में सोने और हेरोइन की तस्करी बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से हेरोइन की तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि पड़ौसी देशो म्यॉमार और बांग्लादेश से देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सोने और हेरोइन की तस्करी में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। म्यॉमार और बांग्लादेश के साथ लगी उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमाओं पर विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अभिगृहीत सोने और हेरोइन की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि बांग्लादेश और म्यॉमार से सोने की तस्करी लगभग नगण्य है। तथापि आंकड़ों से बांग्लादेश से सोने की तस्करी में और म्यॉमार से हेरोइन की तस्करी में वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमा

वर्ष	म्यॉमार के साथ		बांग्लादेश के साथ	
	अभिगृहीत सोना (मात्रा कि०ग्रा० में)	अभिगृहीत हेरोइन (मात्रा कि०ग्रा० में)	अभिगृहीत सोना (मात्रा कि०ग्रा० में)	अभिगृहीत हेरोइन (मात्रा कि०ग्रा० में)
1990-91	—	3.025	5.64	—
1991-92	—	6·234	9.74	—
1992-93 (फरवरी, 93 तक)	—	6.370	19.89	—

(ख) तस्करी-रोधी एजेन्सियां सोने और हेरोइन की तस्करी सहित सभी तरह के निषिद्ध माल की तस्करी के प्रति सतर्क हैं। इम्फाल में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एक क्षेत्रीय यूनिट हाल ही में खोला गया है। नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों तथा पुलिस संगठनों में नारकोटिक्स सैलों का सृजन किया गया है। तस्करी

और नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार का पता लगाने तथा रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

श्रमिक कल्याण निधियां

3556. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रही विभिन्न श्रमिक कल्याण निधियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक निधि में अप्रैल 1992 और जनवरी, 1993 को कितनी राशि शेष थी;

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान प्रत्येक निधि के लिए कुल कितनी धन-राशि और दी गई तथा उनमें से कितना व्यय किया गया;

(ग) प्रत्येक निधि से संभावित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान निधि-वार लाभार्थियों की वास्तविक संख्या क्या थी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) इस समय चल रही विभिन्न श्रम कल्याण निधियों के नाम तथा प्रत्येक निधि में 1-4-92 और 1-1-93 के अनुसार शेष राशि, अप्रैल से दिसम्बर, 92 के दौरान इन निधियों में जोड़ी गई राशि तथा निधि-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(रुपये हजारों में)

क्रम सं०	श्रम कल्याण निधियों का नाम	1-4-92 को शेष	1992-93 के लिए प्राप्तियां (1-4-92 से 31-12-92 तक)	1992-93 के लिए व्यय (1-4-92 से 31-12-92 तक)	1-1-93 को शेष (अनंतिम)
1.	बीड़ी श्रमिक श्रम कल्याण निधि	32,16,94	9,30,40	7,19,18	34,28,16
2.	चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि	11,19,10	3,16,03	1,18,80	13,16,33
3.	लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि	5,98,60	2,46,21	1,92,45	6,52,36
4.	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि	86,14	76,97 (जून, 92 तक)	1,34,19	उपलब्ध नहीं "एक्स"
5.	सिने कर्मकार कल्याण निधि	50,13	6,28	1,34,19	56.40

"एक्स" : सांख्यिकी तथा अधिसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय से संगत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

केरल को राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायता

3558. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने केरल में मकानों की मरम्मत और उनके निर्माण हेतु वाणिज्यिक बैंकों, आवासीय वित्त संस्थानों और राज्य स्तर की शीर्ष आवासीय वित्त सोसाइटियों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान इसने संस्थान-वार कितनी राशि प्रदान की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों द्वारा संवितरित किये गए पात्र ऋणों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक (एन० एच० बी०) उन्हें पुनर्वित्त प्रदान करता है । उन पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं को ऐसे एककों के लिए प्रत्यक्ष आवास ऋण के 100 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है जिनका निर्मित क्षेत्र 40 वर्ग मीटर से अनधिक है या लागत (जमीन की लागत सहित) 2 लाख रुपए तक है । मरम्मत तथा उन्नयन संबंधी 30,000 रुपये तक के ऋणों पर भी 100% तक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है । कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अपने पात्र आवास ऋणों के सम्बन्ध में जाति विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान सहित, फरवरी, 1993 के अन्त तक इन पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत संचयी संवितरण 1514.80 करोड़ रुपये के थे । इसमें से 46.36 करोड़ रुपये उन्नयन के लिए हैं । राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है । तथापि पात्र आवास ऋण के सम्बन्ध में उपर्युक्त कुल राशि में केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि० द्वारा जारी एस० आर० एच० डी० के लिए अभिदत्त 60.17 करोड़ रु० और केरल राज्य सहकारी बैंक लि० के लिए 24.26 करोड़ रुपये की राशि भी इसमें शामिल है ।

[हिन्दी]

चाय का निर्यात

3558. **श्री राम देव राम** :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान राज्यवार चाय का कुल उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) देशवार 1992-93 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल "92 से जनवरी "93 के दौरान चाय का

राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	राज्य	अनुमानित उत्पाद (एम० किग्रा० में)
1.	असम	381.93
2.	पश्चिम बंगाल	144.30
3.	अन्य उत्तर-भारत	7.17
4.	तमिलनाडु	87.19
5.	केरल	48.58
6.	कर्नाटक	3.50
	समस्त भारत	672.67

(ख) अप्रैल 1992 से जनवरी 1993 के दौरान 822.36 करोड़ रु० मूल्य के 150.52 मिलियन किग्रा० चाय का निर्यात होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 1992-93 के लिए 1200 करोड़ रु० मूल्य के 210 मिलियन किग्रा० का लक्ष्य है। देशवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं।

[अनुवाद]

अभ्रक का उत्पादन और निर्यात

3559. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितनी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन हुआ और वर्ष 1993-94 के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत अभ्रक का निर्यात किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अभ्रक उत्पादन के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों की मात्रा और मूल्य नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

मात्रा (एम० टी० में)
मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1989-90	42239	51.23
1990-91	42595	51.28
1991-92 (अन०)	34188	55.51

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन निदेशालय, कलकत्ता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

3560. डा० परशुराम गंगवार :

श्री गुरूदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शर्तों का ब्यौरा क्या है, जिनके आधार पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुलाई, 1991 से ऋण प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने किन-किन शर्तों को स्वीकार नहीं किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारत ने 31-10-1991 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 1656० लाख एस० डी० आर० राशि के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तय की थी, जिसकी शर्तें वित्त मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक को 27 अगस्त, 1991 और 2 जून, 1992 को भेजे गए आशय पत्रों में निहित हैं, जिसकी प्रतिलिपियां सभा पटल पर पहले ही रख दी गई हैं ।

विश्व बैंक के ऋण विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु लिए जाते हैं जिनकी शर्तें प्रत्येक परियोजना और कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग होती हैं ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली वित्तीय सहायता पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आधारित होती है जिन्हें आपसी विचार-विमर्श के बाद तय किया जाता है । ऐसी कोई भी शर्त, जो राष्ट्रीय हित में हानिकारक हो, सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है ।

सीमेंट उद्योग के लिये त्रिपक्षीय समझौता

3561. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग के लिए पिछले त्रिपक्षीय समझौते पर 1992 में हस्ताक्षर किये गए थे;

(ख) क्या इस समझौते को सभी सीमेंट उद्योगों में विशेष रूप से राजस्थान में प्रभावी बनाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां । 31-7-1992 को सीमेन्ट उद्योग के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के पदाधिकारियों और सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के बीच मुख्य श्रमायुक्त (के०) की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) यह समझौता उड़ीसा सीमेन्ट लि० को छोड़कर सीमेन्ट उद्योग के सभी प्रतिष्ठानों प लागू है, क्योंकि उड़ीसा सीमेन्ट उद्योग ने न्यायालय के आदेश प्राप्त कर लिए हैं कि यदि समझौत होता है तो वह उड़ीसा सीमेन्ट लि० पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि न्यायालय में माम का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। मैसर्स बजाज सीमेंट उद्योग, उदयपुर (राजस्थान) उक्त समझौते को लागू नहीं किया है और 14-9-1992 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एक रिट याचिका दायर कर दी है। इसी प्रकार उड़ीसा और गुजरात के कुछ अन्य सीमेंट प्रतिष्ठान ने भी उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं।

(ग) चूंकि मामला न्यायाधीन है अतः जब तक संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक समझौते को लागू न करने के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजे गये मामले

3562. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है जिनके मामले अब तक औद्योगिक तथा वित्त पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजे गए हैं;

(ख) अब तक इस तरह के कितने मामलों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक मामले में लिए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अब्दु अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 28-2- की स्थिति के अनुसार, उनके पास वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 237 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संदर्भ थे। इनमें से 149 संदर्भों का निपटान अन्तिम रूप से कर दिया गया है। निपटाए गए मामलों ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) चलाए जाने योग्य न होने के कारण बोर्ड द्वारा खारिज संदर्भ	40
(2) मंजूर पुनरुद्धार योजनाएं	50
(3) कम्पनी की अनुमोदित पुनरुद्धार योजनाएं	15
(4) समापन हेतु उच्च न्यायालय को संदर्भित मामले	41
(5) अन्य (एक मामले में बिक्री के आदेश और उच्च न्यायालय से 2 संदर्भों का निपटान)	3
	149

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में हड़ताल

3563. डा० परशुराम गंगवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलों में कार्यरत श्रमिक हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

लौह अयस्क के खनन हेतु जापान द्वारा दी गई रायल्टी

3564. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान द्वारा बेलाडिला लौह अयस्क खानों से निकलने वाले लौह अयस्क के लिए जापान द्वारा रायल्टी किस दर से दी जा रही है;

(ख) यह समझौता कब समाप्त हो रहा है;

(ग) जापान इन खानों से प्रत्येक वर्ष भारत से लौह अयस्क की कितनी मात्रा खरीदता है;

(घ) जापान द्वारा वर्ष 1991 के दौरान भारत से लौह अयस्क की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई थी;

(ङ) क्या रायल्टी की दर समझौते के समय से अभी तक एक ही रही है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत दर की तुलना में वर्तमान संशोधित दर का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) बेलाडीला लौह-अयस्क खानों से लौह-अयस्क के लिए रायल्टी के भुगतान हेतु जापान के साथ कोई संविदा नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान द्वारा बेलाडीला खानों से खरीदे लौह अयस्क की मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष		मात्रा (मिलियन टन में)
1990-91	—	4.83
1991-92	—	4.57
1992-93 (अप्रैल-फरवरी, 93)	—	3.58

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान जापान ने भारत से कुल 18.29 मिलियन टन लौह-अयस्क की खरीद की।

(ङ) से (छ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

क्रेडिट कार्ड सुविधा

3565. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकों के अनेक ग्राहक भारतीय बैंकों की अपेक्षा विदेशी बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेना पसन्द करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) भारतीय बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही क्रेडिट कार्ड सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध आंकड़ों से यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि ग्राहक भारतीय बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों की अपेक्षा विदेशी बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड अधिक पसन्द करते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंकों ने कहा है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करने, लेखा और देयराशियों की वसूली संबंधी अपनी प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार करें।

कालीकट बाईपास सड़क

3566. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट बाईपास सड़क के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस सड़क के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) कालीकट बाईपास का कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है। चरण-1 में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। शेष 3 चरणों में, फरवरी, 1990 और मार्च, 1991 में संस्वीकृत भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इस बात पर विचार करते हुए कि भूमि अधिग्रहण एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, कार्य की गति बहुत धीमी नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में अ०जा०/अ०ज०जा० को ऋण

3567. **श्री लाल बाबू राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पिछले दो वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ज०जा०/अ०ज०जा० के लोगों को ऋण देने में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली हिदायतों का पालन करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण देने से संबंधित अनुदेश भी शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को, अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने का आदेश दिया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किये जायें। तदनुसार वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा रूपासार किए गए कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाये गये लाभार्थी अपने आर्थिक उन्नयन के लिए तैयार की गई अर्थक्षम योजनाओं को शुरू कर सकें। उपर्युक्त के अलावा, बैंक समाज के स्पोंसर वर्गों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने के तौर पर उनकी मदद करने लिए स्वयं भी योजनाएं तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर कोई कमी ध्यान में आती है तोउ से दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

बिहार में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सभी वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रकमें बढ़ रही हैं जैसा निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है:—

खातों की संख्या लाख में
रकम करोड़ रुपये में

निम्नलिखित के अंत तक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनु० जाति/अ० ज० जा०	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
मार्च, 1990	2600	1845	2041	708	788	204
मार्च, 1991	2661	2020	2014	697	806	222

बैंकों द्वारा ऋण आवेदन सीधे ही आवेदकों अथवा किसी राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और तदनुसार मंजूर किये जाते हैं। बैंकों द्वारा, जानबूझकर लापरवाही करने वाले हिदायतों का अनुपालन न करने वाले तथा किसी कदाचार में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैंकों की सूचना प्रणाली से उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती जिनके विरुद्ध आरोपों की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है अथवा अपेक्षित है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार नीति

3568. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने प्रति व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान राज्य व्यापार नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) एसोचैम द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 1993 को कलकत्ता में निर्यात संवर्धन प्रणाली के रूप में प्रति व्यापार तथा एक्सिम नीतियों और क्रियाविधियों पर आयोजित गोल मेज सभा के संबंध में एसोचैम ने वाणिज्य मंत्रालय को विचार-विमर्श संबंधी कागजात की एक प्रति भेजी थी, जिसमें प्रति व्यापार के लिए कुछ संरणीकृत मदें निर्धारित करना, स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना, वाणिज्यिक जानकारी को सुदृढ़ बनाना, विदेश में गोदाम-सुविधाओं का सृजन; बैंकिंग प्रणाली को पुनः तैयार करना; बुनियादी संरचना संबंधी सुधार तथा संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना। परन्तु, अभी तक इस संबंध में दिए गए प्रारंभिक सुझावों का कोई अन्तिम परिणाम नहीं निकला है।

[हिन्दी]

विशाखापत्तनम पत्तन पर माल लदान में विलम्ब

3569. **श्री राजेश कुमार** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम को विशाखापत्तनम पत्तन से जापान, श्रीलंका और अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे लौह-अयस्क के लदान में अत्यधिक विलम्ब के कारण अत्यधिक विदेशी मुद्रा का घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन पर एम० एम० टी० सी० द्वारा जापान को निर्यात के लिए 7,63,463 टन लौह अयस्क का 7 जहाजों में लदान किया गया। 3 जहाजों में कोई विलम्ब नहीं हुआ, एक जहाज पर शिड्यूल से पहले लदान कर दिया गया और शेष 3 जहाजों के लदान में कुछ विलम्ब हुआ था। यह विलम्ब, जहाजों की बंचिंग और प्लांट की असफलता, आदि जैसे कारणों से हुआ। यंत्रीकृत लदान-प्रणाली के कार्यकरण में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) 8000 टी० पी० एच० शिप लोडर परे 110 मीटर के पुराने स्टील कोर्ड बेल्ट को बदलना। (2) 2000 टी० पी० एच० बकेट ह्वील रिक्लेमर पर पुराने स्ल्यू बाल नियरिंग को

बदलने के लिए स्लयू बालबियरिंग की खरीद (3) शिपिंग कन्वेयर संख्या एस० 2 पर 50 मीटर की पुरानी स्टील कोर्ड बेल्ट को बदलना (4) शिपिंग कन्वेयर संख्या 12 पर प्रलंबित इलेक्ट्रो मैगनेट को खड़ा करना (5) 4000 टी० पी० एच० वकेट ह्वील रिक्लेमर पर पुराने पुर्जों की मरम्मत करना।

[अनुवाद]

निर्यात राज-सहायता

3570. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात राज-सहायता के रूप में मद-वार कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान अपने निर्यात के लिए कोई राजसहायता नहीं दी है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम बस सेवायें

3571. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार** :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और ह्वाइट लाइन लग्जरी की श्रेणी-वार कितनी बसें चल रही हैं;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में ग्रीन लाइन बसों की अपनी सेवाओं में कटौती की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेणी-वार कितनी नई बसें शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) दिल्ली के लोगों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	बसों की संख्या (10-3-93 की स्थिति के अनुसार)
दि० प० नि० की बसें	4037 (ग्रीन लाईन की 174 बसों सहित)
दि० प० नि० के प्रचालनाधीन निजी बसें	595
एस० टी० ए० परमिट के अधीन रेड लाईन बसें	2103
एस० टी० ए० परमिट के अधीन व्हाईट बसें	92

(ख) तथा (ग) जी, हां। बन्द किए गए ग्रीन लाईन रूटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। दि० प० नि० द्वारा इन रूटों को कम यात्री मिलने के कारण बन्द किया गया था।

(घ) 3000 स्टेज कैरिज परमिट स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार पहले ही 2103 परमिट जारी कर चुकी है और शेष परमिटों को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा व्हाईट लाईन लक्जरी बसों के लिए और 100 परमिट प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने अधिक भाड़े ढांचे पर और सीमित स्टापों वाली ग्रीन लाईन बसें शुरू की है ताकि भीड़ भरी शहरी बसों में यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों के वर्ग को तीव्र और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान की जा सके।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार ने व्हाईट लाईन लक्जरी बसें चालू की हैं जो शहर की विभिन्न आवासीय कालोनियों और महत्त्वपूर्ण कार्यालयों तथा व्यवसायिक केन्द्रों को जोड़ती हैं।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार ने अकेले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सस्ती परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से प्वाइंट-टू-प्वाइंट मोटर-साईकिल टैक्सी शुरू करने का निर्णय लिया है।

विवरण

क्रम सं०	आर० टी० सं०	विवरण	सामान्य बनाया गया	बन्द किया गया
1	2	3	4	5
1.	जी० एल०-25	नई सीमा पुरी-रेलवे स्टेशन	—	11-1-93
2.	जी० एल०-86	जनकपुरी डी० ब्लाक-आजादपुर (टर्मिनल)	—	5-3-93
3.	जी० एल०-41	बदरपुर बार्डर/सरिता बिहार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दूसरा गेट	11-1-93	—
4.	जी० एल०-118	कल्याण पुरी-घंटाघर	11-1-93	—
5.	जी० एल०-264	नन्दनगरी-शिवाजी स्टेडियम	11-1-93	—
6.	जी० एल०-270	करावल नगर-केन्द्रीय टर्मि०	11-1-93	—
7.	जी० एल०-307	त्रिलोक पुरी-कमला मार्किट	11-1-93	—
8.	जी० एल०-405	बदरपुर बार्डर-रेलवे स्टेशन	11-1-93	—
9.	जी० एल०-127	हैदरपुर-रेलवे स्टेशन	16-1-93	—

1	2	3	4	5
10.	जी० एल०-231	मंगोलपुरी-रेलवे स्टेशन	16-1-93	—
11.	जी० एल०-601	उत्तरी पीतमपुरा-आर० के० पुरम	16-1-93	—
12.	जी० एल०-990	रिठाला-केन्द्रीय टर्मिनल	16-1-93	—
13.	जी० एल० एम० एस० (—)	पंजाबी बाग (टर्मि०)-पी० वी० टर्मि०	16-1-93	—
14.	जी० एल० एम० एस० (+)	जी० टी० वी० नगर-जी० टी० वी० नगर	8-2-93	—
15.	जी० एल० एम० एस० (—)	जी० टी० वी० नगर-जी० टी० वी० नगर	8-2-93	—
16.	जी० एल० एम० एस० (—)	वजीरपुर डिपो-1-वजीरपुर डिपो-1	8-2-93	—
17.	जी० एल०-984	रोहिणी-III-एस० जे० टर्मि०	5-3-93	—

[अनुवाद]

अयोध्या घटना के कारण व्यर्थ गए कार्य-दिवस

3572. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री रूपचन्द पाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या दुर्घटना के बाद देश में दंगों, कर्फ्यू और अन्य प्रभावों के कारण राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र वार व्यर्थ गंवाए कार्य दिवसों की संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों से संबंधित सूचना एकत्रीकरण में दंगों, कर्फ्यू साम्प्रदायिक गड़बड़ियों आदि के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों के बारे में सूचना अलग से शामिल नहीं है ।

[हिन्दी]

व्यापार विकास प्राधिकरण के कारोबार में कमी

3573. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यापार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यापार में वृद्धि करने हेतु इसके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) पूर्ववर्ती व्यापार विकास प्राधिकरण (टी०डी०ए०) वास्तविक व्यापार में नहीं लगा था। इसलिए व्यापार की मात्रा का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में निर्यात के लिए संस्थागत ढांचा मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती व्यापार विकास प्राधिकरण को दिनांक 1-1-1992 से भूतपूर्व भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टी०एफ०ए०आई०) के साथ मिला दिया गया था। इस एकीकृत संगठन का नाम इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन है जो भारत तथा विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन सम्पर्क संवर्धन, बाजार अध्ययनों की तैयारी व्यापार से सम्बधित जानकारी प्रदान करने आदि के जरिये व्यापार बढ़ाने में मात्रा में भारतीय निर्यातकों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

3574. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :—

(1) भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मंत्रालयी आयोग/संयुक्त व्यापार समिति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मानीटरिंग और समीक्षा करती है तथा व्यापार को बढ़ाने और उसके विविधीकरण के उपाय खोजती है;

(2) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने हेतु व्यापारियों के लिए प्रभावशाली मंच प्रदान करती है; और

(3) सरकार आस्ट्रेलिया सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास केन्द्र योजना के तहत और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के जरिए आस्ट्रेलिया में व्यापार एवं औद्योगिक प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करती है।

स्टाक निवेश योजना

3575. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर आवंटन हेतु आवेदन-पत्र के साथ स्टाक निवेश भेजने के बाद शेयर देने और धन वापसी में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) स्टाक निवेश योजना के माध्यम से किए गए निवेश के संबंध में कम्पनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) जन-हित की सुरक्षा और स्टाक-निवेश योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन कंपनियों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित सांविधिक समय सीमा के भीतर आवंटन करें और अधिक प्राप्त हुए आवेदन शुल्क वापस करें। तथापि, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक इन्वेस्ट संबंधी आवेदन के संबंध में कम्पनियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। धन वापसी में होने वाली सम्भावित देरी को दूर करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1992 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। तद्‌नुसार, अनप्रयुक्त स्टॉक इन्वेस्ट को अब रजिस्ट्रार द्वारा सीधे ही निवेशकों को लौटाया जाता है जिसे वे उन्हें बैंक में प्रस्तुत कर सकें और बैंक से उनका लियन समाप्त हो जाए। इसके अलावा, स्टॉक इन्वेस्ट की वैधता अवधि को भी अब कम करके 4 महीने कर दिया गया है और डाक के नुकसान से वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद क्षतिपूर्ति के विरुद्ध लियन को समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है।

"सेबी" स्टॉक इन्वेस्ट के माध्यम से किये जा रहे निवेशों के संबंध में पृथक से कोई आंकड़े नहीं रख रहा है।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

3576. श्री रवि राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूंजी बाजार के हित में एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवंटन के समय सार्वजनिक प्रतिनिधित्व की अनुज्ञप्ति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर, बम्बई में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए एक कम्पनी को संस्थापित किया गया है। इस एक्सचेंज के एक आदर्श स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करने की आशा है जिसमें देश भर से सदस्य ब्रोकर, आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं के जरिए इस एक्सचेंज में कारोबार करेंगे।

(ग) और (घ) सेबी का, फिलहाल तीन महानगरीय केन्द्रों, अर्थात् नई दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन सभी कार्यालयों के लिए परिसरों का अधिग्रहण कर लिया गया है और इन कार्यालयों के अप्रैल/मई मासु, 1993 के दौरान कार्य-चालन आरम्भ करने की आशा है।

(ङ) सेबी ने एक जनप्रतिनिधि को इशू एलाटमेन्ट (आबंटन) और लस्ट्स निकालने से सम्बद्ध करने का निर्णय किया है। इसे लागू करने के उद्देश्य से सेबी द्वारा दो इशूज के संबंध में लीड मैनेजरों में पहले ही सलाह दी गयी है।

कम्बोडिया भेजे गए सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मी

3577. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :**

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री रक्षिलाल कालिदास वर्मा :

श्री मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "यूनाइटेड नेशन्स ट्रांजिसनल अकार्टा इन कम्बोडिया" (यू० एन० टी० ए० सी०) के अंतर्गत भारतीय सेवा तथा अर्धसैनिक बलों के वास्तव में कितने कर्मी कम्बोडिया भेजे गए;

(ख) क्या उन्हें संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त वास्तविक धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) भारतीय सैन्य दल में अब तक हुई मौतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने कम्बोडिया में हमारे कर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) 1. "अनटैक" के तहत कम्बोडिया में प्रतिनियुक्त किए गए सेना और केन्द्रीय पुलिस संगठन बलों के कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :—

	अधिकारी	जे०सी०ओ०	अन्य रैंक	कुल
(1) इन्फैन्ट्री बटालियन	26	41	853	920
(2) फील्ड एम्बुलेन्स	31	38	306	375
(3) इंजीनियर दल	8	6	23	37
(4) सेना पुलिस	—	—	10	100
(5) स्टाफ अफसर	11	—	—	11
(6) स्टाफ क्लर्क	—	2	2	4
(7) सैन्य प्रेक्षक	17	—	—	17
(8) कमाण्डेंट/सहायक कमांडेन्ट/ निरीक्षक/उपनिरीक्षक/हैड कांस्टेबल/ कांस्टेबल/चालकों के रैंक के केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिक				437
कुल :	93	87	1194	1811

2. इन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के दौरान इन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे उनके सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र से भी सीधे कतिपय भत्ते प्राप्त होते हैं। इन कार्मिकों को सीधे ही दिये जाने वाले भत्तों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सेना कार्मिकों के संबंध में "ट्रूप लागत" के रूप में प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 988 डॉलर विशेषज्ञों के लिए 291 डॉलर अतिरिक्त रूप से भारत सरकार को भी देता है। इस प्रकार प्राप्त धनराशि से भारत सरकार सेना के कार्मिकों को निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त भत्ते दे रही है :—

(1) अधिकारी — 2190 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

(2) जे० सी० ओ० — 1640 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

(3) अन्य रैंक — 730 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

3. अब तक पांच कार्मिक हताहत हुए हैं जिनमें से चार सेना कार्मिक और एक केन्द्रीय पुलिस संगठन बल का कार्मिक है।

4. कार्मिकों का मनोबल उच्च बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों ने उनके कार्य की प्रशंसा की है।

[हिन्दी]

नेशनल कैडिट कोर

3578. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री धर्मलिंगम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल केडिट कोर के कैडिटों को दी जाने वाली वर्दियों और अन्य मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मदों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का एन०सी०सी० की गतिविधियां बढ़ाने और हाईस्कूल तथा कालिज स्तर पर इसे आवश्यक विषय के रूप में शुरू करने का विचार है; और

(ङ) युवकों में एन०सी०सी० को और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु कौन-से कदम उठाये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दो सिली हुई वर्दियां मिलती हैं, जिनमें अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस विंग और डिवीजन से संबंधित हैं नामतः सेना नौसेना, वायुसेना विंग तथा बालिका डिवीजन इसके अलावा, उन्हें एक जोड़ी जूते/बूट, जुराबें, बैरट, वैब बैल्ट और अन्य चीजें जैसे रैंक और टोपी के बैज, हैकलस, आर्मस टाइटल्स आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त कैडेटों को कैम्प में जाने से पहले कपड़े के जूते, कम्बल, बैरक, किट बैग, दरी, जर्सी, वाटर प्रूफ कैप आदि भी दिये जाते हैं। समय-समय पर इन चीजों की जब कमी होती है उसे तुरंत पूरा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को रोजगार दिलाने आदि के मामले में रियायतें देती हैं। कुछ राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को नकद इनाम, छात्रवृत्तियां, व्यवसायिक संस्थानों में भर्ती के लिए रियायतें, पुरस्कार मैडल और ट्राफियां देकर उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। रक्षा मंत्री ने सभी राज्य के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए अपने पत्र में कुछ प्रोत्साहनों का सुझाव दिया है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दिये जा सकते हैं।

[अनुवाद]

अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक का निर्यात

3579. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूरे विश्व में अभ्रक आधारित विद्युत रोधन सामग्रियों की काफी मांग है;

(घ) अभ्रक की विदेशों में बिक्री संवर्द्धन में अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) की जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) शीट माइका का अभ्रक कागज के रूप में प्रतिस्थापन अभ्रक और उसके उत्पादों का अल्यूमिना सिरामिक्स, बेन्टोनाइट, नायलोन, सिंथेटीक अभ्रक आदि के रूप में प्रतिस्थापन मिल जाने, सालिड स्टेट तकनालाजी की वजह से वैक्यूम ट्यूबों का प्रौद्योगिकीय लोप होने के परिणास्वरूप अभ्रक की मांग में विश्वव्यापी मंदी के कारण भारतीय अभ्रक उद्योग संकट का सामना कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तथा (ङ) इस समय मिटको के माध्यम से केवल अभ्रक छीलन का ही संरणीयन होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्धारित अभ्रक छीलन सहित अभ्रक और अभ्रक उत्पादों की कुल मात्रा तथा मूल्य के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

वर्ष	कुल मात्रा (एम०टी०)	कुल मूल्य (करोड़ रू०)	मिटको की मार्फत निर्यातित अभ्रक छीलन का मूल्य (करोड़ रु०)
1989-90	42,239	51.23	10.18
1990-91	42,595	51.26	5.71
1991-92 (अनन्तिम)	34,188	55.51	4.67

स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कलकत्ता मिटको ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3580. **डा० सुधीर राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2600.00 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है । राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए संस्वीकृत राशि बतलाया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह वर्ष प्रति वर्ष की गई वास्तविक संस्वीकृतियों पर निर्भर होगा ।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

3581. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण देने संबंधी नीति के बारे में, केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में और वर्ष 1992-93 में अब तक इन बैंकों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने लोगों को भर्ती किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990 और 1991 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय भर्ती का संवर्ग-वार ब्यौरा निम्नलिखित है—

क्र० सं०	संवर्ग	1990		1991	
		अ० जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1.	अधिकारी	302	169	102	50
2.	लिपिक	1403	892	854	434
3.	सब-स्टाफ (सफाई कर्मचारियों सहित)	1431	447	928	208

भारत और हंगरी के बीच व्यापार समझौता

3582. **श्री राम कापसे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के व्यापारिक दल ने जनवरी, 1993 में भारत में अपने दौरे के दौरान बैंकों, स्टाक एक्सचेंजों, ऋण दर निर्धारण एजेन्सियों, वित्तीय संस्थाओं आदि के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौतों, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जनवरी, 1993 में हंगरी के किसी व्यापार दल ने भारत का दौरा नहीं किया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में दर्ज मामले

3583. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को कितने मामले सौंपे गए;

(ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सहायता से उक्त अवधि के दौरान कितने रुग्ण एककों को चालू किया गया;

(ग) कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों को धीमी गति से निपटाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि जनवरी, 1990 और फरवरी, 1993 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के 41 सन्दर्भ उनके पास दर्ज किए गए। इनमें से 4 को चलाये जाने योग्य नहीं पाया गया और इसलिए इन्हें खारिज कर दिया गया, 4 मामलों को उच्च न्यायालय के पास समापन के लिए भेजा गया और 4 मामलों में पुनरुद्धार की योजनाएं मंजूर की गई हैं। शेष 29 संदर्भ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन हैं। बाइफर ने आगे सूचित किया है कि चूंकि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार में 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं अतः 1990-93 के दौरान पश्चिम बंगाल की कम्पनियों से सम्बन्धित आंकड़े उन्होंने एकत्र नहीं किए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु धन

3585. **श्री जे० चौक्का राव** : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रख-रखाव अनुदान कितना है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या 1992-93 के दौरान स्वीकृत समूची धनराशि दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुरक्षण अनुदान की दर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती हैं जो मैदान, जलवायु, लेन की चौड़ाई, सड़क की स्थिति, यातायात की सघनता, श्रम की दर इत्यादि पर निर्भर करती है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 1992-93 में आन्ध्र प्रदेश को 12.49 करोड़ रु० की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की इक्विटी पूंजी

3486. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की आधी इक्विटी पूंजी के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से व्यापार मेला प्राधिकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी० आई० आई०) ने प्रारम्भिक विचार-विमर्श के लिए 31 मार्च, 1992 को एक छोटा-सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निजी उद्योग को 50% इक्विटी की पेशकश और भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई० टी० पी० ओ०) के रोजमर्रा के प्रबन्धन में उन्हें सक्रिय रूप से शामिल किए जाने की परिकल्पना है। अप्रैल, 1992 के दौरान आई० टी० पी० ओ० और सी० आई० आई० के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। सी० आई० आई० से कहा गया था कि वह इस आशय का एक विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराए कि आई० टी० पी० ओ० के उद्देश्य इन प्रस्तावित सामूहिक संशोधनों के माध्यम से किस प्रकार बेहतर ढंग से पूरे किए जा सकते हैं। सी० आई० आई० से आगे कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3587. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1993-94 और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सिक्किम में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार सम्बन्धी कतिपय कार्यक्रम शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के लिए सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31-क के विकास कार्यक्रम के ब्यौरे, वर्ष 1993-94 के लिए अनुदान मांगें संसद द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद ही दिए जा सकते हैं। आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

निर्यातकों के लिए फैक्स पैकेज शुरू करना

3588. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्पोरेशन बैंक का निर्यातकों की सुविधा के लिए विशेष "फैक्स पैकेज" सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या निगमित ग्राहकों के लिए भी कोई विशेष सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इन दोनों सेवाओं में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की जाएगी; और

(घ) इस बैंक का कहां-कहां पर अपनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) कार्पोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि वे विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली वर्तमान सभी 25 शाखाओं को बम्बई स्थित अपने अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग से सम्बद्ध करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। निर्यातकों/आयातकों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए बम्बई में एक विदेश व्यापार शाखा खोली गई है। बम्बई में एक निर्यात बिल संसाधन केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है।

(ख) बैंक ने अपने निगमित ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बंगलौर, बम्बई और नई दिल्ली में औद्योगिक वित्त शाखाएं स्थापित की हैं।

(ग) बंगलौर स्थित औद्योगिक वित्त शाखा में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू की गई है और इसे अन्य शाखाओं में भी चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है।

(घ) बैंक का, यथा समय, अहमदाबाद और पुणे में औद्योगिक वित्त शाखाएं और दिल्ली में विदेश व्यापार शाखा खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

वस्तुओं की जब्ती

3589. **श्री बलाग्रेय बंडारू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान देश में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समाहर्तालय-वार कुल कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य की वस्तुएं बेची गयीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1991-92 और 1992-93 (जनवरी, 1993 तक) के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के

अन्तर्गत अभिगृहीत निषिद्ध माल के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अभिगृहीत निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1991-92	668 (लगभग)
1992-93 (जनवरी, 93 तक)	347 (लगभग)

समाहर्तालय-वार आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) वित्तीय वर्ष 1991-92 और 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान सीमा-शुल्क द्वारा निपटान किए गए अभिगृहीत/जब्तशुदा माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निपटान किए गए अभिगृहीत/जब्तशुदा माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1991-92	586.93
1992-93 (दिसम्बर, 92 तक)	238.98

भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक की विश्व बैंक से ऋण

3590. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन बैंक का रुग्ण एककों को संवृद्धि ऋण देने हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने निजी क्षेत्र में रुग्ण एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों को, विशेष रूप से निर्यात सम्भावना वाली इकाइयों को वृद्धिशील अग्रिम राशियां देने के लिए बैंक से 300 करोड़ रुपये राशि की सहायता मांगी है। उदार शर्तों पर अग्रिम प्राप्त करने का उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी में निवेश करना होगा ताकि इन इकाइयों का पुनरुद्धार हो सके। इस प्रस्ताव को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

3591. **श्री ललित उरांव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विद्यमान दोहरी लेनों और चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में दोहरी लेनों और चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में राजमार्ग-वार हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) बिहार में, इस समय, राष्ट्रीय राजमार्गों के दो लेन और चार लेन सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

दो लेन	—	1964 कि०मी०
चार लेन	—	शून्य

(ख) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-वार दोहरी लेनों में हुई वृद्धि नीचे दर्शाई गई है :—

रा० रा० 28	—	62 कि० मी०
रा० रा० 28-ए	—	4 कि० मी०
रा० रा० 31	—	8 कि० मी०

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेनों वाला कोई खंड नहीं है और इसलिए सातवीं योजना के दौरान इनमें वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों अथवा दो लेनों का बनाए जाने सम्बन्धी किसी परियोजना को आठवीं योजना में अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापार संघ

3592. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापार संघ की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) लघु किसान कृषि व्यवसाय सहायता संघ (एस० एफ० ए० सी०) के गठन का प्रारम्भिक कार्य योजना आयोग ने किया है। लघु किसान कृषि व्यवसाय सहायता संघ (एस० एफ० ए० सी०) की संस्था के अन्तर्नियम सहित कार्य योजना और संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा तैयार करने के लिए उन्होंने संचालन समिति का गठन किया है। एस०एफ०ए०सी० का मुख्य उद्देश्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करना है अर्थात् रोजगार के अवसर पैदा करना और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और निर्यात करने के लिए अतिरिक्त अनाज पैदा करने

हेतु कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों में विविधता लाना है। एस० एफ० ए० सी० का तीन स्तरीय ढांचा होगा। वे ये हैं—शीर्ष स्तर पर सलाहकार परिषद, दूसरे स्तर पर बैंक, सरकारी निगम, निजी क्षेत्र के उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय तथा किसानों और उपभोक्ता संघों से युक्त नियन्त्रक बोर्ड होगा और तीसरे स्तर में राज्य/परियोजना स्तर के संगठन होंगे। जिसमें किसान/हिताधिकारी और उपभोक्त संघ होंगे। एस० एफ० ए० सी० को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एवं समिति के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसियां

3593. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न बीमा पॉलिसियों के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों का बीमा किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितनी बीमा पालिसियां व्यपगत हुई हैं;

(ग) उन पालिसी धारकों की संख्या वर्ष-वार बताएं जिनको मृत्यु पर उन्हें बीमा धनराशि का भुगतान किया गया और उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा की किश्तों के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) इससे वर्ष-वार कुल कितनी आय हुई तथा व्यय किया गया और लाभ प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमे की प्रीमियम की राशि को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :

	1990-91	1991-92	1992-93 (31-12-1992 तक अनन्तिम)
(क) जारी की गई पालसियां* (लाख में)	86.45	92.38	47.18
(ख) व्यपगत पालिसियां (लाख में	23.77	28.26	उपलब्ध नहीं
(ग) मृत्यु के बाद अदा की गई पालिसियां*	87.697	94.894	उपलब्ध नहीं
अदा की गई राशि (करोड़ रुपए)	197.63	230.69	उपलब्ध नहीं

पालिसीधारकों की मृत्यु होने पर पालिसियों पर अदा किए जाने वाले प्रीमियम का ब्यौरा कलग से नहीं रखा जाता ।

	1990-91	1991-92	1992-93 (31-12-92 तक अनन्तिम)
(घ) कुल आय (करोड़ रुपए)	8517.98	10690.69	7666.05
कुल व्यय (करोड़ रुपए)	3588.85	4400.27	3504.25

व्यय की तुलना में आय की अधिकता लाभ के अर्जन का प्रतीक नहीं है । तथापि, प्रत्येक वर्ष परिसम्पत्तियों और देवताओं का बीमांकन सम्बन्धी मूल्यांकन करके अधिशेष राशि का पता लगाया जाता है ।

(ङ) सामान्यत: लाभ-सहित पालिसियों की प्रीमियम दरों को संशोधित नहीं किया जाता । तथापि, निगम ने लाभ-रहित पालिसियों से संबंधित प्रीमियम दरों में कमी कर दी है ।

(च) और (छ) लाभ-पालिसियों से सम्बन्धित प्रीमियम दरों को पिछली बार अप्रैल, 1980 में संशोधित किया गया था । लाभ-रहित योजनाओं की प्रीमियम दरों को फरवरी, 1970, अप्रैल, 1980 और सितम्बर, 1986 में संशोधित किया गया था ।

*टिप्पणी : चूंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पॉलिसी का धारक हो सकता है, इसलिए बीमित किये गए व्यक्तियों/पालिसीधारकों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 पर पुल का निर्माण

3594. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के विलिंगटन द्वीप और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के बीच पुल के निर्माण के संबंध में परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य विलिंगडन द्वीप को कोचीन बाईपास से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-47-ए के चरण-II के निर्माण का उल्लेख कर रहे हैं । 2.17 कि० मी० लम्बे लिंक रोड़ के चरण-II में रेल ओवर ब्रिज और पुल ढांचे शामिल हैं, जिनकी कुल लम्बाई 1.685 कि०मी० है और पहुंच मार्गों की लम्बाई 0·485 कि०मी० है ।

(ग) परियोजना के लिए 43.09 करोड़ रु० की मंजूरी दी गई है ।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का संस्थापना व्यय

3595. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का अनुमानित वार्षिक संस्थापना व्यय कितना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने अपने संसाधनों से अपने वेतन और संस्थापना व्यय को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ रु० ।

(ख) तथा (ग) हमारी बजटगत परम्पराओं के अनुसार मंत्रालय सीधा अपना खर्च नहीं कर सकता । तथापि, मंत्रालय ने चार्टरिंग पक्ष द्वारा भारतीय जहाज मालिकों को दी गई सेवाओं के लिए सेवा प्रभार के रूप में भाड़े का 1% वसूल करने की एक योजना तैयार की है । इससे सामान्य राजकोष में प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ रु० प्राप्त होंगे ।

[हिन्दी]

म्यूच्युवल फंड योजना

3596. **श्री रामदेव राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाक एक्सचेंज में निवेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चलाई गई म्यूच्युवल फंड योजना के माध्यम से प्रत्येक बैंक को कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) इन बैंकों को विगत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ अथवा हानि हुई है;

(ग) विभिन्न बीमा कंपनियों को उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन बीमा कंपनियों को इस संबंध में कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रादेशिक सेना कार्मिक

3597. **श्री राजेश कुमार** :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के शहरी यूनिटों के कार्मिक स्वयं को भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा देने से कितने कार्मिक लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या उन्होंने कोई अन्य मांग रखी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भूतपूर्व प्रादेशिक सेना कार्मिक, जो विहित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, को भूतपूर्व सैनिक मानने के लिए प्रावधान पहले ही मौजूद हैं।

(घ) और (ङ) प्रादेशिक सेना कार्मिकों की सेवा-शर्तों से संबंधित उनकी मांगों का सारांश और उनके बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रादेशिक सेना कार्मिकों की मांगे	वर्तमान स्थिति
1. प्रादेशिक सेना कार्मिकों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करना।	1. इस संबंध में उपयुक्त आदेश 24-2-93 को जारी किए गए थे।
2. पेंशन के प्रयोजनों के लिए नियमित पूर्व सेना की संगणना करने के बारे में विकल्प लागू करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना।	2. आदेश 27-8-1992 को जारी कर दिए गए थे।
3. पेंशन प्रयोजनों के लिए भूतपूर्व स्टेट फोर्सेज सर्विस की गिनती।	3. उपयुक्त आदेश 12-1-1993 को जारी किये गए थे।
4. प्रादेशिक सेना सामूहिक बीमा में वृद्धि।	4. इस मांग पर प्रादेशिक सेना के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है।
5. प्रादेशिक सेना कार्मिकों के लिए सेवांत उपदान की बढ़ोतरी।	5. —वही—
6. प्रादेशिक सेना के जूनियर कमीशन अधिकारियों के ऑनरेरी रैंक के लिए पेंशन।	6. —वही—
7. सभी प्रादेशिक सेना पेंशनरों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाना।	7. —वही—
8. प्रादेशिक सेना कार्मिकों को छुट्टी के नगदीकरण के भुगतान के लिए सुविधाएं।	8. —वही—
9. प्रादेशिक सेना कार्मिक न रहने पर भी उन्हें कैंटीन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था।	9. इस मांग पर विचार किया गया है, और इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम का निजीकरण

3598. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री 11 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं०-3169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली परिवहन निगम का चरणों में निजीकरण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3599. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इनके लिए आवंटित राशि कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केरल सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 606.83 करोड़ रु० की राशि के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान 6594.35 लाख रु० की लागत की 5 सड़क/पुल परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। चल रही परियोजनाओं सहित नए कार्यों के लिए 1992-93 के दौरान 14 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी

3600. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

डा० सुधीर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या पर पड़े नई आर्थिक नीति के प्रभाव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बदली हुई परिस्थितियों में निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर नियन्त्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) आर्थिक सुधार आरम्भ करने का आशय रोजगार में वृद्धि की गति तेज करना है। इन सुधारों के कारण बेरोजगारी में कोई खास वृद्धि होने का साक्ष्य नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, ग्रामीण, ग्राम्य और लघु उद्योग निर्माण, व्यापार और अन्य सेवाएं ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अधिक रोजगार की संभाव्यता का पता लगाया गया है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को तैयार किया गया है। 1993-94 के बजट प्रस्तावों में, जो इस समय सदन के समक्ष हैं, और अधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के लिए परिव्ययों में काफी वृद्धि की गई है।

बछावत पंचाट

3601. **श्री धर्मलिंगम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बछावत पंचाट के विरुद्ध कितनी याचिकाएं दाखिल की गईं;

(ख) कितनी याचिकाएं निपटा दी गई हैं और कितनी अभी भी लम्बित हैं; और

(ग) शेष याचिकाएं कब तक निपटा दी जायेंगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) बछावत पंचाट के विरुद्ध कुल 24 रिट याचिकाएं दायर की गयी थीं।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने एक रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय को अन्तरित कर दी है तथा पक्षकारों के बीच हुए समझौते के कारण दूसरी याचिका को निष्फल करार दिया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में 22 रिट याचिकाएं तथा दिल्ली उच्च न्यायालयों में एक रिट याचिका लम्बित है।

(ग) उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं का निपटान किया जाना है। कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

"मिटको" द्वारा अभ्रक निर्यातोन्मुखी परियोजना की स्थापना

3602. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाड्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम ने अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कच्चे अभ्रक के स्थान पर अभ्रक टेप्स, शीट्स, जैसे मूल्य वर्धित अभ्रक उत्पादकों का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "मिटको" ने अभ्रक आधारित निर्यातोन्मुखी परियोजना भी स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो इसके चालू होने तथा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के समय से अब तक प्रति वर्ष इसकी क्षमता, उत्पादन, बिक्री, निर्यात और इसके द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार में "मिटको" किसी कठिनाई का सामना कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) मिटको मूल्यवर्धित अभ्रक उत्पाद तथा कच्चा अभ्रक दोनों का निर्यात करता रहा है। अभ्रक पर आधारित मिटको की निर्यातोन्मुख परियोजनाओं की क्षमता, उत्पादन बिक्री तथा निर्यात का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

अभ्रक कागज परियोजना

उत्पादन क्षमता 600 एम० टी०
वाणिज्यिक क्षमता जनवरी, 1987 से

मात्रा एम० टी० में
मूल्य लाख रु० में

वर्ष	उत्पादन मात्रा	बिक्री		निर्यात	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1987-88	104	16	8	14	7
1988-89	140	121	69	114	65
1989-90	101	131	80	130	78
1990-91	155	211	133	211	133
1991-92	79	54	40	37	28
1992-93 (15-3-93 को)	60	74	54	61	40

हीरा माइका नाइट शीट्स

उत्पादन क्षमता 45 एम०टी०
वाणिज्यिक उत्पादन जून, 1989 से

मात्रा एम० टी० में
मूल्य लाख रु० में

वर्ष	उत्पादन मात्रा	बिक्री		निर्यात	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1989-90	—	—	—	—	—
1990-91	0.33	—	—	—	—
1991-92	5.00	4	5	4	5
1992-93	3.00	4	7	4	7

प्रसंस्कृत अभ्रक के गैर-सरणीकरण के उपरान्त मिटकों के कारोबार में भारी गिरावट, अभ्रक और इसके उत्पादों का अलुमिना सेरामिक्स, बेन्टोनाइट, नायलॉन, सिन्थेटिक अभ्रक इत्यादि द्वारा प्रतिस्थापन, भारी ब्याज दायित्व, व्यापार की आवश्यकताओं से ज्यादा संख्या में कर्मचारी, उत्पादन संयंत्रों इत्यादि में क्षमता से कम उपयोग को देखते हुए मिटकों गंभीर आर्थिक बाधाओं का सामना करता आ रहा है। मिटको को पुनरुज्जीवित के लिए अनेक वैकल्पिक योजनाओं पर विचार किया गया है। लेकिन उनमें से किसी को भी कार्य के योग्य नहीं पाया गया। जनवरी, 1993 में, इस कम्पनी के भविष्य के बारे में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत मिटको के मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो (बी० आई० एफ० आर०) के पास अन्तरित कर दिया गया।

उप-मार्ग सड़कों की मरम्मत

3603. **प्रो० राम कापसे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से बम्बई-अहमदाबाद राजमार्ग के थाने-भिवंडी उपमार्ग (महाराष्ट्र के थाने जिले में) की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) रा० रा० 3 पर थाने-भिवंडी बाईपास सड़क की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अन-अनुमोदित वापस लौटा दिए गए क्योंकि इस सड़क की सामान्य रख-रखाव अनुदान से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय बैंक

3604. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) बैंक अपने सामान्य बैंकिंग परिचालनों के एक भाग के रूप में सभी महिला उद्यमियों को उनके द्वारा शुरू की गई सभी अर्थक्षम परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं और इस प्रयोजन के लिए पृथक बैंक के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

भारतीय जीवन बीमा को अर्जित लाभ/किया गया पूंजी निवेश

3605. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार भारतीय जीवन बीमा निगम को

बीमाकृत व्यक्तियों से कुल कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है, तथा मुआवजे के भुगतान के रूप में तथा अन्य शीर्षों पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया निवेश तथा उससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार नाममात्र प्रीमियम पर नई बीमा योजनाएं विशेष रूप से ग्रामीण तथा शहरी गरीबों को लाभ प्रदान करने हेतु बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित लोगों से संग्रहीत किए गए कुल प्रीमियम का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मुआवजे और अन्य शीर्षों के अन्तर्गत किये गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(ग) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम बीमांकन प्रणाली के अनुसार निर्धारित प्रीमियम दरों के आधार पर बीमा कवच प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) जीवन बीमा निगम अपने द्वारा बेची गई जीवन बीमा पालिसियों से लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्थ प्रीमियम दरों को वसूल करता है।

विवरण-I

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अर्जित की गई प्रीमियम आय का राज्यवार/क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

राज्य क्षेत्र	के दौरान अर्जित प्रीमियम आय		
	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
मध्य क्षेत्र			
(क) मध्य प्रदेश	181.97	231.67	289.63
(ख) उत्तर प्रदेश	433.58	545.45	668.59
जोड़ :	615.55	777.12	958.22

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
(क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	—	—	—
(ख) अरूणाचल प्रदेश	0.54	0.52	1.05
(ग) असम	73.26	89.35	109.28
(घ) बिहार	177.85	231.61	288.68
(ङ) मणिपुर	4.54	5.84	7.11
(च) मेघालय	4.51	5.15	6.54
(छ) मिजोरम	0.47	0.57	0.75
(ज) नागालैंड	2.63	1.50	3.93
(झ) उड़ीसा	68.16	90.24	117.53
(ञ) सिक्कम	—	—	—
(ट) त्रिपुरा	8.24	10.26	13.04
(ठ) पश्चिम बंगाल	408.17	532.30	651.83
जोड़ :	748.35	967.34	1199.74
उत्तरी क्षेत्र			
(क) चण्डी गढ़	18.99	24.31	29.66
(ख) दिल्ली	260.93	325.14	387.23
(ग) हरियाणा	76.91	96.06	124.11
(घ) हिमाचल प्रदेश	20.52	28.49	34.97
(ङ) जम्मू एवं कश्मीर	21.10	22.31	27.71
(च) पंजाब	139.51	176.86	204.49
(छ) राजस्थान	164.31	207.90	266.99
जोड़ :	702.27	871.07	1075.16
दक्षिण मध्य क्षेत्र			
(क) आंध्र प्रदेश	364.55	461.16	590.82
(ख) कर्नाटक	279.63	349.27	437.54
जोड़ :	644.18	810.43	1028.36

1	2	3	4
दक्षिण क्षेत्र			
(क) केरल	174.23	216.13	279.45
(ख) पांडिचेरी	3.24	4.00	5.75
(ग) तमिलनाडु	344.59	245.07	559.84
जोड़ :	522.06	665.20	845.04
पश्चिम क्षेत्र			
(क) गोआ	22.40	28.55	37.74
(ख) गुजरात	391.20	467.09	582.90
(ग) महाराष्ट्र	775.41	967.31	1168.13
कुल जोड़ :	1189.01	1462.95	1788.77
	4421.42	5554.11	6895.29

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मुआवजे तथा अन्य शीर्षों पर किया गया व्यय

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91	1991-92
पालिसी अदायगियां			
(i) मृत्यु संबंधी दावे	253.94	327.86	417.66
(ii) परिपक्वता संबंधी दावे	1181.20	1434.59	1751.71
(iii) वार्षिकी	45.43	56.67	80.25
(iv) अभ्यर्पण	153.26	132.29	172.49
उप जोड़ :	1633.83	1951.41	2422.11
प्रबंध संबंधी खर्चे			
(एजेंटों का कमीशन, वेतन तथा प्रबंध संबंधी खर्चे)	1070.33	1301.40	1549.80
जोड़ :	2704.16	3252.81	3971.91

विवरण-III

1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया निवेश

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. सरकारी क्षेत्र			
(i) सरकारी तथा सरकार द्वारा गारंटी प्रदत्त विपणन योग्य प्रतिभूतियां	1813	2271	2607
(ii) समाजोन्मुखी क्षेत्र	1029	989	1231
(iii) भारत सरकार के पास विशेष जमाराशियां	150	180	180
	2992	3440	4018
2. सहकारी क्षेत्र			
(i) भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	35	40	40
(ii) एसेक्स सहकारी आवास	211	323	456
(iii) सहकारी औद्योगिक क्षेत्र	1	1	1
	247	364	497
3. निजी क्षेत्र			
(i) कम्पनियों को ऋण	287	493	839
(ii) कम्पनियों के ऋणपत्र	422	708	679
(iii) तरजीही शेयर	—	4	—
(iv) इक्विटी शेयर	85	50	252
	794	1255	1770
कुल जोड़ :	4033	5059	6285

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित ब्याज/लाभांश का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

	1989-99	1990-91	1991-92
सरकारी क्षेत्र	1609	1977	2356
सहकारी क्षेत्र	136	150	193
निजी क्षेत्र	264	323	460
	2009	2450	3009
कॉल तथा बिलों पर ब्याज	64	128	263
जोड़ :	2073	2578	3272

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

3606. **श्री राजेश कुमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा आठवीं योजनावधि के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर कुल कितना व्यय होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्कीमों के ब्यौरे संसद द्वारा 1993-94 की अनुदान मांगें पारित किए जाने के बाद ही बताए जा सकते हैं। आठवीं योजना के दौरान अब तक 2.59 करोड़ रु० की धनराशि की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 1992-93 के लिए चालू स्कीमों सहित 13.5 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक सड़क

3607. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उत्तर प्रदेश में गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक एक सड़क निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हुगली नदी के कलकत्ता चैनल का तलकर्षण किया जाना

3608. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी के कलकत्ता चैनल के तलकर्षण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस परियोजना के पूरा होने में विदेशी ठेकेदारों की ओर से असाधारण विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस विलम्ब की वजह से परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि होगी; और

(ङ) इस चैनल का तलकर्षण करने के बाद यातायात में कितनी वृद्धि होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) समुद्र के मुहाने से कलकत्ता डाक सिस्टम तक निरन्तर अनुरक्षण निकर्षण किया जा रहा है। जिगरखली फ्लैट की मिट्टी निकालने के लिए बड़ा निकर्षण अभी शुरू किया जाना है।

(ख) जिगरखली फ्लैट की मिट्टी हटाने के लिए बड़ा निकर्षण कार्य दिसम्बर, 1992 में शुरू होना था और 1-9-1993 तक पूरा किया जाना था।

(ग) विदेशी ठेकेदार ने अभी तक बड़े निकर्षण का कार्य शुरू नहीं किया है।

(घ) इस ठेके के संबंध में भावी कार्यवाही के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। कार्य शुरू होने की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए विलम्ब के कारण होने वाली लागत वृद्धि का इस स्तर पर वास्तविक रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ङ) पूर्वानुमान यह है कि डुबाव का सुधार कार्य पूरा हो जाने पर जिसकी रिसेसनल निकर्षण के बाद उम्मीद है, प्रतिवर्ष ट्रैफिक में एक मिलियन टन और वृद्धि हो सकती है।

मारमुगांव पत्तन का विकास

3609. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांड्ये** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी तट के प्रमुख पत्तनों के एकीकृत विकास हेतु कोई विस्तृत योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका और विशेष रूप से मारमुगांव पत्तन के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारत के पश्चिमी तट पर महापत्तनों के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में 1158.00 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) शामिल की जाने वाली प्रस्तावित मुख्य स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मुख्य स्कीमों के ब्यौरे

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रस्तावित परिव्यय (1992-97)
1	2	3
1.	**बम्बई**	
	1. कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं	26.39
	2. पीर पाऊ आयल पियर का पुनर्स्थापन	92.45
	3. लोडिंग आर्म्स सहित दो सब मैरीन पाइपलाइन का पुनर्स्थापन	35.00
	4. ग्रैब ड्रैजर विकास को बदलना	29.00
	5. लोडिंग आर्म्स के प्रावधान सहित सात सबमैरीन पाइपलाईन का पुनर्स्थापन	80.00
	6. वी०टी०एम०एस०	26.00
2.	**जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास**	
	1. प्रथम चरण पत्तन का विकास	115.00
	2. सर्विस बर्थ का पहुंच मार्ग	10.00
	3. पत्तन क्राफ्ट/उपकरण	20.00
	4. कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं की वृद्धि	15.00
	5. तरल कार्गो के लिए बर्थ	19.20
3.	**कोचीन**	
	1. 30-35 वी० पी० टग की खरीद	11.75
	2. वी०टी०पी० तथा एम०सी०वी० का बहुउद्देश्यीय बर्थ के रूप में रिमाडलिंग	12.00
	3. काट तक के चैनल को गहरा करना	10.00
	4. क्यू/बर्थ को बदलना	10.00

1	2	3
4.	कांडला	
	1. अतिरिक्त आयल जेट्टी	19.67
	2. अतिरिक्त कार्गो बर्थ	37.20
	3. सर्वेक्षण सक्षमताओं का सुधार	10.00
	4. कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं	11.00
	5. व्हार्फ क्रेनों को बदलना	12.10
	6. एम० डी० कच्छ वल्लभ का सुधार	16.00
5.	मुरगांव	
	1. अतिरिक्त कार्गो बर्थ सं० 11	20.00
	2. एम०ओ०एच०पी० में संशोधन	12.00
	3. बार्ज अनलोडर को बदलना (चरण-1)	20.00
	4. टग की खरीद	10.00
	5. पुरानी बर्थ का पुनः संरेखण	20.00

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति ऋण

3610. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 की जनगणना के आधार पर प्रति व्यक्ति आंतरिक और बाह्य ऋण राशि तथा उस पर ब्याज सहित का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1991 की जनगणना के आधार पर

प्रति व्यक्ति (रुपए)

(कुल जनसंख्या 84.6 करोड़)

(i)	वर्ष 1991-92 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के बकाया आंतरिक बाजार ऋण (78.075 करोड़ रुपए)	923
(ii)	वर्ष 1991-92 के अन्त में सरकारी लेखे में बकाया विदेशी ऋण (चालू विनिमय दर पर रूबल ऋण को छोड़कर 1,06,638 करोड़ रुपए)	1260
(iii)	आंतरिक बाजार ऋणों पर ब्याज (7,355 करोड़ रुपए)	87
(iv)	सरकारी लेखे में विदेशी ऋणों पर ब्याज (2,704 करोड़ रुपए)	32

[अनुवाद]

बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल (बी०सी०सी०आई०) की मुंबई शाखा का परिसमापन

3611. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०सी०सी०आई० ने अपनी मुंबई शाखा का परिसमापन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इंटरनेशनल (बी०सी०सी०आई०) के कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए केमन आइलैंड्स के मौद्रित नियंत्रक द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बी०सी०सी०आई० के बम्बई स्थित स्थानीय कार्यालय को अपना परिचालन तब तक के लिए रोक देने के अनुदेश जारी किए हैं जब तक कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती। तदुपरान्त, 15 जुलाई 1991 को उक्त शाखा के परिसमापन और अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति के लिए भी बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक उच्च न्यायालय में चला गया। बम्बई उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करके भारतीय स्टेट बैंक को बी०सी०सी०आई० की बम्बई शाखा के अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त किया। भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 16-7-91 को बैंक के कार्यों को अपने अधिकार में ले लिया। भारतीय स्टेट बैंक ने अब बी० सी०सी०आई० लि० की बम्बई शाखा का निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों और सभी देनदारियों को अपने हाथ में लेने की पेशकश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन के लिए बम्बई उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए विशेष दण्ड-विधि

3612. **श्री राजेश कुमार** :

श्री तेज नारायण सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक तथा बीमा संबंधी अपराधों के लिए एक विशेष दण्ड विधि बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 1986 में बैंकिंग और बीमा उद्योग के बारे

में सुझाव दिया था कि गलत तरीके से एकत्र की गई सम्पत्ति/धन के गैर-कानूनी धारकों से उसे जब्त करने के लिए कानून में संशोधन करके इस बारे में एक उपबन्ध छोड़ना उचित रहेगा ।

(ग) इस मामले पर विचार किया गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधिनियम और उसमें निहित प्रावधानों को देखते हुए ऐसे कानून के अधिनियम की आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा सुविधा

3613. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी दौरे के लिए केन्द्र सरकार के किन-किन अधिकारियों को श्रेणी-वार हवाई यात्रा का अधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार अवकाश यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत इन अधिकारियों को हवाई यात्रा सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वे अधिकारी जो 5100/- रुपए और उससे अधिक मूल वेतन पाते हैं सरकारी यात्राओं के लिए स्वेच्छा से विमान द्वारा सफर कर सकते हैं । यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो और वह यात्रा सीधी रेल सेवा/वाहन सेवा द्वारा रात भर में पूरी न होती हो तो वे अधिकारी भी जो 4100/- रुपए और 5100/- रुपए के बीच मूल वेतन पाते हैं, सरकारी यात्राओं पर स्वविवेक पर विमान द्वारा सफर कर सकते हैं ।

(ख) और (ग) संगत नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी को उन स्थानों के बीच छुट्टी यात्रा रियायत पर हवाई यात्रा करने की अनुमति है, जो रेल मार्ग द्वारा जुड़े हुए न हों, जहां यात्रा का वैकल्पिक साधन या तो उपलब्ध ना हो अथवा अधिक खर्चीला हो ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राजसहायता

3614. **श्री सी० श्रीनिवास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राज-सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लगातार होने वाले घाटे को भी राज-सहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आर्थिक सहायता मुक्त केवल उन मामलों में किया जाता है जहां वे सरकारी ओर से कुछ खास कार्य करते हैं और इसमें शर्त होती है कि ऐसे कार्यों में हुए घाटे, यदि कोई हो,

के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रदान की गई आर्थिक सहायता 1993-94 के बजट के भाग के रूप में, संसद में प्रस्तुत व्यय बजट, खण्ड-I, 1993-94 की विवरणी सं० 6 में दर्शाई गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित आठवीं योजना में भी आठवीं योजना अवधि के अन्त तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सहायता के भुगतानों को पर्याप्त रूप से कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आने वाले हर समय के लिए इतने अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नकद हानियों की पूर्ति करने संबंधी सरकार की नीति निरन्तर बनाए रखने योग्य नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत शान्ति स्थापना की कार्यवाहियों के बारे में गोष्ठी

3615. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत शान्ति स्थापना की कार्यवाहियों के बारे में प्रशान्त महासागर सैन्य प्रबन्धन गोष्ठी के सत्रहवें अधिवेशन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस गोष्टी में सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और उसमें भाग लेने वाले अन्य देशों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय सेना के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया।

(ख) यह एक व्यावसायिक सेमिनार था, जिसमें कई देशों के सेना प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार के लिए कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कोई अवसर नहीं था।

विश्व पर्यावरण कोष का पुनर्गठन

3616. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित/अविकसित देशों के बीच मतभेद, जो लम्बी वार्ता के बाद गत जून में रियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन मे बन रहे थे, विश्व पर्यावरण के सवाल पर फिर उभर कर सामने आ गए हैं।

(ख) यदि हां, तो इस कोष से भारत को कितना अनुदान मिलने की सम्भावना है; और

(ग) भारत के संदर्भ में विश्व पर्यावरण कोष के प्रस्तावित पुनर्गठन का इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा वित्तपोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी० ई० एफ० में भाग लेने वालों का प्रयास सर्वसम्मत दृष्टिकोण प्राप्त करना है जिससे उत्तर दक्षिण ध्रुवीकरण को रोका जा सकेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

12.00 **मध्याह्न**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह की बात के अलावा और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह जी की बात के अलावा और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी । यदि आप बाद में बोलें तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

12.02 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय—पीठासीन हुए]

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा ।

(व्यवधान)*

12.02 म०प०

(इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट कर्श पर खड़े हो गये ।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकारूंगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर जाएं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाएं ।

(व्यवधान)

12.08 म०प०

(इस समय, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये ।)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

12.10 म० प०

(इस समय श्री नीतीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।)

(व्यवधान)

(इस समय, श्री नीतीश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने केवल श्री मोहन सिंह का नाम पुकारा था। श्री शरद यादव के तत्काल बाद, मैं सूची के अनुसार अन्य नाम पुकारूंगा। इसी बात पर सहमती हुई है। श्री राम विलास पासवान क्या आप इससे सहमत हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जी हां, मण्डल।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला (खलीलाबाद) : हम को एक अवसर अपनी बात को उठाने का नहीं मिलता है।···(व्यवधान)···

श्री राजनाथ सोंनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मण्डल कमीशन पर डिबेट करवाने जा रहे हैं ? क्या हम लोगों को मौका देने जा रहे हैं।···(व्यवधान)···

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के पिछड़े वर्गों के 52 फीसदी लोग पिछले 40 वर्षों से उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। एक बड़े विवाद के बाद एक रास्ता निकला, यानि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दुस्तान के इन शोषित पीड़ित लोगों के हक में साफ-साफ फैसला दिया। आर्थिक आधार का जो क्राइटेरिया था, जो आधार था, उस पर जितनी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके बाद मेरे ख्याल से यह फैसला आया है। उस फैसले के पन्ने के पन्ने भरे हुए हैं कि आर्थिक आधार का संविधान में कहीं कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं है। और साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने, जो आर्थिक आधार की वकालत कर रहे थे, उन सारे लोगों को जवाब देते हुए कहा कि इस वर्ग में यदि सामाजिक दृष्टि से कुछ लोग उठ गए हैं, उन उठे हुए वर्गों का आप पता लगा सकते हो। यानी पिछले 100-150 साल की लड़ाई संविधान में रखी गई और रखने के बाद यह जो हक है, वह टलता रहा, हर पार्टी के मेनीफेस्टो में यह बात रखी जाती रही और हमारी सरकार के जमाने में जब इसको लिया गया तो उस पर बहुत विवाद हुआ, कई दुःखदायी बातें हुईं। इसके बाद देशभर में एक राय, एक बातचीत बहुत बेहतर किस्म से बन गई और बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और आर्थिक आधार को पूरी तरह से दर किनार कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने एक कमीशन बनाकर अपनी सारी इच्छाएं, जो कांग्रेस पार्टी का नोटीफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के अनुसार एक कमेटी बनाकर पूरी की पूरी चीजों का टर्न करने का, बदल देने का, सारी चीजों को, उन मान्यताओं को, उसके स्वरूप को, संविधान में जो हक दिया गया है, उसको बदलने का काम इस सरकार ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि इस सदन को प्रेम-पूर्वक चलाना है, तो इस पर तत्काल फैसला होना चाहिए। हम लोग मर्यादाओं में रहकर इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं। हमारे धीरज, इस वर्ग के धीरज को, पेंशंन की परीक्षा लेने का काम न किया जाए और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कैसे कर लिया, कैसे इसको मान लिया। इस सदन में आने से पहले सरकार को बताना चाहिए था कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस अधिकार को छीना जा रहा है, इतनी लड़ाई के बाद इस अधिकार को कुचला जा रहा है, जबकि आर्थिक आधार का कोई जिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि यदि इस कमेटी की रिपोर्ट तत्काल रद्द नहीं की गई तो इस सदन में और सदन के बाहर इतना जबरदस्त असंतोष फैलेगा, जिसकी कल्पना इस देश ने कभी नहीं की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी दौरे से आया हूं, सारे देश में लोगों में बेचैनी है। हजारों, लाखों लोग इस सवाल पर जेल गए हैं और जेल जाने के बाद इस रिपोर्ट को जिस तरह से चैलेंज करके सरकार के लोगों द्वारा कमेटी बनाई गई और सारी चीजें सरकार ने अपनी इच्छानुसार, कांग्रेस पार्टी की इच्छानुसार करवाईं और इन वर्गों के अधिकारों को टालते-टालते इस हद तक ले आए कि समाज में तनाव बढ़ गया। यदि ये अधिकार पहले मिल जाते तो हिन्दुस्तान में यह तनाव नहीं होता, इतने लोग मौत के घाट नहीं उतरते, लाखों लोग एक-दूसरे से लड़ने का काम नहीं करते और अब फिर वही विग्रह और तनाव, इस सवाल को विवाद के घेरे में लाकर सरकार पैदा करना चाहती है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि तत्काल इस कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करे। यदि इसको रद्द नहीं किया गया तो सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। हम लोग इस सदन में जिन मर्यादाओं के अन्तर्गत चलते रहे हैं, अब वे मर्यादाएं हम लोगों के गले के ऊपर हो गई है। इन अधिकारों को साधारण कमेटी की रिपोर्ट से बरबाद, और खराब नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए सरकार को तत्काल इस रिपोर्ट को वापिस लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार अभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

12.19 म० प०

(इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : पहले आप इस मंडल मामले को समाप्त करके तब किसी अन्य विषय को क्यों नहीं लेते? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है। समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं, परन्तु इससे पूर्व कि सरकार उस पर कार्यवाही करे तथा उन्हें स्वीकार करे उस पर यहां विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था।

माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु अवसर दिया जाना चाहिए था। अतः, सरकार को इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए। यह सब क्या है ? मैं नहीं जानता (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए, जब तक कि उस पर सदन में चर्चा नहीं हो जाती (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुराना कुछ बोलने के लिए खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार इस रिपोर्ट को, बिना इस सदन में चर्चा के कैसे कार्यान्वित कर सकती है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, बदरपुर के निकट मीठापुर विस्तार गांव में जिस तरह से बुलडोजर चलाकर 400-500 झुग्गियों को हटा दिया है··· (व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : मंडल कमीशन पर पहले चर्चा होगी··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

12.23 म०प०

(इस समय, श्री छेदी पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को बिना चर्चा किए कैसे स्वीकार कर लेगी (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

12.26 म०प०

(इस समय श्री छेदी पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

(व्यवधान)

12.29 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी जगह पर जायें, अगर आना है तो फिर आ जाना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें ।

12.30 **म०प०**

(इस समय श्री छेदी पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जायें । इसको-आपरेशन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आप अगर इसमें बहस चाहते हैं तो इसमें बहस कराई जायेगी, अगर इसके बाद इस सम्बन्ध में आपके कुछ साथी मिनिस्टर साहब से चर्चा करना चाहते हैं तो मैं अपने चैम्बर में बुलाकर चर्चा करवा दूंगा । उसके बाद भी कुछ और दूसरा करना चाहते हैं तो···

श्री राम विलास पासवान : 2-4 लोगों की बात सुन लें । हम कल भी आपसे मिले थे और हमने आग्रह किया था···

अध्यक्ष महोदय : आप अगर बोलना चाहते हैं तो मैं अभी सुन लूंगा, इसके बाद भी विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है । उसके बाद और कुछ करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं, उनको भी बोलना है ।

(व्यवधान)

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : शुक्ला जी के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : शुक्ला जी के बारे में है, आपके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, आपने मुझे नोटिस नहीं दिया है । आप बिना-वजह आकर कुछ नहीं कह सकते । आप बैठ जायें । आप भी बोलना चाहते हैं तो आपको भी समय दूंगा, बाद में बोलना चाहते हैं वह भी दूंगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब आपने हमारी बात ही नहीं सुनी तो कैसे आप फैसला कर सकेंगे···

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिये । मैं कह रहा हूं कि जो आप चाहते हैं वह किया जायेगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्टर्ब न करें । यहां पर बहुत बिजनेस है, जो आप भी करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, लेकिन वह सब डिस्टर्ब हो रहा है । मुझे पहले बता देते कि चर्चा करना

चाहते हैं तो मैं करा देता, पासवानजी, मैंने कहा था कि चर्चा करवा दूंगा। लेकिन आज भी आपको मौका दे रहा हूं। एक बोले, फिर दूसरा और तीसरा बोले···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, आप बैठ जायें···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भी बात सुनूंगा, बाद में सुनूंगा, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस एडजोर्न करना है तो कर देता हूं···

(व्यवधान)

एक-एक करके बोलें। आप अगर हाउस एडजोर्न करना चाहते हैं तो वह भी मैं कर दूंगा। पहले मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठ जायें मैं आपको चांस दूंगा। आपकी हरेक की मर्जी से हाउस नहीं चल सकेगा, अगर ऐसे ही चलाना है तो हम एडजोर्न करके चले जायेंगे। यह क्या मतलब हुआ उनको बोलने नहीं देते, मुझे बोलने नहीं देते। जब चाहते हैं खड़े हो जाते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जायें। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह से हाउस नहीं चल सकेगा। मैं एक दफे सब लीडर्स से बात करूंगा उसके बाद इस प्रकार से हाउस चलाना चाहते हैं तो यह नहीं चल सकेगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, यह आपका घर नहीं है कि इस तरह से कहे जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको मौका दिया है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, हुआ यह कि मंडल के ऊपर आपने राम विलास जी को बोलने दिया···(**व्यवधान**)···हमें भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसके बाद बोलना, अब मैं खुराना जी को बुलाता हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दक्षिण दिल्ली के बदरपुर गांव के पास मीठापुर विस्तार गांव में जिस तरह से हरियाणा सरकार ने हुड्डा और दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत झुग्गी कलस्टर में बुलडोजर चलाकर न केवल 4-5 सौ झुग्गियों के लोगों को बे-घरबार किया बल्कि बुलडोजर चलाने से दो मासूम बच्चों—एक डेढ़ माह का और एक पांच साल का—तथा एक व्यक्ति की मौत हुई, की ओर दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ ही कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी के बहाने सुरजकुण्ड गांव में रास्ता साफ करने के नाम पर सैकड़ों लोगों को बे-घरबार कर दिया गया। सरकार के इस अमानवीय और गरीबों की

रोजी रोटी के मुद्दे को आपके सामने उठा रहा हूं··· (व्यवधान)·· अध्यक्ष जी, राज्य का काम जनता की सेवा करना होता है। लगता है कि अब सत्ता पक्ष अपने को राज्य और देश मानने लगा है और समझने लगा कि राज्य पर कोई नियम-कानून लागू नहीं है। सरकार फासिज्म ले आये जो ऐसे कामों को खत्टीफाई करने के लिए आपके पास मसाला मिल जाये लेकिन डेमोक्रेसी में सत्तारूढ़ पार्टी जो कुछ कर रही है, उससे चिन्ता पैदा हो गयी है कि कांग्रेस देश को कहां ले जाना चाहती है ? क्या एमरजेंसी पुनः आ गयी है ? अपनी सरकार ने इसको व्यवहार में लाने की कोई घोषणा की है कि एमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ था।

अध्यक्ष जी, मैं कल रात्रि वहां गया था। सब देखने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर भारत की राजधानी दिल्ली में यह हो रहा है तो दूसरे क्षेत्रों में क्या होता होगा ? मीठापुर विस्तार गांव में जो बदरपुर गांव और मथुरा रोड के लैफ्ट साईड में है, उसमें डी० डी० ए० ने स्लम्ज की सब सुविधायें दी हुई थीं परन्तु 28 फरवरी को हरियाणा सरकार ने दिल्ली के अन्दर आकर उनपर बुलडोजर चलवा दिये और लोगों को बे-घरबार कर दिया। वे अब खुले आसमान में हैं। दो बच्चे मर गये। दिल्ली के चारों बी० जे० पी० के सांसदों ने यह फैसला किया है कि इसके लिए हमारी तीन मांगे हैं—पहली यह है कि जो उजाड़ने का काम हुआ है, वह बंद किया जाये, दूसरा इनको रोहैबलिटेट किया जाये, तीसरा जो लोग मर गए हैं और उजाड़ दिए गए हैं, उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। तीनों मांगों को लेकर हम चारों बी० जे० पी० के सांसद वहां जा रहे हैं और मीठापुर जाकर धरना देंगे। जब तक ये मांगें नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होने देंगे··· (व्यवधान)

श्री तारा चन्द खण्डेलवाल (चान्दनी चौक) : अध्यक्ष जी, लोगों पर अत्याचार नहीं सहा जा सकता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वीरेन्द्र जी, आप बैठ जायें। मैं कह रहा हूं कि आप पहले बैठ जायें···

(व्यवधान)

12.31 म०प०

मंडल कमीशन प्रतिवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट एक खास अहमियत रखती है, इसको समझते हुए मैं कुछ लोगों को बोलने का चांस दे रहा हूं। उसके बाद अगर दूसरे विषय हैं, तो वे भी लिए जायेंगे। श्री राम विलास जी···

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं केवल 2-3 प्वांयट्स पर बोलूंगा। अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि 40 साल के बाद मण्डल कमिशन की रिपोर्ट हम लोगों ने 7 अगस्त, 1990 को लागू करने का काम किया था जिसके कारण सरकार चली गयी। 16 नवम्बर को मण्डल कमीशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट में साफ तौर से कहा गया कि पिछड़ी जाति के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण

दिया जायेगा, नौजवानों को दिया जायेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक क्रिमीलेयर तय हो जाना जाहिए जिसके तहत जो लोग एडवांस बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको देखना चाहिए पर 27 प्रतिशत रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लोगों के बीच में जाना चाहिए। उसके अन्तर्गत सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और उसने आज से 3-4 दिन पहले रिपोर्ट दे दी जिसे सरकार ने कबूल कर लिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है और जिसको सरकार ने मानने का काम किया है, उससे सरकार की नीयत का पता चलता है। चूंकि जिस तरीके से सरकार ने उस को मान लिया है कि किसान पट्टे के अन्दर जमीन रखते हैं, उसकी 65% यदि सिंचित जमीन है तो उसके बेटे को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो क्लास II के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो इकोनामिक सीलिंग है उसके अन्दर इनको बांध दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे एक परसेंट भी पिछड़ी जाति के नौजवान सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27% सीट रिजर्व करें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 27% सीट कैसे आएंगी यदि ये सारे के सारे प्रतिबन्ध आपने लगा दिए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार उस ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इंकार करे। सरकार शेड्यूल कास्ट्स, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज के लीडर्स को बुलाए और उस बैठक में बैकवर्ड क्लासेज के लिए 27% सीट रिजर्व करे। जब 27% सीट पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइटीरिया के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और सरकार के ऊपर मेरा आरोप है कि सरकार ने जिस प्रकार जल्दबाजी में ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया है उससे पता चलता है कि यह सरकार मंडल कमीशन की शुरू से विरोधी रही है। चालीस साल की आजादी के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, उसके बाद भी बैकवर्ड क्लासेज के नौजवानों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखना चाहते हैं। मैंने इसके सम्बन्ध में 193 के तहत डिसकशन के लिए नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपके लिए समय निकालूंगा।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा और विद्याचरण शुक्ल जी सरकार की तरफ से कहें कि आपने जिस ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को माना है उसको खत्म करेंगे और फिर से एक बैठक बुलाकर इस पर बातचीत चलाइए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको समय दूंगा। हर पार्टी के एक-एक सदस्य को समय दूंगा। आप दो-तीन मिनट में अपनी बात बोलिए। आपको अगर इस पर चर्चा के लिए समय चाहिए तो उसके लिए भी मैं समय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, ये उनका विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन और पिछड़े वर्ग का आरक्षण एक भावनात्मक विषय है और इस विषय के बारे में मेरा शासन से अनुरोध है कि जो भी निर्णय

उन्होंने लिया है, उस पर वह पुनर्विचार करें। सभी पार्टी के सदस्यों से वह लोग चर्चा करें और इस बारे में आप सहमति बनाने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पासवान जी की इस बात पर मुझे आपत्ति है कि उन्होंने कहा है कि बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को बुलाया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उच्च वर्ग का होने के नाते भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हिमायती रहा हूं और कांग्रेस पार्टी ने सदैव पिछड़े वर्ग के लोगों का हित किया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रश्न है, इस बात से मैं सहमत हूं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को उच्चतम न्यायालय ने अभी नहीं माना है, लेकिन जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्रीमी लेयर का पता लगाने के लिए उन्होंने शासन को निर्देश दिए हैं तो आखिर क्रीमी लेयर का पता किस आधार पर लगाया जाएगा ?

श्री शरद यादव : किसान आएगा उसमें ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप सुन लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस भावनात्मक विषय में किसान आए या न आए मगर इस बारे में शासन सभी पार्टी के सदस्यों को बुलाए और उसमें उच्च वर्ग और पिछड़े वर्ग सब लोगों को बुलाकर इस पर पुनर्विचार करें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की चार महीने की सीमा रेखा के अंतिम दिन आनन-फानन में बयान दिया है और उसके साथ यह कह दिया कि ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया जाता है। मतलब यह है कि उस समय भी माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं था कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट क्या है। उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पहले देश के सामने, संसद के सामने लाना चाहिये था ताकि लोग उस पर चर्चा करते, उसकी सच्चाई बुराई की मीमांसा करते और यह निर्णय करते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुकूल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे दो प्रकार की मंशा हो सकती है। जैसा अभी माननीय शरद यादव और श्री राम विलास पासवान जी ने बता दिया है, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता कि किस प्रकार विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल घोषित तौर पर इकोनोमिक राइडर लगा दिया है। यदि आप इजाजत दें तो मैं उसकी एक एक लाईन कोट कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बाद में।

श्री नीतीश कुमार : मैं अभी उसे छोड़ देता हूं, बहस के समय उन बातों को कहूंगा लेकिन उस विशेषज्ञ समिति ने कहा था—

[अनुवाद]

"आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होती है।"

[हिन्दी]

जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोश्यल एडवांसमेंट को ही हम लेंगे और मानेंगे, इकोनोमिक एडवांसमेंट को नहीं मानेंगे।

इसमें दूसरी खराब मंशा की बात है और बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे लोगों को हटा दिया गया, किसानों को हटा दिया, जो 65 परसेंट इरीगेटिड लैंड सीलिंग के नीचे हों, उनको हटा दिया। कितना बड़ा उसमें घपला है अध्यक्ष जी कि एम० पीज०, एम०एल०एज० ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

मैं उसके लिए आपको चांस दूंगा।

श्री नीतीश कुमार : एक बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस पूरी रिपोर्ट में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ-साथ गवर्नर के पद को भी हटा दिया गया है। सारे लोग और सबसे अधिक राजनैतिक लोग इस सवाल को उठाते हैं। समाज को यह मैसेज देने का काम इन्होंने किया है कि राजनैतिक लोगों ने अपने बाल-बच्चों के लिए आरक्षण की गारंटी कर ली और शेष सभी लोगों को आरक्षण से हटा दिया। मैं समझता हूं कि जानबूझ कर डिवाइड करने के उद्देश्य से इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को बीच में लाया गया है। मैं चाहता हूं कि इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को न माना जाए, उस पर पूरी चर्चा हो और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए।

श्री संतोषकुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, सरकार की नियत प्रारम्भ से ही साफ नजर नहीं आ रही है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यह विषय किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी छोटे तबके का नहीं है बल्कि पूरे देश की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। समय रहते यदि इस मामले में फैसला नहीं लिया गया, केन्द्र सरकार ने अपना जो निर्णय दिया है और जो बातें कही हैं, उनसे वास्तव में पूरे देश में विवाद और फिर से लड़ाई का माहौल पैदा होने की संभावना है।

आज यह होना चाहिए था कि न्यायालय के आदेश के बाद तत्काल आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की नीति साफ होती और क्रीमी लेयर के बारे में यदि कोई फैसला करना था तो वह बाद में बैठकर तय किया जा सकता था।

अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक किसान हूं और मुझे मालूम है कि किसान के पास सीलिंग के बाद जो जमीन बची रहती है, उसमें 60 परसेंट अगर इरीगेटिड लैंड है तो भी उससे एक किसान के परिवार का भरण-पोषण होना बिल्कुल असंभव है। निश्चित रूप से सरकार को देश के सामने ऐसी बात रखनी चाहिए थी कि उसका लक्ष्य यह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नवम् लोकसभा के मैनीफैस्टो में इन लोगों के आरक्षण की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। हमने कहीं भी दो तरह की बात नहीं कही थी। हमने यह जरूर कहा था कि समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से है, उन्हें आरक्षण दिया जाए परन्तु हमने इस मामले को उलझाने की बात कभी नहीं की थी। इस मामले में सरकार की नियत साफ नहीं है।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में तो विचार होता रहे और तत्काल नौकरियों में आरक्षण की बात की जाए और जब 27 परसेंट आरक्षण इन लोगों का पूरा हो जाए तो उसके बाद क्रीमी-

लेयर या दूसरे किसी विषय पर विचार होना चाहिए। इस बारे में निश्चित रूप से फैसला हो। इस समय अखबारों में जो नौकरियों के विज्ञापन निकल रहे हैं, उनमें कहीं भी इस प्रकार के आरक्षण की बात नहीं कही जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार : वह बात तो सही है परन्तु मैं विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं, जिसमें बहुमत के आधार पर फैसला लिए जाने की बात कही है परन्तु 9 में से केवल 4 सदस्यों ने ही ऐसा कहा है या इस तरह की बात कही है। निश्चित रूप से यह समाज को एक प्रकार से बांटने का काम हो रहा है। जैसा यहां नीतीश कुमार जी ने कहा, मेरे पास भी अनेकों लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं जिसमें वे कहते हैं कि आपने अपने पक्ष की बात कर ली और समाज के गरीब तबकों को छोड़ दिया। मैं आपको बहुत से लोग ऐसे दिखा सकता हूं, जो हो सकता है कि आर्थिक रूप से सम्पन्न हों, परन्तु सामाजिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि आरक्षण की तत्काल बात की जाए और क्रीमी लेयर के बारे में समाज के सभी हिस्सों को बीच में लाकर, उस पर उचित निर्णय लिया जाए।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी ने यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हुआ, उसका स्वागत किया है मगर अफसोस की बात यह है कि जब यह कमेटी बहाल की गई तो कांग्रेस के लोगों ने उसमें जो उनकी अपनी समझ आरक्षण के सवाल पर थी, उसे बैकडोर से सारे विचारों को उसमें समाहित करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार आर्थिक क्राइटेरिया को स्पष्ट तौर पर रिजैक्ट कर दिया था। कमेटी की रिपोर्ट में अगर किसी बात को लिया है तो वह आर्थिक क्राइटेरिया है। मंडल कमीशन की आत्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आत्मा के खिलाफ जाती है। इसलिए मेरी राय है, सरकार को तुरन्त ऐलान करना चाहिए। सरकार द्वारा कमेटी की रिपोर्ट की जल्दी स्वीकृति हुई है जबकि मैम्बर्स को कोई जानकारी नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक शीघ्र ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। जहां तक क्रिमीलेयर का सवाल है, लोगों को बुलाकर उस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या वे-आउट हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं जनता दल पार्टी के नेताओं और कुछ विपक्षी दलों की आकुलता को भलीभांति समझ सकता हूं। महोदय, यह बहुत अफसोस की बात है कि जब सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप से कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया है तो पूरे देश में एक गलत बात प्रचारित करने का प्रयास किया गया है कि इससे पिछड़े समुदाय लाभान्वित नहीं हैं। मैं एक पिछड़े समुदाय का हूं और केरल लोक सेवा आयोग का सदस्य रह चुका हूं। मेरा लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में बीस वर्ष का अनुभव है। में दावे से कहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में योग्य पिछड़े वर्गों को ही मंडल आयोग का लाभ देने के सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने में कोई समस्या नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि वे किसके हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या वे वास्तव में पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं ? (व्यवधान) महोदय, मैं यह अधिकारपूर्वक कह सकता हूं कि केरल में··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : एम० पी०, एम०एल०ए० को क्यों छोड़ दिया ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप इनका समय ले रहे हैं। जो कुछ वे कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें। आपसे तुरन्त उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। कृपया बैठ जाइये।

श्री ए० चार्ल्स : केरल में सरकार, विगत 25 वर्षों से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मुझे इस मुद्दे पर निर्णय करना है। ऐसे कई अन्य सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं आपको समय दूंगा।

श्री ए० चार्ल्स : इस मुद्दे पर मैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों को ही आरक्षण मिलता है जबकि वास्तव में पिछड़े लोगों की जो आरक्षण के लिए हकदार हैं उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। हम वास्तव में पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। आरक्षण पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है। मैं इस मामले पर विस्तृत चर्चा चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हिन्दुस्तान के गांवों में बहुत गरीब लोग रहते हैं। मैं भी बैकवर्ड कम्युनिटी का हूं, गरीब कुटुम्ब से आया हूं। हिन्दुस्तान में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण अभी दिया है लेकिन यह अभी भी गांव रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ पोलीटिकल, आई०ए०एस० लोग ही आरक्षण में सामने आ रहे हैं। सरकार ने जो क्रिमीलेयर लगाया है, वह बहुत बुरी चीज है।

बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन है वह उसी को मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास के नाम पर जो अमीर लोग लूट रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माफ कीजिए मैंने सोचा था कि आप किसी अन्य विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री आचार्य जी संक्षेप में बोलें। आपके पास कम समय में बहुत बातें कह डालने की एक अद्भुत क्षमता है।

श्री वसुदेव आचार्य : हम सभी लोग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और उस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब, वह रिपोर्ट सभापटल पर रख दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इन सभी तथ्यों की जानकारी है। कृपया असली मुद्दे पर आयें।

श्री वसुदेव आचार्य : यह हैरानी की बात है और हम इसे सदन की अवमानना समझते हैं कि सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने के तत्काल पश्चात् इसे सभापटल पर रख दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात समझें कि विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् यदि उन्हें सभापटल पर रख दिया जाता है तो सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन रिपोर्टों पर कुछ टिप्पणी करे। आप इस प्रक्रिया को नहीं जानते ?

श्री वसुदेव आचार्य : परन्तु उन पर बिना किसी चर्चा के कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है तो उन्हें आपत्ति करनी चाहिए थी।

श्री वसुदेव आचार्य : इस पर चर्चा कराए बगैर सरकार ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया ? मेरी यह मांग है कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन को प्रास्थगित रखा जाये।

जब तक रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो जाती तथा उस पर एकमत नहीं हो जाता तब तक उस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित न किया जाये। उस पर, यहां सदन में चर्चा की जानी चाहिए। सरकार द्वारा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाए और इस मुद्दे पर चर्चा करायी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस मुद्दे पर नेताओं के साथ चर्चा और परामर्श करना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, शुरू से सरकार की मानसिकता यह रही है कि इस मामले में टालमटोल किया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लम्बी बहस के बाद अपना जो निर्णय दिया है, उसमें आर्थिक मापदंड निर्धारित करने की कोई बात नहीं कही है। जो कमेटी का प्रतिवेदन आया है, उसमें साफ आर्थिक आधार की बात है। मान्यवर, इससे पिछड़े वर्गों में और आम जनता में भीतर ही बहुत गुस्सा है। जब शरद भाई बोल रहे थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सब लोग देख रहे हैं कि इस बारे में क्या फैसला होने वाला है ? कमेटी के प्रतिवेदन को अभी रोका जाये और सर्वदलीय बैठक करके कोई सामूहिक निर्णय लिया जाये। निर्णय होने के बाद इसे लागू किया जाये। हर हालत में आर्थिक मापदंड को समाप्त किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : यह एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। हम सभी मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के पक्ष में हैं। यदि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पिछड़े वर्गों के हित के खिलाफ है तो इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अन्यथा, हमें यह समझना चाहिए। कि सरकार पिछड़े वर्गों के हितों के खिलाफ है।

जहां तक हमारा संबंध है, 'क्रीमीलेयर' मानदण्ड अत्यधिक भ्रम उत्पन्न कर रहा है; उसे छोड़ देना चाहिए। वास्तव में हमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत और अधिक बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना है कि जो अन्य सभी सदस्य कहते हैं वह आपको भी स्वीकार्य है; आप यहां वही बात कह रहे हैं; आपको इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने प्रतिशतता के बारे में अपना प्रश्न उठाया। आपने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री पी० जी० नारायणन : इस सम्बंध में अन्य माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आबजर्वेशन है कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था उसको वह जुडिशियरी के द्वारा करना चाहती है।

[अनुवाद]

न्यायालय द्वारा जारी किया गया यह टिप्पणी बहुत गम्भीर है; और अब उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जोकि मंडल और उच्चतम न्यायालय से भी अधिक विशेषज्ञता प्राप्त होगी।

मेरी यह इच्छा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन, संसद को विश्वास में लेकर और सदन में पूरी चर्चा करके, किया जाये।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, इस वर्ग के साथ बहुत लम्बे समय से अन्याय हो रहा है। जो भी सरकार आती रही है, वह पिछड़े वर्ग का सहारा लेकर सत्ता में आती रही है लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो पिछड़े वर्ग की कोई बात नहीं सुनी जाती।

मण्डल कमीशन की जो रिपोर्ट लम्बे समय से लटकती आ रही थी, उसको इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू करने का फैसला किया, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी जो बैठाई गई, उस कमेटी के बारे में इस देश की जनता को कोई जानकारी नहीं है इसलिए जो देश की जनता चाहती है, वह यह है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाय, हूबहू लागू किया जाय, उसमें तोड़-फोड़ न की जाय ताकि आम पिछड़े वर्ग के लोगों को इन्साफ मिल सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं आपकी चीज में जब मदद कर रहा हूं तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जरा चुप बैठिए और मुझे कुछ कहने दीजिए।

आपने जो चर्चा की है, बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की है। आपकी जो भावना है, उसकी यह हाउस भी कद्र करता है, गवर्नमेंट भी कद्र करती है और लोग भी जरूर कद्र करेंगे, इसमें कोई शंका

नहीं है। आज यहां पर मिनिस्टर साहब भी हैं मगर मैं आज मिनिस्टर साहब को कुछ भी कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने मुझे कहा है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के लिए मैं जरूर टाइम निकालूंगा। यह ऐसा विषय है जिसके लिए चर्चा के लिए टाइम दिया जाय।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आचार्य, आप चुप क्यों नहीं रहते ? आप अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तीसरी बात मैं कहने जा रही हूं, मैं मिनिस्टर साहब से बिनती करूंगा कि हमारे जो सदन के साथी हैं, उन्होंने बड़ी तीव्रता और बड़ी गहराई से अपनी भावना व्यक्त की है इसलिए उनको बुलाकर उनके साथ कुछ चर्चा करें। उनके मन में अगर कोई मिसएप्रीहेंशन या कोई गैरसमझ है तो उसके लिए आप हाऊस में आने से पहले जरूर चर्चा करें।

[अनुवाद]

इससे आपको मदद मिलेगी। यदि आप चाहें तो मैं मंत्री महोदय को और आपको भी अपने कक्ष में आमंत्रित करके चर्चा कर सकता हूं। परन्तु कृपया आप पहले मंत्री जी के कक्ष में जाकर चर्चा कीजिए और चाय भी पीजिए और उसके बाद यदि आप संतुष्ट न हों तो मेरे कक्ष में आइए।

[हिन्दी]

इसके बाद इसके ऊपर दूसरी कोई चर्चा आज नहीं करने दूंगा। आज फाइडे है, मैं एक दो लोगों को एलाऊ कर रहा हूं। शहाबुद्दीन जी, आपका विषय मैं मण्डे को लूंगा, आज नहीं लूंगा। एक दो लोगों को मैं एलाऊ कर रहा हूं, उसके बाद मैं पेपर ले करने के लिए कह रहा हूं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख उत्पादन गन्ने का है और एकमात्र चीनी मिल 600 टन क्षमता की निजी हाथों में है जो बहुत जर्जर और पुरानी हो चुकी है। दो सत्र की वह पिराई नहीं कर पाई है। दस महीने से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। दो कर्मचारियों के परिवार में मृत्यु हो गई, वह अपने परिवार के लोगों की दवा नहीं करा पाये हैं, यह उनकी हालत है। उनकी बिजली पानी की सुविधा छिन गई है, उनका पूरा जीवन नारकीय हो गया है। किसान दो सत्र का गन्ना मिल पर नहीं ले जा पाया है, इसके कारण वह बहुत ही निराश और अक्रोश में है। कर्मचारियों में भी बहुत आक्रोश है। वह दस दिन से लखनऊ में धरने पर हैं लेकिन कोई भी उनको सुनने वाला नहीं है। मैंने महामहिम राज्यपाल से, मैंने राज्यपाल के सलाहकार, से मैंने खाद्य मंत्री से बार-बार यह अपील की है कि कर्मचारियों की बात को सुना जाय और किसानों की बात को सुना जाय और मालिकों से बात की जाय।

यह लोग कहते हैं कि चीनी मिल चलेगी लेकिन चीनी मिल को गवर्नमेंट टेक ओवर करने जा रही है। गवर्नमेंट उसको बेचने जा रही है या वर्तमान मिल मालिक से चलवाने जा रही है ? यह

मार्च का महीना है और वहां मिल पर अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं आया है। आज सुबह मैंने सैक्रेटरी से बात की है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मिल को चलाने के लिए विवाद के समाधान के लिए कमेटी बनाई थी···

अध्यक्ष महोदय : आज फाइडे है, आज जल्दी उठना है।

(व्यवधान)

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी में दे दी लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। मैं यह कहना चाहता हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि खलीलाबाद की चीनी मिल को चलाने के लिए तत्काल जो कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई से अवगत कराये और यथाशीघ्र वहां पर कार्य प्रारम्भ करवाये जिससे अगले सत्र में गन्ने की पिराई की जा सके। मिल के कर्मचारियों के वेतन को भुगतान करने की तुरन्त व्यवस्था करें, जिससे कि उनका दैनिक जीवन ठीक से चल सके। उनको जीविका की गारन्टी दें तथा खाद्य मंत्री जी इस बारे में बयान दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखें जायेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी देता हूं। अब आप वापिस अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप सदन में इस तरह अव्यवस्था नहीं फैला सकते। अब कृपया बैठ जाइए। आप सदन में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

1.06 म० प०

इस समय, श्री बीरेन्द्र सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

1.06½ म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

चाय अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चाय (संशोधन) नियम 1992, जो 16 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 932(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3628/93]

हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 213(2)-क के अन्तर्गत अध्यादेश

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 15 दिसम्बर, 1992 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिमाचल प्रदेश औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्यौहार छुट्टियां तथा आकस्मिक एवं बीमारी की छुट्टी) (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 3) जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 15 सितम्बर, 1992 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3629/93]

(दो) हिमाचल प्रदेश दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 4) जो 15 सितम्बर, 1992 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3630/93]

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : श्री जगदीश टाइटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 429(अ) जो 21 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 754(अ) जो 4 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डाक परिसर के अलावा) (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) आठवां संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 760(अ) जो 8 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कान्डला पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 891(अ) जो 24 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कान्डला पत्तन न्यास (आवास निर्माण के लिए अग्रिम अनुदान) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 23(अ) जो 15 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) सातवां संशोधन विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3631/93]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3632/93]

(ख) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1991-92 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3633/93]

(6) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3634/93]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षित की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3635/93]

तम्बाकू बोर्ड गुंटूर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3636/93]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च 1992 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 116(अ), जो 19 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जापानी येन को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को जापानी येन में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का० आ० 128(अ), जो 26 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने प्रयोजनार्थ कतिपय

विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का० आ० 128(अ), जो 26 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का० आ० 144(अ), जो 2 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का० आ० 145(अ), जो 2 मार्च 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3637/93]

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3638/93]

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1991-92 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :—

1. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3639/93]

2. कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3640/93]

3. बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3641/93]

4. हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा (पश्चिमी बंगाल) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3642/93]

5. कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3643/93]

6. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतल्ला ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3644/93]

7. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (यू० पी०) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3645/93]

8. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (यू० पी०) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3646/93]

9. सुबनसिरी गांवलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर (असम) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3647/93]

10. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3648/93]

11. तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उ० प्र०) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3649/93]

12. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उ० प्र०) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3650/93]

13. मालवा ग्रामीण बैंक, संगरुर (पंजाब) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3651/93]

14. जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3652/93]

15. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू (राजस्थान) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3653/93]

16. रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डापा (आ० प्र०) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3654/93]

17. मिजोरम ग्रामीण बैंक, ऐजल ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3655/93]

18. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर (राजस्थान) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3656/93]

19. कचार ग्रामीण बैंक, सिलचर (असम)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3657/93]

20. पांडया ग्राम्य बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3658/93]

21. नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3659/93]

22. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उ० प्र०)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3660/93]

23. शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3661/93]

24. छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उराई, जिला जालौन (उ० प्र०)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3662/93]

25. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3663/93]

26. हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3664/93]

27. सरन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3665/93]

28. संथान पदगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3666/93]

29. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3667/93]

30. बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3668/93]

31. मयूरक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी बीरभूम (पश्चिम बंगाल)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3669/92]

32. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3670/93]

33. रतनगिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रतनगिरि (महाराष्ट्र) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3671/93]

34. पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3672/93]

35. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3673/93]

36. उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3674/93]

37. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज (बिहार) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3675/93]

38. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी : देखिए संख्या एल० टी० 3676/93]

39. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लौर (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3677/93]

40. का बैंक नान्गक्यनडोंग रि खासी जैनतिया, (शिलांग) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3678/93]

41. गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह (बिहार) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3679/93]

42. देवास शाहजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3680/93]

सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्री मल्लिकार्जुन की ओर से मैं सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 1 जो 23 जनवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नियमित सेना की उन कोर/विभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें महिलायें अभ्यावेशन या रोजगार के लिए पात्र होंगी, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3681/93]

1.07 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के निगम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 मार्च, 1993 को हुई बैठक में पारित माल बहुविधि परिवहन विधेयक, 1993 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

1.07½ म० प०

राज्य सभा द्वारा यथापारित माल बहुविधि परिवहन विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 17 मार्च, 1993 को राज्य सभा द्वारा पारित माल बहुविधि परिवहन विधेयक, 1993 को सभा पटल पर रखता हूं।

———

1.08 म० प०

नियम समिति

(एक) दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 में उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

1.08½ म० प०

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री शरद दिघे : महोदय, मैं नियम समिति के दूसरे प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा-पटल पर रखता हूं।

———

1.08½ म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरू) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

1.09 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 15 मार्च, 1993 से 31 मार्च, 1993 तक इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायगा :—

1. (क) वर्ष 1993-94 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

   (ख) रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के संबंध में संकल्प पर चर्चा।

   (ग) वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।

   (घ) वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान।

2. (क) वर्ष 1993-94 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

   (ख) वर्ष 1993-94 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) पर मतदान।

   (ग) वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

3. जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बजट पर सामान्य चर्चा और इन बजट के संबंध में वर्ष 1993-94 के लिए लेखानुदान की मांगों तथा वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना—

   (क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993

(ख) मध्य प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993

(ग) राजस्थान राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1993

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993

5. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

6. माल का बहुआयामी परिवहन अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में माल का बहुआयामी परिवहन विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना ।

7. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 1993 पर विचार और पारित करना ।

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए सूचना देनी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए—

"देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता को निर्मूल करने के लिए "समान शिक्षा नीति" को लागू किया जाए । जिससे देश की एकता एवं अखण्डता के ढांचे पर आंच न आ सके ।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें—

(1) 24 मार्च, 1983 को संत झूलेलाल जी जयन्ती चेतीचन्द, (नावचांद) (चैत्र शुक्ल पक्ष) स्थापना नवरात्रा, विक्रम संवत् 2050 का शुभारंभ व डा० हेडगेवार जयन्ती के अवसर पर इस वर्ष भारत सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे और प्रतिवर्ष अवकाश इस रोज रखे जाने का प्रावधान करे ।

(2) राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा जाकर इसे मान्यता अन्य भाषाओं की तरह दी जाए ।

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :—

(1) अजमेर में चौहान सम्राटों द्वारा स्थापित तथा अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा विकसित एतिहासिक दुर्ग "तारागढ़" को पुरातत्व के अधिकार में लेकर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास करने की आवश्यकता ।

(2) ब्यावर में एन०टी०सी० द्वारा संचालित मिलों में कर्मचारियों की छंटनी नहीं करने तथा उन्हें नियमित रूप से चालू रखकर कार्य क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

(1) सामाजिक-बौद्धिक समरूपता, आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित छोटे राज्यों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के संबंध में चर्चा ।

(2) पुलिस तंत्र के पुनर्गठन और इसकी रचना, नियुक्ति और सामाजिक नियंत्रण पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के संबंध में चर्चा ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

(1) "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 30(2) को समाप्त किए जाने तथा धारा 26 में संशोधन किया जाए ।"

(2) अरबन सीलिंग एक्ट 1976 में उत्तर प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जाए ।"

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए ।

(1) उत्तर प्रदेश में तालबेहट जनपद ललितपुर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित राजा मरदन सिंह के किले को पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं ।

(2) उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में कन्या साइंस डिग्री कालेज की स्थापना हो ।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ ऋण वसूली की तारीख हमेशा की तरह 30 जून रखी जाए ।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

(1) बम्बई और कलकत्ता में शक्तिशाली बम विस्फोट से देश और उसकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने और हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के संबंध में गहरी चिंता पर चर्चा ।

(2) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मानदंड निश्चित करने हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.15 म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

1.14 **म०प०**

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए
2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.23 **म०प०**

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.23 म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज शुक्रवार है और हमें गैर-सरकारी सदस्यों के काम भी करने हैं । आमतौर पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए 3.30 बजे से 6.00 बजे तक का समय है किन्तु आज की कार्य-सूची में यह समय 4.30 बजे से 7.00 बजे तक का दिखाया गया है ।

महोदय, जैसाकि आपको जानकारी है गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय महत्वपूर्ण समय है और यह उचित होगा कि इसका कभी भी उल्लंघन न किया जाए । कई अवसरों पर जब सरकार कुछ कार्य करना चाहती है तो सदन की बैठक 6 बजे के बाद होती है और फिर कार्य शुरू होता है । परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय जो 3.30 म०प० आरम्भ होता है उसे आज सभा की अनुमति के बिना ही 4.30 म०प० दिखाया गया है । और जब मैंने इस बारे में जानने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि 1980 में उपाध्यक्ष महोदय ने एक टिप्पणी की थी और महोदय आप भी उपाध्यक्ष हैं । अब मैं उस टिप्पणी को पढ़ूंगा । 19 दिसम्बर, 1980 को उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि :—

> "इससे पहले कि अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना आरम्भ करें मुझे सभा को सूचित करना है कि कार्य मंत्रणा समिति की सहमति पर हम आज रात्रि 9.00 बजे तक बैठक कर रहे हैं । हम 6.00 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे और उसके बाद हम विधायी कार्य—सांविधिक संकल्प और अन्य विधेयकों पर विचार करेंगे ।"

अतः महोदय, इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि उस दिन सभा को रात के 9 बजे तक कार्य करना था । इस विषय पर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भी विचार किया गया था जबकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए 3.30 बजे से 6.00 बजे तक का समय सही निर्धारित किया गया था । महोदय, यहां पर हम देखते हैं कि हमारा 4.30 बजे का समय निर्धारित किया गया है । यदि सरकार अपना कार्य आरम्भ करना चाहती है तो उसे पूरी गणपूर्ति सुनिश्चित

करनी होगी। महोदय, इसी कारण गैर-सरकारी कार्य के समय को 3.30 बजे से बदल कर 4.30 बजे किया जा रहा है। यह नियमों के अनुसार नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि एक नियम 26 है जिससे पता चलता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर अंतिम 2½ घंटों में विचार किया जाना चाहिए। यह नियम 26 है। परन्तु, महोदय इस नियम के मूल तत्व (आशय) पर विचार किया जाएगा और 1980 का निर्णय जिसे मैंने अभी पढ़ा है, नियम के मूल तत्व पर विचार करता है और उस मूल तत्व को कायम रखना चाहिए। अन्यथा आगामी शुक्रवार को भी यह बात होगी और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम एक घंटा अधिक कार्य करके सरकार को सहयोग दे रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है और निश्चय ही हम काम करेंगे परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किए गए समय पर नहीं। मैं आपका निर्णय चाहता हूं और आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। केवल यही किया जा सकता है। ऐसा निर्णय कभी भी नहीं लिया गया था कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 4.30 बजे शुरू होना चाहिए। उससे पहले ऐसा निर्णय कभी भी नहीं लिया गया था तो अब यह कैसे हो सकता है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राम नाईक ने जो सवाल उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले सत्र में, इसी दसवीं लोक सभा में जहां तक मुझे स्मरण है, तिथि का स्मरण नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेम्बर बिजनेस टेकअप किया गया था तीन बजे और साढ़े पांच बजे तक वह चला था, हो सकता है तब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र चले गये हों या कोई दूसरी व्यस्तता हो यह महत्वपूर्ण सवाल सदन के नोटिस में नहीं आया। इन्होंने बताया और रूलिंग का हवाला दिया तो मेरे दिमाग में यह बात आई और इसको भी यहां रखना मैंने मुनासिब समझा कि आप इस पर प्रॉपर रूलिंग दे सकें।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही महत्वपूर्ण सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं। मालिनीजी, अनिल बसु, महतो जी और मैं आज बदरपुर गये जहां सैंकड़ों गरीब लोगों के घर केवल इसलिए उजाड़े जा रहे हैं कि प्रधान मंत्रीजी को कांग्रेस के अधिवेशन में जाना है। अभी भी वहां बुलडोजर लगे हुए हैं, लोग उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के मकानों को लूटा जा रहा है। इस पर आप रूलिंग देंगे ही, इतना तो मैं जानता हूं कि आपकी रूलिंग अनुकूल होगी कि किसी भी हालत में प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस है उसका समय है किसी भी कीमत पर नहीं काटा जाना चाहिए। इस बात को आप स्वीकार ही कर रहे हैं, इसको बल प्रदान करने की मेरी मंशा नहीं है, क्योंकि आपकी मंशा, आपकी भावना, आपके व्यक्तित्व को और विचारों को मैं जानता हूं। इसलिए आप जब यह व्यवस्था देंगे तो यह स्वतः ही देंगे कि किसी भी कीमत पर निजी सदस्यों का अधिकार है उनका जो समय है वह किसी भी हालत में नहीं काटा जायेगा। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं आपकी उदारता का उपयोग कह लीजिये, सदुपयोग कह लीजिये, दुरुपयोग कह लीजिये, गरीब लोगों के हित में मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। क्योंकि उस भूमि और भवन के सामने सरकार की भी जमीन है, डी०डी०ए० की जमीन है। यदि सड़क को सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ा करने का आवश्यकता है तो डी०डी०ए० की भी जमीन है, गरीब लोगों की जमीन लेने यह उन्हें उजाड़ने से कोई लाभ नहीं है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इस बात का निर्णय करना अंततः सदन पर निर्भर करता है परन्तु हमारा विचार है कि इस पर चर्चा जारी रखनी होगी। मुझे इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी है। इसे जारी रखने का प्रयास किया गया था ताकि हम कुछ कार्य समाप्त कर सकें। उनका यह दृष्टिकोण है कि वे कहते हैं कि आमतौर पर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को बदला नहीं जाता है। निःसंदेह मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि उनके समय को कम नहीं किया जा सकता बल्कि समय में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु इसी समय मैं सदन के ध्यान में इस बात को लाना चाहूंगा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस महीने के अंत तक अर्थात् 31 तारीख तक अवकाश था क्योंकि हम 1 तारीख से 19 तारीख तक अंतर-संसदीय संघ के सम्मेलन में व्यस्त थे, हमारे पास कई विधेयक हैं जो अध्यादेशों का स्थान लेंगे जिन पर हम विचार करेंगे और उन्हें पारित करेंगे। हमारे पास रेल बजट है, हमारे पास विनियोग विधेयक है तथा दुर्भाग्यवश हमारे सामने समय सीमा है, अर्थात् इस माह की 31 तारीख। जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, यदि विपक्ष इस संबंध में इतना आग्रह कर रहा है तो महोदय इस संबंध में निर्णय करना सभापति का कार्य है। इसको रोकने से हम सब को असुविधा होगी, केवल सरकार को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि समस्त सदन को नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब मैं सभा पटल पर अध्यादेशों तथा व्यक्तव्यों की प्रतियां रख रहा था, तो विपक्ष के नेता ने कहा था कि अत्यधिक अध्यादेश लाए जा रहे हैं तथा मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि उन अध्यादेशों में से सात वास्तव में उन अध्यादेशों के स्थान पर रखे गए हैं अथवा पुनः प्रख्यापित किए गए हैं जिन्हें विगत सत्र में पारित नहीं किए जा सका। मेरा यह विश्वास है कि यदि हम अपना कार्य नहीं करेंगे, अर्थात् विधायी कार्य तथा प्रत्येक अन्य कार्य करने की हमारी प्रवृति होगी, तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जिसमे हमारा समस्त सदन, सरकार सहित ऐसी परेशानी में फंस जायेंगे—मैं इस समय सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस सदन के एक सदस्य के रूप में बोल रहा हूं।

महोदय, सरकार की ओर से, मैं उसके इस दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं। ऐसा नहीं है कि उनका दृष्टिकोण असंगत है अथवा संदर्भ से पूर्णतया बाहर है। लेकिन हमारे समक्ष एक समस्या है; यह केवल सरकार की समस्या नहीं है, बल्कि यह सदन की भी समस्या है। जहां तक सदन ऐसा सोचता है हम उससे सहमत हैं। अंततः सदन के निर्णय का महत्व होता है, यह सरकार का निर्णय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके लिए कोई अड़चन है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : केवल एक अड़चन है, निरन्तरता टूटेगी। उदाहरण के लिए, इस समय, हमारे सामने यह स्वर्ण बांड विधेयक है जो कल से आना था। अब, हम इस पर अटल जी के भाषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा अटल जी के भाषण के पश्चात् वह चर्चा समाप्त हो जाएगी तथा वन्य जीव विधेयक है जो बहुत साधारण है। यदि हम सभी सोच-समझकर चलें, तो हम समस्त कार्य को पारित कर सकते हैं। वास्तव में, कोई अड़चन नहीं है, यह केवल एक आपसी समझ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम नाईक तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को उचित ठहराता हूं तथा जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, हम मूल समय-सूची का पालन करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी कहा, उसके बारे में क्या हुआ ? सरकार क्या इस पर उदारतापूर्वक विचार करने को तैयार है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह मामला शून्यकाल के दौरान उठाना चाहिए था, उस समय सरकार इसका उत्तर देती । अब, हम सरकार को इसका उत्तर देने के लिए नहीं कह सकते ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : इस पर सरकार आगे वक्तव्य दे दे । आप सरकार को निर्देशित कर दें । हम लोगों के सुझाव पर सरकार विचार करे और सोमवार को वक्तव्य दे ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप संबंधित मंत्री से मिलिए और वह मंत्री निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 13 तथा 14 पर आगे चर्चा प्रारम्भ करेंगे । श्री अटल बिहारी वाजपेयी ।

2.34 म० प०

स्वर्ण बांड (उन्मुक्तियां और छूट) अध्यादेश, का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
तथा
स्वर्ण बांड (उन्मुक्तियां तथा छूट) विधेयक—जारी

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण बांड (उन्मुक्तियां और छूट) विधेयक, 1993 का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

यह आवश्यक नहीं था कि इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता । पिछले दो साल से इस सदन में यह सुझाव दिया जाता रहा है कि लोगों के पास जो सोना एकत्र है, उसे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रयुक्त करने की दृष्टि से योजना बनाई जानी चाहिए । लेकिन सरकार सही कदम उठाती है लेकिन सही समय पर नहीं उठाती है । उठाती है तो पूरे मन से नहीं उठाती है, अधमने होकर

उछलती है, सहमते-सहमते उछलती है। पिछले साल के बजट में एन०आर०आईज को सुविधा दी गई थी कि वे अपने साथ सोना ला सकते हैं। बड़ी मात्रा में हमारे देश में चोरी छिपे सोना आता है। भारत संसार में सबसे बड़ा सोने का बाजार बन गया है। लेकिन लोग सोने का मोह छोड़ते नहीं है। आज भी जेवरात की दुकानों में लोग भरे होते हैं, दुकानें भरी होती हैं। शादी-ब्याह में जेवर एक आवश्यक हिस्सा बन गये हैं। सोने की मांग है। हम तो सोना निकालते नहीं हैं, नाम-मात्र के लिए निकालते थे, वह भी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। इसलिये उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और एक तरह से यह ठीक भी है।

दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में, और रूस में बड़ी मात्रा में सोना निकाला जाता है और हमारे यहां चोरी-छिपे लाया जाता है। इसीलिए मैंने सुझाव दिया था कि आप एन०आर०आईज० को सोना लाने की इजाजत दे दें और इजाजत दी गयी, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उस समय मैंने कहा था कि यह 15 परसेंट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिये, उस समय सरकार ने नहीं माना। बाद में साढ़े सात परसेंट ड्यूटी कर दी गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां सरकार का अनुमान था कि 31 मार्च, 1993 तक 35 टन सोना आयेगा और मेरा अनुमान था कि 150 टन आयेगा, वे दोनों अनुमान गलत निकले। देश में 120 टन सोना आया, साल के पहले 11 महीनों में, जिससे सरकार को 350 करोड़ फौरेन एक्सचेंज की उपलब्धी हुई और देश में 2,700 करोड़ रुपये का सोना आया।

जब सरकार यह बाण्ड की योजना लाई है। मेरी तो इच्छा थी कि दोनों काम साथ-साथ होने चाहिये लेकिन वित्त मंत्री जी की कठिनाइयां थीं। मैं नहीं जानता कि वे कौन सी कठिनाइयां थीं। लेकिन अब यह सरकार बाण्ड की योजना लेकर आयी है। इस बाण्ड की योजना में भी, मैं देख रहा हूं कि हिम्मत के साथ फैसले नहीं किये जा रहे हैं। सरकार 300 टन सोने का अनुमान लगा रही है, लेकिन किस आधार पर? आज देश में कितना सोना है—क्या साढ़े सात हजार टन है—मेरा अनुमान है कि 10 हजार टन सोना भारत में है और अगर विदेशी आंकड़ों को देखें तो 10 हजार टन से 20 हजार टन तक सोना वे आंकते हैं। आज गरीब भी सोना रखता है, सोने की पुड़िया बनाकर, कपड़े में लपेट कर, कहीं न कहीं, काठ की सन्दूक में या कोने में बड़ा सहेज कर रखता है। उस गरीब के सोने पर हमारी नजर नहीं होनी चाहिये। आड़े वक्त के लिये उसने सोना रखा हुआ है।

यद्यपि सोने के दाम दुनिया में बढ़ नहीं रहे हैं और बढ़ेंगे भी नहीं, और भारत में भी जो स्वर्ण-प्रेमी लोग हैं, उन्हें भी समझाने की जरूरत है कि सोने का मोह छोड़ो, सोने की माया में ज्यादा मत फंसो, अब चोरी-छिपे सोना आने के रास्ते कम हो रहे हैं, अब सोने की मांग कम हो रही है और सोना आपके पास है, उसे ऐसे काम में लाओ कि आपको भी धन मिले और राष्ट्र को भी सहायता मिले। उसी के लिये यह बाण्ड की योजना है और इसका विचार बहुत अच्छा है लेकिन 300 टन का इतना कम अनुमान आपने किस आधार पर लगाया। क्या इसका कारण यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में जनता को इस आन्दोलन के साथ जोड़ना नहीं चाहती, क्या यह आन्दोलन केवल सरकार का आन्दोलन, अफसरशाही का आन्दोलन बनकर रहेगा कि "जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला"। यह भाव नहीं होना चाहिये।

जब मैंने स्वर्ण बाण्ड के बारे में सुझाव रखा था तो मेरी कल्पना यह थी कि एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में इसको बदला जाएगा। देश गहरे आर्थिक संकट में है। हम विदेशी कर्ज में डूब रहे हैं और उस ऋण के कारण हमारे ऊपर ऐसी शर्तें लगायी जा रही हैं, जिनके बारे में कभी-कभी लगता है कि वे हमारे स्वावलम्बन की नीति के खिलाफ हैं, हमारे स्वाभिमान के प्रतिकूल हैं। ऐसे समय आर्थिक संकट से मुक्त होने के लिये अगर लोगों का आह्वान किया जाए और यह ठीक है कि आह्वान के साथ आकर्षक शर्तें भी होनी चाहिये। लोग यदि अपना सोना सरकार को दें तो उसके बदले में क्या लें लेकिन इस सरकार ने जो योजना रखी है, वह पर्याप्त आकर्षक नहीं है। मैंने पिछली बार भी कुछ सुझाव दिये थे, कल हमारे मित्रों ने भी कुछ सुझाव दिये होंगे, अब वित्त मंत्री जी आ गये हैं, इसलिए मैं उनके सामने रखना चाहता हूं कि यह काम केवल सरकार का नहीं है। लोगों में एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि एक काउंसिल बनानी चाहिए—गोल्ड काउंसिल फार नेशनल प्रौसपैरिटी। उसमें गैरसरकारी लोग भी रखे जाएं। प्रतिपक्ष का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। उद्योगपति, किसानों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि लिए जा सकते हैं। 50 लोगों की एक ऐसी परिषद बनाई जाए और वह लोगों से अपील करे। लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा। उनके मन में भरोसा जमेगा कि सोना लिया जा रहा है तो देश की भलाई के लिए लिया जा रहा है और सोना वापिस मिलेगा। अब हमने योजना रखी है। हमने कह दिया कि बैंकों में जमा कर दें। क्षमा कीजिए, बैंकों की विश्वासनीयता थोड़ी कम हुई है और बैंकों के कार्यभार में बड़े सुधार की गुंजाइश है। आखिर तो बैंकों को तस्वीर में लाना पड़ेगा।

आपको जनता से सीधी अपील करनी चाहिए। मैं तो आशा करता था कि वित्त मंत्री टेलीविजन पर जायेंगे, खाली बजट के समय नहीं। प्रधानमंत्री यह काम हाथ में ले सकते थे। जैसा गहरा आर्थिक संकट है, उसके अनुरूप हम जनता को उद्वेलित और संगठित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं?

50 लोगों की एक काउंसिल हो। प्रौसपैरिटी के लिए लोगों का आह्वान करें कि आप सोना दीजिए क्योंकि घरों में सोना पड़ा रहेगा, तहखानों में पड़ा रहेगा, वे बिस्कुट किसी काम आने वाले नहीं है। भाव बढ़ेगा नहीं, कम होने की संभावना है। कम होने के आसार दिखाई भी दे रहे हैं। लोगों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा सोना दो और इसके लिए उनके सामने कुछ आकर्षक बातें रखनी पड़ेंगी। सोने के बदले सोना दिया जा सकता है। वह तो एक विकल्प है। लेकिन अगर आप चाहें तो लोगों से कह सकते हैं और मैं दस साल की अवधि रखने के पक्ष में हूं। दस साल के लिए बांड होना चाहिए और लोगों से कहा जाना चाहिए कि दस साल बाद आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप सोना वापिस चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर वे सोना लेना नहीं चाहते तो सरकार उनके सामने एक आकर्षक विकल्प रखे। मैंने इस संबंध में तीन विकल्प बताए हैं।

[अनुवाद]

उस सोने के बदले जमीन लेना।

[हिन्दी]

जमीन की कीमत बढ़ रही है। भूमि बड़ी महंगी होती जा रही है। जमीन के दाम और भी बढ़ेंगे। 10 साल या 5 साल बाद लोग जमीन खरीदना चाहेंगे। उन्हें नगर के अच्छे स्थान पर जमीन देने का वादा किया जाए सोने के बदले में, कैनटोनमेंट में बहुत सी जमीन पड़ी है। सुरक्षा के लिए जितनी जमीन आवश्यक है, उसे अपने पास रखकर बाकी जमीन लोगों को दी जा सकती है। क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

[अनुवाद]

लाभ कमाने वाली सरकारी कम्पनियों के शेयर लेना।

[हिन्दी]

मैंने उसके डिटेल्स बताए हैं। पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की कुछ कम्पनियां बहुत अच्छी चल रही हैं। यह धारणा गलत है कि अब पूरा पब्लिक सैक्टर विफल हो गया है, पूरे पब्लिक सैक्टर पर पानी फेर देना चाहिए। हमारी पार्टी इस विचारधारा से सहमत नहीं है। हां, जो घाटे में चल रहे हैं उनके लिए प्रबन्ध करना चाहिए। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। मगर देश में कई कम्पनियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की टक्कर में खड़ी हो सकती हैं। मुनाफा कमा रही हैं। उनके शेयर लोग खरीद सकते हैं। जो सोना देता है उसको यह छूट देनी चाहिए कि तुम अगर चाहो तो ऐसी कम्पनियों के शेयर खरीद सकते हो। मैंने तीन औपशन्स रखे हैं। मैं वित्त मंत्री की सुविधा के लिए अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

विकल्प संख्या एक—स्वर्ण बांडों का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तन। स्वर्ण का मूल्य इसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर निर्धारित करना तथा रुपये को सरकारी दर पर परिवर्तनीय बनाया जाये।

विकल्प संख्या दो—स्वर्ण बांडों का केन्द्रीय सरकार के पूल की शहरी भूमि में परिवर्तन जिसका मूल्य देय धनराशि के बराबर हो।

विकल्प संख्या तीन—स्वर्ण बांडों का बड़ी तथा लाभ कमाने वाली निजी भारतीय कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन, जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशकों को बेचे जायें, ऐसे शेयरों का मूल्य विकल्प संख्या एक के अन्तर्गत देय धनराशि के बराबर हो।

[हिन्दी]

प्राइवेट कम्पनियों में भी सरकार की पूंजी लगी हुई है, बड़ी मात्रा में लगी हुई है। उनके शेयर भी सोने के बदले में दिए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई आकर्षक योजना रखी जाये तो इस देश में दो हजार टन सोना इकट्ठा करना असम्भव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन लोगों को आन्दोलित करना पड़ेगा। एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। हम सब के राजनीतिक मतभेद और मामलों में होंगे, लेकिन भारत को ऋण मुक्त बनाना है। ऐसी स्थिति लाने के लिए अगर लोगों से कहा जायेगा कि जो उनके पास

सुरक्षित सोना पड़ा हुआ है, उसे वे सरकार को दें और बदले में उनके सामने कई विकल्प रखे जायें। अभी तो कोई विकल्प नहीं है। 3 महीने की अवधि दी गई है, क्यों ? उसके बाद समय जो रखा गया है, वह भी कम है। शर्तें आकर्षक नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इसीलिए जब यह सुझाव शुरू में रखा गया था तब इसी भाव से रखा गया था। उस समय देश में वातावरण भी अच्छा था। क्षमा करिए, यह सही है कि वातावरण बिगड़ गया है। देश में एक भीड़भेड़ की राजनीति चल रही है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिन के समाधान के लिये हम दलगत राजनीति के उपर उठ सकें और एक मुद्दा ऐसा हो सकता है, लोगों को सोना देने के लिये प्रेरित करना।

अगर आप कौंसिल नहीं बनाते और कौंसिल का स्वरूप ऐसा नहीं बनाते जो लोगों में विश्वास पैदा कर सके तो फिर बैंक के दरवाजे खुले हैं, कानून पास हो जायेगा, जिन्हें सोना जमा करना होगा, वे सोना जमा करेंगे, मगर वह बात नहीं बनेगी।

वित्त मंत्री जी यह जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, वह बड़ी गहराई से विचार करके लाए हैं। अब उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सहम कर कदम नहीं उठाना चाहिए और इस संबंध में राष्ट्रीय अभियान आरम्भ करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस काम में हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, यह मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, आपकी अनुमति से इस सदन में आज अधिनियमित किए जाने वाले तथा कथित अध्यादेश पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

मुझे इस स्वर्ण बांड योजना के संबंध में माननीय वरिष्ठम सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को सुनने का सौभाग्य मिला है।

उद्देश्य तथा कारणों के कथन में सरकार ने कहा है कि वह सरकारी भण्डारों में वृद्धि करने के लिए आम नागरिकों के बेकार पड़े स्वर्ण संसाधनों को एकत्रित करने के लिए एक स्वर्ण बांड योजना प्रारम्भ करेगी तथा प्रस्तावित स्वर्ण बांड पर आयकर नहीं लगेगा।

सभी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन क्या यह योजना इस देश के आम नागरिकों को आकृष्ट करेगी अथवा उन कर-अपवंचकों को आकृष्ट करेगी, जिन्होंने इन 45 वर्षों के दौरान सरकार को धोखा दिया है ? तथा हम ऐसे लोगों को सभी उन्मुक्तियां प्रदान कर रहे हैं। यह उन देशभक्तों, उन देश प्रेमियों के लिए तोहफा है ! अब वे इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्माण में गलत आर्थिक नीतियों के द्वारा देश के समक्ष वर्तमान आर्थिक संकट का समाधान करने के लिए निवेश करेंगे।

मैं, हमारे वरिष्ठतम नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनके विचारों से असहमति प्रकट करता हूं। पूरी योजना है ही केवल इसलिए कि काला धन रखने वाले लोग उसे सफेद धन में बदल सकें। इससे अधिक यह कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात और सीधे-सादे शब्दों में कहूंगा। हमने विगत में काले धन को सामने लाने के लिए इस प्रकार की कई योजनाएं शुरू की थीं जिसमें उस काले धन का उपयोग विकास संबंधी गतिविधियों के लिए करने हेतु कतिपय रियायतें भी दी गई थीं।

माननीय वित्त मंत्री अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वह उसमें एक विशेषज्ञ हैं। मैं न तो उनकी इमानदारी अथवा उनकी कार्यकुशलता पर और न ही उनके ज्ञान, विशेषरूप से अर्थशास्त्र के बारे में, पर कोई प्रश्नचिन्ह लगाना चाहता हूं। इस मुद्दे पर मैं बहुत सीधे-सादे शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा।

मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इससे पिछली योजनाओं के जरिए कितना धन प्राप्त किया जा सका जब हमने 1965 अथवा 1975 की 'वालेन्टरी डिसक्लोजर स्कीम' अथवा 1981 की 'स्पेशल बियरर बान्ड्स', 1985-87 की 'एमनेस्टी स्कीम' अथवा 1991-92 की 'नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम' और उससे पूर्व 1951 की 'त्यागी डिस्क्लोजर स्कीम' लागू की थी ? मैं निष्पक्षतापूर्ण कहना चाहूंगा कि मैं नहीं समझता कि सरकार को इन बांडों से उतना धन प्राप्त हुआ है जितने की उसे आशा थी अथवा जितने धन की घोषणा उन दिनों की गई थी। मैं आज भी इसके बारे में साफ-साफ कहना चाहूंगा कि योजना लागू किए जाने से पूर्व ही आपने यह सोचते हुए 30 जनवरी 1993 को अध्यादेश लाने का निर्णय कर लिया कि सत्र शुरू होने के पूर्व इससे कुछ धन प्राप्त कर लिया जाएगा। कारण कुछ भी हों, मैं सरकार की वास्तविक प्रामाणिकता पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। जब सदन की बैठक पिछले महीने की 24 तारीख को होने वाली थी तो वह इसे अचानक क्यों ले आई ?

आगे, आप्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में जो कुछ किया गया वह यह है कि इसमें पिछले बजट में सरकार द्वारा कतिपय लाभ दिए गए थे। हमारे वरिष्ठ नेता बता रहे थे कि गत वर्ष जो लाभ दिया गया उसके कारण 2,500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। आज विदेशी मुद्रा भंडारण, आपके अपने ही आंकड़ों के अनुसार, 5.26 बिलियन डालर का है। मेरे विचार में, यह वह वास्तविक विदेशी मुद्रा नहीं है जो हमारे निर्यात में हुए सुधार के कारण अर्जित की गई थी। यह केवल वित्तीय संस्थाओं से उधार ली गई मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है। हमने यह मुद्रा उस खाते में डाल दी है और अब वहां 5.26 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है। मैं माननीय मंत्री से केवल एक सीधा प्रश्न करना चाहूंगा। आपने इस अध्यादेश अथवा विधेयक में यह गारण्टी दी है कि आज पांच वर्षों के बाद 40 रु० ब्याज के साथ अथवा जो भी लाभ देने की आपकी मंशा हो, सोना लौटाएंगे। यदि, उस समय, विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी अनुकूल न हुई हो तो क्या आप सोना लौटाने में सक्षम होंगे ? मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं। आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए यह बात 1990-91 में सोची गई थी और आपने 1992 के बजट में इस 'गोल्ड बांड स्कीम' को लागू करने की घोषणा की थी। मान लीजिए, पांच वर्षों के बाद, जो भी सोना अभी आप इकट्ठा करने जा रहे हैं या इस योजना के जरिए आपको प्राप्त होने जा रहा है, यदि अगले पांच वर्षों के दौरान आपकी विदेशी मुद्रा की स्थिति, उतनी नहीं सुधरी जितनी कि आपने आशा की है, तो यह योजना आपके लिए किस तरह से सहायक होगी—क्या यह सोना 300 टन अथवा 400 टन अथवा 10000 टन है। मैं अपने ख्यालों और कल्पनाओं के अनुसार कोई आशा नहीं करना चाहता। हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि आप प्रत्याशित सीमा तक विदेशी मुद्रा नहीं उपार्जित कर पाते हैं, तो आप स्वर्ण बांड धारकों को उनका सोना किस तरह वापस लौटाएंगे ? कृपया इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए। यदि आपका उद्देश्य स्थिति पर काबू पाना और जब भी आवश्यक हो उस सोने को विदेशी बैंकों में गिरवी रख कर विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार करना है तो आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि आज हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं उस पर हम अपनी विकासात्मक गतिविधियों

के जरिए विजय पाएंगे। मेरे विचार में, इससे हमें वह फल नहीं प्राप्त होने जा रहा है अथवा उतना नहीं प्राप्त होने जा रहा है जितने की आपने आशा की है। आज, यह प्रासंगिक नहीं है। 1991 और 1992 में स्थिति बिलकुल भिन्न थी। और आज, आप द्वारा विश्व बैंक के सामने जाकर उसकी सारी शर्तों को मानकर कर्जा लेने पर चाहे जो भी अन्य टिप्पणियां हों, आपकी विदेशी मुद्रा की स्थिति थोड़े दिनों के लिए ही सुधरी है।

यह 'गोल्ड बांड स्कीम' हमें कोई प्रमुख अंशदान देने नहीं जा रही है। अंशदायी कारक तो वह था जब आप विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गए थे और स्थिति से निपटने के लिए ऋण लिया था। जैसाकि मैंने पहले कहा है आज की स्थिति में यह उतना प्रासंगिक नहीं है।

महोदय, हमें सबको अपने-अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। क्या हम देश में काले धन की समस्या से निपटने के लिए अपनी कराधान संबंधी विधियों में व्याप्त कतिपय दोषों को नहीं दूर कर सकते हैं? सफेद धन की चोरी काले धन के रूप में की जा रही है जो कार्यकारी प्राधिकारियों अथवा कराधान संबंधी नियमों—जिन्हें इसी सदन द्वारा पारित किया गया है—को लागू करने वाले अधिकारियों की असफलता के कारण संभव हो रहा है।

महोदय, मैं एक और प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से पूछता हूं। क्या आप कराधान कानून की उन सभी खामियों को दूर करने के लिए एक विस्तृत विधान लाने पर नहीं सोच सकते हैं जिसके जरिए करों की चोरियां हो रही हैं? आज कर विभाग केवल तंग करने के लिए रह गया है। जिन लोगों का कोई राजनैतिक अथवा अफसरशाही प्रभाव नहीं है उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं बिलकुल साफ बोलता हूं। वे सभी लोग जिन्हें—राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है—मैं इसका सामान्यीकरण नहीं करने जा रहा, कुछ राजनीतिक लोग जिनके संबंध बड़े घरानों अथवा बड़े उद्योगपतियों अथवा बड़े व्यापारियों से हैं—उनके हितों—कर चोरों का हित—की रक्षा कर रहे हैं और इसमें अफसरशाही भी अपना सहयोग दे रही है। कृपया, मुझे अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहने दीजिए। छोटे लोगों को इससे बिलकुल भी फायदा नहीं होने जा रहा है?

महोदय, हम यहां पिछले दो वर्षों से बैठे हुए हैं और हम कैसे इस सभा के बहुमूल्य समय को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने अथवा उन समस्याओं को सुलझाने में लगा रहे हैं जिनका कि हम आज सामना कर रहे हैं? हम अपने अधिकतर समय को विभिन्न अन्य कारणों पर व्यतीत कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हैं। हमारे वरिष्ठतम नेता श्री वाजपेयी महोदय ने यह कहा है कि उनका अनुमान यह है कि इस देश में लगभग 10,000 टन सोना है। यह किसके पास है? आपको कितना सोना मिला है। आपको लगभग दस एकड़ भूमि मिली होगी। मुझे इस बात का खेद है कि आप उपाध्यक्ष हैं और मेरे मन में आपके प्रति सबसे अधिक आदर है, किन्तु क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक किसान के रूप में आपके पास घर में कितना सोना है? मुझे इसका पता नहीं है। किसी भी ऐसे संसद सदस्य के पास जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, घर में कितना सोना उनके पास है? तब यह 10,000 टन सोना कहां पर है? यह किसकी देखरेख में रखा हुआ है? यह कर चोरों के पास और काले धन के रूप में है। माफिया गिरोह के उन लोगों ने

जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया हुआ है, उन्हें इस देश में कुछ निहित स्वार्थों का समर्थन प्राप्त है। यह एक गम्भीर संकट है क्योंकि वे इस देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर रहे हैं।

महोदय, क्या हम इतने निस्सहाय हैं ? क्या हम इतने असक्षम हैं कि इस प्रकार की धोखाधड़ी को नहीं रोक सकते हैं ? भूमिगत माफिया गिरोह इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगा हुआ है और हम सभी मूकदर्शक ही बनकर रह गए हैं। हम सभी असहाय बन चुके हैं और हम अपनी असहायता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे इस पूरी बात पर ही खेद है जिसकी इस स्वर्ण बांड के माध्यम से यह गुन्जाइश पैदा होती है। इससे काले धन को सफेद में परिवर्तित करने में सहायता मिलती है। इसमें इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इससे स्थिति बिलकुल भी सुधरने वाली नहीं है और यदि आप यह अपेक्षा करते हैं कि देश के विकास के लिए कुछ और मिलने वाला है, तो मुझे तो इस बात पर खेद है।

इसके लिए प्रयुक्त अभिव्यक्तियों में से एक "देशभक्त" थी। उन कर चोरी करने वाले और माफिया गिरोह को जो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं उन्हें यदि हम सच्चे देशभक्त कहकर पुकारते हैं तो फिर शब्दकोष में इसका अर्थ पुनः लिखा जाना चाहिए। इतनी कठोर भाषा का प्रयोग करने पर मुझे बहुत खेद होता है। मैं ये बातें अत्यधिक पीड़ा और गुस्से में कह रहा हूं और पिछले पैंतालीस वर्षों के दौरान जो कुछ हुआ है उस पर मुझे वास्तव में खेद है और फिर उस दौरान सत्ता में जो कोई भी रहा हो।

3.00 म० प०

और अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से, जिन्हें कि अर्थव्यवस्था के संबंध में वित्तीय मामलों का वृहत ज्ञान है, उन क्षेत्रों को देखने का प्रयत्न करने का अनुरोध करता हूं जहां पर विभिन्न कानूनों के अन्दर कमियां हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना सम्पत्ति कर दिए अपना घर बना सकता है। पहले इसके लिए 15 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित थी। आज उन्होंने कहा है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और यदि कोई व्यक्ति पांच करोड़ रुपए खर्च करके घर बनाता है, तो उसे यह छूट मिल सकती है। यह किसके लाभ के लिए है ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति मात्र एक ही घर 2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाना चाहता है, तो उसे सभी छूटें मिल सकती हैं। यही वह मार्ग है जिससे हम समाज के प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं न कि किसी वास्तव में गरीब व्यक्ति अथवा मध्यम श्रेणी के किसी व्यक्ति अथवा कम आय वर्ग वाले किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वे यहां केवल अपने ही हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं।

इसलिए मैं उनसे इस मामले को देखने का अनुरोध करूंगा। पिछले बजट भाषण में उन्होंने इस सभा को यह पक्का आश्वासन दिया था कि वे पूरे कर ढांचे की पुनरीक्षा करने का प्रयत्न करेंगे ? चेलियाह समिति ने क्या कहा है ? वित्त विभाग द्वारा स्वर्ण बांड योजना की घोषणा के समय इसके संक्षिप्त लाभों को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं बजट पर सामान्य चर्चा के समय बोलूंगा। किन्तु इस संबंध में मैं उनसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे समाजविरोधी तत्वों अथवा उन

लोगों को जिन्होंने धन, सोना अथवा अन्य कोई चीज एकत्रित की हुई है उन्हें रियायत नहीं मिलनी चाहिए अथवा जो भी हो ऐसे लोगों को काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जब वे विस्तृत विधान ही प्रस्तुत करते हैं तो कृपया उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं। अधिकांश सदस्यों ने योजना के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब और अध्यादेश की आवश्यकता के प्रश्न को उठाया है।

महोदय, मैं आपको याद दिला दूं कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में यह संकेत दिया था कि सरकार एक मजबूत सरकारी स्वर्ण भंडार के उद्देश्य से स्वर्ण इकट्ठा करने हेतु स्वर्ण बांड योजना पेश करेगी और स्वर्ण इकट्ठा करने के कतिपय प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास विचाराधीन हैं। अंततः, स्वर्ण बांडों को सरकारी बांडों के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया था। तब तक विधान और प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप दिया जा सकेगा चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए विलम्ब का वास्तविक कारण यह था। इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय ने 31 जनवरी, 1993 को एक अध्यादेश जारी किया और आज हम इसी अध्यादेश को विधान में परिवर्तित करने जा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय ने, जो इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, इस योजना का स्वागत किया है और कई उपायों का सुझाव भी दिया है। किन्तु वे योजना जिसकी सरकार ने पेशकश की है, सिद्धान्ततः सहमत हैं। किन्तु जैसाकि उन्होंने सुझाव दिया है, हमें इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपनाना है। जैसाकि आपने विधेयक से देखा है, हमने सीमित गुंजाइश ही रखी है। सुझावों का स्वागत है। यह एक सीमित अवधि के लिए ही है, चूंकि अंशदान आरंभ हो चुका है। यह केवल तीन महीने के लिए ही है और हम इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यह योजना इतनी अधिक आकर्षित करने वाली नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार ने जो ब्याज देने का प्रस्ताव किया है उसके बदले में अंशदाता को भूमि अथवा कोई स्थल दिया जाना चाहिए।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : शहरी भूमि दी जा सकती है किन्तु ग्रामीण भूमि नहीं दी जानी चाहिए।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : यही कारण है कि मैंने "स्थल" कहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में भी उन्होंने एक रास्ता सुझाया है। सिद्धान्ततः हम विनिवेश करते के लिए सहमत हो गए हैं। जब कभी सरकारी उपक्रम अच्छा कार्य करने लगेंगे तो उन्हें भी इन स्वर्ण बांडों में अंशदान करना चाहिए। ये बांड सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बहुत अच्छी निजी कम्पनियों में परिवर्तनीय होने चाहिएं। जैसाकि आपने पहले ही कहा है कि हमने जो गुंजाइश रखी

है वह सीमित ही है और इसका उद्देश्य भी सीमित ही है। यदि यह योजना अच्छी साबित हो जाती है, तो निस्संदेह ही हम देश हित में अधिक विस्तृत योजना और सुझावों की पेशकश करेंगे।

उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जिसका उल्लेख भी किया है वह यह कि पांच साल की अवधि बहुत कम है और यह कम से कम दस वर्ष की होनी चाहिए। हमें याद है कि पहले भी भारत सरकार ने तीन बार स्वर्ण बांड जारी किए थे। वर्ष 1962 में 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर स्वर्ण बांड जारी किए गए थे जो 15 वर्षों के लिए वैध थे। इसके बाद 1965 में 7 प्रतिशत की दर पर स्वर्ण बांड जारी किए गए थे यह भी 15 वर्षों के लिए थे। हमने इन दोनों बार स्वर्ण में अदायगी नहीं की बल्कि हमने नकद भुगतान किया था। लेकिन इसके प्रति जनता ने अधिक उत्साह नहीं दिखाया। 1962 के स्वर्ण बांडों के मामले में हम केवल 8.62 टन स्वर्ण एकत्र कर सके जबकि 1965 में हम केवल 3.2 टन स्वर्ण एकत्र कर सके बाद में सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड शुरू किए थे वह भी 15 वर्षों के लिए थे। हम केवल 13 टन स्वर्ण एकत्र कर पाए थे। इस मामले में जितना स्वर्ण जमा किया हुआ, हमने उसे ब्याज सहित लौटाया क्योंकि बढ़ी हुई अवधि के लिए कभी-कभी अंशदाता इसे निवेश करने का भी इच्छुक नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि पूर्व मामलों में, हमारे द्वारा दी गई ब्याज की राशि, भी आकर्षक नहीं थी। लेकिन इस वर्तमान मामले में हम 40 रु० प्रति ग्राम दे रहे हैं और स्वर्ण का मूल्य भी बढ़ जाएगा।

इस सदन के एक अन्य वरिष्ट सदस्य, श्री देवगौड़ा ने सुझाव दिया है कि यह केवल काला धन जमाखोरों की मदद के लिए है। सरकार काले धन की समस्या से निपटने के लिए कटिबद्ध है। हर कीमत पर और यथाशक्ति और दृढ़ता से हमने स्थिति का मुकाबला किया है और हमारा यह प्रयास जारी है। हमारे कानून कठोर हैं और हम उन सब का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं जो इन कानूनों के अन्तर्गत किया जा सकता है। आप जानते हैं कि काले धन की उत्पत्ति मुख्यतः स्वर्ण और चांदी की तस्करी के कारण होती है। दूसरा, यह कर चोरी के कारण होती है और आपको याद होगा और सदन को भी इसकी भली-भांति जानकारी है कि अभी हाल ही में हमने कानूनी रूप से स्वर्ण के आयात की अनुमति दी है और इसके आयात में वृद्धि हुई है। अभी तक हमने 127.82 टन स्वर्ण आयात पर विदेशी मुद्रा के रूप में 288 करोड़ रुपये का शुल्क एकत्रित किया है। इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया है चांदी के मामले में भी यह उत्साहवर्धक रहा है और इसके अतिरिक्त मैं तस्करी के आंकड़े देना चाहता हूं। तस्करी में 50 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हुई है। वर्ष 1990-91 में सोने की तस्करी 5.8 टन थी, 1991-92 में यह 4.6 टन थी और 1992-93 में, जनवरी तक यह केवल 1.8 टन थी। आप देख सकते हैं कि तस्करी में काफी गिरावट आई है और यहां तक कि सोने की कीमतों में भी गिरावट आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह काले धन पर नियन्त्रण रखने और तस्करी को रोकने के लिए किए गए आर्थिक उपायों में से एक है। हमने ऐसा करने के ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है और हम इसे जारी रखेंगे श्री देवगौड़ा ने बताया है कि पहले वाली योजनाएं उचित प्रकार से नहीं चल रही हैं और सरकार स्वैच्छिक रूप से प्रकट करने की योजना के अन्तर्गत कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। यह सत्य नहीं है। 1975 में स्वतः उद्घाटन की योजना के अन्तर्गत हमने लगभग 746 करोड़ रुपये अर्जित किये थे और 1981 में धारक बांड योजना के अंतर्गत हमने 964 करोड़ रुपये अर्जित किये थे। यह राशि कोई कम राशि नहीं है। हमने इस राशि का उपयोग देश के विकास हेतु किया है।

श्री एच०डी० देवगौड़ा : यदि माननीय मन्त्री जी एक मिनट के लिए रुकें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं उनका कीमती समय नहीं लेना चाहता। आपकी अपनी ऐजेंसी जोकि वांछू समिति है, ने काले धन का आकलन एक लाख करोड़ रुपये किया है, और विभिन्न अन्य समितियों का काले धन का आकलन 75,000 करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक का है। यह आकलन आपकी अपनी सरकारी एजेन्सियों द्वारा दिया गया है और वसूली 500 से 600 करोड़ रुपये की है।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, इस स्थिति में, मैं समितियों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अपने आपको केवल इस विधेयक तक सीमित रखूंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं उनके द्वारा उठाए गए दो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक का उल्लेख करना चाहता हूं। संविधिक प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री भार्गव ने पूछा है कि स्वर्ण आभूषण क्यों नहीं स्वीकार किये जाते। यह अव्यवहारिक है और इससे निवेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच कई जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी क्योंकि स्वर्ण की शुद्धता रिजर्व बैंक द्वारा आंकी जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक इससे आश्वस्त होना चाहिए। यह व्यवहार्य नहीं है। उन्होंने तो यह भी सुझाव दिया है कि समय सीमा बढ़ायी जाए। जैसाकि मैंने बताया है कि शहरों में भूमि देना एक तरह का प्रोत्साहन है इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य श्री शरद दिघे ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम अंशदान सीमा को कम किया जाना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि 500 ग्राम की न्यूनतम सीमा को 100 ग्राम निर्धारित करते हैं तो रिजर्व बैंक का आंकलन है कि यहां 75,000 निविदाकर्ता होंगे।

यदि यह सीमा 100 ग्राम निर्धारित की जाती है तो कसौटी प्रक्रिया पर 3 वर्ष से अधिक समय लगेगा और इसलिए यह व्यवहारिक नहीं है इसकी समीक्षा योजना के आरम्भ होने के पश्चात् की जा सकती है।

मैंने पहले ही बता दिया है कि काला बाजारी और तस्करी में काफी गिरावट आई है। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने इस प्रस्ताव के पेश करने पर विलम्ब के बारे में कहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया है और इस स्थिति में ऐसा क्यों किया गया है···

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : (जादवपुर) मेरा प्रश्न जल्दबाजी के बारे में था न कि विलम्ब के बारे में।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं अपनी भूल सुधारता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैंने ऐसे उपाय की आवश्यकता के बारे में भी पूछा है जिसके बारे में आपने बताया नहीं है। काले धन के स्वामियों की मदद करने के सिवाय, आप इस विधेयक से क्या प्राप्त करने की आशा करते हैं ?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध स्वर्ण भण्डार का उपयोग कराना है श्री शरद दिघे और श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने कहा है कि वर्तमान में हमारे पास 350 टन का सोने का भण्डार है और भारतीय रिजर्व बैंक के आगे के लेनदेन के लिए यह काफी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : ये मेरे शब्द नहीं हैं। यह बात श्री मनमोहन सिंह जी के बजट भाषण में से ली गयी है। उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारे पास काफी भण्डार हैं।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे पास वर्तमान में काफी स्वर्ण भण्डार हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भण्डार को और बढ़ाना है। इस योजना के कुछ लाभ हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुमान के अनुसार देश में 1,000 टन सोने की भारी मात्रा उपलब्ध है मैं उस सीमा तक नहीं जाना चाहता। यदि हम 200 टन सोना ब्याज देय पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त कर पाए तो यह 800 करोड़ रुपये का बैठता है। इससे खजाने को लगभग 5,500 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यदि यह अनुमान कुछ कम मान लो, 100 टन हो तो भी हम 2750 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं।

इन लाभों के अतिरिक्त, हम इस अतिरिक्त स्वर्ण भण्डार का उपयोग सस्ती दर पर ऋण जुटाने में कर सकते हैं और उसे अधिक ब्याज दरों पर दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने संविधिक संकल्प पेश किया है, से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें और राष्ट्रीय विकास के हित में विधेयक का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, आपके लिए बहुत कम समय है इसलिए कृपया संक्षेप में कहिएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि मैंने कोई बात कही होती और माननीय मंत्री जी न मानते तो मुझे दुख नहीं होता लेकिन जिनकी प्रेरणा से, वाजपेयी जी ने जो बात कही उसके आधार पर जो बिल लाया गया और जिसके कारण देश संकट से बचा, माननीय वाजपेयी जी के कथन के बाद, उनकी बात को माननीय मंत्री जी ने नहीं माना, इसका मुझे हृदय से दुख है।

अब माननीय मंत्री जी यह बात कहकर कि हम विपक्ष में हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि वाजपेयी जी केवल हमारी पार्टी के ही नेता नहीं हैं, पूरे देश के नेता हैं। यह बात सत्य है कि आप जो सोना लेने जा रहे हैं यह पुरुषों के पास तो होता नहीं है। यह सोना महिलाओं के पास होता है और वह लॉकर में रखती हैं, कहीं और छिपाकर रखती हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : यह तो आप व्यंग्य कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्योंकि जब लड़कियों की शादी होती है तो माता पर ज्यादा बोझ होता है, बहन जी, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब उनसे सोना निकलवाना और हमारा उनको जाकर समझाना बहुत मुश्किल है। हमने तो कल/बहुत कोशिश की कि समझाएं श्रीमती जी को, पर उनकी समझ में नहीं आई, माननीय मंत्री जी की बात हमने बताई और कहा कि देवी जी मान जाओ तो उसने कहा कि नहीं मानती। अब माननीय मंत्री जी को मैं कैसे समझाऊं और वित्त मंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कैसे समझाऊं कि आप भाभीजी को इस बात पर नहीं समझा सकते कि सोना जमा करा दें। वह तो नहीं मानेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मेरा निवेदन यह है कि सोने को जमा कराने का संबंध सीधा महिलाओं से है और महिलाओं के जेवर उतरवाना या लॉकर में से जेवर निकलवाकर जमा करवाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी स्वागत तो करता हूं पर निवेदन करना चाहता हूं कि 29 फरवरी 1992 को जब केन्द्रीय बजट आया था, तब मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी और उन्होंने छूट भी दी थी पांच किलो सोना विदेश से लाने की। उस समय यह हालत थी

कि विदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आपने जो कर्जा लिया था न तो उसकी किश्त आपसे चुक पा रही थी और न उसका ब्याज चुक पा रहा था। मैं वहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल को देर से लाएं इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आप कहेंगे कि हमने पहले भी ऐसा कुछ कर लिया है और आप स्वयं मानेंगे कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए भावना जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। वह सोना निकलकर आ जाएगा और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने और हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जिस समय पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुआ उस समय देश भावना जगाई। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 3.30 बजे तक खत्म करना है।

[अनुवाद]

आप पहले ही यह सब बातें कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा यह निवेदन है कि देश भावना जगाने वाली बात हो जिससे जन आंदोलन के रूप में लोग सोना जमा करें, यह भावना जब पूर्व प्रधान मंत्रियों ने जगाई तो महिलाओं ने अपने जेवर उतारकर, अपने मंगलसूत्र उतारकर सरकार को दे दिए कि मुफ्त में ले जाओ और इसी कारण आप पाकिस्तान और चीन से पीछे नहीं हटे। मेरा निवेदन है कि यह भावना नहीं जगी और समय अपर्याप्त है तथा लोगों में सुरक्षा की भावना भी नहीं है कि यह सोना वापस होगा कि नहीं होगा, वह भावना भी आज तक नहीं जगा पाए हैं। इसलिए माननीय वाजपेयी जी ने जो स्वर्ण बांड परिषद् की बात कही है। और जिन चार बातों के बारे में कहा है कि बिल में इन चार बातों को समाप्त कर दिया जाए, उसे माननीय मंत्री जी ने नहीं माना है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उन चारों बातों को भी उन्हें मान लेना चाहिए और स्वर्ण बांड की एक आर्थिक योजना सदन में लानी चाहिये। इसके साथ-साथ समय बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय भारतवर्ष में 30 हजार करोड़ किलो सोना निजी लोगों के पास है जो दुनियां में सबसे अधिक है। इसके अलावा ब्रिटेन में बसे हुए प्रवासी भारतीय लोगों के पास भी काफी सोना जमा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब भारत में 30 हजार करोड़ किलो सोना निजी लोगों के पास है तो उसका बेहतर उपयोग तभी हो सकता है जब आप इन चारों बातों को मान लें, जिनका हवाला मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है। आर्डिनेंस का विरोध, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि यह सरकार आर्डिनेंस राज को इस देश में कायम करना चाहती है और बिल के सम्बन्ध में यह मानता हूं कि इसमें सम्पूर्ण बातों को शामिल करके नहीं लाया गया है, मगर मैं इस बिल की भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं। हम सब लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है, हमारे नेता, वाजपेयी जी द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके सामने रखे गए हैं, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं अध्यादेश का तो विरोध करता हूं लेकिन चाहता हूं कि सरकार एक संपूर्ण बिल लेकर, कुछ समय बाद ही सही, इस सदन में आये, जिसमें उन सभी सुझावों का समावेश हो, जो यहां आपके सामने दिये गये। वह सम्पूर्ण बिल इसी सत्र में कभी लाया जा सकता

है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और समय देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए, रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 22) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विचारार्थ प्रस्ताव को लेंगे। विधेयक पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री गिरधारी लाल भार्गव, प्रो० रासासिंह रावत और श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा तीन संशोधन पेश किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री गिरधारी लाल भार्गव, प्रो० रासा सिंह रावत और श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पेश किए गए संशोधन सं० 1, 5 और 9 को, सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं 1, 5 और 9 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं विधेयक पर विचार किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि स्वर्ण बाण्ड के अभिदाताओं को कतिपय उन्मुक्तियों और ऐसे बाण्डों के संबंध में प्रत्यक्ष कर से कतिपय छूटों के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैय्यद शहाबुद्दीन के संशोधन—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़े दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : जब मैंने सेंचूरी रेयान गैस रिसाव के बारे में एक प्रश्न उठाया तो अध्यक्ष महोदय का यह निर्देश हुआ कि संबंधित मंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिए। अब मंत्री महोदय यहीं पर हैं। मैं, उनसे वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। यह प्रश्न परसों उठाया गया था।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : यदि सभा को कोई आपत्ति न हो, तो माननीय मंत्री अपना वक्तव्य देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 म०प० शुरू किया जाएगा है। जब आपने इसे स्थगित करना चाहा, तो माननीय सदस्यों ने इस पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की थी। अब इसे 3.30 म०प० पर शुरू किया जाएगा। माननीय मंत्री विवरण देने के लिए तैयार हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस विधेयक पर विभाजन के बारे में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने विभाजन के बारे में पूछा है, यह सम्पन्न कैसे हुआ ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सब कुछ हो चुका।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं हमने विभाजन की मांग की है। हम उसी के इन्तजार में हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन इससे सहमत है···तो माननीय मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधेयक पारित कर दिया गया है ?

उपाध्यक्ष : जी, हां।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कैसे ?

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने उचित समय पर किसी तरह के विभाजन की मांग नहीं की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया टेप चलवाइए। हमने विभाजन की मांग की थी। यह कैसे हो सकता है ? (**व्यवधान**) कृपया टेप चलवाइए। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : विधेयक पारित हो चुका है। (**व्यवधान**)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : यह क्या हो रहा है ? (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उनका यही रवैय्या है, तो मैं विभाजन पर जोर देता हूं। कृपया टेप चलवाएं। मुझे विभाजन के लिए जोर देने का अधिकार है। इससे इंकार कैसे किया जा सकता है ? यदि सत्तारूढ़ दल का यही रवैय्या है, तो मैं विभाजन पर बल देता हूं। कृपया टेप चलवाएं। यदि आप हमारी बात नहीं सुन सके हों तो कृपया इस पर पुनः गौर करें। यह तरीका नहीं है। मैं अपने अधिकार को यूं छोड़ने वाला नहीं हूं। (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप उनकी बात सुन चुके हैं अथवा नहीं इसका निर्णय आप कर सकते हैं। परन्तु, इससे पहले आपने घोषणा की थी कि 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू हो जाएगा। इसे आरम्भ किया जाए। इसी दौरान, यदि आपकी इच्छा हो, तो आप उन सभी बातों पर भी विचार कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विभाजन की प्रतीक्षा में था। चूंकि आपने मुझे बुलाया था, अतः मैंने यह सोचा कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू हो जाने के कारण सोमवार को मतदान होगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करें। परन्तु, विधेयक पर सोमवार को मतदान कराया जाए। सोमवार को मतदान कराने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कोई कमी आई हो, तो हमें उसे दूर करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इसकी जांच पड़ताल करायें। मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। परन्तु कृपया यह देखें कि हमारे अधिकार न छीन लिए जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। माननीय मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं। सदन की राय के अनुसार उन्हें अपना वक्तव्य अभी देना चाहिए अथवा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद में ?

श्री राम नाईक : आप, पहले गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करते हैं । माननीय मंत्री अपना वक्तव्य उसके बाद देंगे ।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : यदि सदन इससे सहमत हो, तो मैं अपना वक्तव्य अभी देने के लिए तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं । परन्तु इसी समय माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू किया जाए ।

श्री राम कापसे : मैंने 3.25 बजे म०प०, गैस रिसाव के बारे में एक प्रश्न किया था । उस समय मुझे इन्तजार करने के लिए कहा गया था । अब मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आपने केवल उसका उल्लेख किया था । हमें भ्रमित न करें । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : एक बार बी०ए०सी० में यह बात हो गई थी कि प्राईवेट मैम्बर्स बिल साढ़े चार बजे होगा । आपने पाईंट आफ आर्डर को होल्ड किया और साढ़े तीन बजे से प्राईवेट मैम्बर्स बिल लिया । अब इसके बाद आप कोई दूसरा बिजनस लेते हैं तो आप ही रूलिंग को तोड़ेंगे । ··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, इस सदन के चार सदस्यों ने नगर निगम के नई दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत मकान गिराये जाने वाले स्थल का दौरा किया है । प्रधान मंत्री के नाम पर सैकड़ों मकानों को गिरा दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु यह गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य है । आप भली-भांति जानते हैं कि आप 16.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करना चाहते थे परन्तु सदन के सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया । अब आप किसी अन्य विषय को कैसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय कोई अन्य विषय नहीं उठाया जा सकता है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : दिन के कार्य के अंत में, मैं संबंधित मंत्री महोदय से आने और सदन को जानकारी देने के लिए कहूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे विध्वंस को रोकें।

श्री अनिल बसु : प्रधान मंत्री के नाम पर वे ऐसा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप सरकार से कैसे प्रत्युत्तर की अपेक्षा करते हैं ? हम किसी को भेजेंगे और रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : यह एक असाधारण स्थिति है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब हमने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को आस्थगित करना चाहा तो आपने स्वयं बहुत सख्त आपत्ति की थी। आप दुहरे स्तर नहीं रख सकते। आपको एक बात पर रहना चाहिए। आप गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकार को कैसे छीन सकते हैं ? आप एक काम करिए, आप मंत्री जी से मिलें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह उचित नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम लोग वहीं से आ रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, सड़कों पर हैं। अभी भी बुलडोजर लगा हुआ है।··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

बगल में पक्षपात हो रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक एम०पी० का प्लाट है। कांग्रेस पार्टी के एक एम०पी० ने जमीन कब्जा कर रखी है। उसे नहीं गिराया जा रहा है, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है।··· (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : ये प्राइम मिनिस्टर की बदनामी कर रहे है।··· (**व्यवधान**) उसका इंचार्ज कौन है ?··· (**व्यवधान**)

3.37 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[**हिन्दी**]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें कि यह सभा 17 मार्च, 1993 प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 17 मार्च, 1993 को सभा में प्रस्तुत किए गए सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.38 म०प०

उत्तरांचल तथा वनांचल नाम से पुकारे जाने वाले नए राज्यों की स्थापना से संबंधित संकल्प—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नए राज्यों उत्तरांचल तथा वनांचल के सृजन के संबंध में श्री जगत वीर सिंह द्रौण द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार करेगी।

"श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही अपना भाषण जारी रखेंगे।"

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दो सप्ताह पूर्व 5 मार्च को हम दो नए राज्यों—उत्तरांचल तथा वनांचल के सृजन के लिए श्री जगतवीर सिंह द्रौण द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा कर रहे थे। नाम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आंदोलनकारी जो अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं, उन्हें वनांचल अथवा झारखण्ड कहते हैं। अतः उस रूप में नाम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

5 तारीख और आज के बीच का अन्तर सिर्फ यह है कि बिहार में एक नए राज्य—झारखण्ड के सृजन की मांग करते हुए एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। दुर्भाग्य से वह आंदोलन उग्र हो गया है—जानें गयीं हैं गाड़ियां पटरी से उतार दी गयीं हैं, खनिज अयस्क का परिवहन बिहार के उस भाग में प्रभावित हुआ है। स्वीकार्यतः उग्रता लोकतंत्र की नीति तथा सिद्धान्त के विपरीत है; और हिंसा तथा लोकतंत्र सहगामी नहीं हो सकते। किन्तु, दुर्भाग्य से उग्रता ने स्थान ले लिया है और आन्दोलन प्रचंड हो गया है।

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य बात अथवा महत्त्व था अहिंसा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतन्त्रता आंदोलन की प्रेरणा थी अहिंसा। 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण स्वरूप चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारियों ने जला दिया था। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था और न आशा ही करता था कि उस समय आंदोलन इतनी गति प्राप्त कर लेगा। लोग आशापूर्वक देख रहे थे कि संभवतः स्वतंत्रता के दिन, स्वतंत्रता की उपलब्धि शीघ्र ही होगी। उस समय क्योंकि— हिंसा फैल गयी थी, अतः गांधी जी ने सबको हैरान करते हुए आंदोलन को वापिस लेने का आह्वान किया था।

अतः यही समय है जब सभा की भी बढ़ती हुई हिंसा, विशेषतः तब जब हमारे देश में कई कारणों से वातावरण सौहार्दपूर्ण नहीं है, के प्रति चिंतित होना चाहिए। मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। दिसम्बर से हमारे देश में घृणा का वातावरण व्याप्त है। उस समय हमारे बीच जो हिंसा थी, यह अब भी है (व्यवधान)। जी हां, बम्बई में भी। वहां पर भी यह विद्यमान है। हमारी आन्तरिक सुरक्षा को आज जबरदस्त खतरा है। हमारे जैसे देश के लिए यह कोई सुखद स्थिति नहीं है। पिछली बार मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि सिद्धान्तः मैं छोटे राज्यों के पक्ष में हूं और लोगों की उचित मांग को देखते हुए कुछ छोटे राज्यों का सृजन करने का यह सही समय है। लोगों की न्यायोचित आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ नए राज्य बनाये जाने चाहिए। ऐसे नए राज्य प्रशासनिक तौर पर ठोस तथा आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। केवल राज्यों के सृजन के लिए

ही हम राज्यों का सृजन नहीं कर सकते । इस प्रकार सृजित राज्य पराश्रयी नहीं होने चाहिए । अतः, हमें आर्थिक दृष्टिकोण से इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना है । छोटे राज्य प्रशासनिक दृष्टि से अधिक प्रबन्ध योग्य होते हैं और वे अधिक भाग लेने वाले भी होंगे ।

3.46 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

आर्थिक नीति के विचार से भी वह अपेक्षाकृत आसान होगा । जैसाकि आप जानते हैं; महोदय, कभी-कभी राज्यों के बड़े होने से कानून तथा व्यवस्था संबंधी समस्या आती है । अपराध-निर्बाध रूप से चलते रहते हैं । अतः उस दृष्टिकोण से भी छोटे राज्यों का सृजन कानून तथा व्यवस्था के हित में होगा और इससे अपराध नियंत्रित होंगे । छोटे राज्यों के बहुत से लाभ हैं । छोटे राज्यों का सृजन करते समय उन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक सादृश्य को भी ध्यान में रखना होगा ।

झारखण्ड एक बहुत पुराना आंदोलन है, यह विभिन्न चरणों से गुजरा है । जैसाकि हम समझते हैं, भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है । उन्होंने चर्चा की है । गृह मंत्री ने झारखण्ड नेताओं के साथ बातचीत की थी । उन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री के साथ भी बात की थी । जैसाकि आप जानत हैं महोदय, झारखण्ड के बारे में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई स्पष्ट टिप्पणी से भी विवाद उठा था । मांग बहुत स्पष्ट है और न केवल भारत सरकार अपितु राज्य सरकारें भी, चाहे वे किसी भी दल की हों, और सभी राजनीतिक दलों को भी इन बातों का संज्ञान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी ये मांगे की जाती हैं वे मुख्यतः शोषण के कारण होती हैं । मूल कारण किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय इत्यादि के प्रति दिखाई गयी लापरवाही तथा उनका किया गया शोषण होता है । अतः इससे जागृति आनी चाहिए । सभी संबंधित व्यक्तियों को जो कुछ भी हो रहा है उससे पर्याप्त सबक लेना चाहिए और सभी संबंधित व्यक्तियों का यह देखने का प्रयास होना चाहिए कि किसी भी स्तर पर किसी किस्म का कोई शोषण न हो । लोगों की सभी-सही तथा न्यायसम्मत आकांक्षाओं को यथासंभव बेहतर ढंग से पूरा किया जाना चाहिए ।

हाल ही में हमने शहरी निकाय विधेयक तथा पंचायतीराज विधेयक पारित किया है जिसमें लोगों को और अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है । मैं तो और अधिक जोर देते हुए यह कहूंगा कि यह समय ऐसा है—जब और अधिक विकेन्द्रीयकरण किया जाये और विभिन्न क्षेत्रों को और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए ।

आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक उत्तरांचल राज्य बनाने की मांग है । उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एकमत से एक संकल्प पारित भी कर दिया है । वे उपेक्षित महसूस कर रहे हैं । इस हिमालयी प्रदेश में बहुत खूबसूरत क्षेत्र हैं । अद्वितीय पर्यटन महत्त्व तथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री इत्यादि जैसे तीर्थ यात्रा के भी बहुत से स्थान हैं । यह प्रदेश सुन्दर स्थानों से जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं भरा हुआ है । हमारी युगप्राचीन संस्कृति इससे जुड़ी हुई है । हमें उस क्षेत्र की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए । हमें उस पहलू पर विचार करना है । बिहार के जनजातीय लोगों तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए ।

इसके बारे में, मैं पिछली बार भी कह रहा था। विभिन्न भागों में बहुत सी कठिनाईयां हैं। पश्चिमी उड़ीसा तथा कोरापुट में— जोकि उड़ीसा के दक्षिण में है—ऐसी ही स्थिति है। वे जनजातीय क्षेत्र उपेक्षित हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, बिहार में छोटा नागपुर, आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना, गुजरात में सौराष्ट्र तथा ऐसे ही अन्य स्थानों पर विभिन्न मामले हैं। ऐसे स्थान हैं जहां लोग उपेक्षित महसूस करते हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, संचार, आर्थिक विकास के क्षेत्र में और उद्योगों के अवस्थापना, रोजगार उपलब्ध कराने और अन्य क्षेत्रों में भी अधिक प्रगति नहीं हुई है ऐसे सभी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि राज्य के समस्त क्षेत्रों का समग्र विकास किया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी क्षेत्र के लोगों में असंतोष व्याप्त हो। एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें इन बातों पर विचार किया जा सके। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उनकी बातों का कोई आधार अथवा औचित्य नहीं हैं। साथ ही यदि इन सभी पर अभी विचार करें तो यह भानुमति के पिटारे वाली बात हो जाएंगी। हमें यह देखना चाहिए कि यह इस समय में देश के हित में है अथवा नहीं। मेरा यह कहना है।

मैं इस माननीय सदन के विचारार्थ कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। इन सभी शिकायतों की छानबीन की जानी चाहिए। सरकारिया आयोग ने भी गहराई से इस समस्या पर विचार किया था। यही समय है कि इसका अध्ययन करने के लिए किसी प्रकार की एजेंसी का गठन किया जाए और इस मामले की जांच की जाए और ठोस सुझाव प्रस्तुत किए जाएं।

इस सम्बन्ध में, मैं कल के 'दी टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय लेख का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने झारखण्ड मुद्दे को उठाया है। मैं उद्धत करता हूं :

> "स्वाभाविक है कि प्रथम सूचना रिपोर्टों की भरमार इतने लम्बे समय तक नहीं चल सकती जबकि राज्य के पुनर्गठन के बारे में देश के नेताओं के मन में व्याप्त भय दूर हो रहा है और वे छोटे, अधिक संचालनीय, अधिक सहभागिता वाले और लोक तन्त्री राज्य—झारखण्ड की मांग कर रहे हैं। इसे पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए चाहे इसे उप-राज्य के रूप में गठित किया जाए....."

मैं शब्द 'उप राज्य' पर विशेष बल दे रहा हूं लेख में आगे कहा गया है :

> "बिहार में इसका शुभारंभ करते हुए राज्य के भीतर इन लोगों को महत्वपूर्ण आश्वासन के रूप में यह घोषणा की जाए कि उनके मुद्दों पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जाता है।"

बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही उपराज्य बनाए जा सकते हैं। यह भी एक समाधान हो सकता है लेकिन मुझे कुछ लोगों की, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की अथवा विपक्ष के कुछ नेताओं की इस मांग पूर्णतः विरोध करने के पीछे कोई समझदारी नजर नहीं आती है। मैं समझता हूं यह छोटी-छोटी बातों, स्वार्थ और संकीर्णता से प्रेरित है और कुछ तो इसे अलगाववादी आन्दोलन कहने में भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ? भारतीय संघ के दायरे में ही राज्य बनाने की मांग के आन्दोलन को कभी भी अलगाववादी आन्दोलन नहीं कहा जा सकता है।

यह खालिस्तान बनाए जाने की मांग जैसी नहीं है। इसे ऐसी मांग नहीं माना जा सकता है और लोग स्वयं को उपेक्षित न समझें हमें उस अन्तर को समझना होगा ताकि और इसमें अन्य बातें भी हैं। पांचवें दशक के मध्य में राज्य पुनर्गठन परिषद ने क्या किया था ? उन्होंने भी देश के सभी क्षेत्रों के साथ समुचित न्याय नहीं किया था। हम उड़ीसा के लोगों की राज्य पुनर्गठन परिषद् की सिफारिशों के बारे में हम उड़ीसा वालों की शिकायतें हैं जिसका प्रतिवेदन परिषद ने 1956 में प्रस्तुत किया था। इसलिए महोदय इस दिशा में अविलम्ब कोई उपाय करना चाहिए ताकि उन सभी क्षेत्रों के लोगों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में, कहना चाहता हूं कि संकल्प लखनऊ विधान सभा द्वारा मई, 1991 में पारित किया था और तत्पश्चात् इस सदन में यह मुद्दा बार-बार उठाया गया और गृह मंत्री से यही उत्तर मिला कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगें हैं। यह दिसम्बर, 1991 की बात है और मैं समझता हूं उत्तर मार्च 1992 में प्राप्त हो गया था और अब मार्च 1993 है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन द्वारा विचार किया जा रहा संकल्प सही संकल्प है और इसके लिए यह सही समय है क्योंकि हमने गृह मंत्रालय के उत्तर की एक वर्ष तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है गृह मंत्रालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और मैं समझता हूं कुछ स्पष्टीकरण असंगत हैं और मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं। उदाहरण के लिए उन्होंने पूछा है जिलों का क्षेत्रफल और आबादी क्या है मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार संगत है। इसलिए मैं केवल कुछ संगत स्पष्टीकरणों को ही लेने का प्रयास कर रहा हूं। केन्द्र ने पूछा है कि पृथक राज्य का आधार क्या है और उत्तर प्राप्त हुआ था कि उत्तरांचल एक संवेदनशील क्षेत्र था, जो प्राकृतिक आपदा-प्रवण क्षेत्र था, यहां भारी संख्या में शिक्षित बेरोजगार लोग थे, और इसकी 70 प्रतिशत की आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी उन्होंने गृह मंत्रालय को हिमालय पर्वत श्रृंखला के क्षेत्रों के बारे में भी बताने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश के पर्वतों को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुत विविध प्रकार की है और यह केवल उत्तरांचल है जिसका अपना राज्य नहीं है और इसीलिए उत्तरांचलियों में पृथक अस्तित्व की आकांक्षा विद्यमान है।

आर्थिक स्पष्टीकरण देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों को गैर योजना स्कीम और आर्थिक सुरक्षा के लिए जो धनराशि सुलभ कराई जाती है और जिससे पहाड़ी इलाकों का विकास हुआ है उससे भी इन क्षेत्रों को वंचित रखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि उत्तरांचल का तराई क्षेत्र पहाड़ी इलाकों का ही हिस्सा है और कृषि क्षेत्र होने के कारण तराई खेती बाड़ी और व्यापार केन्द्र है इसीलिए इससे उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से कायम रखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रशासनिक औचित्य भी स्पष्ट किया है और बताया है कि हिमाचल प्रदेश में कम जनसंख्या होने पर भी 68 सदस्यों की विधान सभा है जबकि उत्तरांचल में अधिक जनसंख्या होने पर भी राज्य की बड़ी विधान सभा में से केवल 19 सदस्य

4.00 म० प०

हैं। और मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ी इलाकों में काम करने में अनिच्छुक हैं और स्थानीय लोगों को उन रिक्त स्थानों पर नौकरी नहीं दी जाती है। यह भी बताया गया है कि पहाड़ी इलाकों में विशेष प्रकार की समस्याएं होती हैं उदाहरण के लिए सामान्य

विकास और पर्यावरणीय विकास का एक दूसरे के आड़े आना। इसीलिए उन्होंने सिफारिश की है कि पर्वतीय क्षेत्रों की मैदानी इलाकों के साथ बहुत समानता है और विधान सभा में अल्प प्रतिनिधित्व के कारण वे समुचित रूप से अपनी आवाज उठाने से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में उनकी आवाज समुद्र में बूंद के समान है।

यह देखा गया है कि राज्य की मांग न केवल क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए बल्कि स्वशासन रोजगार और सरकार में उचित प्रतिनिधित्व के लिए रामबाण है। मैंने सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है केवल एक बात रह गई है—सत्ता दल का राजनीतिक दृष्टिकोण और मैं समझता हूं राजनीतिक विचारधारा दल के उन राजनीतिक नेताओं पर निर्भर करती है जो अपनी छवि बड़े राज्यों में नेताओं के रूप में दिखाना चाहते हैं अथवा उनके अहम् को चोट लगेगी।

महोदय, प्रधानमंत्री जानते हैं और मैं समझता हूं अन्य दल भी इससे परिचित हैं कि आम चुनावों के दौरान, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, अन्य किसी दल ने भी अपने घोषणा पत्र में उत्तरांचल के लिए एक अलग राज्य अथवा वनांचल को सम्मिलित नहीं किया था। पहाड़ी इलाकों के प्रत्येक प्रत्याशी ने अपना 'एक सूत्री' घोषणा पत्र बनाया था और वह 'एक सूत्री' घोषणा पत्र यह था कि वह भी अलग पहाड़ी राज्य का समर्थन करेंगे।

यह बात उन दलों में से किसी भी दल से छुपी हुई नहीं है जिसने उस समय चुनाव लड़ा था। इसलिए प्रधान मंत्री का ध्यान उनके दल के सदस्यों ने चुनाव के बाद दिलाया था और बार-बार एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग का समर्थन किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने दल की बैठक में भाग लेने के लिए टिहरी का दौरा किया और वहां पर उन्होंने एक पृथक पहाड़ी राज्य की मांग का समर्थन किया। वास्तव में उन्होंने इस आशय का एक विधेयक भी पुरःस्थापित किया है। जहां तक वनांचल का सम्बन्ध है उस पर जनता दल की कुछ शर्तें हो सकती हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने उत्तरांचल का मौन रूप से समर्थन किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में मुलायम सिंह जी पहाड़ी क्षेत्रों में रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। मेरा विचार है कि जनता दल और अन्य सभी दलों को वनांचल के प्रश्न पर विचार करना होगा।

उत्तरांचल के बारे में मेरे तर्क वनांचल पर भी समान रूप से लागू होते हैं। वास्तव में मैं कहूंगा कि वनांचल के दो अतिरिक्त लाभ हैं। एक लाभ यह है कि यह एक जनजातीय क्षेत्र है और यदि पूर्व क्षेत्र में छोटे-छोटे जनजातीय राज्य हो सकते हैं तो झारखण्ड अथवा वनांचल को पहले ही राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसी तरह वहां की खानें समृद्ध हैं और इसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाती हैं। इसलिए इन दो बातों के आधार पर वनांचल को भी काफी पहले राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए था। परन्तु हम अब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उत्तरांचल और वनांचल को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

महोदय, भारत सरकार को इसमें कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, सर्वप्रथम उत्तरांचल के सृजन से और अधिक राज्यों के सृजन की मांग की शुरूआत हो सकती है। परन्तु यदि कोई मांग सही है और वैध है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस मांग को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरे वे कह सकते हैं कि इससे अन्तर-राज्यीय विवाद, विशेषरूप से नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में नदी के पानी के बंटवारे पर कोई

विवाद नहीं रहा है। परन्तु पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है परन्तु हिमाचल प्रदेश एक तरफ है और पंजाब व हरियाणा दूसरी तरफ, उसमें कोई विवाद नहीं है। अतः मैं नहीं समझता कि उत्तरांचल में नदी के पानी पर कोई विवाद हो सकता है। इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है।

तीसरे, वे वित्तीय देयताओं से भयभीत हो सकते हैं जिसमें और वृद्धि हो सकती हैं। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में भारत सरकार ने पूंजी ऋण सहायता आबंटन और उसके एक भाग को अनुदान के रूप में समझते हुए बहुत ही उदारता से सामान्य योजना सहायता प्रदान की है। तथापि, मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि हम उत्तरांचल की मांग छोड़ देते हैं तो सरकार विशेष छूट देने के लिए तैयार है। यदि यह स्थिति है तो वित्तीय-विवक्षा का कुछ भी महत्व नहीं है।

अब तक मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सही है और यदि यह सही है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इन मांगों से इसका पृथक्करण हो सकता है। हां, यदि स्वशासी सरकार बलपूर्वक लागू कर दी जाती है तो पृथक्करण हो सकता है। परन्तु हम शांतिपूर्वक बड़े राज्य में से एक छोटा राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में पृथक्करण नहीं हो सकता है।

इन परिस्थितियों में मेरा पूरे सदन से अनुरोध है कि वे दलगत मतभेदों को भूलकर एक पृथक पहाड़ी राज्य उत्तरांचल और एक पृथक वनांचल राज्य के लिए हमारा समर्थन करें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, अभी उत्तरांचल और वनांचल नये राज्यों की स्थापना के लिए श्री जगतवीर सिंह द्रोण द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर सदन में चर्चा हो रही है। वनांचल और उत्तरांचल, दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं। जहां तक उत्तरांचल का सवाल है, उत्तर प्रदेश से सारे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। सरकार के स्तर से भी केन्द्र के पास सिफारिश की गई है और विधान सभा ने भी इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया इसलिए उत्तरांचल का निर्माण करने में कोई कठिनाई नहीं है, उसका निर्माण होना चाहिए।

लेकिन जहां तक बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर वनांचल प्रांत बनाने की बात है, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर के अलग प्रान्त बनाने की मांग है तो इसके साथ वहां पर उस इलाके में झारखंड राज्य बनाने की मांग है जिसमें बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के इलाके, पश्चिम बंगाल के कुछ आदिवासी बाहुल्य इलाके और उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के बाहुल्य इलाके हैं, इन सबको मिलाकर लगभग 26 जिलों को मिलाकर एक झारखंड राज्य बनाने की भी मांग है इसलिए वनांचल, झारखंड कई प्रकार की मांग उस इलाके में है। मेरी समझ से छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। देश में छोटे राज्यों के गठन के हिमायती लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह थे और इस देश के कई राजनेताओं ने इस देश के सम्यक विकास के लिए छोटे राज्यों की वकालत की है। मेरी

राय में छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन, सिर्फ एक या दो राज्यों का बंटवारा करके कुछ हिस्सों को निकालकर नया राज्य बना दिया जाए तो इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। देश में कई जगहों पर अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है जैसे मराठवाड़ा और लद्दाख में भी हैं। इस तरह से कई इलाके हैं जहां के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। फिर उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी कई जगह इस प्रकार की समस्या है। वैस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की समस्या है, वे भी अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं, बोड़ोलैंड की भी मांग है। फिलहाल उसमें कुछ समझौता हुआ है, लेकिन उनकी मूल मांग अलग राज्य की ही है। कई राज्यों में अलग राज्य की मांग हो रही है। हमारा सुझाव है कि अलग-अलग मामले के निपटारे से अच्छा होगा कि पूरे देश में इस प्रकार के जितने मामले हैं उनको निपटाने के लिए और इस देश के समन्वित विकास के लिए छोटे-छोटे राज्यों के गठन के लिए नये सिरे से राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए। उसका निर्माण होगा तो पूरे देश में अभी जो राज्यों का ढांचा है उसके बारे में नये सिरे से विचार हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है वहां भी तेलंगाना की मांग होती रही है, इसी तरह से बिहार बहुत बड़ा है। कई राज्य ऐसे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े हैं और कई आबादी की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। पहले इन सभी राज्यों की जितनी भी प्रकार की भावनायें हैं उन सभी का आदर करते हुए उनकी जो मांग है उस पर वैज्ञानिक ढंग से विचार हो सकता है। इस आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य के अन्दर कोई आंदोलन खड़ा हो जाये, वह हिंसक रूप ले ले तो हम उसमें समझौता करने के लिए कोई राज्य का बंटवारा करने का रास्ता निकालें। बहुत सारे आंदोलन पैदा किये जाते हैं परेशान करने के लिए राज्यों को, केन्द्र के द्वारा, कई प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए हैं जिससे परेशान किया जाता है।

अभी पिछले दिनों गृह मंत्री ने बिहार में जो झारखंड आंदोलन या उसके सम्बन्ध में कुछ बयान दे दिया जिससे आंदोलन भड़क उठा और तेज हो गया। ऐसे सवाल पर जब गृह मंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो वहां निश्चित रूप से लोगों की भावना भड़कती है और स्वाभाविक है कि उसके विरोध में भी भावना भड़कती है। आप वनांचल की बात कर रहे हैं, ठीक है कि इनके मेनिफेस्टो में है, झारखंड किसी और के में है। हर दल बिहार में इसको लेकर विभाजित है। कोई ऐसा नहीं है जो विभाजित न हो। केन्द्र की मंशा है लोगों के मन को विभाजित करने की, कोई नया राज्य देने की नहीं है। क्योंकि अगर झारखंड देंगे तो इनको मराठवाड़ा, बोड़ोलैंड, दार्जिलिंग देना पड़ेगा। यही कारण है कि उत्तरांचल भी नहीं दे रहे हैं। जबकि वह सभी शर्तों को पूरा करता है। उत्तरांचल को सभी जगहों से समर्थन प्राप्त है इसलिए उसको विशेष परिस्थितियों में अलग राज्य बना देना चाहिए। हम भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन बाकी जो सवाल हैं इन सारे सवालों पर विचार करना चाहिए।

झारखंड, वनांचल कोई भी नाम दे दीजिये उसका मामला अलग है। बिहार विधान सभा ने बिल पारित किया उसको भेज दिया, वहां पर समस्त राजनैतिक दलों की सहमति इस पर थी। जो झारखंड नाम से आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी सहमति थी। उनके द्वारा दिये गये वोट से वह बिल पारित हुआ, वह केन्द्र के पास दो साल से लम्बित है। इस पर कोई फैसला हो, इस बीच में कई प्रकार से बातचीत हुई। आज फिर इकोनोमिक ब्लाकेड चल रहा है। यह सवाल फिर से आपके पास आया हुआ है और

नये सिरे से बातचीत हो रही है। हमको नहीं मालूम कि क्या बातचीत कर रहे हैं। बिहार में जनता दल का शासन है। इस नाते भी जनता दल को अधिकार बनता है कि उसको विश्वास में लिया जाता। उस इलाके से जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी विश्वास में लिया जाता। उन प्रतिनिधियों से सम्बद्ध जितने भी राजनैतिक दल हैं उनको भी विश्वास में लिया जाता। यह सवाल सूबे का नहीं है, कई राज्यों के पुनर्गठन का सवाल है। इसलिए सभी राज्यों को विश्वास में लेकर निर्णय लेना चाहिए।

जब राज्यों का गठन होता है तो उसकी इकोनोमिक वायबिलिटी देखी जाती है। यह नहीं कि किसी भी राज्य को विभाजित कर दिया जाये। जैसे बिहार को विभाजित कर दें, उसमें इकनोमिक वायबिलिटी को भी देखना चाहिए। आप उस एक इलाके को काट देंगे जो मिनरल्स के मामले में धनी है, मैं इस बात का बिलकुल हिमायती हूं कि उस इलाके के लोगों का शोषण हुआ है, उसको दूर करने के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए अपना शासन खुद चलाने का, लेकिन सम्पूर्ण बिहार जो बना है वह पहले से बना हुआ है। उस बिहार राज्य की एक इकनोमिक वायबिलिटी है। केन्द्र की तरफ से उसको सहायता दी जाती है। उसका एक फार्मूला है। इंटरनल रिसोर्स जितना पैदा करेंगे एक फार्मूले के तहत उसको उतना अनुदान मिलता है, उसको सहायता मिलती है। इंटरनल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा बिहार का साधन उस इलाके से आता है, उसको आप काट देंगे तो वह उचित नहीं होगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। उस इलाके के लोगों को अपना शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन शेष बिहार के लोगों ने भी कोई अपराध नहीं किया है, अतः उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आज अगर हम देखें तो शेष बिहार के इंटरनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन शून्य के बराबर हो गए हैं। पूरे के पूरे उत्तर बिहार में हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और नेपाल से होते हुए आती हैं, उसकी बाढ़ से तबाही मचती है। गंगा की बाढ़ की तबाही, दक्षिण की जितनी नदियां आती हैं, उससे मध्य बिहार की तबाही···(व्यवधान)···हम आपके सेंटीमेंट्स के साथ हैं। आज उनका चालीस सालों से जो शोषण हुआ है हम उस पर भी बात करेंगे। वहां की मिट्टी अत्यधिक उर्वरा है चाहे मध्य बिहार हो या उत्तर बिहार हो। देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर बिहार की मिट्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बावजूद भी वह बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में रहता है इस पर पिछले 40 सालों में ध्यान नहीं दिया गया। पिछले चालीस सालों में बिहार के साथ दो अन्याय हुए हैं। एक तो यह हुआ कि पूरे के पूरे इलाके को बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में रहने दिया गया और उसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए समय बढ़ाना होगा क्योंकि 16.17 बजे इसका समय समाप्त हो रहा है। क्या इस संकल्प के लिए नियत समय को बढ़ाने के लिए सदन सहमत है ?

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय, समय को और बढ़ाया जाना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मेरा सुझाव है कि समय को 1½ घंटे और बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए समय 1½ घंटे और बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वर्तमान में समय को 1½ घंटे और बढ़ाया गया है। इसके बाद हम समय को और बढ़ाएंगे।

श्री रंगाराजन कुमारमंगलम : समय को 2 घंटे और बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या सदन चाहता है कि समय को 2 घंटे और बढ़ाया जाए ?

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : ठीक है। इस संकल्प के लिए समय को 2 घंटे और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कुमारमंगलम जी, आप क्यों बोलते हैं ? प्राइवेट मेम्बर्स जब बोल रहे हैं कि चलने दिया जाए तो आप क्यों बोलते हैं ?···**(व्यवधान)**···

सभापति महोदय, उत्तरी बिहार या मध्य बिहार की धरती बड़ी उर्वरा है। लेकिन उसमें खेती के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। केन्द्र ने पिछले चालीस वर्षों में दो ही काम किए हैं। एक तो उत्तर और मध्य बिहार में खेती के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। दूसरा काम यह हुआ कि जो छोटा नागपुर और संथाल परगना इलाके हैं, उनका भी विशेष प्रकार से शोषण हुआ है और दोहन हुआ है। वहां जो उत्तेजना और पीड़ा है, उसके दो कारण हैं। उन इलाकों में जो बिहार और दूसरी जगहों के लोग गए, उन्होंने सेवा करने की भावना नहीं अपनाई। वहां वह लूटने के लिए गए और आज भी उनकी यही भावना है। हम वहां के एम० पी० हैं, वहां के राजनैतिक जीवन में हैं। हम लोगों से कोई पैरवी करने के लिए आता है तो कोई मेडिकल सर्विसेज में वहां नहीं जाना चाहता और वहां की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन एक पुलिस अफसर तैयार होता है कि हमारी पोस्टिंग वहां करवा दीजिए। यानी वहां सबसे अधिक कमाई का साधन है। जो पुलिस की नौकरी वाले आदमी हैं। वह चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग वहां हो जाए, इसलिए कि वहां के लोगों को लूटने का मौका मिले। दूसरी बात यह है कि जितने लोग वहां विस्थापित हुए, जितनी फैक्टिरियां बनीं, उनमें जो विस्थापित हुए उनको रोजगार नहीं दिया गया, उनका शोषण किया गया। जो भोले-भाले आदिवासी हैं जो वहां सदियों से रहते आए हैं, उनका शोषण हुआ, उनको लूटकर उनकी जमीन ले ली। उनको जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में उनका भयंकर शोषण हुआ है। इसलिए आज वहां की पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह होनी चाहिए और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगा कि आप उसको करिए और उस इलाके के लोगों के मन में यह भावना है कि हम अलग होंगे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई फारमूला आप जरूर

बनाइये । अचानक किसी राज्य का आप बंटवारा मत कर दीजिए । मैं नहीं जानता जरूर उनके मन में गुस्सा है, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों से मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि हम लोग एक साथ बहुत दिनों से रहते आये हैं, इसलिए आज अचानक इतनी दुश्मनी उन्हें अपने मन में नहीं पाल लेनी चाहिए । मैं मानता हूं कि निहित स्वार्थ के कुछ लोग वहां आकर जरूर शोषण करते होंगे, झाड़खण्ड इलाके में, लेकिन वहां जो गरीब लोग हैं, बाकी इलाकों में, चाहे वे मध्य बिहार के हों, चाहे वे उत्तर बिहार के हों, उनके शोषण के लिए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है ।

इसलिए वैसी स्थिति में इकोनोमिक वायबिलिटी किसी स्टेट के बनने के लिए बहुत जरूरी है । आज अगर हम सिर्फ उसको एक नया राज्य बना देंगे तो जो शेष बिहार बचता है, वह इकोनोमिकली वायबल नहीं होगा लेकिन केन्द्र की भी कोई जवाबदेही नहीं होगी । लेकिन अगर राज्य का पुनर्गठन होता है, उस स्थिति में, उस इलाके को अलग राज्य का दर्जा और बाकी बिहार या किसी दूसरे इलाके को मिलाकर अलग राज्य बनता है तो केन्द्र की जवाबदेही होगी । उसकी इकोनोमिक वायबिलिटी को भी देखना चाहिए । जब उसकी इकोनोमिक वायबिलिटी सामने आयेगी तो इंटरनल रिसोर्सेज कैसे जैनरेट होंगे, उस तरफ दिल्ली की सरकार को ध्यान देना चाहिए । उस हालात में उसको ऐड भी ज्यादा मिलेगी, उसको केन्द्र की मदद उतनी ही मिलेगी । आज की तारीख में सारी मदद उसकी बन्द हो जाएगी और एकबारगी वहां का बहुत बड़ा इलाका भयानक स्थिति में पहुंच जाएगा ।

उस स्थिति में, जिस आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, जिस हिंसा की आप बात कर रहे हैं, उस हिंसा से बाकी इलाकों को भी कोई रोक नहीं सकता है और वह हिंसा केन्द्र के खिलाफ होगी । ऐसी स्थिति हम लोगों को नहीं लानी चाहिए ।

बिहार के दो हिस्से, जो आज तक रथ के दो पहियों के समान थे, उन लोगों के बीच में टकराव पैदा नहीं किया जाना चाहिए । केन्द्र की तरफ से हमेशा यह कोशिश होती रही है कि समस्या का समाधान मत करो, उसको उलझाये रखो, उसको लटका कर रखो । मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बारे में केन्द्र का यही रुख है । इसलिए सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ विचार करके, इस समस्या का निदान निकाला जाना चाहिए, कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए ।

दूसरी बात है कि सारे देश में छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए । राज्य पुनर्गठन आयोग बनना चाहिये और इस प्रकार की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए ताकि देश की एकता और अखण्डता और ज्यादा मजबूत हो सके तथा पिछड़े और शोषित जो इलाके हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, संकल्प के दो भाग हैं और स्वभाविक रूप से यह आशा की जाती है कि हम संकल्प के दोनों पृथक भागों पर विचार-विमर्श करें । एक भाग नये राज्यों और छोटे राज्यों के सृजन से संबंधित है । और दूसरा भाग विशेषत: वनांचल और उत्तरांचल के रूप में नये राज्यों के सृजन से संबंधित है ।

महोदय, मुझे मालूम है कि आपके राज्य में भी इसी मामले पर बहुत अधिक उत्तेजना है । मेरा आशय महाराष्ट्र राज्य से है । महाराष्ट्र में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर

विदर्भ राज्य का सृजन करने के लिए निरन्तर आन्दोलन चल रहा है और विदर्भ प्रदेश के और महाराष्ट्र के नेताओं अर्थात् आप उसे बम्बई प्रदेश कह सकते हैं, के नेताओं के बीच हुए कुछ समझौतों के कारण उन्हें लागू नहीं किया गया था।

महाराष्ट्र के अन्दर ही मराठवाड़ा बनाने की मांग भी की गई है। ऐसी ही मांगें उत्तर प्रदेश में भी न केवल उत्तरांचल बनाने के लिए बल्कि बुन्देलखंड अथवा कोई अन्य नाम से रअज्य बनाने के लिए मांग की गई हैं। इसी प्रकार की मांगें देश के अन्य भागों में भी की गई हैं।

अतः छोटे सक्षम राज्य बनाना चाहे वांछनीय हों, चाहे उचित हो अथवा व्यावहारिक हों फिर भी इस मामले पर गहराई से विचार और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। पहले जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी तब मुख्य मनदंड भाषा के अधार पर राज्यों का सृजन करना था। जहां तक मैं समझता हूं भाषा एक प्रमुख घटक था। इस संबंध में मतभेद हो सकता है। भाषा और संस्कृति किसी राज्य की स्थापना के लिए मूल मानदंड था, एस० आर० सी० ने इस पहलू पर पूरी गंभीरता के साथ विचार किया है। लेकिन भाषा और संस्कृति के आधार पर, जिसे हम भाषा के आधार पर पुनः विभाजन कहते हैं, राज्यों के बनने के बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। वनांचल, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, बुंदेलखंड या किसी अन्य स्थान की समस्याएं केवल पुस्तकों में ही रह गई हैं। अतः मामले की फिर से जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या राज्यों का भाषा के आधार पर पुनः बंटवारे से उत्पन्न हुई समस्याओं अथवा चल रही समस्याओं अथवा शेष समस्याओं की जांच करने के लिए कोई आयोग गठित किया जाना चाहिए।

जहां तक झारखण्ड अथवा वनांचल का संबंध है—बल्कि मैं झारखंड के संबंध में अधिक चिंतित हूं, मेरा कोई अन्य तात्पर्य नहीं है; यदि आप अलग राज्य चाहते हैं तो वह अलग बात है; इसका नाम क्या होगा, इसका निर्णय वहां के लोगों द्वारा किया जाएगा—मेरे विचार से इसकी धारणा सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर नहीं है और न ही यह जातियता पर आधारित है। जातियता एक ठोस मुद्दा है। मैं आज जातियता के आधार पर पूरे विश्व में आंदोलन, राजनीतिक शक्तियों का अविर्भाव, राज्य अथवा देशों का विभाजन और पुनर्विभाजन देख रहा हूं।

महोदय, क्षमा कीजिए, मैं झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रतिनिधियों से प्रार्थना करूंगा कि झारखंड राज्य के सृजन की मांग के लिए जातियता, भाषा अथवा संस्कृति का कोई मूल प्रश्न ही नहीं है। झारखंड राज्य की मांग के पीछे मूल प्रश्न, मूल भावना अथवा मूल संवेदना विकास की क्षेत्रीय असमानता है इसका अर्थ यह है कि विकास में क्षेत्रीय असमानता है, और विकास में क्षेत्रीय असमानता होने के कारण ही अलग राज्य की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जोकि भाषा पर आधारित नहीं है और न ही संस्कृति पर आधारित है और न ही जातियता पर आधारित है क्योंकि यदि झारखंड राज्य बनता है, तो यह बहुभाषीय राज्य होगा जिसमें एक से अधिक भाषा होंगी। यदि यह एक अलग राज्य भी होता है, तो वह एक बहु-जातीय राज्य होगा, और यदि यह एक पृथक राज्य बनता है, तो यह बहुल-संस्कृति वाला राज्य बनेगा।

अतः महोदय, यह इतना साधारण सा मामला नहीं है। जहां तक राज्य के बनने का प्रश्न है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शोषण हुआ है, कि वहां पिछड़ापन रहा है, और यह पिछड़ापन

नियोजित रूप से पिछड़ापन है। यह स्वाभाविक पिछड़ापन नहीं है, यह पिछड़ापन बिहार अथवा अन्य स्थानों में निहित स्वार्थ वाले वर्ग अथवा खंड से उत्पन्न हुआ है। बात यहां है।

मैं मानता हूं कि आप मुझे समय नहीं देंगे तथा मैं भी इसके लिए सभा का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे पास एक दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि किस प्रकार निहित स्वार्थ वाले एक खण्ड द्वारा झारखंड क्षेत्र का शोषण किया गया है। मैं यहां पर अपने कुछ मित्रों की जानकारी के लिए आंकड़े उद्धृत करूंगा जो स्वयं बिहार सरकार के पास उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति को निम्नानुसार बताया गया है :

"यह क्षेत्र, जिसका अर्थ है बिहार, के 12 जिले, जिन्हें सामान्यत: झारखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बिहार के कुल राजस्व में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता। है" (व्यवधान)

क्या यह 16 है अथवा 12 है ? (व्यवधान)

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : संथाल परगना में 16 जिले हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : संथाल परगना के मामले में, खंड और उपखंड है। मेरा आशय झारखंड क्षेत्र से है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यक्तिगत चर्चा न कीजिए।

श्री चित्त बसु : झारखंड क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य के कुल राजस्व में लगभग 70 प्रतिशत का अंशदान करता है। जहां तक उस क्षेत्र के लिए संसाधन हस्तांतरण का संबंध है, यह 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। क्यों ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मोहन सिंह, आप बोलने जा रहे हैं। आप केवल बैठे-बैठे ही टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : अत: यह शोषण करने का सुस्पष्ट उदाहरण है। पूरे बिहार के कुल कृषि उत्पादन का मूल्य 1,165.92 करोड़ रु० बनता है तथा झारखंड क्षेत्र में इन 16 अथवा 12 जिलों का अंशदान केवल 172.59 करोड़ रु० है, जोकि राज्य के कुल कृषि उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत है। कुल 11.19 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से झारखंड क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र 1.06 लाख हैक्टेयर है। वहां पर बांध बनाए जा रहे हैं। बहुत सी परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

इसके अलावा, कुछ अन्य बातें हैं—हस्तांतरण और शोषण। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा और इस मुद्दे पर अपनी बात समाप्त करूंगा। बिहार में कुल 49,444 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है और झारखंड क्षेत्र के जिन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है, उनकी संख्या केवल 10,791 है, यद्यपि उस क्षेत्र से 50 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है।

जहां तक भूमि हस्तांतरण के मामलों का संबंध है, आदिवासियों को उनकी भूमि से हटाया गया है। अब तक 90,847 मामले दर्ज किए गए हैं। 44,000 मामलों की जांच की अनुमति दे दी गई है, 34,000 मामले रद्द कर दिए गए हैं और 13,000 मामले लंबित हैं। भूमि से हटाए गए जनजातियों के 90,000 मामलों में से केवल 2,994 मामलों को ही पुन: बहाल किया गया है।

केवल 3,000 मामले ही सफलतापूर्वक लड़े गए हैं तथा मूल जनजाति के लोगों को उनकी भूमि दिलाई गई है। अतः क्षेत्रीय प्रशासन और अन्य संबंधित लोगों के एक वर्ग द्वारा जनजातियों के लूट-पाट और उनके असमानता निर्मम शोषण करने के सुस्पष्ट उदाहरण हैं।

अतः मैं यह कहकर पुनः अपने निष्कर्ष को दोहराना चाहूंगा कि यह जातियता, संस्कृति, भाषा का प्रश्न नहीं है अपितु क्षेत्रीय पिछड़ेपन को समाप्त करने तथा न्याय और समानता लाने का प्रश्न है। अतः मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि इस पर उसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस समय क्षेत्र के तेजी से तथा संतोषजनक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पूरे बिहार राज्य में क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का होना एक उचित तंत्र है। इस कार्य के लिए केन्द्र से सांविधिक रूप से अवश्य ही वित्तीय संसाधन प्राप्त होने चाहिएं तथा इसके लिए कानूनी रूप से मंजूरी दी जानी चाहिए, कानूनी रूप से निर्धारित संसाधन राज्य से हस्तांतरित किए जाने चाहिए। मुख्य शिकायत यह है कि राज्य मुख्यालयों से संसाधनों का हस्तांतरण नहीं होता। शिकायत यह है कि यदि केन्द्र द्वारा कुछ संसाधन राज्य को हस्तांरित किए भी जाते हैं तो समुचित भाग झारखंड क्षेत्र को नहीं मिलता, अतः एक स्वायत्त परिषद होनी चाहिए, जिसे प्रशासन तथा विधायी कार्यों की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हों तथा उसे केन्द्र और राज्य दोनों से सांविधिक रूप से वित्तीय संसाधन भी प्राप्त हों। झारखंड समस्या जोकि पिछले छः दशकों से हमारे समक्ष है क्या यही उचित, युक्तिसंगत और संतोष-जनक समाधान हो सकता है। लेकिन केन्द्र की भी अपनी भूमिका होती है। मेरे पास समाचार पत्र का एक कतरन है लेकिन मैं उसमें से उद्धृत नहीं करूंगा। लेकिन श्री एस० बी० चव्हाण ने लोक सभा को पिछली 2 दिसम्बर को बताया था कि केन्द्र अलग झारखंड राज्य बनने के प्रति अनिच्छुक नहीं था। श्री चव्हाण ने पिछली 2 दिसम्बर को बताया था कि केन्द्र पृथक झारखंड बनने के विरुद्ध नहीं है, बशर्ते पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसके लिए सहमत हों। यही वह रास्ता है जिसके द्वारा अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता अथवा राजनीतिक शासन अथवा अधिपत्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर देते है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है इसने अपनी स्थिति यह कहकर स्पष्ट कर दी है कि एक भी खण्ड जनसंख्या के आधार पर नहीं है। पूर्वी पुरूलिया और मिदनापुर जिलों में, दस प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह सघन क्षेत्र है जिसके काफी बड़े हिस्से में आदिवासी अथवा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अतः पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य के विभाजन अथवा पृथक्करण की धारणा उस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को त्वरित और संतोषजनक ढंग से करने की नहीं है। मेरे मित्र दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कारण हम से बहुत नाराज हैं। महोदय, कुछ त्रुटियां और कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की है वहां स्वा-यत्तशासी क्षेत्र अवश्य होने चाहिए उनके पास यथासम्भव व्यापक प्रशासनिक और विधायी शक्तियां और वित्तीय संसाधन होने चाहिए ताकि उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके क्योंकि ये लोग भी भारतीय हैं। हममें से अनेक ऐसे लोग भी हैं जो भारत में बाहर से आये हैं और हमें उस ऐतिहासिक बात को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए केन्द्र को अपने विचारों और कार्यक्रमों में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि दार्जिलिंग में किसी को प्रोत्साहित करें और झारखंड क्षेत्र में कुछ ताकतों को प्रोत्साहित न करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो इससे देश की

स्थिरता अस्त व्यस्त होगी। इस उद्देश्य हेतु मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इन मुद्दों पर नीति तैयार करनी चाहिए। मैं उन लोगों से भी जो झारखंड आन्दोलन में शामिल हैं, अनुरोध करता हूं कि ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों क्योंकि इस प्रकार से यह बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। मैं चेतावनी भी देता हूं कि वे उत्तरोत्तर हिंसा का सहारा ले रहे हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे वार्तालाप, परामर्श, चर्चा और आपसी समझ-बूझ द्वारा ही निपटाया जा सकता है। इसलिए झारखंड आन्दोलन के समर्थकों को नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के लोगों के बृहत्तर हित में और उससे भी अधिक हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च हित में इस मामले मे वार्तालाप द्वारा तर्क द्वारा और विवेचन द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से निपटायें।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, इस अतिमहत्वपूर्ण गैर-सरकारी संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका तहेदिल से आभारी हूं। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस संकल्प और उत्तरांचल और वनांचल दोनों राज्यों के बनाए जाने का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय वास्तव में कुछ और आगे की बात भी करना चाहता हूं।

महोदय मैं समझता हूं कि समय आ गया है जबकि हमें, इस सदन के सभी पक्षों से, विशेष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं इस तथ्य से भलीभांति परिचित हूं कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, से पूरे देश भर में काफी हलचल और कई समस्याएं पैदा हो गयी थीं। लगभग तीन वर्षों के लिए सभी अन्य गतिविधियां रुक गई थीं। हम सभी जिलों उपखंडों, ताल्लुकों और गांवों के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे।

इसके बावजूद पिछले 35 वर्षों से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां देश के विभिन्न भागों से पृथक राज्यों के लिए मांग की गई है। हमने देखा है कि किस प्रकार असम को पांच से सात राज्यों में विभक्त किया गया है। अब हम उस क्षेत्र को सात बहनों का क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसा समय भी था जबकि हम केवल असम को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के बारे में बात करते थे और उसमें से किसी अन्य राज्य के गठन का दृढ़ता से अस्वीकार करते थे।

महोदय, हमारी ये मांगे हैं और विशेषतः उत्तराखंड राज्य के लिए मांग, तो अनेक वर्षों से की जा रही है। विगत में हमने विदर्भ, सौराष्ट्र और उत्तराखण्ड की जिसे आजकल उत्तरांचल कहा जाता है, के लिए पृथक राज्यों की मांग भी की थी। महोदय, हमारी यह मांगे लगभग देश के सभी भागों की मांगे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यही समय है जब हमें द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए और यह मेरा पुरजोर अनुरोध है कि सरकार को उत्तरांचल और वनांचल इन दोनों राज्यों के लिए हाल की इस मांग को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। इन मांगों पर गम्भीरता से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

महोदय, यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिवार का गठन कराने में कुछ भूमिका निभाने का अवसर मिला। महोदय, आरम्भ में जैसाकि आप जानते हैं कि गोरखालैंड के लिए पृथक राज्य हेतु मांग की गयी थी, बाद में हमने एक फार्मूला बनाया जिससे एक पृथक स्वायत्तशासी जिला परिषद का सृजन किया गया और इसी जिला परिषद को एक पूर्ण राज्य से कुछ

ही कम को दर्जा दिया गया। दार्जिलिंग माडल को उस समय सभी पक्षों ने स्वीकार किया था और मैं यह स्वीकार करता हूं और मेरा स्वयं का भी यही विचार है कि इसने हममें नई आशा जगाई है और हमारे देश के कई भागों की समस्याओं को हल करने का तरीका सुझाया है।

वास्तव में जैसाकि आप जानते हैं लद्दाख के लोग, जो स्वयं को दशकों से श्रीनगर द्वारा शोषित किया महसूस करते रहे थे आगे आए और लद्दाख के लिए दार्जिलिंग मांडल जैसी स्वायत्तशासी परिषद की मांग करने लगे। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि इसी प्रकार की परिषदों के गठन से विदर्भ, सौराष्ट्र और कई अन्य क्षेत्रों की मांगों और आवश्यकताओं का हल खोजा जा सकता है। लेकिन महोदय, हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी स्वायत्तशासी परिषद् एक मॉडल हो सकती है।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि दार्जिलिंग में हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। मेरे अच्छे मित्र श्री चित्त बसु ने झारखण्ड के लिए एक स्वायत्तशासी परिषद की जोरदार सिफारिश की है। लेकिन महोदय, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के बारे में मेरे अपने अनुभव से मेरी एक अलग धारणा बनती है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार इसे कार्यान्वित कर रही है उस ढंग से यह मॉडल सही नहीं सिद्ध होगा। वास्तव में, महोदय पश्चिमी बंगाल सरकार वहां के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु द्वारा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद समझौते को पूरी ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। महोदय, वास्तव में समझौते का कार्यान्वयन एक धोखाधड़ी है। इसके अलावा, जब तक इस प्रकार के मॉडल पर दक्षता और ईमानदारी से कार्य नहीं किया जाता तब तक इसी प्रकार की अन्य स्वायत्तशासी परिषदों की स्थापना करने का कोई महत्त्व नहीं है। इस समझौते के उचित रूप से प्रभावी न होने के कारण बताने के लिए मैं केवल तीन उदाहरण दूंगा।

आपको यह जानकर दुःख होगा कि अब दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को कलकत्ता सरकार से वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महोदय, 37.16 करोड़ की राशि जिसे केन्द्र द्वारा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् को स्वीकृत किया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दिया है। यह राशि इन्हें वर्ष 1990-91 से 1991-92 के लिए दी गई थी। लेकिन इस 37.16 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है।

जब समझौता को तैयार किया जा रहा था तब गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता चाहते थे कि केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय निधियां सीधे स्वायत्त परिषद् को मिले पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया था और कहा था "यदि आप धन प्रत्यक्ष रूप से देना आरम्भ कर देंगे तो इससे परिषद को एक पृथक राज्य का पद प्राप्त हो जाएगा" तत्पश्चात् मैंने एक समझौता फार्मूला रखा और उस फार्मूले को खुशी से स्वीकार किया गया था। मेरा सुझाव था कि केन्द्रीय निधियां जो दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद् निमित्त होती हैं उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार के माध्यम से दिया जाना चाहिए, लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार को केवल एक डाकघर की ही भूमिका निभानी चाहिए। परन्तु फिर भी महोदय, हुआ क्या है ?

जैसाकि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारी निधि का 37.16 करोड़ रुपया रोका गया और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उपयोग में लाया गया है। हालांकि आज 19 मार्च है और इस

वित्तीय वर्ष की समाप्ति में केवल 11 दिन बाकी हैं परन्तु वर्ष 1992-93 के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद् को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद् को वस्तुतः अपने विकास कार्यों को बन्द करने को बाध्य होना पड़ा।

यह वास्तव में एक अभूतपूर्व प्रतिमान था। यह एक ऐसा प्रतिमान था जिसकी भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन् ने भी जब उन्होंने दार्जिलिंग का दौरा किया था प्रशंसा की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि यह एक आदर्श प्रतिमान है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और पूरे देशभर में इसको लागू किया जाना चाहिए। तथापि यह प्रतिमान कार्यरत नहीं हो सका क्योंकि इस बारे में दो तरह की बातें बहुत होने लगीं और कलकत्ता ने धोखा दिया। जब तक ऐसी बातें समाप्त नहीं हो जाती हैं यह चालू नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा और इसका हल खोजना होगा।

मेरी राय में इसका केवल एक ही हल हो सकता है और वह है अधिक राज्यों का गठन करना। मेरी विनम्र राय यह है कि देश को 25 बड़े राज्यों की आवश्यकता नहीं है और जिस चीज की हमें वास्तव में आवश्यकता है यह है कि 25 बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे-छोटे 50 राज्य जिनका भाषा, संस्कृति अथवा किसी जाति के आधार पर गठन नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड आन्दोलन काफी लम्बे समय से वहां चल रहा है और मैं समझता हूं कि उनका दावा बड़ा ही सशक्त है। कभी आपको याद होगा हमारा संयुक्त पंजाब था। कोई भी उस संयुक्त पंजाब को नहीं छोड़ना चाहता था। मैं भी एक पंजाबी होने के नाते पंजाब के किसी विघटन का विरोधी था। अतः हरियाणा की मांग की गई और यह कहा गया था "हरियाणा व्यवहार्य नहीं है हरियाणा ऊसर (बंजर) क्षेत्र है और यह बिल्कुल बंजर होगा। यह एक बड़ी घोर विपत्ति होगी" हिमाचल के लिए भी यही कहा गया था। जब हिमाचल के लोगों ने हिमाचल की मांग की थी, तो हम उन्हें अलग करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एक बार जब हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो वह समृद्ध हुआ, हरियाणा भी समृद्ध हुआ। इसलिए अनुभव दर्शाता है कि यदि आप छोटे राज्यों की व्यवस्था को अपनाएंगे, तो छोटे राज्यों के पर्याप्त समृद्ध होने की सम्भावना है। उनकी समृद्धि का कारण बहुत साधारण है, लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में यह प्रवृति पाई जाती है कि वे कुछ क्षेत्रों को उपनिवेशों की तरह समझते हैं और उनका शोषण करते हैं और उनको लूटते हैं और व्यक्तिगत और दलदत विवर्धन के अन्धाधुन्ध लक्ष्य के लिए लूट में मग्न हो जाते हैं। इसलिए हमें करना यह चाहिए कि हमें छोटे आकार वाले अधिक राज्यों के बारे में सोचना चाहिए। यहां तक कि मैं तो द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश भी करता हूं, मैं पुरजोर सुझाव देता हूं कि हमें झारखंड और उत्तरांचल के लिए पृथक राज्य की दिशा में बढ़ने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

काफी लम्बे समय से मेरा यह दृष्टिकोण है कि उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को चार पृथक राज्यों में बांटे जाने की आवश्यकता है हम जानते हैं कि किस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश हानि उठा चुके हैं। कई प्रशासनिक कदम उठाए गए थे। उदाहरण के लिए एक बार मुख्य सचिव सचिवालय मिनी सचिवालय की मेरठ में स्थापना की गई थी जोकि लखनऊ के अतिरिक्त था। लेकिन यह सफल नहीं हो सका क्योंकि ऐसी चीजें सफल नहीं होती हैं। इसलिए मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि हमें छोटे राज्यों की पद्धति को अपनाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में, मैं एक बार और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। जैसाकि मैंने कई अन्य छोटे राज्यों की सिफारिश की है, मैं एक अन्य रचनात्मक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं। एक भांति के सभी राज्य होने के बजाय, हमें उस सन्दर्भ में गम्भीरता से सोचना चाहिए जैसाकि आजादी के तुरन्त पश्चात् किया गया था। एक श्रेणी के राज्य होने के बजाय हमें दो में तीन श्रेणियों के राज्यों के बारे में सोचना चाहिए जैसाकि आजादी के तुरन्त पश्चात् की स्थिति थी। अर्थात हमें भाग 'क' के राज्यों का गठन करना चाहिए जिसके पास सभी शक्तियां होनी चाहिए जैसे कि आज हमारे यहां हैं और फिर भाग 'ख' के राज्य होंगे जिन्हें सीमित शक्तियां प्राप्त होंगी और भाग 'ग' के राज्य जो संघशासित प्रदेशों की प्रकृति के हो सकते हैं।

ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका भारी मात्रा में अन्धाधुन्ध शोषण किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में बड़े-बड़े क्षेत्रों को उपनिवेशों की तरह माना जा रहा है। इसलिए यदि हम अपने लोगों के साथ, विशेषकर अपने शोषित लोगों के साथ अच्छा वर्ताव करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि यही समय है जब हमें अपने राजनीतिक नक्शे को दुबारा से देखना होगा और केवल 25 राज्यों के बजाय और अधिक राज्यों के बारे में सोचना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह जो उत्तरांचल-वनांचल प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस पर इस समय बहस चल रही है, उसको सुनकर हमको यह लगा कि अब यह बहस दो भागों में बंट गई है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसको बनना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए तो क्यों?

सभापति महोदय, भारत बहुत विशाल देश है। पहले भारत टुकड़ों में बंटा हुआ था, लेकिन जिसने इतना बड़ा भारत बनाया, उसको भी इस सदन में धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज हम भारत को कई टुकड़ों में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह किसका प्रयास है? इसका कारण है असंतोष जब बढ़ता है तो घर भी टूटते हैं। हालांकि घर छोटा सा होता है, 5 परिवार होते हैं, लेकिन वह भी टूटता है। इसका कारण यह होता है कि जब घर का मालिक बहुत ही बेईमान हो जाता है, तब घर टूट जाता है, अन्यथा नहीं टूटता। अगर घर का मालिक ईमानदार रहता तो वह परिवार पीढ़ियों तक चल सकता था। लेकिन आज हम कहेंगे कि कांग्रेस ने इतने दिनों तक जो राज किया इसी के कारण तमाम जगह मांग हो रही है कि अलग राज्य होना चाहिए। देश की जनता ऐसी है कि वह समझती नहीं। आज तक दुनिया में इतने दिनों तक किसी पार्टी ने राज नहीं किया है। भारत में कांग्रेस को इतने दिनों तक राज करने का मौका मिला। जब राज करने का मौका मिला तो इन्होंने जो राज किया वह पक्षपातपूर्ण किया। बैकवर्ड, फारवर्ड, हरिजन आदि को बांट कर राज किया। देश के लिए नहीं, मात्र कुर्सी की ममता में इन्होंने राज किया है। कुर्सी कैसे अक्षुण्ण रहे इस चीज को देखते हुए राज किया है।

इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसने देश पर राज किया, राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व भी इनके हाथ में था, ऐसी पार्टी ने कुर्सी के लिए त्रिपुरा में क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर राज किया। त्रिपुरा

को भी क्या बांटना है ? क्षेत्रीय पार्टी जहां जन्म ले लेती है अगर उसको कोई तरजीह देता है तो क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि हम अलग होंगे । यह होता आया है ।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं विधायक था उस समय अखबार में पढ़ता था तेलंगाना में लड़ाई चन्ना रेड्डी के साथ चली है । काफी दिनों तक खून-खराबा होता रहा । तेलंगाना अलग राज्य क्या बना ? यह अभी तक अलग राज्य नहीं बना । किस तरह से उसके साथ सलूक किया गया । दार्जिलिंग में देखिए । उसकी लड़ाई भी आपने देखी । बोड़ो आन्दोलन, झारखंड आन्दोलन क्यों चला ? वहीं आन्दोलन चल रहा है जहां आपने आज तक विकास नहीं किया । जिस इलाके का विकास आपने नहीं किया उसके अन्दर कुछ लोग ऐसे पैदा होते गए जो रास्ता बताने लगे, संगठन बनाने लगे । असन्तोष का ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने है । झारखंड पार्टी की बात कही जा रही है । झारखंड अलग राज्य अगर बन जाएगा तो क्या वहां विकास हो जाएगा ? सुबोध कान्त सहाय उसके नेता हैं । उस क्षेत्र में मां बच्चे को पीठ पर बांधकर काम करने जाती है, क्या विकास इसी को वह नेता कहते हैं ? या सूरज मण्डल नेता बने हुए हैं ? सूरज मण्डल नाम से लगता है कि बड़ा ग्रह है, देश पर बोझा लगता है । ये आदिवासी नहीं हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वही सूरज मण्डल हैं जो लालू जी के दाहिनी हाथ बने हुए थे । न जाने करोड़ों-अरबों कमा लिए होंगे । मैं सच कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं । लेकिन आज क्या हुआ कि चार महीने में सुबोध कांत सहाय नेता हो गए । यह किस की देन है ? यह कांग्रेस की देन है, क्योंकि चन्द्रशेखर जी को बनाया चार महीने के लिए । चार महीने में नतीजा क्या हुआ, चार महीने में मुट्ठी भर लोगों के हाथों अरबों-करोड़ों चला गया । इस सदन में मैं 1984 से हूं । सवाल यह है कि देश का किसने नाश किया ? आपके हाथ में सत्ता रहती तो क्या होता ? लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि कांग्रेस में बीमारी है कि कांग्रेस 5-10 साल लगातार कहीं शासन में नहीं रही तो इनका एक आदमी भी नहीं बचेगा, सभी के सभी मृत्यु शैय्या पर चले जायेंगे । यह स्थिति कांग्रेस की है ।

हम कहना चाहते हैं कि गांव के अन्दर इनके लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो सब ठीक हो सकता है । गांव के अन्दर, जहां कांग्रेस का राज है, बंटवारा हो रहा है । हर जगह विकास जातीय आधार पर हो रहा है । एक ही गांव में अगर नाली बनानी है तो ऊंची जाति का अगर एम०एल०ए० है तो उसके इलाके में बना दी, पिछड़ी जाति के मुहल्ले में नहीं बनाई । मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसको दर्द होगा या नहीं ? लोगों को तकलीफ होगी या नहीं ? आप ईमानदारी से इस बात को सोचें कि अगर एक गांव में दो तरह का विकास होगा तो लोगों को जरूर लगेगा कि सरकार अच्छी नहीं है, यह सरकार से अलग रहे ।

17.00 म० प०

आपके पास पैसा रहता है और चांपाकल बन जाता है । नियम टूटता है तो व्यवस्था कमजोर होता है । अगर नियम टूटने लगता है तो सारी चीजें टूटने लगती हैं । मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुख्य मंत्री स्वर्ग चले गए हैं, उन्होंने नियम तोड़ दिया चूंकि सिलेक्शन कमेटी से होता था चांपाकल कहां पर गड़ेगा और कितनी पापुलेशन पर गड़ेगा, लेकिन आजकल एम० एल० ए० को अधिकार दे दिया गया । इस तरह से भगदड़ मची हुई है और सारा पैसा खर्च हुआ है । कई चीजें हैं, कैसे बताया जाए तो कौन जांच करेगा । वहां की राज्य सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकार में कोई फर्क नहीं है । ऊंची

जाति के गांव में हैल्थ सेन्टर खुले हुए हैं और एडीशनल पी०एच०सी० भी है। लेकिन बहुत से पिछड़ी जाति के गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को सात-आठ किलोमीटर दूसरे-दूसरे जिले में दवा लेने के लिए जाना पड़ता है।···(व्यवधान) झारखंड की बात कहते हैं। गांवों को भी बंटवाने के लिए आप लोग तैयार है। अगर जांच करें तो हमारे क्षेत्र में ऐसे हजारों केस मिलेंगे। जिस जाति का एम०एल०ए० होता है तो वह एडीशनल पी०एच०सी० या सब सेन्टर अपने जाति के गांवों में खुलवाता है और रोड की भी यही हालत है। अभी भी चित्त बसु जी बहुत जोर से और बहुत दबाव डालकर बोले हैं कि आखिर यह सब पैदा क्यों हुआ। झारखंड की मांग क्यों की जा रही हैं। कांग्रेस ने इतने दिनों तक राज किया और पक्षपातपूर्ण विकास किया। कई बार मैंने कहा है कि अगर क्रिश्चियन लोग नहीं होते तो आज आदिवासियों में एक भी पढ़ा लिखा नहीं मिलता। धर्म परिवर्तन करके अधिकारी बने हैं, अच्छे विद्वान नहीं होते तो वहां क्रिश्चियन ही धर्म परिवर्तन कराकर आप बड़े-बड़े ओहदों पर देखने को मिल रहा है जैसे—अपना नाम ऊंराव या कुछ और रख लिया। आखिर यह क्यों किया। आप इसके लिए दोषी हैं। धर्म परिवर्तन जो हुआ तो आपको इसके लिए चिंता नहीं है, आपको फिक्र नहीं है। आखिर वह विकास के लिए धर्म परिवर्तन हुआ है। वहां धर्म परिवर्तन करने के बाद उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वे आदिवासी इलाकों से आते हैं चाहे एम० एल० ए० या एम० पी० हों वे अपने बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कराने के लिए एड़ी चोटी लगा देते हैं। इसके लिए आप क्या जवाब देंगे। राज्य बनने से क्या होगा यानी झारखंड बन जाए तो क्या होगा। अगर सचमुच में देश को ईमानदारी और देश भक्ति के साथ चलाते हो तो कोई झारखंड की मांग नहीं करेगा चूंकि समान विकास नहीं होता और इसी तरह से देश को बर्बाद करके टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हो। गृह मंत्री जी ने कहा कि लालू जी ने बोल दिया। यह तो केन्द्र का सवाल है इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए था। केन्द्र ने कहा ···(व्यवधान) वहां पर हो जाना चाहिए। राज्य में जो राज करता है वह मुख्य मंत्री होता है। उसको यह कहना था कि इसको विकास का इतना दर्जा नहीं मिला है हम इसको वह दर्जा देने जा रहे हैं।···(व्यवधान) उनको इमानदारी के साथ विकास करना होगा जो आज तक नहीं हो पाया है। इन्होंने बहुत कानून बनाये, लेकिन उनकी जमीन महाजनों ने दो चार रुपये में ले ली और पूरी जमीन को नीलाम कर दिया। आपने उसके लिए भी कानून बनाया, लेकिन लागू नहीं किया। उसकी नीलामी किसने करवाई, उसी टिक्कू ने जो यहां से जाता है, जो सूद लगता है। जो वहां भी बैठा हुआ है और यहां भी बैठा हुआ है···(व्यवधान)···सूरज मंडल की ही बात नहीं है। सवाल यह उठता है कि सूरज मंडल क्यों आन्दोलन कर रहे हैं। आप रांची में जाकर देखिए अधिकारियों के किले बने हुए हैं, राजनेताओं के और ठेकेदारों ने किले बना रखे हैं। देश को इन लोगों ने लूट लिया है। झारखंड को बांट दें तो यही लोग मौज करेंगे, भले ही सूरज मंडल और शिबू सोरेन बड़े ओहदों पर चले जायें गरीबों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप वास्तव में गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं तो उनके विकास के लिए कुछ करें। मैं चित्त बसु जी जैसा पढ़ा-लिखा नहीं हूं, लेकिन जो सचाई है, धरती की बात है, जो नजरों से गुजर रही है वह यह है कि उनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो यह आन्दोलन और समस्या नहीं उठती। वहां का इतना असमान विकास हुआ है कि कोई जमीन पर है और कोई आसमान पर है।

चालीस बरस तक ये लोग वहां पर रहे, अगर जनता ने इन्हें पांच बरस में ही हटा दिया होता तो ऐसा नहीं होता। यह देश की जनता ने बहुत बड़ी भूल की जिससे आज देश के बंटने की नौबत आ रही है।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव को रखा गया है कि अलग से उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना की जाये और वनांचल प्रदेश की स्थापना की जाये। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तरांचल का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा था। विशेषरूप से पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरांचल का मुद्दा क्षेत्र-क्षेत्र तक और जन-जन तक पहुंचा। इस मांग को सबसे पहले सन् 1952 में रखा गया। तब से यह मांग किसी न किसी स्वरूप में वहां जनता के बीच में बनी रही। किन्तु 1952 के बाद से कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन में इस उत्तरांचल का दुर्भाग्य यह था कि उत्तरांचल के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से चार मुख्यमंत्री रहे। मजेदार बात यह है कि तीन मुख्य मंत्री तो उसी पर्वतीय क्षेत्र के थे और चौथे मुख्य मंत्री चन्द्र भानु गुप्त जो मैदानी क्षेत्र के रहने वाले थे उन्होंने भी रानीखेत जाकर चुनाव लड़ा था और यह आश्वासन वहां की जनता को दिया कि आपके विकास के लिये पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा, आपका पूरा ख्याल किया जायेगा। मैं कहूंगा थोड़ा बहुत विकास जो हुआ गोविन्द बल्लभ पंत के समय में जरूर पर्व ीय क्षेत्र का ध्यान रखा गया और कुछ योजनायें उस समय प्रारम्भ हुई। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हुए माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा, कहने को वे अपने आप को पर्वतीय क्षेत्र का मानते थे। मुझे आज भी याद आता है कि देहरादून से वे उप-चुनाव लड़े लोक सभा का और उस समय वह कांग्रेस के अन्दर नहीं थे लेकिन इस देश के···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इन महानुभावों का नाम लेकर क्यों चर्चा कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : उससे सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप नाम मत लीजिए। आप सिद्धान्तों की चर्चा करिये।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : वहां की जनता ने यहां पर एक ऐसे नेता को चुनकर भेजा। जिन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि मुख्यमंत्री बने तो इस क्षेत्र की जनता का विकास किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले से एक व्यक्ति चार बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और तीन-चार बार केन्द्र में मंत्री रहे। पर्वतीय क्षेत्र की जनता कांग्रेस को 45 वर्षों से इस विश्वास के साथ जिताती रही कि इस क्षेत्र का भाग्य बदलेगा, नौजवानों का भाग्य बदलेगा। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी योजना बद्ध तरीके से उस क्षेत्र का विकास नहीं किया क्योंकि अंग्रेजों को अपनी फौज के लिए आदमी चाहिए थे, होम गार्ड्स चाहिए थे। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि इस क्षेत्र का विकास हो। कांग्रेस राज ने भी 45 वर्षों से उस नीति को अपनाया। इस क्षेत्र की जनता ने भी यही सोचा कि इस क्षेत्र का विकास होगा और यहां का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यदि इस क्षेत्र का नौजवान चेत जायेगा तो अपने अधिकारों को समझने लगेगा, इसे कांग्रेस ने भी नहीं होने दिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 45 वर्षों में कांग्रेस ने उत्तरांचल क्षेत्र को क्या दिया ? पिछड़ापन, गरीबी, अभाव के अलावा कुछ नहीं मिला।

सभापति महोदय, 1971 में हिमाचल प्रदेश पंजाब में सम्मिलित था। अब उत्तरांचल क्षेत्र के लोगों को भी हिमाचल प्रदेश से ईर्ष्या होती है और है और होना स्वाभाविक भी है। इसलिए कि उत्तरांचल क्षेत्र की आबादी हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, क्षेत्रफल भी अधिक है। हिमाचल प्रदेश बनते समय वहां की 50% जनता गरीबी रेखा से नीचे थी जो अब 25% रह गयी है। इस परिवर्तन को उत्तरांचल क्षेत्र के लोगों ने देखा। जब तक हिमाचल प्रदेश पंजाब में था, उसको अपना हिस्सा नहीं मिलता था। योजनायें बनती थीं लेकिन पंजाब तक सीमित रह जाती थीं। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश बना और वहां का शासन वहां के लोगों के हाथ में आया, तो लोगों ने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने भाग्य को स्वयं बदला। जिस तरह हिमांचल ने अपनी परिस्थितियों और प्रगति को पहचाना, उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्तरांचल के लिए भी लागू हो सकती हैं।

सभापति महोदय, उत्तरांचल पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि जिनको पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में कोई जानकारी नहीं पर्वतीय विकास मंत्री मैदानी क्षेत्र से बनाया जाता रहा है। ऐसा अनेक बार हुआ, इससे ज्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भी उस समय मंत्री रहे, क्या वहां की भौगोलिक स्थिति को जानते थे ? क्या उनको वहां की सड़कों या परिस्थिति की जानकारी थी ? उससे पूर्व की सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, तो पिथौरागढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र की समस्या की बात की गयी कि वहां पर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, उस समय के जो सैक्रेटरी थे—मैं नाम नहीं लेना चाहता —उनसे कहा कि यहां के लोगों के लिए पेयजल नहीं है तो कहा गया कि यहां के लोगों के लिए हैण्ड पम्प हेतु 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे योजनायें बतनी हैं, कोई व्यवहारिक योजना नहीं थी।

नैनीताल जिले में रामगढ़ नाम का एक स्थान है। मैं चुनाव के बाद वहां पर गया क्योंकि उस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना। उनमें 45 वर्षों का आक्रोश था, और जिस व्यक्ति के मुकाबले में मुझे चुना गया, वह चार बार उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह वहां अनेक बार केन्द्रीय मंत्री रह चुके थे, हमारे क्षेत्र के सम्मानित राजनेता हैं। लेकिन तब भी वहां की जनता ने एक आशा और विश्वास के साथ चुनाव में मुझे जिताकर भेजा। उसका केवल एक ही कारण था कि वह चीखते-चिल्लाते थे पर उनकी बात नहीं सुनी जाती थी/उस रामगढ़ नाम के स्थान पर एक कोल्ड स्टोरेज की नींव रखी जा चुकी थी। मुझे वहां की जनता ने कहा कि यह कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाया जा रहा है तो मैंने कहा कि इससे तुम्हारा विकास होगा। उन्होंने कहा कि इससे तो विकास होगा उन अधिकारियों और उन नौकरशाहों का जिन्होंने इस स्कीम को बनाकर भेजा है। मैंने कहा कि क्या कोल्ड स्टोरेज में आप सेब नहीं रखेंगे, आलू नहीं रखेंगे ? उन्होंने कहा कि सांसद महोदय, हमारे यहां सेब उस समय पैदा होता है जिस समय कहीं और सेब पैदा नहीं होता। न तो हिमाचल में सेब होता है और न कश्मीर में होता है। अगर हम कोल्ड स्टोरेज में सेब रखें और उनके सेब के मुकाबले में अपना सेब बेचें तो हमें नुकसान होगा। उनके सेब के मुकाबले हमारे सेब को कोई पूछेगा नहीं। इसी प्रकार वहां पहाड़ी आलू पैदा होता है जिसको दिल्ली में लोग बहुत ढूंढ़ते हैं। वह आलू भी ऑफ सीजन में होता है और योजना बनाई जाती है कि इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए। ये योजना दिल्ली और लखनऊ में बैठकर लोग बनाते हैं। ऐसी अव्यावहारिक योजनाएं हैं। मैं मुख्यमंत्री से स्वयं मिला। आखिर उस डेढ़ करोड़ की योजना को बंद कर दिया गया।

सभापति महोदय, ऐसी अव्यावहारिक योजनाएं मैं एक नहीं, अनेक गिना सकता हूं। हमारे पर्वतों की भूमि बड़ी उर्वरा है। हम अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। हमारे यहां जहां अनेक क्रांतिकारी पैदा हुए, संत पैदा हुए वहीं हमारे यहां सुमित्रानंदन पंत जैसे कवि भी पैदा हुए। उन्हीं की जन्मस्थली अल्मोड़ा आप जाएंगे और अगर वहां के विश्रामगृह में रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां जाने के बाद मुख्य द्वार में कोई घुस नहीं सकता। आप आश्चर्य करेंगे कि बिल्डिंग कैसे बनी हुई है। इस बिल्डिंग का मुख्य द्वार का रास्ता बंद है और पीछे की तरफ से तोड़कर उसमें द्वार बनाया गया है। नक्शा बनाया गया लखनऊ में बैठकर और क्या सोचकर बनाया गया कि उसका सूर्य की तरफ मुंह होना चाहिए, एक सिद्धांत माना गया, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि पहाड़ में भी आगे पहाड़ आ जाते हैं और बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। आधे से ज्यादा बिल्डिंग बन गई और यह सोचा जाने लगा कि इसमें से कैसे निकला जाएगा। आगे से पहाड़ है, इसलिए पीछे से रास्ता बनाया गया। ऐसी अव्यावहारिक योजनाएं उत्तरांचल में बन रहीं हैं। हम चीखते-चिल्लाते हैं, हमारी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट जाती हैं। आज 45 वर्ष हो चुके हैं और इन 45 वर्षों के बाद एक शुभ दिन आया था जब उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वहां की जनता ने बहुमत के साथ वहां हमें मत दिया अपना प्रतिनिधि चुना और 19 विधान सभा सीटों में से 15 सदस्य उत्तरांचल के नाम पर जीतकर आए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि उनके पूरे चार सांसद चुनकर आए जो उत्तरांचल के समर्थक थे, और उस भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भारी बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पास किया कि उत्तरांचल की मांग माननी चाहिए और उस प्रस्ताव को पास करके केन्द्र के पास भेजा। आज वह प्रस्ताव कहां पर है? किसी रद्दी की टोकरी में पड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित थे। एक दिन हमारे सम्मानीय सदस्य ने झारखंड के विषय में एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि झारखंड की स्थापना इसलिए नहीं हो सकती कि वहां की प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव पास करके नहीं भेजा है और दूसरी तरफ जिस प्रस्ताव को किसी प्रदेश सरकार ने पास करके भेजा है, वहां की परिस्थितियों का उल्लेख किया है और उसकी आवश्यकता को केन्द्र को बताया कि उत्तरांचल निश्चित रूप से बनना चाहिए। उस प्रस्ताव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे याद है पिछले वर्ष का वह दिन, ठीक से तारीख तो याद नहीं है लेकिन उस दिन मैं अल्मोड़ा में था। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां किसी राज्य की स्थापना तो नहीं कर सकती लेकिन उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार ने उस दिन घोषित किया था कि हम अलग से एक उत्तरांचल का सचिवालय अल्मोड़ा में बनायेंगे। उस दिन उसका शिलान्यास हो रहा था। उस समय के वित्त मंत्री वहां शिलान्यास करने के लिए आये थे। हमारे अनेक सांसद और विधायक वहां पर उपस्थित थे। वहां ऐसा भव्य मंच बना था और लोगों ने उसे एक उत्सव का स्वरूप दे दिया था। लोग नाच रहे थे कि अब हमारे भाग्य बदलने के दिन आ गए। लेकिन उस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य यह रहा कि उसी दिन गृह मंत्री जी का ब्यान छपा कि उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना नहीं की जा सकती।

मैं सभापति जी, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोग बड़े देशभक्त हैं और बड़े शांत हृदय के लोग हैं। हम देश के दुश्मनों के लिए क्रांतिकारी पैदा करते हैं, हम युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए सैनिक देते हैं ताकि इस देश की सीमाओं की रक्षा हो सके। हम

उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना केवल अपनी दो रोटियों के लिए नहीं करना चाहते बल्कि उत्तरांचल प्रदेश की स्थापना इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारे देश की रक्षा हो सके क्योंकि उत्तरांचल का सारे का सारा क्षेत्र दूसरे देश के साथ लगा हुआ है। यदि हमारी सीमाएं कमजोर होंगी और सीमाएं तब कमजोर होंगी जब देश का नौजवान कमजोर होगा, उस सीमा क्षेत्र के नौजवान कमजोर होंगे और कमजोर होने की बात तो उस समय आयेगी जब उस क्षेत्र मे वहां का नौजवान बचेगा। आज वहां एक बालक पैदा होता है, हाई स्कूल तक आने के बाद, दिल्ली की सड़कों पर चला आता है नौकरी की तलाश में क्योंकि शाम को उसकी माता कहती है कि शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला आता है। वहां का विद्यार्थी पढ़ता है, ग्रेजुएट होता है, बी०ए० और एम० ए० होता है लेकिन उसको वहीं पर नौकरी नहीं मिलती, यह कैसा दुर्भाग्य है। पिछले से पिछली सरकार के समय में वहां एक इंटरव्यू नैनीताल जिले के अन्दर, टनकपुर नामक स्थान पर हुआ था। वह इंटरव्यू बस के कण्डक्टर पद के लिये हुआ लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बस के कण्डक्टर जैसी सामान्य नौकरी के लिए भी, वहां के नौजवानों को नहीं चुना जाता। हमने सोचा था कि चलो हमारा नौजवान आई० ए० एस० या पी० सी० एस० नहीं बन सकता तो बस की कण्डक्टरी तो कर सकता है, वह तो हमारे भाग्य में है लेकिन वह भी भाग्य को मंजूर नहीं था, वह भी हमारे भाग्य में नहीं। उस इंटरव्यू में 85 प्रतिशत नियुक्तियां मैदानी क्षेत्र के नौजवानों की हुईं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या हो सकता है। उसमें से 60 प्रतिशत नियुक्तियां, उस समय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके जिले के नौजवानों की हुई।

आज भी वहां जब पुलिस में भर्ती होती है, पिथौरागढ़ जिले में, तो उसमें भी इटावा जिले के नौजवानों की 60 प्रतिशत नियुक्तियां की जा रहीं हैं। पुलिस में भर्ती होती है पिथौरागढ़ में, लेकिन नियुक्तियां होती हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे नौजवानों की और हमारा नौजवान बैठा ही रह जाता है। इस तरह उसका भाग्य कैसे बदलेगा। वह आज भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा है।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन सारी भावनाओं को समझते हुए, उनकी संवेदनाओं को समझते हुए, हमें अलग से हिल कैडर का दर्जा दिया है और हम उसको कठोरता से लागू करना चाहते थे और उसे लागू करने का हमारी प्रदेश सरकार ने संकल्प भी लिया ताकि उस क्षेत्र के अन्दर, वहीं के लोगों को नौकरियों में लिया जा मके और वे वहीं रह कर नौकरी कर सकें।

सभापति जी, इससे बड़ा हमारा और कौन सा दुर्भाग्य होगा कि वहां अस्तपताल हैं, स्कूल हैं, और हम मांग करते हैं कि डाक्टर नहीं है और डाक्टरों की नियुक्ति होती है परन्तु वे कभी वहां जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। एक दिन ज्वाइन करते हैं और अगले दिन छुट्टी की अर्जी दे देते हैं और और लखनऊ में बैठे किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री का दबाव डलवा कर अपना अन्यत्र स्थानान्तरण मैदान में करा लेते हैं। आज भी वहां के अस्पताल खाली हैं, स्कूल खाली हैं। वहां नियुक्तियां होती हैं लेकिन तुरन्त स्थानान्तरण करा लिए जाते हैं।

इसलिए सभापति जी, मैं आपसे और इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, सभी पक्षों के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। हो सकता है कि झारखंड के विषय में कुछ विवाद हो, जैसे पासवान जी ने पिछले सप्ताह बोलते हुए कहा था

कि उत्तरांचल के विषय में कोई विवाद नहीं है, दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने भी कहा था कि उत्तरांचल के विषय में कोई विवाद नहीं है, इसलिए उत्तरांचल की स्थापना से सम्बन्धित इस प्रस्ताव को आज निश्चित रूप से, सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए ताकि हम भी अपने क्षेत्र में जाकर वहां की भोलीभाली जनता को बता सकें कि अब तुम्हारे भाग्य का फिर से उदय होने वाला है। जय-भारत।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, हम इस संकल्प पर कई दृष्टिकोणों से बाद-विवाद करते रहे हैं। मेरे विचार से, इस बात पर आम सहमति है कि आज हमें छोटे राज्यों की आवश्यकता है तथा वास्तव में, उत्तरांचल तथा झारखण्ड के अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों से छोटे राज्यों की मांग आ रही है। यह सुझाव दिया गया है कि एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने का समय अब आ गया है जिसकी संदर्भ शर्तें उचित होनी चाहिए, जो न केवल भाषा के प्रश्न को ध्यान में रखेगा बल्कि अन्य विभिन्न मानदण्डों का भी ध्यान रखेगा जिनमें स्वतन्त्रता के पश्चात् विकास का अनुभव भी शामिल है।

महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ जानकारी रखना चाहता हूं। हमारे पास यहां 1991 की जन-गणना की रिपोर्ट है। हमारे पास प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र की मूल जनसंख्या तथा क्षेत्र संबंधी आंकड़े हैं। संघ में 24 राज्य तथा सात संघ राज्य क्षेत्र हैं। देश की कुल जनसंख्या 839 मिलियन है। देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16% है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार, जो देश के दो सबसे बड़े राज्य है, की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 26.8% है। यदि प्रथम तीन बड़े राज्यों को लें, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल हैं, तो तीनों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत बनती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल को भी इसमें शामिल कर लें, तो चारों राज्यों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 44% बनती है। प्रथम पांच राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 52.3 प्रतिशत बनती है।

महोदय, मैं और अधिक आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन मैं 12 तक गया हूं। आप एक ओर राज्य जोड़ेंगे, तो इसमें 10% और जुड़ जाएगी, दूसरे दो राज्यों को जोड़ दें तो जुड़ जाएंगे 15% तथा इस तरह 12 राज्यों में, देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या है। अब ये मुख्य राज्य हैं, तथा उनमें से प्रथम पांच राज्य प्रमुख हैं। यदि क्षेत्रवार आंकड़ों को लें, तो उस हिसाब से एकमात्र अपवाद हैं पश्चिम बंगाल तथा केरल, जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। परन्तु, अन्यथा हम फिर पाते हैं कि प्रथम पांच राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश का क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र का लगभग 36 प्रतिशत है और इस तरह से, इन 12 राज्यों का क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र का 85% है तथा जनसंख्या कुल जनसंख्या का 90% है।

दुर्भाग्यवश, इस अवधि में विभिन्न कारणों से हमने बहुत छोटे राज्य बनाये हैं। अतः हमारे देश में दुर्भाग्य से, एक तरफ बहुत बड़े राज्य हैं तो दूसरी ओर बहुत छोटे राज्य। हमारे यहां बड़े राज्य हैं और छोटे राज्य छोटे नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे राज्य हैं। बहुत छोटे राज्य कतिपय दबावों अथवा राजनैतिक परिस्थितियों के कारण बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे सामने इसके लिए कोई फार्मूला नहीं था, क्योंकि इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था, क्योंकि हमारे सामने एक संपूर्ण योजना

नहीं थी और इसलिए जब कभी हमारे सामने कोई समस्या आयी और जब अत्यधिक दबाव डाला गया, तो एकमात्र समाधान एक बहुत छोटा राज्य बनाकर किया गया। अतः एक तरफ, हमारे देश में 140 मिलियन जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो दूसरी तरफ 4 लाख जनसंख्या वाला सिक्किम जैसा राज्य है; 7 लाख जनसंख्या वाला मिजोरम राज्य है तथा देश में 1 मिलियन से भी कम जनसंख्या वाले आधा दर्जन राज्य और भी हैं।

अतः महोदय, हमारा देश एक संघ है, बहुत बड़े तथा बहुत छोटे राज्यों का संघ; बड़े राज्यों तथा बहुत छोटे राज्यों का संघ। क्या यह संघ बना रह सकता है? क्या हमने सोवियत संघ, यूगोस्लाविया के अनुभव से कुछ नहीं सीखा है? सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि किसी भी संघ में बड़े तथा छोटे, विशाल तथा अतिलघु के बीच का अन्तर विघटनकारी हो सकता है। ऐसे में क्या होता है? ऐसा संघ एक सच्चा संघ नहीं होता; उस संघ में बड़े राज्यों का प्रभुत्व होता है। इसलिए वहां कभी भी संतुलित संबंध कायम नहीं हो सकते; समान संबंध कायम नहीं हो सकते अन्तर्राज्य संबंध अथवा केन्द्र और राज्यों के संबंध न्यायपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे विचार से, हमें ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव से सीख लेनी चाहिए। मेरे विचार से सोवियत संघ का विघटन इसलिए हुआ क्योंकि सबसे बड़ा रसियन राज्य जनसंख्या तथा क्षेत्र में आधे से अधिक था तथा अन्य राज्य बहुत छोटे थे। इसी तरह, समस्त युगोस्लाविया में सर्बिया का प्रभुत्व था तथा अन्य सभी राज्य उसकी तुलना में अत्यधिक छोटे थे। इसलिए मेरे विचार से, हमें अपनी राजनैतिक व्यवस्था को इस ढंग से पुनर्गठित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें हालांकि हम पूर्ण समानता तो नहीं ला सकते हैं लेकिन हम संघ के विभिन्न संघटकों में तुलनात्मक समानता कुछ मात्रा में ला सकते हैं।

अन्य पक्ष यह है कि हमने विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तता की नीति को एक राष्ट्रीय आदर्श के रूप में अपनाया है। विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तता के सिद्धान्त का यदि सही भावना तथा ईमानदारी-पूर्वक पालन किया जाए, और यह केवल केन्द्र-राज्य संबंधों पर ही लागू न हो बल्कि जिले तथा खंडों के बीच, और खंडों तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच भी लागू किया जाए, तो शायद सही अनुपात से कार्य हो सकेगा। जैसाकि बताया गया था, विकास के स्तर में बहुत असमानता है। छोटी-छोटी बातों में भी, जैसे कि सड़कों के निर्माण में, स्थानीय स्कूलों के अवस्थापन पर, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना में, स्थानीय विद्युत लाइन तथा स्थानीय जल-निकासी के मामले में, भेदभाव तथा अन्याय किया जाता है तथा वर्तमान प्रणाली में इसे बिल्कुल भी दूर नहीं किया जा सकता है। जब तक आप प्रजातन्त्र नहीं लाते, जब तक आप निचले स्तर तक निर्णय लेने की शक्ति नहीं लाते तब तक इसका उपचार नहीं किया जा सकता। अतः मेरा मानना है कि छोटे-छोटे राज्य तथा जिले होने चाहिए। छोटे-जिलों के भीतर ही उपयुक्त खण्ड तथा पंचायतें होनी चाहिए जिनके पास सही मायने में शक्तियों का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए। तभी जाकर हम विकास की असमानता के मामले को हल कर पाएंगे।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम सभी मौजूदा असमानताओं तथा अन्याय के बारे में सचेत हैं। लेकिन मैं निर्णय-कर्ता के पक्ष में एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ सुविचारित न हों। मैं निर्णय-कर्त्ता पर दुर्भावना का आरोप नहीं लगा सकता। इसमें से कुछ तो परिस्थितिवश होते हैं। लखनऊ में बैठा कोई व्यक्ति अथवा पटना में बैठा कोई व्यक्ति बिहार के सुदूर-वर्ती कोने, उत्तर या दक्षिण बिहार के लोगों की पीड़ा को कैसे समझ सकता है। यह असम्भव है।

मैंने एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा, "आपके पास 60 जिले हैं, क्या आप सभी जिलों के नाम बता सकते हैं ?" उसके बाद मैंने उनसे एक दूसरा प्रश्न पूछा, "जिला अधिकारी वहां का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है। यदि कोई संकट उत्पन्न होता है तो आप उसी पर निर्भर करते हैं। क्या आपके मस्तिष्क में वहां बैठे उस व्यक्ति की क्षमता और कार्य-कुशलता की कोई तस्वीर है ? क्या आपके लिए यह संभव है ?" यह बात न केवल उस मुख्य मंत्री पर ही नहीं, बल्कि सभी विभागाध्यक्षों पर लागू होती है। क्या कृषि मंत्री इसका आकलन कर सकते हैं कि कौन-सा कृषि अधिकारी अच्छा है और वह कितना अच्छा है ? यह असम्भव कार्य है। लेकिन यदि राज्य छोटा हो जिसमें आपके पास दस से पन्द्रह जिले ही हों और वहां कोई कार्यक्रम अथवा परियोजना चल रही हो तो संबंधित मंत्री सुबह-सुबह ही विभाग के सभी 15 अधिकारियों को टेलीफोन कर सकता है और उस परियोजना की प्रगति देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है, निगरानी और नियन्त्रण कर सकता है। हरियाणा में यही किया गया है। इसलिए वहां विकास की गति तेज है। इसलिए नौकर-शाही लापरवाह नहीं है। इसीलिए, नौकरशाही हमेशा मुस्तैद रहती है क्योंकि जन-प्रतिनिधि और संबंधित मंत्री वहां हमेशा उन पर नजर रखने और नियन्त्रण करने के लिए होते हैं। इसीलिए छोटे राज्य बड़े राज्यों के मुकाबले तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसका यह एक कारण है।

देश के अन्य भागों के मुकाबले तेजी से विकास न कर पाने के कारण बड़े राज्य देश के लिए लाभप्रद होने की बजाए स्वयं को एक बाधा सिद्ध कर रहे हैं। यदि आप कोई मानदण्ड लें तो निरक्षरों की संख्या, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय, ऊर्जा की खपत, राष्ट्रीय औसत का नीचे गिरना छोटे राज्यों के कारण नहीं बल्कि बड़े राज्यों के कारण है। बड़े राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति विकास स्तर काफी कम है। अतः इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है और अनुभव से यह साबित हो गया है कि यदि हमारे राज्य छोटे हों तो हमारा विकास तेजी से होगा। इससे भी बड़ी बात होगी कि यह लोगों के नियन्त्रण में होगा, लोगों के नजदीक होगा तथा लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। यह लोगों को जवाब देगा और लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा। वहां के जन प्रतिनिधि अपने लोगों की ओर से कार्य प्रगति पर नजर रख सकेंगे, स्वयं को कार्य में शामिल कर सकेंगे और विकास कार्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से मार्गनिदेश प्रदान कर सकेंगे।

अतः मैं महसूस करता हूं कि इसका कोई खण्डशः समाधान नहीं हो सकता। मैं उत्तरांचल का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तरांचल के समर्थकों में से एक हूं। मैंने उत्तरांचल के गठन के पक्ष में कई याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन मुझे यह भी कहना चाहिए कि देश के प्रत्येक बड़े राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमसे अपने इतिहास, अपने अतीत, अपनी आकांक्षाओं, अपनी एकात्मता के भावों तथा अपनी मनो-सामाजिक एकता के जरिए बोलते हैं। यह राष्ट्रीय-एकता की कोई विपरीतता नहीं है। राष्ट्रीय एकता अवश्यरूपेण इस क्षेत्रीय एकता तथा क्षेत्रीय एकात्मता पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता और, इसलिए, जब मैं अवध अथवा बृजभूमि अथवा बुन्देलखण्ड अथवा झारखण्ड अथवा मगध—जहां से मैं हूं और जिसका इतिहास 500 वर्षों तक भारत का इतिहास था—अथवा मिथिला की बात सुनता हूं तो मेरा कहना है कि ये ऐसे नाम हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण तथा यहां तक कि लघु केरल में भी मालाबार का इतिहास रहा है। तमिलनाडु में भी कोरामण्डल तथा शेष तमिलनाडु और मदुराई—जोकि महा साम्राज्य था—के बीच अन्तर है। आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना तथा

आन्ध्र है। इन क्षेत्रों का निर्माण कृत्रिम नहीं था। उनका निर्माण ऐतिहासिक और उनकी अपनी कतिपय सांस्कृतिक पहचान थी उनका मानवीय एकात्मता में कतिपय योगदान था और विकास इस बात पर निर्भर है कि उनकी मानवता तथा एकात्मता की भावना, सामुदायिक चेतना—ऐसी चेतना जिसके द्वारा हम अपनी पीड़ाओं और अपनी विजयों तथा कठिनाइयों को एक समुदाय के रूप में आपस में बांटते हैं—का पूरा दोहन किया जाए और इसलिए जब तक यह बहुत छोटा समुदाय नहीं होगा, एक सूक्ष्म समुदाय जिसे विकेन्द्रीकरण की इस तस्वीर में लगाया जा सके, और जब तक ये राज्य इतिहास और मानव एकात्मता के दावों का जवाब नहीं देते तब तक कोई भी खण्डशः विकास नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में ऐसी राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए जो इतिहास, भूगोल, भाषा और संस्कृति के इन सभी तथ्यों और विकास की स्थिति तथा विभिन्न आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है।

उदाहरणार्थ, जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिसका अपना एक अलग सामाजिक-आर्थिक परिवेश है और इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश है जिसका एक भाग भोजपुर है। भोजपुर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी था। तो भोजपुर राज्य क्यों नहीं हो सकता ? भोजपुर को भाषा की दृष्टि से राजस्थान की तरह क्यों नहीं एक अलग दर्जा दिया जा सकता ? भोजपुरियों को हमारे इस महान् संघ के एक घटक के रूप में एक पृथक् दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता ? इस प्रयास में राज्यों की मौजूदा सीमा रेखाओं में भी कटौती हो सकती है। न केवल राज्यों का प्रवर्संगठन अपितु मौजूदा सीमाओं को घटा-बढ़ाकर भारत के मानचित्र की भी पुनर्रचना करनी पड़ सकती है।

जनता नदी जल तथा सीमाओं के बारे बोल चुकी है। लेकिन नदी जल हमेशा उन्हें मिला है। भारत के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन करने से वितरण नियमों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हमारे राष्ट्रीय विवेक पर निर्भर करता है कि हम नदी जल के प्रयोग के लिए कुछ इस तरह के नियम बनाएं कि ऊपरी और निचले, दोनों, तटवर्ती क्षेत्रों को उचित मात्रा में पानी मिले और यह समान रूप से उन सभी राज्यों पर लागू हो जिनसे होकर कोई विशेष नदी आती हो और, इसलिए पुनर्गठन के विचार के विरोध में संभवतः यह तर्क नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : कृपया झारखण्ड के बारे में कुछ कहिए।

श्री संयद शहाबुद्दीन : झारखण्ड के मामले में मैं श्री चित्त बसु को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वहां दो प्रकार की अलग परिस्थिति है। एक पहलू जनजातीय राज्य का निर्माण है। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि जनजातीय लोगों का शोषण किया गया है लेकिन यह मेरा मत है कि झारखण्ड राज्य में—जैसाकि झारखण्ड आन्दोलन चलाने वालों का दावा है—जनजातीय लोगों का शोषण गैर-जनजातीय लोगों द्वारा किया जाता रहेगा लौर उन्हें दबाया जाता रहेगा।

मैं पूर्णरूपेण एक जनजाति बहुल राज्य के पक्ष में हूं। जनजातीय बहुल जनपद, उससे जुड़े जनजातीय खंड, जो संशक्त हैं, और उससे जुड़ी जनजातीय बहुल पंचायतों को, जो संशक्त है, मिलकर एक राज्य बनाना चाहिए जिसमें जनजातीय लोग महसूस करें कि वे अपने राज्य में हैं, अपनी जमीन के मालिक हैं। वे महसूस करें कि ये अपने हित में राज चला रहे हैं और वे अब किसी बाहरी व्यक्ति अथवा किसी गैर-जनजातीय तत्व पर निर्भर नहीं हैं कि वह आए और उन्हें रास्ता दिखाए। यह एक

जनजातीय सन्निकटता होगी। अतः जहां तक झारखण्ड का प्रश्न है, झारखण्ड राष्ट्रीयता जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जनजातीय चेतना जैसी कोई चीज है और उस जनजातीय चेतना को अवश्य ही एक जनजातीय बहुल राज्य के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन तब एक मुश्किल आड़े आती है। यह केवल बिहार का प्रश्न नहीं है। वास्तव में, बिहार में अभी केवल दो ही जनजातियां बहुल जिले हैं। सही मायने में इस समय जनजातीय जिले उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हैं और मैं समझता हूं कि एक जनजातीय बहुल राज्य के निर्माण के लिए कम से कम इन तीनों राज्यों के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए जिससे कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों, जिसे अंग्रेजों द्वारा कुछ बिहार, कुछ उड़ीसा और कुछ मध्य प्रदेश में बांट दिया गया था, का एकीकरण किया जा सके और वे अपने भाग्यविधाता खुद बन सकें।

मैं समझता हूं कि इस समय एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जरूरी है। इससे पहले कि हमारी राजनीति में कोई कड़वाहट घुले इस आयोग की स्थापना कर देनी चाहिए। उसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। इसे एक स्पष्ट अधिदेश प्रदान किया जाना चाहिए। इसे राष्ट्रीय सहमति के आधार पर एक स्पष्ट मानदण्ड प्रदान किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् हमें अपने सभी लोगों, सभी क्षेत्रों, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं हेतु समानता और न्याय के आधार पर भारत का एक नया मानचित्र तैयार करना होगा जिसके लिए हमें प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ भौगोलिक समीप्यता के प्रश्न को भी ध्यान में रखना होगा।

मेरा विश्वास है कि संघ में राज्यों का आकार-प्रकार मोटे तौर पर एक समान होना चाहिए जिसमें मोटे तौर पर 15 मिलियन से 25 मिलियन लोग हों, मोटे तौर पर 10 से 15 जिले हों और यदि ऐसा होता है तो मुझे यकीन है कि संघ स्वतः ही तेजी से प्रगति करेगा क्योंकि तब इससे जनसाधारण की उस संपूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा जोकि अभी तक दबी रही है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सदन के समक्ष रखा गया संकल्प नए छोटे राज्यों के निर्माण के बारे में है जिसमें विशेषरूप से उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर, और बिहार का आदिवासी क्षेत्र तथा झारखण्ड राज्य का वनांचल, जनजातीय क्षेत्रों को लेकर, शामिल है···

एक माननीय सदस्य : क्या यह एक ऐसे वक्ता के लिए उचित है जिसने अभी-अभी सदन को छोड़ने की बात की है ? मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स : मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री ए० चार्ल्स : मैं महसूस करता हूं कि उपरोक्त राज्यों के निर्माण की मांग गम्भीरता से विचार करने योग्य है।

5.43 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

तथापि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद बहुत नाजुक मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर कोई निर्णय विचार-विमर्श करने के बाद बहुत सावधानीपूर्वक तथा सभी राजनैतिक दलों और विशेषरूप से सम्बन्धित क्षेत्र के प्रभावित लोगों की सहमति से लिया जाना चाहिए।

मैं वक्ताओं की बात पिछले एक घंटे से बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। विपक्ष के एक माननीय सदस्य कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसने इन राज्यों का गठन नहीं किया और यद्यपि कांग्रेस इन कई राज्यों में सत्ता में थी फिर भी ये क्षेत्र पूर्णरूपेण उपेक्षित रहे।

यह आरोप नाजुक मुद्दों से केवल राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लगाए गए हैं। कुछ भी हो, हमने धार्मिक कट्टरवाद के कारण बड़ी कीमत चुकायी है और जो कीमत हम आज अदा कर रहे हैं वह यह है कि देश के कई भागों में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। (व्यवधान) महोदय, यह बड़ी दुखद बात है। यहां तक कि सदन के भीतर भी कुछ राजनीतिक दल यह नहीं समझ पाते हैं कि इस देश के एक आम आदमी की भावनायें क्या हैं। 'द टाइम्स आफ इण्डिया' ने 11-2-93 के अपने अंक में एक छोटा सा समाचार छापा था जिसका शीर्षक था "जनता दल द्वारा उत्तराखंड के गठन को समर्थन"। एक छोटे पैरा का पाठ इस प्रकार है :

> "पर्यवेक्षकों के अनुसार, जनता दल की घोषणा को इसकी दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति के प्रसंग में अवश्य देखा जाना चाहिए। जनता दल के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई भी पार्टी एक पृथक पहाड़ी राज्य का समर्थन किए बिना उस क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकती। दिलचस्प बात यह है कि श्री सिंह के शासनकाल के दौरान जनता दल ने उत्तराखंड के मुद्दे की उपेक्षा कर दी थी।"

महोदय, यह इस मुद्दे का राजनैतिक पहलू है जिसे मैं प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं राज्य के गठन के विरोध में हूं। दूसरे पक्ष के मेरे मित्रों को इस बारे में अनावश्यक चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

हम सभी जानते हैं कि छोटी इकाइयों का प्रशासन बहुत सहज होता है। ह्यू मेकर ने एक सुन्दर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'स्माल इज् ब्यूटीफुल'। उसमें गांधी जी के ग्रामीण भारत को प्रस्तुत किया गया है। अतएव, हम सभी जनजातीय क्षेत्र के लोगों तथा एक समान सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि रखने वाले छोटे समूह के लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे हैं।

महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। और हमारी सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम विविधता में एकता स्थापित करने में सफल रहे हैं। लेकिन अब, राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है। अतएव, इस समय जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के शीघ्र पश्चात् देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अथवा सबसे बड़ी समस्या थी कि देश को किस प्रकार संगठित कर एक शासन के अन्तर्गत लाया जाए ? आपको पता है उस समय 500 से भी अधिक रियासतें थीं और वास्तविक समस्या यह थी कि इन सभी को एक केन्द्रीय प्रशासन के अधीन कैसे लाया जाए ? अतः भला हो हमारे महान नेताओं का जिन्होंने अपने विवेक और नेतृत्व से समूचे देश को एकजुट किया और राज्यों का पुनर्गठन किया।

महोदय, यह सत्य है कि भाषा इस देश में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार थी। लेकिन, इसके अलावा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा अन्य आधार भी मौजूद थे।

केरल इसका उदाहरण है। 1947 में जब हमें स्वतन्त्रता मिली, उस समय मैं त्रिवेन्द्रम से आया था। यह ट्रावणकोर राज्य की राजधानी थी। कुछ वर्षों के बाद कोचीन का पड़ोसी राज्य, जो कि एक पृथक स्वतंत्र राज्य था, को ट्रावणकोर में मिला दिया गया और ट्रावणकोर और कोचीन कुछ समय तक एक रहे। और उसके बाद, भाषा के आधार पर वर्तमान केरल राज्य का गठन करके इसमें मालाबार नामक मद्रास का कुछ भाग—तीन राजस्व जिले—इस राज्य में पुनः मिला दिए गए। लेकिन दुर्भाग्य से, कन्याकुमारी जिला, जो सांस्कृतिक भावात्मक, आर्थिक रूप से केरल से बंधा हुआ था, को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया और उसे तमिलनाडु को दे दिया गया। कन्याकुमारी तमिलनाडु की तुलना में केरल के साथ अधिक सांस्कृतिक रूप से बंधा हुआ है। अतः, केरलवासी मांग कर रहे हैं कि कन्याकुमारी केरल को वापस कर देना चाहिए।

5.49 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे विचार से तमिलनाडु का कोई सांसद यहां उपस्थित नहीं है। लेकिन यथोचित रूप से यह मानते हुए कन्याकुमारी जिले के लोग अब यह कहते हुए मांग कर रहे हैं कि उनके सम्बन्ध केरल के साथ हैं न कि तमिलनाडु के साथ क्योंकि कन्याकुमारी जिले के किसी भी कोने में आप जायें तो देखेंगे कि वहां के लोग मलयालम बोलते हैं। वे अभी भी मलयालम भाषा जानते हैं। उस जिले में मैं एक चुनाव कार्य प्रभारी था।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : श्री चार्ल्स, क्या आप मुझे अवसर देंगे ? अगर यही आपका तर्क है तो निःसंदेह दुबई केरल का हिस्सा बन जायेगा।

श्री ए० चार्ल्स : क्षमा कीजिए। मैं केवल अपने पड़ोसी राज्य की जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर रहा हूं। यदि आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं और मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा और आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्यों के पुनर्गठन के समय भाषा के अतिरिक्त और भी कारण थे। हम जानते हैं कि सरकारिया आयोग केन्द्र राज्य संबंधों की पूर्ण गहराई में गया है। मैं समझता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय, एक काफी मजबूत केन्द्र की आवश्यकता थी क्योंकि हमारे देश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें इस बात पर पुनः विचार करना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र के प्रशासन को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाए।

क्षेत्रीय असन्तुलन इस देश की सभी समस्याओं का मूल कारण है। जैसाकि पिछले अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि यहां तक कि राज्य के अन्दर कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि राज्य के पुनर्गठन की सम्पूर्ण अवधारणा की पुनर्जांच करनी होगी और जहां कहीं संभव हो, छोटे राज्य, छोटी इकाइयां, स्वतन्त्र क्षेत्रों का गठन करना होगा और उन्हें प्रशासन की लोकतान्त्रिक पद्धति के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। निचले स्तर पर अधिक स्वायत्तता ही देश के विकास में सहायक हो सकती है। पंचायती राज विधेयक को लाने में वर्तमान सरकार की भी यही मुख्य नीति रही है। यदि

पंचायती राज विधान क्रियान्वित हो जाता है तो हमारे देश के प्रत्येक भाग को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी मांग पूरी करवाने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री इन्द्रजीत ने कहा है कि भाग क, भाग ख, भाग ग, राज्यों जैसे विभिन्न प्रकार के राज्य हो सकते हैं। मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूं। राज्य को कुछ शक्तियां देने के बाद कोई भेदभाव नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य, बड़ा हो या छोटा, समान है और मैं समझता हूं कि एक काफी मजबूत मामला है जैसाकि आगे बैठे विपक्ष के सदस्यों में से एक सदस्य उत्तर प्रदेश और इसी प्रकार के अन्य बड़े राज्यों से हैं जो राज्य बनाने के लिए कह रहे थे। सैद्धांतिक रूप से, मैं छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में हूं और मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। लेकिन मेरे विचार से संकल्प पारित करने का यह तरीका ठीक नहीं है, यह उचित समय नहीं है। दूसरी ओर, सर्वसम्मति से पूरा सदन इस मामले की जांच कर सकता है और इस संबंध में निर्णय ले सकता है कि न केवल उत्तरांचल और वनांचल इसके अलावा और कितने नये राज्य बनाए जा सकते हैं। ऐसे दूसरे छोटे समूह हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं और कतिपय क्षेत्र हैं जिन्हें भौगोलिक रूप से उसी राज्य में नहीं रखा जा सकता। अतः छोटे राज्यों की अवधारणा के साथ सम्पूर्ण पुनर्गठन के लिए नया प्रयास किया जा सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ समय के लिए इस संकल्प को वापस ले लें और हम सब एक हो जायें। इन दो राज्यों के निर्माण में हम आपके साथ हैं; हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन, संपूर्ण राष्ट्र को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तथा हम एक सर्वसम्मत समझौते पर पहुंचे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं वनांचल और उत्तरांचल को पृथक राज्य बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर अभी तक काफी चर्चा हो चुकी है और करीब-करीब सभी वक्ताओं का यह कहना है कि यह मांग उचित है। कुछ लोगों ने उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी हैं, कुछ और तरीके सुझाए हैं। लेकिन यह बात सबने मानी है कि इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है और उनके साथ आज तक अन्याय होता रहा है। सबसे पहले यह सोचना है कि इन राज्यों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं समय की कमी की वजह से उत्तरांचल के बारे में विशेष रूप से कहूंगा, हालांकि वनांचल के बारे में मैं समर्थन करता हूं कि यह पृथक राज्य बनना चाहिए।

सबसे अहम जरूरत और सबसे अहम वजह है इन क्षेत्रों में विकास की कमी। आज 45 साल की आजादी के बाद उत्तरांचल क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है ? कुछ वक्ताओं ने इसके विषय में कहा है। कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आजादी के समय इस क्षेत्र के पर्वतीय इलाके की पर-कैपिटा इनकम देश के अन्य क्षेत्रों के पहले 10 जनपदों में आती थी। आज 45 साल की आजादी के बाद लोग इस क्षेत्र में आखिरी में ही नहीं आते, बल्कि हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पर-कैपिटा इनकम में सबसे आखिरी जो जिला है उस स्थान पर हमारी गिनती है। 45 साल की आजादी के बाद इस प्रकार से विकास हुआ है। जहां तक गरीबी से नीचे की लाईन की बात है, आज भी इस क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

इण्डस्ट्री का सवाल है, आठ में से सात जिले "जीरो" इण्डस्ट्री एरिया हैं। अभी थोड़े दिन पहले इस विषय में मैंने प्लानिंग कमीशन से कुछ सूचना मांगी थी। सात जिले इण्डस्ट्रीयल डिवेलपमेंट

की दृष्टि से अत्याधिक पिछड़े हैं। 45 साल की आजादी के बाद भी उन सात जिलों में कोई इण्डस्ट्री नहीं है। यह किस तरह की मानसिकता है, किस प्रकार विकास की प्रवृत्ति इस देश में चली है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है।

जहां तक अन-इम्पलायमेंट का सवाल है, शायद आप लोग न समझ पाएं कि इस पर्वतीय क्षेत्र में आज बेरोजगारी की स्थिति कितना भयानक उग्र रूप धारण कर चुकी है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आज शिक्षित नवयुवक कोई है ही नहीं। सब लोग मैदानों में मारे-मारे फिर रहे हैं, नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। वहां पर सिर्फ बूढ़े, बूढ़ियां, महिलाएं और बच्चे रह गए हैं या स्कूल के विद्यार्थी रह गए हैं। दूसरी तरफ विडम्बना यह है कि आधे से अधिक स्कूलों में, अस्पतालों में और दूसरी जगहों पर पोस्टें खाली हैं। एक तरफ अन-इम्पलायमेंट और दूसरी तरफ अस्पतालों में, स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। यह इसलिए हो रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने जाना इसलिए उचित नहीं समझा कि वहां पर जीवन मुश्किल है। इसलिए नौकरी लेने के लिए तो वहां पर पहुंच जाते हैं उसके बाद तुरन्त किसी बहाने से अपना तबादला करवा लेते हैं या तीन-चार महीने रहने के बाद लम्बी छुट्टी पर चले जाते हैं। आज स्कूलों के अन्दर भयानक दशा है। कालेज और स्कूलों में 50 प्रतिशत से कम अध्यापक हैं। इसी प्रकार की स्थिति दूसरे विभागों में है। आज तक पर्वतीय क्षेत्रों में, खास कर उत्तरांचल में अधिकारियों की पोस्टिंग "तीन पीज" के आधार पर होती थी—प्रोमोशन, पनिशमेंट और प्रोबेशन। अभी थोड़े दिनों से एक और "पी" लगा है, वह है "पैसा"। लोग पैसा बनाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं। वहां के विकास के लिए जो पैसा आता है वह उस पैसे का दुरुपयोग करके मालामाल होकर निकलते हैं। इससे कितना असन्तोष वहां के लोगों में है, यह सोचने की आप कल्पना कीजिए।

जहां तक विकास का संबंध है—बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और सड़कें, ये सब दयनीय स्थिति में हैं। इनकी इतनी दयनीय दशा है कि आपको शायद यहां बैठे समझना मुश्किल होगा। हमारे क्षेत्र में, जहां गंगा और यमुना बहती है वहां के लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। आपके पास गांवों में पेयजल के सरकारी आंकड़े हैं। सब आंकड़े गलत हैं। वहां पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है। आज बूढ़े, बूढ़ियां, महिलाएं, बच्ची-बच्चे दिन भर पानी ढोते हैं।

6.00 म०प०

उनको चार-चार और पांच-पांच किलोमीटर पहाड़ों पर चलना पड़ता है, जो उनका पूरा दिन ले लेता है। उसके बाद भी उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। बिजली की समस्या यह है कि आज वहां पर बहुत कम गांवों में बिजली है, और जहां है वहां भी बिजली उपलब्ध नहीं होती है। लोगों के पास बिजली के बिल कम्प्यूटर के द्वारा आते हैं जो गलत और बहुत अधिक होते हैं। लेकिन बिजली चौबीस घंटे में कभी-कभी आधा घंटा भी नहीं मिलती और कभी हफ्तों तक किसी जगह पर नहीं होती है। अस्पतालों की हालत यह है कि वहां पर पूरा दिन चलने के बाद भी अस्पताल नहीं मिलता है। महिलाएं बीमार हों या गर्भवती हों तो वे अस्पताल जाने तक कभी-कभी अपना दम तोड़ देती हैं। सड़कों की हालत यह है कि यहां पर स्कीम्स केन्द्र में दस-बारह सालों से क्लीयरेंस के लिए पड़ी हैं या फारेस्ट की वजह से या दूसरी वजह से पड़ी हैं। लेकिन इनके लिए कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यह विकास की समस्या इतना भयंकर रूप धारण कर रही है कि वहां के लोगों को सरकारी व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया है, विकास की समस्या भिन्न है क्योंकि टोपोग्राफी, वहां की जलवायु

अलग है चूंकि वहां की आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक आधार अलग है। इन बातों को समझने के लिए जो लोग लखनऊ और दिल्ली में हैं, और यही योजनाएं बनती हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता है। अभी पूर्व-वक्ता ने यहां पर कहा था कि पानी की कमी हो गई थी तो अधिकारियों ने पहाड़ों में हैन्ड पम्प लगवाने को कहा। ऐसी अनेकों योजनाएं बनती हैं और वहां के लोगों को इससे कष्ट ही नहीं होता बल्कि वहां के लोग दुखी होते हैं कि किस प्रकार हमारी समस्याएं सुलझाने वाले हमारी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रोध की भावना लोगों के मन में बनती है और अलग राज्य बनाने की मांग की इच्छा प्रबल होती है तो यह भावना जागती है।

अगली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह उत्तरांचल की मांग क्यों हैं। भारत के नक्शे पर नजर लगाएं तो जम्मू-काश्मीर से लेकर पूर्व की तरफ चले जाएं तो जितना भी हमारा देश है तो हमारे हिमालय के बार्डर पर हर क्षेत्र में अलग प्रदेश है। सिर्फ उत्तरांचल ही नहीं है। आप जम्मू-काश्मीर से शुरू कीजिए। हिमाचल सिक्किम, असम, नागालैंड और 'सेवन सिस्टर्स' को अलग प्रदेश बनाया गया है तो उत्तरांचल के साथ ही अन्याय क्यों है? उत्तरांचल ही क्यों नहीं अलग प्रदेश बन सकता है। हर प्रकार से इसका जस्टिफिकेशन होता है।

एक बात अक्सर कही जाती है और वह कि उत्तरांचल बनाने के विरोध में यहां पर कुछ वक्ताओं ने कहा कि वायेबिलिटी नहीं है। यह इतना गलत किस्म का प्रचार है कि उत्तरांचल होगा तो वायेबिलिटी नहीं होगी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आज तक जितने प्रदेश बने हैं और आजादी के बाद बहुत सारे प्रदेश बने हैं तो किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि ये प्रदेश वायेबल नहीं है? प्रदेश बनाए गए, विकास होता रहा और धीरे-धीरे वायेबल होते चले गए। उत्तरांचल वायेबल है और हमारे पास अपने साधन-संसाधन हैं। आज भी उनका गलत उपयोग हो रहा है। उस क्षेत्र के अन्दर जैसे वनांचल के बारे में कहा गया है दुरुपयोग करके अन्य स्थानों पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास मानव संसाधन है और हमारे क्षेत्र के एक वक्ता ने कहा है कि फौज में बहुत से लोग हैं। फौज को आप जानते है कि जल्दी रिटायर होने के बाद वहां पर एक अनुशासित, डिसीप्लीन्ड बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आ जाते हैं जो बेकार है और जिनका उपयोग नहीं हो रहा है।

वन सम्पदा हमारी इतनी अधिक है कि आज भी उसका इस्तेमाल पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है। ये वन सम्पदा ही नहीं, हमारे क्षेत्र में जड़ी-बूटियां हैं ऐसा भंडार है जिनका आज तक उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे इस विषय को देख सकें। जल के बारे में मैंने आपको बताया कि हम पूरे देश को गंगा-यमुना का पानी दे रहे हैं। इसमें बिजली पैदा करने की इतनी अधिक क्षमता है, कि माइक्रो हाईडल स्कीम इतनी पोटेन्शियल वहां पर है कि पूरे प्रदेश को नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों और कस्बों को वहां से बिजली मिल सकती है उसका आज तक उपयोग नहीं हुआ है। आज किसी के पास पर्याप्त पैसा वहां लगाने के लिए नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पवन ऊर्जा का ऐसा अनुमान है कि शायद विश्व में सबसे बड़ा भंडार है।

[हिन्दी]

आज उत्तरांचल में पवन उर्जा का सदुपयोग हो तो पूरे देश में जो उर्जा की कमी है वह खत्म हो सकती है। लेकिन आज तक इसके ऊपर किसी ने विचार ही नहीं किया। इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसी प्रकार पशु पालन, कृषि और अन्य चीजों के लिए इस

प्रकार का वातावरण है जो ऊपर हाई अल्टीट्यूड और शुद्ध वातावरण की जितनी जरूरत होती है, जिन चीजों की जरूरत होती है वहां पर इस प्रकार के साधन लगाये जा सकते हैं और उनसे वहां के क्षेत्र का विकास हो सकता है।

पर्यटन के लिए हमारे क्षेत्र में धार्मिक ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के पर्यटक आते हैं और बहुत भारी विकास हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संसाधनों की हमारे पास कमी नहीं है, कमी है तो विल पावर की है उसके सही इस्तेमाल करने की है, सच्ची मंशा से करने की है। आज कांग्रेस के पास सच्ची मंशा नहीं है, सिर्फ दोहन करने की मंशा है, शासन करके शोषण करने की मंशा है। आप शोषण करना चाहते हैं जितना आसानी से हो जाए वह किया जा सके और उसको लेकर बाहर चले जाएं, वहां के लोकल लोगों की जरूरतों की, उनके विकास की कोई चिन्ता नहीं है।

अलग प्रदेश न होने से किस प्रकार उत्तरांचल को नुकसान हो रहा है इसके लिए मैं सिर्फ तीन उदाहरण देना चाहूंगा, उदाहरण तो बहुत हैं। पहला है प्लानिंग कमीशन ने नार्म्स बनाए हैं, मापदंड बनाए हैं कि उत्तरांचल को और अन्य पहाड़ी प्रदेशों को कितना पैसा देना चाहिए। कैसे प्लानिंग कमीशन की एड मिलेगी, मापदंड दिए हैं कि 65 प्रतिशत पापुलेशन, 20 प्रतिशत परफारमेंस और 10 प्रतिशत दूसरी चीजों में, इस प्रकार के मापदंड बनाए गए हैं योजना आयोग के द्वारा। इस मापदंड से आज हमको 400 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है 180 करोड़ रुपए। जब हमने यह सवाल उठाया पार्लियामेंट में तो कहा गया कि 180 करोड़ रुपए ठीक हैं, बाकी के प्रदेश से लीजिए। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 51 लाख है, हमारी 59 लाख है हमको 180 करोड़ रुपया मिलता है और उनको 350 करोड़ रुपया मिलता है। इस प्रकार का अन्याय इसलिए हो रहा है कि हम अलग राज्य नहीं हैं और हमको इसलिए आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दूसरी बात है इंडस्ट्रीज के लिए, अभी-अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट प्रपोजल में कहा था कि मैं नई इंडस्ट्रीज के लिए पिछड़े इलाकों में पांच साल के लिए टैक्स हालीडे दे रहा हूं, यह उनका भाषण में है। जिसमें उन्होंने नार्थ ईस्ट, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, केन्द्र शासित राज्य अंडमान-निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन-द्वीप, लक्षद्वीप और पाण्डिचेरी के लिए पांच साल के लिए टैक्स हालीडे नए इंडस्ट्रीयलिस्ट्स और इंटरप्रिनयर्स को दिया है और उत्तरांचल का इसमें नाम नहीं है। मैं वित्त मंत्री से मिले और उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं हमें भी छूट देते हैं, हमारे आठ में से सात जिले जीरो इंडस्ट्री एरिया हैं तो उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अगली बार अपनी बात जारी रखिएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी : धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक विशेष अनुरोध करने के लिए पीठासीन हुआ हूं। हमें इस सभा में सात विधेयकों को मंजूरी देनी है। तत्पश्चात हम रेल बजट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम सामान्य बजट पर चर्चा करना चाहेंगे। तदुपरान्त 31 मार्च से पूर्व हमें लेखानुदान को पारित करना होगा। ये अध्यादेश समयबद्ध होते हैं और मुझे बताया गया है कि इन्हें 4 अप्रैल से पूर्व

पारित करना है । हम पहली अप्रैल से 19 अप्रैल तक कार्य नहीं करते रहेंगे । हमारे पास समय कम है । अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करने में सहयोग दें कि ये अध्यादेश पारित हो जाएं । आप भाषण जरूर दीजिए लेकिन संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में । इसी के साथ, हमें उपलब्ध समय को सभी सदस्यों में विभाजित करना है । कुछ सदस्य कतिपय ऐसे विषयों पर बोल सकते हैं जिन पर बोलने की उनकी उत्कट लालसा है । कुछ सदस्य कतिपय अन्य विषयों पर बोल सकते हैं । यदि हम ऐसा करें तो कार्य सम्पन्न करना सम्भव होगा । जब तक हम एक दिन में कम से कम दो अथवा तीन अध्यादेश पारित न करेंगे, अगली बार जब हम मिलेंगे, तब तक हम कार्यसूची को पूरा नहीं कर पाएंगे ।

एक माननीय सदस्य : आज ही ?

अध्यक्ष महोदय : निसंदेह आज नहीं । आज हम कुछ और करेंगे । वन्य जीव संरक्षण के संबंध में एक अध्यादेश है । हम इसे आज पारित कर सकते हैं । अतः कृपया इसे ध्यान में रखते हुए सहयोग करें । भार्गव महोदय, कृपया बोलिए ।

6.10 म० प०

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प और वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

[हिन्दी]

श्री बिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है ।"

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, इस विधेयक का दायरा बहुत सीमित है और इसका उद्देश्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज में इस माननीय सभा द्वारा विहित किए गए प्रावधानों का अनुपालन सुगम बनाना है कि इस उक्त अधिनियम की धारा 38क के अनुपालन में बनाए गए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता नहीं दिए गए किसी भी चिड़ियाघर को संचालित नहीं किया जाएगा । वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1991 में यह प्रावधान किया गया था कि संगत प्रावधानों

के लागू होने की तारीख को चल रहे देश के सभी चिड़ियाघर बिना मान्यता के 6 माह की अवधि के लिए चल सकते हैं। उसके बाद, केवल उन्हीं चिड़ियाघरों, जिन्होंने मान्यता हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को आवेदन किया है, को आवेदन की अस्वीकृति तक चलने की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अधिनियम के उक्त प्रावधान 4 फरवरी, 1992 को लागू हुए थे। अतः सभी चिड़ियाघरों को 4 अगस्त, 1992 से पूर्व ही अपने आवेदन-पत्र केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजने थे। चिड़ियाघरों की मान्यता के नियमों, जो पशु के मानदण्ड निर्धारित करते हैं सम्पोषण और आवेदन-पत्र के स्वरूप आदि को निर्दिष्ट करते हैं, को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा 4 अगस्त, 1992 को अंतिम रूप दिया गया था और इसी कारण से चिड़ियाघर वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 में विहित अवधि में आवेदन-पत्र नहीं भेज सके। ये चिड़ियाघर अपने आवेदन-पत्र भेज सके और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के सन्दर्भ में अवैध न बन जाए, अतः इस अवधि, जिसमें ये चिड़ियाघर बिना मान्यता के चल सकें को 6 माह से बढ़ाकर 18 माह करने का निर्णय किया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं अपनी बात पूरी कर लेता, उसके बाद माननीय मंत्री जी बात करते और मेरे ख्याल से यही अच्छा रहता और एक साथ ही बात कह लेते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं···

श्री कमल नाथ : मैंने आधा तो कर लिया है···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने केवल अध्यादेश को निरस्त करने वाले प्रस्ताव की बात की, कि जनमत हेतु अध्यादेश को निरस्त करने वाली बात है और जब सारे वक्ता बोल दें, तब मंत्री जी अपनी बात कहें···

अध्यक्ष महोदय : आपका रिज्योलूशन जो है, उसमें आर्डिनेंस क्यों नहीं लाना चाहिए था, इतना ही बताना है, वह तो आपने कर दिया है···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या किया है फिर आपने ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने तो केवल अपनी बात की है कि मैं रख रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि आपने अपनी बात खत्म कर दी है···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं बगैर आपकी अनुमति के कैसे बोलूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने के लिए टाईम दे दूंगा। मगर ऐसा है कि जो रिज्योल्यूशन होता है, रिज्योल्यूशन क्यों आप मूव कर रहे हैं, यह पहले बताते हैं, फिर यह कानून दुरुस्त नहीं है, यह बताना चाहिए। इसके लिए बोलने के लिए समय दे दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिएगा। अब आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री कमल नाथ : दूसरे ढंग से कहें, तो चिड़ियाघरों को अब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को 4 अगस्त, 1993 से पूर्व आवेदन-पत्र भेजने हैं और वे अब इस तिथि से पूर्व बिना मान्यता और बिना आवेदन-पत्र जमा किए चलते रह सकते हैं।

महोदय, अध्यादेश जारी करने के संबंध में आपने जो टिप्पणियां की मुझे उनकी जानकारी है। सामान्यतः, मैं तो कानून बनाने के इस कदम के प्रति अनिच्छुक होता। तथापि, मौजूदा मामले में चूंकि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उन चिड़ियाघरों से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं कर सकता था जोकि वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन, 1991 के प्रावधानों के अनुसार बिना कानूनी मंजूरी के चल रहे थे, अतः तत्काल ही समय सीमा में वृद्धि करनी पड़ी और इसीलिए 23 अक्तूबर, 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से एक कानून बनाया गया।

महोदय, इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए 27 नवम्बर, 1992 को इस सामान्य सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया। तथापि, 10वीं लोक सभा के 5वें सत्र में इस पर विचार-विमर्श शुरू नहीं किया जा सका।

चूंकि इस अध्यादेश के प्रावधानों को जारी रखने की आवश्यकता थी, सभा के सत्रावसान होने के बाद 2 जनवरी, 1993 को एक अध्यादेश जारी किया गया। मौजूदा विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, वन्य जीव संरक्षण का प्रश्न बहुत व्यापक है और इसके विभिन्न पहलु प्रकृति और पारिस्थितियों के संरक्षण के मूल तत्व हैं। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर, जिसमें हमारी जैविक संपदा के घोर अपक्षय, चोरी छिपे शिकार, तथा अनधिकृत कब्जों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों पर व्याप्त खतरा, और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर आश्रित लोगों की कठिनाइयों को माननीय सदस्यों ने इस सदन में तथा बाहर प्रख्यात संरक्षणविद, समाजशास्त्रियों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने, उठाया है। तथापि, इस स्थिति में, यह उचित या व्यवहार्य भी नहीं रहेगा कि वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाए, जबकि सभा में वर्तमान विधेयक इसलिए विचाराधीन हैं वर्तमान विधेयक की परिधि अत्याधिक सीमित है तथा यह मात्र प्रक्रियात्मक तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

अतः मैं, वन्य जीव संरक्षण के सामान्य प्रश्न पर नहीं जाता तथा सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि वह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 की अध्यादेश संख्या-7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : कतिपय सदस्यों ने विचारार्थ प्रस्ताव पर संशोधनों की सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक को उस पर 17 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (1)

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक को उस पर 18 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।" (12)

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय मंत्री कमलनाथ जी के द्वारा यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है और यह बिल जिस भावना से प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल पार्क्स एण्ड सेंक्चुरीज के विकास की बात इसमें कही है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि 52 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 372 अभ्यारण्य हैं। 18 राष्ट्रीय उद्यानों में और 100 अभ्यारण्यों की सीमाओं के भीतर एक लाख से ज्यादा आबादी बसी हुई है। अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्यों के दस किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में काफी बस्तियां बसी हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि 45 में से 20 राष्ट्रीय उद्यानों और 128 अभ्यारण्यों के बीच में जो लोग रह रहे हैं, वे वहां चरागाह करते हैं, वहां उनके रहने के मकान हैं, वहां उनके वन उत्पादन हैं और धार्मिक मुद्दों से संबंधित उनकी शिकायतें है। मेरा निवेदन यह है कि इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से जुड़ी हुई जो जनता बीच में रह रही है, उनके हक के बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो जो उनके मकान बने हुए हैं, उनके कंपनसेशन का क्या होगा ? आपने उस सम्बन्ध में, इस बिल में कोई बात नहीं कही है जबकि शहरों के लिए और मकानों के लिए, सबके लिए किया है। उन लोगों के पैतृक निवास वहां हैं। इसलिए मेरा कहना है कि या तो आप उनको वहीं रहने दें और मेरी मांग होगी कि उन्हीं पर जंगलों की सारी जिम्मेदारी डाल दें ताकि वहां रहने वाले जीव-जन्तुओं की रक्षा हो सके। बाहर के किसी व्यक्ति को न तो आप वहां किसी खान का पट्टा दें और न किसी राजनेता को किसी अभ्यारण्य के बीच में जमीन दें। किसी मजबूरी में यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वहां रहने वाले लोगों के पैतृक अधिकारों की रक्षा भी तो करनी है। उन्हें वहां रहने का पैतृक अधिकार है, इसलिये उन्हें कम्पैन्सेशन आप दीजिए···

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सिम्पल बिल है। इसमें रजिस्टर करने की जो डेट थी, उससे पहले जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, उनको रजिस्टर्ड कराने के लिये ही यह बिल यहां लाया गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही खण्ड है। यह ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग कार्यवाही पूरी नहीं कर पा रहे हैं यह संशोधन मात्र समयावधि बढ़ाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लेकिन जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, उनके कष्टों के बारे में मैं नम्र निवेदन कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से तो न वाइल्ड लाइफ बिल पर चर्चा पूरी हो सकती है और न एन्वायरनमैंट बिल पर चर्चा पूरी हो सकती है, यदि इस तरह डिटेल्स में जायेंगे। आप सिर्फ इस पर कहें कि वह टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि जंगल आज कटते चले जा रहे हैं और उनका कटना किसी भी प्रकार से रुक नहीं रहा है। जंगल न रहने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो रही है और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जंगलों का और कटना रुकना चाहिए और इसके साथ-साथ उनमें रहने वाले लोगों के पैतृक अधिकार भी रहने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माफ करना भार्गव जी, इसका बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बात तो उसी से सम्बन्धित मैं कह रहा हूं, सर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खेद है कि मैं बीच में बोल रहा हूं। यह मात्र समयावधि बढ़ाने के लिए है। कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह प्राधिकरण बनाया गया तथा, आवेदन पत्र इस प्राधिकरण को समय से पूर्व दिए जाने थे, और वह समय खत्म हो गया है, तथा वे समयावधि बढ़ा रहे हैं, बस यही बात है। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मेरा कहना है कि यदि जंगल कटते चले जाएंगे तो न वर्षा होगी और न हम किसी प्रकार प्रदूषण को रोक पायेंगे। जब जंगल नहीं होंगे तो जंगल के जानवर भी नहीं रहेंगे। इसलिए पहाड़ों को हरा-भरा करना, जंगलों की कटाई को रोकना बहुत आवश्यक है। मेरा सीधा मंत्री जी से यही कहना है कि यदि जंगल होंगे तो सरोवर होगा, सरोवर होगा तो उसमें कमल खिलेंगे, और कमलनाथ जी हमारे मंत्री जी हैं। यदि कमल उगेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी उठती चली जाएगी। इसलिए जंगलों का सीधा हम सबसे सम्बन्ध है—जंगलों से सरोवर, सरोवर से कमल, कमल से भारतीय जनता पार्टी।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज जो जंगल कट रहे हैं उनको रोका जाए और अभ्यारण्णों के बीच में जो लोग निवास करते आये हैं, उनके कष्टों की तरफ भी आप ध्यान दें। वे लोग वहीं रहने

चाहिये ताकि पर्यावरण भी बचे और चिड़ियाघरों का भी समुचित विकास हो, मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर भली प्रकार विचार करेंगे, सभी बातों पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसका पार्ट इतना है,···

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सर, हम पास करने के मूड में हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पहले अमेंडमेंट पर, मैं बोलूं उसके बाद मेरी पार्टी के जिन-जिन लोगों के नाम हैं, वे बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आज कोई भी नहीं बोल रहे हैं।

देखिए, मैं बोलने के लिए समय देता, लेकिन क्या है अभी 7 आर्डिनेंस पास करने हैं, उसके बाद रेलवे बजट पर डिस्कशन करना है उसके बाद जनरल बजट पास करना है और 31 मार्च 1993 को आपको वोट ऑन अकाउंट लेना है, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित वन्यजीव (संक्षरण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 की अध्यादेश संख्या-7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : विचारार्थ प्रस्ताव पर अब संशोधनों की सूचना है। मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या-1 को सभा के मतदान के लिए रख रहा हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, विचारार्थ प्रस्ताव पर श्री रमेश चन्द तोमर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या-12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आज तो यही बिल था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आज तो यही बिल था । आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : देखिए, अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करेंगे, आपने कहा था कि आज तो सिर्फ यही बिल है और दूसरा बिल आप सोमवार को लेंगे, इसलिए अब आप हाउस सोमवार तक एडजर्न कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, क्या है, ये छोटे-छोटे बिल हैं और 7 आर्डिनेंस हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और आपकी परेशानी समझ रहा हूं । अब तो आप और बिजनैस आगे मत लीजिए और सोमवार को 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, भार्गव जी, अभी एक और कर लेते हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : देखिए, अध्यक्ष महोदय आपने कह दिया था कि इसके बाद और बिल आप सोमवार को लेंगे। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। मेरी आपसे विनती है कि अब आप और बिल न लेकर हाउस को सोमवार तक के लिए स्थगित कीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कह रहा हूं वह आप नहीं समझ रहे हैं। यदि आप कहते हैं तो मैं सभा को स्थगित कर देता हूं। कृपया यह समझने की कोशिश करिए कि अभी कई अन्य विधेयक पड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप सोमवार को कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को भी कुछ निकलेगा।

[अनुवाद]

यदि आप जोर देंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा परन्तु यह समझने की कोशिश कीजिए कि सभा की यह इच्छा है कि हम इस कार्य को करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपने स्वयं कहा था कि आज वन्य जीवन के बिल तक रखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कह रहा हूं वह ये समझ नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज मान लीजिए, सोमवार को सब कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सोमवार को करेंगे।

[अनुवाद]

सभा सोमवार, 22 मार्च, 1993 को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 मार्च, 1993/1 चैत्र 1915 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53